

प्रकाशक—

मार्तण्ड उपाध्याय,

मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

अप्रैल, १९३८ : २०००

मई १९३९ : २०००

मूल्य

आठ आना

मुद्रक—

श्रीपत्तराय,

सरस्वती प्रेस,

बनारस कैण्ट ।

प्रकाशक की ओर से

हमें इस बात की बहुत खुशी है कि 'मण्डल' से प्रकाशित होनेवाली नई 'लोक साहित्य माला' की शुरुआत हम स्वर्गीय श्री रामदास गौड़ की इस पुस्तक से कर रहे हैं।

इस पुस्तक के पीछे एक लम्बा इतिहास है। सन् १९२९-३० के दिनों में स्व० गौड़जी से 'मण्डल' ने 'भ्राम-सुधार और सगठन' के विषय पर एक ग्रन्थ लिखाया था। सन् १९३०-३१ में गौड़जी ने उसे लिखकर अपने मित्र और 'मण्डल' के संचालक-मण्डल के प्रमुख सदस्य श्री महावीरप्रसाद पोद्दार को देखने के लिए कलकत्ते भेज दिया। ग्रन्थ बहुत बड़ा होगया था और उनकी तथा 'मण्डल' की यह राय हुई कि गौड़जी इसको कुछ छोटा करदे और इसे देखने के लिए गुजरात विद्यापीठ के आचार्य श्री काका कालेलकर और महामात्र श्री नरहरि परीख के देखने को भेजदे। इसके मुताबिक गौड़जी ने इस ग्रन्थ को काका सा० को, जबकि वह काशी-विद्यापीठ के समावर्तन-संस्कार के निमित्त काशी गये थे, दे दिया। काका सा० और नरहरिभाई ने ग्रन्थ को देखा-न देखा कि सन् १९३२ का आन्दोलन शुरू होगया, गुजरात-विद्यापीठ पर सरकार का कब्जा होगया और काका सा० और नरहरिभाई जेल चले गये। सन् १९३३ में जब विद्यापीठ पर से प्रतिबन्ध उठा तब 'मण्डल' के मंत्री ने उस ग्रन्थ के बारे में वहाँ पूछताछ की। लेकिन मालूम हुआ कि ग्रन्थ कहीं खोगया है। इतने बड़े और इतनी मेहनत से लिखे गये ग्रन्थ के खो जाने से हम सबको बड़ा दुःख हुआ।

लेकिन सन् १९३४ में जब मण्डल दिल्ली आ चुका था, तब उत्साही राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री बलवीरसिंह हमें मिले और गौड़जी की

इस पुस्तक के बारे में पूछने लगे कि वह प्रकाशित हुई है या नहीं? तब हमने उसके खो जाने की सारी कहानी उनको सुनाई। इसपर उन्होंने कहा कि 'इसकी एक नक़ल तो मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे दूँ।' हमें यह सुन आनन्द हुआ और आश्चर्य भी। पूछने पर उन्होंने बताया कि जब यह पुस्तक श्री महावीरप्रसाद पोद्दार के पास कलकत्ता गई थी तब वह उनके साथ शुद्ध खादी भण्डार में काम करते थे। वहाँ इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा। और पढ़ने पर उनको वह इतनी अच्छी लगी कि रात-रात भर जागकर चुपके से उसकी नक़ल करली। इसका न तो पोद्दारजी को पता था और न गौड़जी को ही।

श्री बलवीरसिंहजी ने ग्रन्थ मण्डल को दे दिया। 'मण्डल' ने फिर गौड़जी को भेजा कि इसको अगर कुछ घटादे और अद्यवत् (Up to date) बनादे तो इसे प्रकाशित किया जाय। लेकिन वह दूसरे ग्रंथों के लेखन आदि में इतने व्यस्त रहे कि इसका संपादन न कर सके और अतः में पिछले वर्ष भगवान् के घर जा रहे। उसके बाद यह ग्रंथ फिर गौड़जी के मित्र श्री कृष्णचन्द्रजी (सबज्ज, काशी) की मारफत श्री पोद्दारजी के पास गया। उन्होंने इसे शुरू से अत तक पढ़ा और उन्होंने मण्डल को सलाह दी कि इसको अब जैसा-का-तैसा ही प्रकाशित करना चाहिए। इसी निश्चय के फल स्वरूप इस ग्रन्थ का यह पहला खण्ड आपके हाथ में है। और दूसरा खण्ड 'मण्डल' की 'सर्वोदय साहित्यमाला' (बड़ी माला) से शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

इस प्रकार श्री बलवीरसिंहजी के परिश्रम से गौड़जी का यह ग्रन्थ बच गया इसके लिए वह हमारे और पाठकों के बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

यह इसका सारा इतिहास है। 'मण्डल' ने इस ग्रंथ पर स्व० गौड़जी के परिहार को रॉयल्टी देना तय किया है। पढ़ते तो यह ग्रंथ ही इतना

उपयोगी और उत्तम है कि प्रत्येक ग्रामसेवक और लोकसेवक के लिए इसको अगने पास अपने मार्ग-दर्शन के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जितना ही इसका अधिक प्रचार होगा उतनी ही स्व० गौड़जी के परिवार वालों को आर्थिक सहायता होगी और होती रहेगी। इसलिए आशा है, प्रत्येक ग्रामसेवक और लोकसेवक इसे अवश्य खरीदेगा और लाभ उठावेगा।

इस माला में इसी आकार-प्रकार, छपाई और मूल्य वाला सर्वसाधारण के लिए शानवर्षक और चरित्र को ऊँचा उठानेवाला राष्ट्रीय साहित्य निकलेगा। इसकी पूरी योजना इस पुस्तक के अन्त में दी गई है। हम इस माला को सब तरह से सम्पूर्ण और उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन यह सब हिन्दी भाषा के उदार पाठकों, लेखकों और भारत के लोकनेताओं के प्रोत्साहन और मार्ग-दर्शन पर निर्भर करता है। आशा है, पाठकवर्ग ज्यादा-से-ज्यादा तादाद में इसको खरीदकर और इसका प्रचार करके तथा लेखकवर्ग इसके लिए पुस्तकें लिखकर और लोकनेता इस दिशा में हमारा मार्ग-दर्शन करके इस काम को पूर्ण करने में हमारी सहायता करने की कृपा करेंगे।

आज इसका दूसरा सत्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हमें हर्ष है और हम भविष्य में उनसे और अधिक सहयोग की आकांक्षा रखते हैं।

—मत्री

सस्ता साहित्य मण्डल

भूमिका

आधुनिक ऐतिहासिक विद्वान् विशेषतः भारतवर्ष के इतिहास के सम्बन्ध में मुख्य धारणाओं के साथ अपने सभी विचारों को सुसंगत करने की कोशिश करते हैं। उनकी एक धारणा यह है कि पश्चात्य इतिहास की तरह यहाँ का इतिहास भी विकासवाद के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी धारणा यह है कि मानव सभ्यता का इतिहास इतना पुराना नहीं है जितना हिन्दू बताते हैं। तीसरी धारणा यह है कि आर्य लोग कहीं विदेश से भारत में किसी भूतकाल में आये थे। पहली धारणा में यह दुर्बलता है कि विकास-विज्ञान उत्तरोत्तर वर्धमान शास्त्र है। उसके आधार पर इतिहास की कोई स्थिर इमारत सभी देशों और कालों के लिए सुभीते से नहीं खड़ी की जा सकती। दूसरी धारणा भी पहली के ही आधार पर है और विज्ञान गत पचास बरसों के भीतर सृष्टि और सभ्यता के भूतकाल की सीमा को बराबर बढ़ाता आया है अतः इस धारणा में भी स्थिरता का अभाव है। तीसरी धारणा कुछ विशेष कल्पनाओं के आधार पर है जिन पर भी विद्वानों का मतभेद है। हमारा प्राचीन साहित्य हमारे निकट उसका तनिक भी समर्थन नहीं करता। सुतराँ मैं तीसरी धारणा को निराधार मानता हूँ।

पाठकों के सामने भारतीय गाँवों के इतिहास के जो ये पृष्ठ मैं रख रहा हूँ, उनमें मैंने उपर्युक्त तीनों धारणाओं की जानबूझ कर अपेक्षा की है। साधारण पाठक भी इस ऋग्दे में नहीं पढ़ना चाहेंगे कि सतयुग पाँच हजार बरस पहले हुआ था बीस लाख बरस पहले। या यह कि सतयुग में यदि वह सृष्टिकाल के पास था, मनुष्य को कपड़े बनाने की कला आनी

चाहिए या नहीं? अथवा यह कि यहाँ के गाँवों को आर्यों ने बाहर से आकर बनाया या वे भारत में पहले से ही बसे हुए थे। हमारे इतिहास का आधार हमारा साहित्य है और उसमें भी यह विषय सर्वसम्मत है कि वेदों से अग्निक पुराना संसार में कोई साहित्य नहीं है। पुराने-से-पुराने साहित्य के आधार पर प्राचीनतम गाँवों का इतिहास अवलम्बित है, फिर चाहे उसे पाँच हजार बरस हुए हों, चाहे पाँच लाख। हमारे गाँवों की जब से आबादी है इस वसी समय से अपने वर्णन का आरम्भ करते हैं। फिर चाहे वे गाँव इस भूखण्ड पर किसी देश के क्यों न हों वे गाँव हमारे ही थे किसी और जाति के नहीं।

इस कहानी के लिखने का उद्देश्य यह है कि हम अच्छी तरह देखें कि हमारी उन्नति कदातिक हुई थी और आज हमारा पतन किस हद तक हुआ है। अपनी वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह समझने के लिए भूतकाल की स्थिति का जानना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमानकाल भूतकाल का पुत्र है। साथ ही भावी उन्नति और उत्थान के लिए ठीक मार्ग निश्चय करने में भूतकाल का इतिहास बड़ा सहायक होता है। आज हमारे गाँवों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न खड़ा है। इसे हल करने के लिए भी हमें अपने पूर्वकाल का सिंहावलोकन करना आवश्यक है। ग्राम संगठन की समस्या देश के सामने है। उसकी पूर्ति में इस कहानी से सहायता मिल सकती है। इस कहानी की हमारे ग्राम संगठन के काम में कुछ भी उपयोगिता सिद्ध हुई तो मैंने, इस पोथी के संकलन में, जो कुछ परिश्रम किया है उसे सार्थक समझूँगा।

बड़ी पियरी, काशी

रामदास गौड़

विषय-सूची

१. सतजुगी गाँव	३
२. सतजुग के बाद के गाँव	२०
३. कलजुग का प्रवेश	३३
४. चाणक्य के समय के गाँव	४६
५. प्राचीन काल का अन्त	६०
६. पूर्व माध्यमिक काल	७३
७. परमाध्यमिक काल	८२
८. कम्पनी का कठोर राज्य	९६
९. विक्टोरिया के राज से वर्तमानकाल तक	१०७
१०. किसानों की बरवादी	१२७
११. दरिद्रता के कड़े फल	१५५
१२. और देशों से भारत की खेती का मुकाबिला	१८१

हमारे गाँवों की कहानी

हमारे
गाँवों की कहानी

सतजुगी गाँव

१. गाँव किसे कहते हैं ?

नथा शूद्रजनप्राया सुसमृद्धकृषीबला ।
चेत्रोपयोग-भू-मध्ये वसतिर्ग्रामसंज्ञिका ॥

—मार्कण्डेय पुराण ।

गाँव किसे कहते हैं ? आज भारत देश में कोई ऐसी बात पूछ बैठे तो लोग उसे पागल कहेंगे। बड़े से बड़े शहर में रहनेवाला बड़ा आदमी भी जिसे किसी बात की कमी नहीं है, कम-से-कम हवा खाने के लिए गाँव की ओर जरूर जाता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है जो गाँव के लिए पूछे कि किसे कहते हैं। तो भी भारी-भारी परिदृष्टि ने यह बताया है कि गाँव किसे कहते हैं। गाँव उसी वस्ती का नाम है जिसमें मेहनत मजुरी करनेवाले, और सब जरूरत की वस्तुओं से रोजे-पुजे खेतिहर रहते हों और जिसके चारों ओर खेतों करने के लायक धरती हो। ऊपर लिखे श्लोक के लिखनेवाले ने गाँव के रूप का एक नक्शा खींचा है। भारत खेतों का देश है। अन्न और कपड़ा इन्हीं खेतों से मिलते हैं। ससार की अच्छी से अच्छी चीजें, भोग-विलास की सामग्री तक लगभग सभी इन्हीं खेतों की उपज हैं। इन्हीं खेतों की वदौलत किसान सुखी और निश्चिन्त रह सकना है। उन खेतों

पर मेहनत मजदूरी मूब जी लगाकर की जाती है, तभी सब मनचाहा सामान मिल सकता है। इसलिए गाँव में मजदूर और किसान इन दोनों का होना जरूरी है। मजदूर जब अपने खेत में काम करता होता है, तब किसान कहलाता है। किसान जब मजदूरी लेकर दूसरे का काम करता है तब मजदूर कहलाता है। गाँव के रहनेवाले सभी मजदूर और किसान हैं। एक कुम्हार जब औरो को घरतन बनाकर देता है, एक तेली जब औरो के लिए तेल पेलता है, एक कोरी जब औरो के लिए कपड़े बुनता है, और एक चमार जब औरो के लिए जूते बनाता है, तब वह मजदूर का काम करता है। परन्तु जब कुम्हार, तेली, कोरी, चमार, बनिया, कायस्थ, चरित्रिय, ब्राह्मण अपने लिए अपने खेती-बारी का काम करते हैं, तब सब के सब किसान हैं। गाँव में आपस के और नाने भी होते हैं, पर मजदूर और किसान का आपस का नाता सबसे बराबर है। आदमी सभी बराबर हैं। सब अपना-अपना काम करते हैं।

आजकल भी हम गाँवों में देखते हैं तो थोड़ी-बहुत ऐसी ही बात पाई जाती है। पण्डितों ने जो गाँव का नकशा खींचा है वह बिल्कुल मिट नहीं गया है। आज भी हम गाँवों में जाकर देखते हैं तो मजदूरों और किसानों को पाते हैं। हाँ, उन्हें सुखी नहीं पाते। बहुत से हड्डियों की ठठरी देख पड़ने हैं। बहुत-से रोगी आलसी और बेकार भी हैं। आधे से अधिक ऐसे हैं जिन्हें दिन-रात में एक बार भी भरपेट रूखी रोटी नहीं मिलती। खेतों में अनाज पैदा होता है, पर वह न जाने कहाँ चला जाता है। वे अन्न उपजाने हैं, पर औरो के लिए। वे बोटी का पसीना पड़ी तक बहाने हैं और काम के पीछे मर मिटते हैं; पर औरो के लिए। धूप, आँधी, पानी, ओले, पाला, बरफ सबका कष्ट मेलकर सेवा करते हैं पर उनकी सेवा करते हैं जो उन्हें लात मारते हैं; उपकार के बदले उल्टे अपकार करते हैं। उनकी यह घोर

दरिद्रता—जिसको देखकर रोयें खड़े हो जाते हैं, जी बूहल जाता है—उन अपकारियों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। वे कहते हैं कि ये तो सदा के दरिद्री हैं, पशु है और हमारे सुख के लिए बनाये गए हैं। उनकी कल्पना में इन गाँवों के सुख के दिन आते ही नहीं। आजकल की पच्छाहीं कल-पुरजों की सभ्यता से जिनकी आँखें चौधियाँ गई हैं, पच्छाँह की माया से जिनकी बुद्धि चकरा गई है, वे सोचते हैं कि मजूरों और किसानों की दशा पहले कभी अच्छी रही हो, ऐसा नहीं हो सकता और आज तो इनकी दशा सुधारने के लिए बड़े-बड़े कल कारखाने खुलने चाहिए। क्या इनके विचार ठीक हैं? क्या मजूर और किसान पहले अधिक सुखी नहीं थे? क्या पहले भी आज की तरह खेती से इनका गुज़ारा नहीं होता था? इन बातों पर विचार करने के लिए हमें प्राचीनकाल की सैर करनी चाहिए।

२, सतजुग का आरंभ

सतजुग की चर्चा हमने बहुत सुनी है, पर हम नहीं जानते कि सतजुग किसे कहते हैं। पण्डित लोग बताते हैं कि वह समय बहुत-बहुत दिन हुए बीत गया। लाखों वरस की बात है। अनेक पढ़े-लिखे कहते हैं कि कई लाख नहीं तो कई हजार वरस तो जरूर बीत गए हैं। चाहे जिनना समय बीता हो बे-लांग जिसे वेद का युग कहते हैं उसीको सतजुग भी कहा जाता है। पण्डितों का यह भी कहना है कि भारत के लांग आर्य है, और आर्य का सीधा-साधा अर्थ किसान है।^१ आर्य किसान को कहते हैं। इस बात की गवाही वेदों से भी

^१ रमेशचन्द्र दत्त रचित अग्नेयी के "प्रचीन भारत में सभ्यता का इतिहास", पृष्ठ ३५।

मिलती है।^१ राजा पृथु की कथा, सीताजी का जन्म, अकाल पड़ जाने पर बड़े-बड़े ऋषियों की तपस्या, यज्ञ, पूजा आदि कथाओं से पुराण भरे पड़े हैं। कृष्ण और हलधर किसानों ही के नाम हैं। खेती गोपालन और व्यापार वैश्यों का खास काम बताया गया है। किसान बिना गऊ पाले खेती का काम चला नहीं सकता। और खेती में उपजा हुआ अन्न जब गाँव के खर्च से बचेगा तो उसे अपने गाँव से बाहर बेचना ही पड़ेगा। इसलिए जो काम वैश्य जाति का बताया गया है वह किसान का ही काम है। वेदों में 'विश्व' आर्य प्रजा के लिए आया है। इसीसे वैश्य बना। इसलिए वैश्य भी किसान ही को कहते हैं।^२

१. यववृक्षेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्त्रा ।

अभि दस्यु बक्रुरेणा धमन्तोऽप्योतिश्चक्रथुरार्याय ॥

ऋक् १ । ११७ । २१

हे अश्विनी कुमारो! हल से जुते खेत में यवादि धान्य बुवाते हुए तथा मेघ बरसाते हुए खेत के नाश करनेवाले दस्यु को बक्रुर से (बज्र से) मारते हुए तुम दोनों ने आर्य वैश्य के लिए विस्तीर्ण सूर्य नाम की ज्योति बनाई है।

शोमासश्चर्पणी^१ घृतो विश्वे देवास आगत । दाशवासो दाशुषः सुतम् ॥१॥

ऋक् १ । ३ । ७

उत नः सुभर्गा अरिवोवेसुर्दस्म कृष्टयः^२ । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥२॥

ऋक् १ । ४ । ६

(१) चर्पणि, (२) कृष्टि—ये दोनों शब्द मनुष्य वाचक हैं। हे देवताओ! घनादि देनेवाले आप लोग हवि देनेवाले यजमान के घर पर पधारो ॥१॥

हे शत्रु नाशक इन्द्र! तेरी कृपा से शत्रु भी हमे अच्छा बतलावे, फिर हम इन्द्र से प्राप्त सुख में रहें ॥२॥

२. पुरुष सूक्त के सिवाय संहिताओं में और कहीं 'वैश्य' शब्द नहीं।

हमारी दुनिया सतजुग से ही शुरू हुई है और वोली का शुरू भी सतजुग में ही मानना पड़ेगा। इसलिए हम सहज में ही समझ सकते हैं कि सतजुग में खेती का काम बहुत होता रहा होगा। साधारण लोग खेती या मजूरी ही करते रहे होंगे। प्रोफेसर सन्तोषकुमार दास अपनी अंग्रेजी की “प्राचीन भारत का साम्प्रतिक इतिहास” नाम की पुस्तक में पृष्ठ ६ पर लिखते हैं कि “धरती के चार विभाग होते थे। (१) वास्तु (२) कृषियोग्य भूमि (३) गोचर भूमि (४) जंगल। वास्तुभूमि का मालिक किमान होता था। वास्तव में जितने शुद्ध हुआ करते थे गऊ या खेतों के हरण के लिए हुआ करते थे। जीत का भाग जीतने वालों में बँट जाता था।” लोग गाँव में अपने परिवार के साथ रहते थे और खेतों के मालिक की हैसियत से खेती करते थे। बाप मर जाता था तब बेटों में जायदाद बँटती थी। गोचर भूमि और जंगल पर सबका अधिकार था। वेदों में इन अधिकारों के दायभाग की भी चर्चा है। इस पोथी में यह भी लिखा है कि “प्रोफेसर कीथ (Keith) और दूसरे विद्वान् कहते हैं कि इस जुग में शहर होते ही न थे। शहर का होना सिद्ध करने के लिए जो मन्त्र कहा जाता है उसका अर्थ यह विद्वान् यह समझते हैं कि शरदऋतु में वाद आने पर इन मिट्टी के

आया। ‘वश्’ शब्द का बराबर प्रयोग है जिसका अर्थ ‘साधारण प्रजा’ लिया गया है। इसलिए यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि ‘वैश्य’ साधारण प्रजा के अधिकांश समुदाय का नाम होगा। यह बात विलकुल स्पष्ट है कि देश के भरण-पोषण के लिए सबसे अधिक संख्या किसानों ही की होनी चाहिए। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की आवश्यकता-नुसार अत्यन्त कम शूद्रों अर्थात् मजूरों की संख्या लगभग किसानों अथवा वैश्यों के बराबर होगी।

पुरों में किसान लोग शरथ लेते थे। यह 'पुर' एक प्रकार के बाँध का नाम है।^१ जो हो; तो इसमें सन्देह नहीं मालूम होता कि शहर थे भी तो बहुत कम रहे होंगे। गाँवों की ही गिनती सबसे ज्यादा होगी।

मंत्रों से यह भी पता चलता है कि हल से खेत जोते जाते थे और जौ, गेहूँ, धान, मूँग आदि अनाज और गन्ने की पैदावार बहुतायत से होती थी।^२ लोग गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरी रखते थे और चराने को ले जाया करते थे। समय-समय पर खेती के सम्बन्ध में नई उपज पर, फसल खड़ी होने पर, कटने पर, बोन के समय इत्यादि अवसरों पर किसान यज्ञ करता था और बड़ी अच्छी दक्षिणा देता था। ब्राह्मण के दाहिनी ओर गाय होती थी, जो यज्ञ के अन्त में उसे दी जाती थी। दक्षिणा नाम इसीसे पड़ा है। आजकल पुरोहित जो पद-पद पर गऊ-दान माँगता है वह इस पुराने रिवाज के अनुसार ही

१. शतमश्मन्मयोना पुरामिन्द्रो व्यास्यत् । दिवोदासाय दाशुषे ॥

ऋग्वेद मं० ४ सू० मं० २०

तथा प्रो० सन्तोषकुमार दास की पुस्तक पृष्ठ १०-११

इन्द्र ने दिवोदास नामक यजमान को पत्थर के बने हुए सौ 'पुरों' को दिया।

२. युवो रथस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद्दामिपस्यति ।

अस्मा अञ्छा सुमतिर्वा शुभस्पती आ धेनुर्विधावतु ॥

ऋग्वेद मं० ८ सू० २२ मं० ४

हे अश्विनी कुमारों! तुम्हारे रथ का एक चक्र द्युलोक की परिक्रमा करता है, दूसरा तुम दोनों के समीप से जाता है। हे उदकरक्षक! कुमारों! तुम्हारी अच्छी बुद्धि हमारी तरफ धनादि देने के लिए उसी प्रकार आवे, जिस प्रकार नव-प्रसूता गौ दूध पिलाने के लिए बच्चे के पास जाती है।

है। किसान कितना धनवान होता था, इसका पता उसकी दृष्टिणा से लगता है। किसान की आमदनी खेती से, पशुओं से और वागों और जंगलों की उपज से अधिक होती थी। पर केवल अनाज के ही कारोबार में लोग फँसे नहीं रहते थे। वेडों में सूत, रेशम, ऊन और छाल आदि के बने हुए बारीक और उत्तम कपड़ों का अनेक प्रसंगों में वर्णन हुआ है। इसलिए यह बात बिलकुल जाहिर है कि किसान लोगों में कताई और बुनाई का काम बहुत फैला हुआ था। बचे हुए समय में ये लोग कताई, बुनाई की कला के अभ्यास में लगे रहते थे।^१ ये ऊन का रंग उड़ा देते थे और कपड़ों को सुन्दर-सुन्दर

१. नाह तन्तुं विजानाम्योतुं न य वयन्ति समरेऽत्मानाः।

कस्य स्वित् पुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यत्रेण पित्रा ॥

म० ६। सू० ९। स० २

न मैं तन्तु को और न ओतु को ही जानता हूँ और न इन दोनों से बनने वाले कपड़े को जानता हूँ। किसका सुपुत्र इन वक्तव्य-व्याख्यातव्य आपनीय बातों को सूर्य से नीचे लोक में रहने वाला पुरुष बतला सकता है अर्थात् कोई नहीं। यदि कोई इन बातों का पता चला सकता है तो सिर्फ वैश्वानर से ही। यह वैश्वानर की स्तुति है।

स इत्तन्तुं स विजानात्योतुं स वक्त्वान्युत्तथा वदाति।

य इ चिकेतदमृतस्य गोम अवश्वरन् परो अन्येन पश्यन् ॥

म० ६। सू० ९। म० ३

इस प्रकार तन्तु आदि का जानना अत्यन्त कठिन है परन्तु यो कोई जानता है तो वह वैश्वानर ही जानता है—और वही व्याख्या करता है, जो कि सूर्य, अग्नि आदि रूपों से द्युलोक और भूलोकादि में स्थित है।

स मा तन्त्यभितः सपत्नीरिव पशवः।

रंगो में रंगते थे। सिले हुए कपड़े और अच्छे प्रकार की पोशाक पहनते थे। दूध, घी, तेल, मसाले और औषधियाँ काम में लाते थे, शहद इकट्ठा करते थे; शक्कर बनाते थे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि उनके यहाँ तेल और गन्ने पेलने के कोल्हू थे, खंडसाल थी, करघे थे, चरखे थे। खेत की सिंचाई के लिए कुएँ थे जिनसे रूँट से पानी निकाला जाता था। नाले और नहरों से भी सिंचाई होती थी। कभी-कभी सूखा भी पड़ जाता था और लोग अकाल का

मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो विच मे अस्य
रोदसी १ । १०५ । ८

मुझे कृप की भीतें तकलीफ देती हैं जिस प्रकार सौतें एक पति को दुःख देती हैं तथा जुलाहे को चूहे जो कि आ आकर के तन्तु काट जाते हैं, जिनपर माँड लगा रहता है। हे इन्द्र ! तेरे स्तोता मुझको आधियाँ बहुत ही सताती हैं।

इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुपस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म ।
वस्त्रेव भद्रा सुकृता वस्यू रथ न धीरः स्वपा अतक्षम् ॥

५ । २९ । १५

हे बलवत्तर ! इन्द्र ! हमने तेरी नवीन-नवीन स्तुति तैयार की हैं जिस प्रकार अच्छे अच्छे वस्त्रों से रथ तैयार किया जाता है, आप उन्हें स्वीकार कर हमें धनवान् बनाइए।

उच्यथे वपुषि यः स्वराहुत वायो धृतस्नाः ।

अश्वेषित रजेपितं शुनेपितं प्राण्म तदिदं नु तत् ॥ ८ । ४६ । २८

इस स्तुत्य शरीर में जो स्वराट् (अन्न) विद्यमान है वह अश्व गधे, ऋत्ते इन सबको अभीष्ट है वह अन्न हमें दे। और वह अन्न सामने ढेरी रूप में विद्यमान है।

भी मुकाबला करते थे। उनके वर्तन ताँबे, पीतल, फूल कांसे के होते थे। अमीरों के घर सोने और चाँदी के वर्तन वरते जाते थे। वे गाड़ी, रथ और नाव भी रखते थे और जूते पहनते थे। अच्छे-अच्छे कूचे, पक्के मकान बनाते थे, चित्रकारी करते थे, मूर्तियाँ बनाते

गावो न यूयमुपयन्ति वध्नय उप मा यन्ति वध्नयः ।

८ | ४६ | ३७

मुझे गौएँ तथा बधिये बैल प्राप्त हो रहे हैं।

अधयञ्चार थे गणो शतमुष्ट्राँ अचिक्रदत् ।

अथ शिवत्रेषु विंशतिशता ।

८ | ४६ | ३१

जगलों में भुण्ड रूप में चरने वाले ऊँट हमें प्राप्त हों। और श्वेत-रग वाली गौओं के सौ बीसे प्राप्त हो। (इस प्रकार के इस भण्डल में बहुत मन्त्र हैं)।

आर्धापण्यायाः पति. शुचायाश्च शुचस्प च ।

वासो वायोऽबीना मावासांसि ममृजत् ॥

ऋक् १० | २६ | ६

अपने लिए पाली गई बकरी और बकरों का पालक सूर्य हमारे लिए भेड़ों की उन के बने हुए वस्त्र (जिनको घोवियों ने घोया है) प्रकाश और उष्णता से शुद्ध करता है।

त्वमग्ने प्रयत दक्षिणं नरं वर्मेव स्यूतं परि पासि विश्वतः ।

स्वादु क्षन्ना यो वसतौ स्योनकृञ्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः ॥

ऋक् १ | ३१ | १५

हे अग्ने ! तू प्रयतदक्षिण पुरुष की उस प्रकार रक्षा करता है जैसे ताने, बाने, ठुरी, वेमा आदि से बनाया हुआ कवच उससे ढके हुए मनुष्य की रक्षा करता है। जो सुखकारी यजमान जीवयजन सहित यज्ञ

थे, वनों को पढ़ाते-लिखाते थे और अच्छे-अच्छे व्यजन बना कर खाते थे। इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि गाँव में किसान ही रहने थे और वे खेती के सिवाय और भी काम किया करते थे। ब्राह्मण पुरोहिता करता था और खेती भी करता था। क्षत्रिय रक्षा

को करता है वह स्वर्ग की उपमा होता है। अर्थात् जिस प्रकार स्वर्ग प्रत्येक को सुख देता है उस ही तरह वह भी ऋत्विगादिकों को सुख देने वाला कहलाने से स्वर्ग है।

सयह्योऽवनीगोष्वर्वा जुहंति प्रधन्यासु ससिः ।

अपादो यत्र युज्यासोऽरथा द्रोण्यश्वासईरतेधृतंशः ॥

ऋक् १० । १९ । ४

वह धोड़ा (इन्दे) मेघों में जाता है, पृथ्वी पर चलता है। और वह बिना पैर के जहाँ चलते हैं वहाँ, जहाँ रथ से नहीं चलते वहाँ तथा नदियों में भी चलता है।

समु प्र यन्ति धीतयः सर्गसोऽवर्ता इव ।

क्रुँ नः सोम जीवसे विवो मदे धारया चमसा इव विवत्से ॥

ऋक् १० । २५ । ४

हे सोम ! हमारी स्तुतियाँ रहट की डोलचियाँ के समान इकट्ठी ही चलती हैं जिस प्रकार वे कूप में इकट्ठी जाती हैं। तुम भी हमारे लिए यज्ञ को उस प्रकार धारण करो जिस प्रकार तुम्हारे लिए अध्वर्यु चमस को धारण करता है।

वावर्त येपा राया युक्तैपा हिरण्ययी ।

नेमधिता न पौस्या वृथेव विष्टान्ता ॥

ऋक् १० । १३ । १३

जिनके धन के कारण हमारी स्तुति चार चार हिरण्यालंकार के समान चित्त को प्रसन्न कर रही है। जिस प्रकार पुरुषों की सेना संग्राम में और

करता था और खेती भी करता था। बनिया व्यापार भी करता और खेती भी करता था। मजूर मजूरा भी करता था और खेती भी। कुम्हार, तेली, भड़भूँजे, चमार, कीरी, ठठेरा, लुहार, बढई, धीवर, न्वाले,

रहट की घटिका यन्त्रमाला कूर में देखने पर चित्त को प्रसन्न करती है।

प्रीणीताश्वान् हितं जयाथ स्वस्तिवाहं रयमित्कृणुध्वम्।

द्रोणाहावमवतमश्मचक्रमसत्रकोश सिञ्चता नृपाणम् ॥

१०।१०१।७

हे ऋत्विजो ! तुम घोड़ों को घासदाना आदि खिला-पिलाकर मोटा ताजा रखो और फिर खेत बगैरा बोओ। और चयन नामक रथ को स्वास्तिवाहक बनाओ। बैलों के पीने के लिए चौबच्चे लकड़ी, पत्थर आदि के गहरे बनाओ तथा ऐसे हौज़ भी बनाओ जिनसे मनुष्य जल पी सके।

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगान् वि तन्वते पृथक्।

धारा देवेपु सुम्नया ॥

ऋक् १०।१०१।४

मेधावी पुरुष हल जोड़ (त) ते हैं, जूँओं को अलग-अलग बनाते हैं, जिसमें हमें सुख प्राप्त हो।

इस प्रकार इस मण्डल में तथा अन्य मण्डलों में भी इस प्रकार ऋग्वेद में वास्तु विद्या का विस्तृत वर्णन मिलता है।

यत्ते वासः परिधानं या नीवि कृणुषे त्वम्।

शिव ते तन्वे तत् कुरमः संस्पर्शद्रुणामस्तु ते ॥

अथर्व ० ८।२।१६

हे बालक ! तेरा जो ओढ़ने व पहिनने का वस्त्र है यह तेरे लिए सुखकारी हो-और हम उस वस्त्र को मुत्तायम बनाते हैं। इत्यादि।

इसी प्रकार १०।१०१।३ में ऋग्वेद में सातों अनाजों के बोने की भी वेद में आज्ञा मिलती है। इत्यादि ॥

धुनिये, सुनार, घोबी, रङ्गरेज्ज दर्जी, माली आदि सभी कारबार के लोग गाँवों में रहते थे और अपने कारोबार के साथ-साथ खेती ज़रूर करते थे। श्रम-विभाग के अनुसार जातियाँ बन गई थीं। ये जातियाँ धीरे-धीरे वंशालुगत हो गईं।

सतजुग में गाँवों की इस व्यवस्था को देखकर यह कौन कह सकता है कि आजकल की तरह उस समय भी मजूर और किसान भूखों मरते थे। उस समय की चर्चा में भुक्खड़ो का और दुर्भिक्ष पीड़ितों का वर्णन नहीं है। अधिकांश मनुष्य अपने-अपने अधिकार पर बने रहते थे। दूसरों का हक छीनने की चाल कम थी। धर्म की बुद्धि अधिक थी। हरेक गाँव अपने लिए स्वतंत्र था। पाप बुद्धि कम होने से चोर डाकू या और सत्वापहारियों का डर न था। यह सतजुग का आरम्भ था।

३. राजकर और लगान की रीति

सतयुग के आरम्भ में बहुत काल तक किसी ऊपरी हकूमत या शासन की ज़रूरत न पड़ी होगी, क्योंकि प्रजा में अपने-अपने कर्तव्य पूरे करने का भाव था, और धर्म-बुद्धि थी। पराये धन का लोभ-जालच प्रायः तभी अधिक होता है, जब अपने पास किसी वस्तु की कमी होती है। मनुष्यों की बस्ती धनी न थी, सारी बस्ती पड़ी थी। इसलिए लोग ज़रूरत से ज्यादा धनी और सुखी थे। यह भी कहना प्रनुचित न होगा कि इन्द्रियों के सुख की सामग्री न ज्यादा तैयार हुई थी, और न उसका उनको ज्ञान था। अज्ञान के कारण भी लोभ इनको नहीं सताता था। ईसाइयों के सतजुग में भी आदम ने जबतक ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाया था, तबतक उसे मालूम न था, कि

मैं नंगा हूँ, और नंगा रहना बुरी बात है। ज्ञान का फल खाते ही उसे इञ्जीर के पेड़ को नंगा करके अपना तन ढकना पड़ा। वारा में ज्ञान और जीवन के पेड़ थे, जिनका फल खाना उसके लिए वर्जित था। शैतान की दम-पट्टी में आकर उससे यह भारी भूल होगई। मालूम होता है कि ज्यो-ज्यो आबादी बढ़ती गई त्यों-त्यों तैयार की हुई धरती मनुष्य के लिए घटती गई। लोभ रूपी शैतान ने आदमी को बहकाया। वह परमात्मा की आज्ञा को भूल गया। उसे यह ज्ञान हुआ कि मेरे पास सम्पत्ति कम है, और पड़ोसी के पास ज्यादा। या अगर मेरे पास पड़ोसी से ज्यादा सम्पत्ति हो जाती तो मैं अधिक सुखी हो जाता। लोभ ने दूसरे की चीज़ हर लेने की ओर उसके मन को झुकाया। धीरे-धीरे धर्म-भाव का लोप होने लगा स्वार्थ और पाप ने अपनी जड़ जमाई। कोई राजा या हाकिम न था जो बल के प्रयोग में बाधा डालता।

“राखै सोई जेहि ते बनै, जेहि बल होइ सो लेइ।”

यही नियम चलने लगा “जिसकी छाठी उसकी भैंस” वाली बात चरितार्थ होने लगी, किसी तरह का राज न होने से उस समय प्रजा एक दूसरे का उसी तरह नाश करने लगी थी, जैसे पानी में बड़ी-बड़ी मछलियाँ छोटी-छोटी मछलियों को खाने लगती हैं। इस तरह बलवानों और निर्बलों का झगड़ा जब समाज में उथल-पुथल मचाने

१. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम् । यजु० ४० । १ ।

वह सब कुछ, जो कुछ कि चलायमान् ससार है, वह परमात्मा के रहने की जगह है, परमात्मा सब में व्यापक है। उसके प्रसाद की तरह जो कुछ तुम्हें मिले, उसका भोग करो, किसी और के धन का लालच मत करो।

लगा, उस समय जिन लोगों में थोड़ी धर्म-बुद्धि थी, वे समाज की इस गड़बड़ को मिटाने के लिए लड़नेवालों को समझाने-बुझाने लगे, और यह कोशिश करने लगे कि गई हुई धर्म-बुद्धि लौट आवे। इसमें वे सफल न हुए। भले लोगों ने इन पशु-बल वालों से बचने के लिए, यह निश्चय किया कि जाँ लोग बचन के शूर हैं, लबार हैं, सब पर ज़बर्दस्ती किया करते हैं, पराई खाँ और पराये धन को हर लेते हैं, उन सबका हम लोग त्याग करेंगे। असहयोग इस तरह सतजुग में ही आरम्भ हुआ था।

जान पड़ता है, कि असहयोग बहुत काल तक नहीं चला। जो ज़बर्दस्त थे, किसी का दबाव नहीं मानते थे, व्यभिचारी थे, और दूसरों का धन हर लेने थे, उनकी गिनती शायद बहुत बढ़ गई थी, और इतनी बढ़ गई थी कि उनसे थोड़ी गिनतीवाले धर्मात्माओं के

१. अराजकाः प्रजाः पूर्वा, विनेशुरिति नः श्रुतम् ।

—महाभारत, शान्तिपर्व ।

वाक्शूरो दडपक्षो यश्च स्यात्पारजायिकः

यः परस्वमयादद्यात्याज्या नस्तादृशा इति ।

तास्तथा सम्यं कृत्वा समये नावतस्थिरे ॥

म० भा० शा० प०

विभेमि कर्मणः पागाद्राज्यं हि भृशदुस्तरम् ।

विशेषतो मनुष्येषु मिथ्यावृत्तेषु नित्यदा ।

तमब्रुवन्प्रजा मा भैः कर्त्तुंनेनो गमिष्यति ।

पशूनामधिपचाशद्विरण्यस्य तथैव च ॥

घान्यस्य दशम भागं दास्यामः कोषवर्द्धनम् ।

य च धर्मं चरिष्यन्ति प्रजा-राज्ञा सुरक्षिताः ॥

चतुर्थं त्वस्य धर्मस्य त्वत्संस्थं वै भविष्यति ।

त्याग का उनपर कोई असर न पड़ा। अच्छो ने मिलकर प्रजापति से शिकायत की। इस पर पितामह ब्रह्मा ने एक बहुत बड़े धर्मशास्त्र की रचना की, जो क्रम से बहुत छोटे रूप में धर्म-भीरु मनुष्यों को मिला। इसका नाम दण्ड-नीति रक्खा गया। परन्तु इतने से काम न चला। दण्ड कौन दे ? तब शासन करनेवाले की ज़रूरत हुई। लाचार हो लोग प्रजापति के पास गये ; परन्तु प्रजापति अधिकार के लोभी न थे। उन्होंने लोगो को मनु के पास भेजा। मनु बोले, राजा का काम बड़ा कठिन है, और पाप से भरा है। जो लोग भूठ के व्यवहार में लगे रहते हैं उन पर, और खासकर भूठ मनुष्यो पर, शासन करने से मैं डरता हूँ। मनुष्य समाज के सामने यह बड़ी कठिनाई आ खड़ी हुई। उसने मनु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ये वचन दिये—“आप पाप के लिए न डरिए। पाप करनेवाला उसके फल को भुगत लेगा। आपका क्रोध बढ़ाने के लिए हम पशु और सोने का पचासवाँ और अनाज का दसवाँ भाग देते रहेंगे। आपसे रक्षा पाकर हम लोग जो भले कर्म करेंगे, उसका चौथाई फल आपको मिलेगा। उस पुण्य से सुखी होकर आप हमारी रक्षा उसी तरह कीजिए जैसे इन्द्र देवताओं की रक्षा करता है।”

जान पड़ता है भगवान् मनु ने राज-भार लेने पर जो वन्दोवस्त किया उसका आधार यही इकरारनामा था। वन्दोवस्त करने के बदले और रक्षा कराई के वेतन में मनुष्यों को भूमि पर कर देना पड़ता है। मनु का धर्मराज था। जिन लोगो ने जंगल काटकर मेहनत करके जितनी धरती को खेत बनाया था, उतनी धरती उनकी सम्पत्ति

तेन धर्मेण महता सुखं लब्धेन भावितः ।

पाह्यत्मान् सर्वतो राजन् देवानिव शतक्रतुः ।

होगई। बहुतों के पास जरूरत से ज्यादा धरती थी। बहुतो ने यह चाहा कि हमे धरती को बनाने की मेहनत न करनी पड़े और खेत मिला जाय। बहुतो के पास इतना खेत थे कि वे सबको काम में नहीं ला सकते थे। इस तरह लेने और देनेवाले दोनों मौजूद होगये। खेत कुछ काल के लिए या सदा के लिए किराये पर दिये जाने लगे। इसी का नाम लगान पड़ा। राजा का महसूल ज़मीन के मालिक को देना पड़ता था। लगान धरती का मालिक लेता था। इस तरह धरती का मालिक खेतीवाले से जो लगान लेता था, वह इतना होता था कि अनाज का दसवाँ भाग राजा को देने के बाद भी उसे कुछ आय बच जाती थी। खेती करनेवाले को छोटे भाग तक लगान में दे डालना पड़ता था। कुछ भी हो, धरती राजा की नहीं थी। प्रजा की थी। राजा रक्षा करता था। जो भूमि-कर उसे मिलता था वह राजा की तनखाह थी। शुक्र नीति में भी ऐसा लिखा है।

जिन राजाओं ने धर्म के तत्त्व को ठीक तरह पर न समझा और अपने को धरती और प्रजा का मालिक समझकर मनमानी करने लगे, दीनो और दरिद्रो पर अन्याय करने लगे तब प्रजा का नाश होने लगा और उन राजाओं का अपने ही कर्तब से विनाश होगया। राजा वेन अपनी ज़बर्दस्तियों के कारण ऋषियों के हाथ मारा गया। राजा पृथु गद्दी पर बैठाया गया। प्रजा की उचित रक्षा करने और धरती से अन्न-धन निकालकर प्रजा को सुखी रखने से पृथु का राज ऐसा मशहूर होगया कि उसीसे सारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया।

दण्ड-नीति को चलानेवाला राजा होने लगा। वह प्रजापति की ही जगह था। इसलिए संसार की प्रजा उसकी प्रजा होगई। वह भूप या भूपाल या नरपाल कहलाया, क्योंकि वह धरती और किसान

की रक्षा करता था। उसे तनख्वाह में राज-कर मिलता था, जिसे वह प्रजा की धरोहर समझता था और रक्षा के काम में लगाता था। उसे अपने लिए बहुत थोड़े अंश की जरूरत होती थी। जमींदारी, रैयतवारी, लगान, राजा, राज-प्रबन्ध सब कुछ तभी में चल पड़े।

सतजुग के बाद के गाँव

१. त्रेता और द्वापर

सतजुग के बाद के समय को विद्वान लोग त्रेता और द्वापर युग कहते हैं। उसीको प्रायः पच्छाहीं रीति से विचार करनेवाले ब्राह्मण-युग कहते हैं। इस युग में भी जितनी बातें सतयुग में होती थीं उतनी सभी बातें पाई जाती हैं। युग बदल गया, बहुत काल बीत गया, लोग वेदों को भूल गये, उनका अर्थ समझना अत्यंत कठिन हो गया। परन्तु लोग धातुओं का निकालना न भूले, सोने-चाँदी के सिक्के बनाना न भूले, अनाज उपजाना, पशु पालना, और व्यापार करना बराबर पहले की तरह जारी था। भगवान् रामचन्द्रजी के राज में, जिसे लिखनेवाले तो १०-११ हजार बरस तक का बतलाते हैं, पर जो अचश्य बहुत काल तक रहा होगा, कभी अकाल नहीं पड़ा था और जब एक ब्राह्मण का लड़का जवान ही मर गया तो वह उसकी लाश भगवान् रामचन्द्रजी के दरवार में लाया और राजसिंहासन से विचार कराना चाहा कि लड़का क्यों मरा। क्योंकि उस समय यही समझा जाता था कि अल्पमृत्यु, अकालमृत्यु और दुर्मिच्छ या प्रजा की दरिद्रता ये सब कष्ट जो प्रजा को कभी पहुँचते हैं, तो इसका दोषी या अपरार्थी राजा होता है। और यह बात तो विलकुल साफ ही है कि जब सब तरह से रक्षा करना राजा का ही

काम था, तब प्रजा में रोग, दरिद्रता, अल्पमृत्यु तो तभी होगी जब उसकी रक्षा पूरे तौर पर न होगी और राजा अपने धर्म का पालन न करेगा और कर वसूल करता जायगा। इससे यह पता चलता है कि रामराज्य में प्रजा सब तरह से सुखी थी। अर्थात् किसान सुखी, समृद्ध और एक दूसरे की सहायता करनेवाले थे। सतजुग की तरह अब भी खेती में बहुत बड़ा और भारी हल काम में आता था। उसका फाल बहुत तेज और पैना होता था और मूठ चिकना होता था। एक-एक हल में चौबीस-चौबीस तक बैल जोते जाते थे। खेत की जैसी उत्तम प्रकार की सिंचाई होती थी उसी तरह खाद भी देना जरूरी था, और भाँति-भाँति के अनाज उपजाये जाते थे। आज जितने अनाज उपजाये जाते हैं, प्रायः सभी उस समय भी होते थे।

१. लागलं पवीरवत् सुशीमं सोमसत्सह ।

उदिद् वपतु गामविं प्रस्थावद्रथवाहनं पीवरीं च प्रफर्भ्यम् ॥

अथर्व ३।१७।३

तेज फालवाला हल, सोम यज्ञ के साधन सब अन्नों का उत्पादक होने से सुखकर है। वह बैल, भेड़ आदि को गमन-समर्थ, मोटा-ताजा रथादिवहन समर्थ बनावे।

शुनासारे ह स्म में जुषेयाम् ।

यद्विचि चक्रथुः पयस्तेने मामुपसिञ्चतम् ॥ अथर्व ३।१७।७

हे शुनासोर देवो ! जो मेरे खेत में पैदा हुआ है उसे सेवन करो। और जो आकाश में जल है उससे इस खेत को सींचो।

“चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः स्रुव औदुम्बरश्चमत् औदुम्बर इध्मा आदुम्बर्या उपमन्थिन्यौ । दशग्रम्याणि धान्यानि भवन्ति—त्रीहियज्ञः

रामायण में यता चलता है कि खेती बड़ी भारी कला सभकों ज्ञाती थी, क्योंकि उस समय वेदों के साथ-साथ शिक्षा का मुख्य विषय खेती और व्यापार था। श्रीरामचन्द्रजी भरतजी से पूछते हैं कि “तुम किसानों और गोपालों के साथ अच्छा वर्ताव रखते हो या नहीं ?” खेती इतने ज़ोरों से होती थी कि अयोध्याजी किसानों से भरी हुई थी। धान की उपज बहुतायत से दिखाई गई है। राजा इस बात का गर्व करता है कि उसका राज्य अन्न-धन से भरा हुआ है। गाँवों के बर्णनों में यह कहा गया है कि वे चारों ओर जुती हुई घरती से घिरे हैं।^१

हर गाँव में ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और हर पेशेवाले जिनका जीवन में सबसे ज्यादा अरुणत पड़ती है, जैसे नाई, धोबी, इर्जा, कहार, चमार, बड़ई, लुहार, सुनार, ग्वाले, गड़रिये आदि होते थे। गाँव का सरदार या मुखिया भी कोई होता था, और पञ्चायतों से हर गाँव अपना स्वार्थीन बन्दोबस्त किया करता था। रक्षा के

तिलमाषा अणुप्रियङ्गुवो गोधूमाश्च मसुराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्चेति ।
बृहदारण्यकोपनिषत् अ० ६। ब्रा. ३। म. १३

“दस तरह के ग्रामीण अन्न होते हैं—धान, (चावल) जौ, तिल, उड़द, अणु, (सावा-कगनी, ममूर, खरब, कुल्था, गेहूँ)।”

ब्रीह्यश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियगवश्च मे ऋगवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तान् । १८। १२ ।

इस मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है ।

१. अयोध्याकांड सर्ग ६८, बालकांड सर्ग ५; अयोध्याकांड, ३।१४; अयोध्याकांड सर्ग ६२ ।

लिए राजा को उसका उचित कर उगाहकर मुखिया दिया करता था, और उसके बदले राजा वाहरी बैरियो से गँवौ की रक्षा करता था, फिर चाहे वह वैरी मनुष्य हो, कृमि, कीट, पतंग हो, रोग, दोष अकाश, सूखा, पानी की बाढ़, आग, टीङ्गी आदि कुछ भी हो। राजा दसवे भाग से लेकर छठे भाग तक कर लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता था, तो उसे प्रजा का चौथाई पाप लगता था^१।

किसान को त्रेता और द्वापर में खेती की आजकल की सी साधारण विपत्तियाँ मेलनी पड़ती थीं। चूहे, घूस, छछून्दरे बीज खा जाती थीं, चिड़ियाँ आदि अक्रुरों को नष्ट कर देते थे। अत्यन्त सूखा या बहुत पानी से फसलें बरबाद हो जाती थीं। अच्छी फसलो के लिए उस समय भी भौति-भौति के उपाय करने पड़ते थे। परन्तु खेती को जब कमी हानि पहुँचने की सम्भावना होती थी राजा रक्षा का उपाय करने का जिम्मेदार था। और जब कमी दुर्भिक्ष पड़ता था राजा के ही पाप से पड़ता था। राजा रोमपाद के राज में उन्हीं के पाप से काल पड़ा बताया जाता है।^२ राजा का कर्त्तव्य था कि दुर्भिक्ष निवारण के सारे उपाय जाने और करे।

१ आदायश्चिपद्भाग यो राष्ट्रं नाभिरक्षति ।

प्रतिगृह्णाति तत्पाप चतुर्याशेन भूमिः ॥

—महाभारत

२. बालकाड, सर्ग १ अयोध्याकाड, सर्ग १०० ; बालकाड, सर्ग ९ । ७

“एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् ॥

अग्रेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः ।

तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ।

अनावृष्टिः सुधोरा वै सर्वलोकभयावहा ॥ इत्यादि ।

व्यतिक्रमात्तुराजोचितधर्मविलोपनादिति तिलकव्याख्या ।

इस युग में भी गोशालाएँ बहुत उत्तम प्रकार से रखी जाती थीं। इस युग में घोष पल्लियों^१ अर्थात् ग्वालों के गाँव के गाँव थे और ग्वाले बहुत सुखी और धनी थे और दूध, मक्खन, घी आदि के लिए प्रसिद्ध थे। द्वापर के अन्त में नन्दगाँव, गोकुल, वरसाना और वृन्दावन तक गोपालों के गाँव थे और कंस जैसे अत्याचारी और लुटेरों के राज में भी मथुरा के पास इन गाँवों में दूध, दही की नदी बहती थी। और नन्द और वृषभान जैसे बड़े अमीर ग्वाले रहते थे। इस समय में भी कुम्हार, लुहार, ग्वाले, ज्योतिषी, चढ़ई, धीवर, नाई, धाँवी, चिनकार, सुराकार (कलवार), इपुकार (तीर बनानेवाले), चमड़ा सिम्हानेवाले, घोड़े के रोजगारी, चित्रकार, पत्थर गढ़नेवाले, मूर्ति बनानेवाले, रथ बनानेवाले, टोकरी बनानेवाले, रस्सी बनानेवाले, रङ्गरेज, सुनार, धातु निकालनेवाले नियारिये, सूखी मछली बेचनेवाले, सुईकार, जौहरी, अस्त्रकार, नकली दाँत बनानेवाले, दाँत के वैद्य, इतर बेचनेवाले, माली, थवई, जूते बनानेवाले, धनुष बनानेवाले, औषध बनानेवाले और रासायनिक आदि की चर्चा इस समय के ग्रन्थों में आई है।^२

१ तैत्तिरीय ब्राह्मण, काण्ड १। प्र० ४। अ० ९। ख० ०। से मालूम होता है कि गाँवें तीन बार चरने को भेजी जाती थीं और उनकी अच्छी सेवा होती थी। तथाहि—

“त्रिपु कालेषु पशवः तृणमत्स्यार्थं सञ्चरन्ति ।

तत्तन्मध्यकातो तु रोमन्थ कुर्वन्तो वर्चन्ते । इति ।” अर्थ स्पष्ट है ।

२. शुक्ल यजुर्वेद अध्याय १६ और ३०, रामायण अयोध्या काण्ड सर्ग १००, बालकाण्ड, सर्ग ५। हम वेद के मन्त्रों का उदाहरण नहीं देते क्यों कि सारा अध्याय ही उदाहरणीय है। अतः पाठक किसी भी मन्त्र को

कपड़े की बिनाई की कला भी अपनी हठ को पहुँच चुकी थी ! सोने और चाँदी के काम के कपड़े, ज़री के काम के पीताम्बर आदि भी बनते थे । जिनमें जगह-जगह पर रत्न और नगाने टके हुए थे । ब्राह्मण लोग कौशेय वस्त्र पहनते थे और तपस्वी छाल के बने कपड़े पहनते थे । रँगई भी अच्छी होती थी । रुई के मैल को उड़ाने के लिए इस युग में एक यन्त्र काम में आता था । ऊन के रेशम के बड़े अच्छे-अच्छे प्रकार के महीन और रंगीन और चमकीले कपड़े बनते और बरने जाते थे ।'

उठाकर देख सकते हैं । तथा बालकाण्ड का सारा सर्ग ही यहाँ पठन योग्य है ।

१ "कौशेयानि च वस्त्राणि यावत्तुष्यति वै द्विजः" इत्यादि

अयोध्याकाण्ड अ० ३२ । श्लोक १६ ।

"भूपणानि महाह्राणि, वरवस्त्राणि यानि च"

अयोध्याकाण्ड ३० । ४४

सुन्दर काण्ड का नववाँ सर्ग भी द्रष्टव्य है । पाठक देख सकते हैं ।

"सात्पुष्पकुलनयना पाण्डुरक्षौमवासिनीम्" इत्यादि

अयोध्याकाण्ड ७ । ७

"जातरूपमयैर्मुण्ड्यैरगदैः कुण्डलैः शुभैः ।

सद्वेगसूत्रैर्मणिभिः केयुरैर्वलयैरपि । इत्यादि

अयोध्याकाण्ड ३२ । ५

"दान्तकाञ्चनचित्रगैर्बिन्दूयैश्च वरासनैः ।

महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्न महाधनैः । इत्यादि

सुन्दरकाण्ड १० । २

"रौक्नेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ।

ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कृककृटास्तथा ।

सुन्दरकाण्ड ११ । १५

ऐसा जान पड़ता है कि पेशेवानों की पंचायतें भी उस समय अवश्य थीं। जो पंचायत का सभापति होता 'श्रेष्ठ' कहलाता था।^१

खेती के काम में स्त्रियों का भी भाग था। खेती का काम इतना पवित्र समझा जाता था कि उसके लिए यज्ञ करने में स्त्री पुरुष दोनों शामिल होंते थे।^२ जहाँ पुरुष अन्न उपजाता था वहाँ किसान की स्त्री अन्न के काम को पूरा करती थी। उसके स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी। अन्नपूर्णा देवी का आदर्श पालन करती थी।

भारत के जंगलों से लाक्षा आदि रंगने की सामग्री किसान लोग इकट्ठी करके काम में लाते थे और इसका व्यापार इतना बढ़ा-चढ़ा

“ता रत्नवसनीपेता गोष्ठागारावतसिकाम् ।

यन्त्रागारस्तनीमृद्धा प्रमदामिव भूपिताम् ।

सुन्दरकांड ३ । १८

१ अथर्व वेद, १।९।३; शतपथ ब्राह्मण, १३।७।१; ऐतरेय ब्राह्मण, १३।२।३, ४।२५।८-९; ७।१८।८, छान्दोग्य उपनिषद्, ५।२।६; कौपीतकी उपनिषद् ४।२०, २।६, ४।१५; बृहदारण्यकोपनिषद् १।४।२।

२. येनेन्द्राय समभर; पयास्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः ।

तेन त्वमग्रे इहवर्धयेयं सजाताना श्रेष्ठ्य आचेद्द्वयेनम् ॥ अथर्व, १।९।३ हे अग्ने ! जिस मन्त्र से तू देवताओं को उत्तम अन्न प्राप्त कराता है उसी मन्त्र से इस पुरुष को 'श्रेष्ठ' पद का अधिकारी बना ।

“श्रेष्ठो राजाधिपतिः समाज्यैष्ठ्यं श्रेष्ठ्यं राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेद सर्वमसानीति” : छान्दोग्य अध्याय ५ खण्ड ६० । मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है ।

“श्रेष्ठ्यं स्वाराज्यं पर्येति” ४।२०, “भूतानि श्रेष्ठ्याय युज्यन्ते”, २।६ “इह श्रेष्ठ्याय यम्यते” ४।१५ कौपीतकी ब्राह्मणोपनिषत् ॥ अर्थ स्पष्ट है ।

“श्रेयास हिंसित्वेति” १।४।१२ बृहदारण्यकोपनिषत् ।

था कि भारत से बाहर के देशों में भी रंग की सामग्री बिकने को जाया करती थी।

गाँव में अन्न, पशु, आदि से बदलकर और जरूरत की चीजें लेने की चाल तब भी थी जैसी कि आज अन्न से बदल कर लेने की चाल वाकी है। बदलने की यह रीति उस समय इसलिए प्रचलित न थी कि उस समय सिक्को का चलन न था। सिक्को का तो उस समय सतजुग से प्रचार चला आया था। हिरण्यपिण्ड निष्क, शतमान, सुवर्ण इत्यादि सोने के सिक्के थे। कृष्णाल एक छोटा सिक्का था, जिसमें एक रत्ती सोना होता था।^१ बात यह है कि उस समय गौएँ सस्ती थीं और उनके पालने का खर्च बहुत नहीं था। गौओं की संतान सहज ही बढ़ती थी और उत्तम से उत्तम पोषक भोजन घी, दूध, दही कौड़ियों के मोल था। अनाज देश में ही खर्च होता था। रेल की क्रांचियों में लड़-लड़कर कराँची के बंदरगाह से बाहर नहीं जाता था। इस तरह किसान लोग धनी और सुखी थे और व्यवहार-व्यापार में सबी अदला-बदली से काम लेते थे। उस समय धन और सम्पत्ति का सब्बा अर्थ समझा जाता था। पर जो भारी-भारी व्यापारी या साहु महाजन थे वे सोने, चाँदी, मोती, मूंगे और रत्नों को इकट्ठा करते थे। राजा और राज कर्मचारी भी अमीर होते थे, जिनके पास सोने, चाँदी और रत्नों के सामान बहुत होते थे। परंतु ऐसे लोग भारी संख्या में न थे। भारी संख्या किसानों की ही थी।

१ शतपथ ब्राह्मण ५।४।३, २४, २६ ; ५।५।१६

१२।७।२।१३ ; १३।२।३।२ ; तैत्तिरीय ब्राह्मण १।७।६२ और १२।७।७ और १७।६।२.

सोना, चाँदी, रत्न, टंक. वंग, सीसा, लोहा, ताँवा, रथ घोड़े, गाय. पशु, नाव, घर, उपजाऊ खेत. दास-दासी इत्यादि इस युग में धन. सम्पत्ति की वस्तुयें समझी जाती थीं जहाँ कहीं 'ब्राह्मणों के दान पाने की चर्चा है वहाँ से पता लगता है कि उस समय धन कितना था और किस तरह बँट जाता था। राजा जनक ने साधारण दान में एक-एक बार हजार-हजार गौएँ, बीस-तीस हजार अशफिरियाँ विद्वान ब्राह्मणों को दी हैं। एक जगह वर्णन है कि एक भक्त ने ८० हजार सफेद घोड़े, दस हजार हाथी और अस्सी हजार गहनों में सजी दासियाँ यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण को दीं।^१

इसी युग के सिलसिले में महाभारत का समय भी आता है। यह द्वापर का अंत और कलियुग के आरंभ में पड़ता है। महाभारत के समय में हिन्दुस्तान के जो राज्य थे उन सबकी राज्य-व्यवस्थाओं में खेती, व्यापार और उद्योग के बढ़ाने की ओर सरकार की पूरी दृष्टि थी। इस विषय के लिए एक अलग राजविभाग था। समा पर्व में नारद ने और वातो के अलावा राजा युधिष्ठिर से यह भी पृच्छा है

रोजगार में सब लोगों के अच्छी तरह से लग जाने पर लोगों का सुख बढ़ता है। इसलिए नरे राज में रोजगारवाले विभाग में अच्छे लोग रखे गये हैं न?" इस अवसर पर रोजगार के अर्थ में वार्ता शब्द आया है। वार्ता या वृत्ति में वैश्यों या किसानों के सभी धन्य समझे जाते हैं। श्रीमद्भागवद्गीता में, जो महाभारत का ही एक अंश

१. छान्दोग्योपनिषद् ४।१७७ : ५।१३।१७ और १९; ७।२।४। शतपथ ब्राह्मण : १।४८ : तैत्तिरीय उपनिषद् १।५।१२ : बृहदारण्यकोपनिषद् ३।३।११ ; शतपथ ब्राह्मण २।६।३।९ ; ४।१।११ : ७।३।४।६ ; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।६, ११, १२

है, भगवान् कृष्ण ने कहा है कि खेती, वनिज और गोपालन ये तीनों धन्धे स्वभाव से ही वैश्यो के लिए हैं। खेती में वह सब कारबार शामिल है जो खेती की उपज से सम्बन्ध रखते हैं। और गोरक्षा में पशुपालन का सारा कारबार शामिल है। इसी तरह वनिज में सब तरह का लेनदेन और साहूकारी शामिल है इन सबका नाम उस समय वार्ता था और आजकल अर्थशास्त्र है।^१

२. द्वार का अन्त

महाभारत काल में व्यावहार और उद्योग-धन्धो पर लिखने हुए श्री० चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपने अपूर्व ग्रंथ 'महाभारत-भीमांसा' में खेती और वारीचे के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह हिन्दी में ही है इसलिए यहाँ हम उसे ज्यों का त्यों दे देते हैं:—

। "महाभारत काल में "आजकल की तरह लोगों का मुख्य धन्धा खेती ही था और आजकल इस धन्धे का जितना उत्कर्ष हो चुका है, कम-से-कम उतना तो महाभारत काल में भी हो चुका था। आजकल जितने प्रकार के अनाज उत्पन्न किये जाते हैं वे सब उस समय भी उत्पन्न किये जाते थे। खेती की रीति आजकल की तरह थी। वर्षा के अभाव के समय बड़े-बड़े तालाब बनाकर लोगों को पानी देना सरकार का आवश्यक कर्तव्य समझा जाता था। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न

१. क्विचत्स्वनुष्ठिता तात वार्ता ते साधुभिर्जनैः ।

वार्ताया संश्रिते नून लोकोर्यं सुखमेघते ॥

—मराभारत, सभाषव

। उस समय में विद्या के चार विभाग थे। त्रयी, दंडनीति, वार्ता और आन्वीक्षिकी। त्रयी, वेद को कहते थे। दंड नीति, धर्मशास्त्र था। और आन्वीक्षिकी, मोक्ष शास्त्र या वेदात था। वार्ता, अर्थशास्त्र था।

किया है कि 'तेरे राज्य में खेती वर्षों पर तो अवलंबित नहीं है न ? तूने अपने राज्य में योग्य स्थानों पर साज्जाव बनाये हैं न ?' यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि पानी दिये हुए खेतों की क्रमिक विशेष महत्त्व का होनी थी। उस जमाने में ऊख, नील (नील) और अन्य वनस्पतियों के रंगों की पैदावार भी सींचे हुए खेतों में की जाती थी। (बाहर के इतिहासों से अनुमान होता है कि उस समय अक्राम की उत्पत्ति और खेती नहीं होती रही होगी।) उस समय बड़े-बड़े पेड़ों के बागीचे लगाने की ओर विशेष प्रवृत्ति थी और खासकर ऐसे बागीचों में आम के पेड़ लगाये जाते थे। जान पड़ता है कि उस समय थोड़े अर्थात् पाँच वर्षों के समय में आम वृक्ष में फल लगा लेने की कला मालूम थी। यह उदाहरण एक स्थान पर द्रोण पर्व में दिया गया है। 'फल लगे हुए पाँच वर्ष के आम के बागीचे को जैसे भग्न करें' इस उपमा में धानकल के छोटे-छोटे कलमी आम के बागीचों की कल्पना होती है। यह स्वाभाविक बात है कि महाभारत में खेती के सम्बन्ध में थोड़ा ही उल्लेख हुआ है। इसके आधार पर जो बातें मालूम हो सकती हैं वे उपर दी गई हैं। × × × किसानों को सरकार की ओर से बीज मिलता था, और चार महीनों की जीविका के लिए अनाज उसे मिलता था, जिसे आवश्यकता होती थी। किसानों को सरकार अथवा साहुकार से जो ऋण दिया जाता था उसका ध्यान फ्री सैंकड़े एक रुपये से अधिक नहीं होता था। खेती के बाद दूसरा महत्त्व का धंधा गोरबा का था। जंगलों में गाय चराने के खुले साधन रहने के कारण यह धंधा प्रबुध चखता था। चारण लोगों को बैलों की बड़ी आवश्यकता होती थी, क्योंकि उस जमाने में माल खाने

१. चूतारामो यथाभग्नः पंचवर्षः फलोरगः ।

जेजाने का सब काम बैलों से होता था। गाय के दूध-दही का भी बड़ी आवश्यकता रहती थी। इसके सिवा गाय के सम्बन्ध में पूर्य वृद्धि रहने के कारण सब लोग उन्हें अपने घर में भी अवश्य पालते थे। जब विराट राजा के पास सहदेव तंतिपाल नामक ग्वास्ता बनकर गया था, तब उसने अपने ज्ञान का वर्णन किया था।^१ उससे मालूम होता है कि महाभारत-काल में जानवरों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान रहा होगा। अजाविक अर्थात् बकारों भेड़ों का भी बड़ा प्रतिपालन होता था। "जाबालि" शब्द "अजापाल" से बना। उस समय हाथी और घोड़ों के सम्बन्ध की विद्या को भी लोग अच्छी तरह जानते थे। जब नकुल विराट राजा के पास प्रथिक नाम का चातुक-सकवार बनकर गया था तब उसने अपने ज्ञान का वर्णन किया था।^२ उसने कहा 'मैं घोड़ों का लक्षण, उन्हें सिखलाना, बुरे घोड़ों का दोष दूर करना और रोगी घोड़ों का दवा करना जानता हूँ।' महाभारत में अश्वशास्त्र अर्थात् शास्त्रिहोत्र का उल्लेख है। अश्व और गज के सम्बन्ध में महाभारत-काल में कोई ग्रंथ अवश्य रहा होगा। नारद का प्रश्न है कि 'तू गजसूत्र, अश्वसूत्र, रथसूत्र इत्यादि का अभ्यास करता है न?' मालूम होता है कि प्राचीन काल में बैल, घोड़े और हाथी के सम्बन्ध में बहुत अभ्यास हो चुका था और उनकी रोगचिकित्सा का भी ज्ञान बहुत बढ़ा था।^३

१. क्षिप्र च गावो बहुला भवति । न तासु रोगो भवतीह कश्चन ॥

२. अश्वानां प्रकृतिं वेद्भि विनयं चापि सर्वशः ।
दुष्टाना प्रतिपत्ति च कृत्स्नं च विचिकित्सितम् ॥

३. त्रि.प्रसूतमदः शुष्मी षष्ठिवर्षी मत्तगराट् ॥४॥

म-भा. समापर्व, अ० १५१

महाभारत-मीमांसा में ऊपर की लिखी बातों से यह ज़ाहिर है कि द्वापर के अंत और कलियुग के आरंभवाले समय में गाँव के रहनेवाले किसान सुखी और धनी थे। उनकी दशा आजकल की-सी न थी। उनके पास अन्न-धन की बहुतायत थी। वं अपना उपजाया खाते और अपना बनाया पहनते थे। बकरा, भेड़ आग और धरती बेचने की चीज़ें नहीं थीं।^१ जान पड़ता है कि उस समय तक खेतों के रेहन और बय करने की प्रथा नहीं चली थी। इस रीति का आरम्भ चन्द्रगुप्त के समय से जान पड़ता है। उस समय भी यह अधिकार सबको नहीं मिला था। मुसलमानों के समय में रेहन और बय करने की रीति जोरो से चल पड़ी, और संवत् १८४४ में तो कम्पनी सरकार ने नियम बना दिया, कि कानूनगो के यहाँ रजिस्ट्री कराके ज़मींदार अपनी ज़मीन रेहन या बय करा सकता है।

साठवे वर्ष में हाथी का पूर्ण विकास अर्थात् यौवन होता है और उस समय उनके तीन स्थानों में मद टपकता है। कानों के पीछे, गंडस्थलों से और गुह्य देश में। महाभारत के ज़माने की यह जानकारी महत्वपूर्ण है। इससे विदित होता है कि उस समय हाथी के सम्बन्ध का ज्ञान किनना पूर्ण था।

१. अजोऽग्निर्वरुणा मेघः सूर्योऽश्वः पृथिवी विराट् ।

धेनुर्वज्रश्च सोमश्च न विक्रेयाः कथञ्चन ।

—महाभारत

: ३ :

कलजुग का प्रवेश

१. बौद्धकाल

कलजुग के आरम्भ के हजार-डेढ़ हजार वरस तक वही दशा समझनी चाहिये जो महाभारत के आधार पर मीमांसा में दी गई है। आज से लगभग ढाई हजार वरस पहले भगवान बुद्ध का समय था। गाँव के सम्बन्ध में बुद्धमत के ग्रंथों में से बहुत-सी बातें निकाली जा सकती हैं। उनसे यह पता चलता है कि भारत का समाज उस काल में भी देहाती ही था। किसान लोग अपने अपने खेत के मालिक थे और गाँव के किसानों की एक जाति-सी बनी हुई थी। अलगायी हुई भारी-भारी रियासतें, जमींदारियाँ या ताल्लुकें न थे। एक जातक में लिखा है कि जब राजा विदेह ने संसार छोड़कर संन्यास ले लिया तो उन्होंने सात योजनों की अपनी राजधानी मिथिला छोड़ी और सोलह हजार गाँव का अपना राज छोड़ा। इससे पता चलता है कि सोलह हजार गाँववाले राज्य के भीतर मिथिला नाम का एक ही शहर था। उस समय गाँवों के मुकाबले शहरों की संख्या इतनी थोड़ी थी कि अगर हम एक लाख गाँवों के पीछे सात शहरों का औसत मान लें और यह भी मान लें कि आज कल की तरह सारे भारत में सात लाख से ज्यादा गाँव नहीं थे तो सारे भारत में उस समय शहरों की कुल गिनती पचास से अधिक नहीं ठहरती।

शहर की लम्बाई-चौड़ाई भी इतनी ज्यादा वर्णन की गई है कि उसमें न केवल लम्बे-चौड़े मुहल्ले शामिल होंगे बल्कि आस-पास के गाँव भी जरूर मिल गये होंगे। आज भी हमारे शहरों में बड़े-बड़े गाँव और कस्बे मिल ही जाते हैं। जातकों में गाँवों के रहनेवालों की संख्या तीस परिवारों से लेकर एक हजार परिवारों तक थी और एक परिवार की गिनती में दादा, दादी, माँ, बाप, चाचा, चाची, बेटे बेटा, बहूएँ और पोते, पोती, नाती, नतिनी, जितने रसोई के भीतर भोजन करते थे, सब शामिल थे। जिस तरह आज मिले-जुले परिवार गाँव में रहते हैं उसी तरह पहले भी रहा करते थे; और जैसे आज यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतनी ही बड़ी वस्ती को गाँव कहेंगे उसी तरह तब भी गाँव की कोई नयी तुली परिभाषा न थी।^१

जब कभी कोई महत्व के सार्वजनिक काम पड़ते थे तो गाँव के सब लोग मिलकर उसमें उचित भाग लेने का निश्चय कर लेते थे। गाँव का एक मुखिया होता था जिसे 'भोजक' कहते थे। भोजक को कुछ कर और दंड मिल जाया करता था। गाँव के सब रहनेवाले मिल कर सलाह करते थे। उसमें भोजक भी शामिल होता था। एक जातक में लिखा है कि बोधिसत्व और गाँववाले मिलकर रस्ते और फावड़े लेकर फिरे। गलियों और सड़कों में जहाँ-कहीं पत्थर या रोड़े थे रस्बों से निकालकर किनारे लगाते गये और जो बेमौके राह में पड़े पड़ते थे, जिनसे रथों के और गाड़ियों के चलने में रुकावट होती थी, उन्हें फरसों से काट डाला, ऊँची नीची, उबड़-खावड़

१. जातक ३।३६५; ४।३३० विनयपिटक, कुल्ल ५, अध्याय ५।१२; जातक १।१०६,

जगहो को वरावर कर डाला । उन्होंने सड़कें ठीक कर डालीं, पानी के तालाब बना डाले और एक बड़ा दातान तैयार कर डाला, परन्तु उसकी छत के लिए उनके पास सामान न था । वह एक देवी के पास था, जिससे मोल लेने को उनके पास धन न था । पर उनके काम में शरीक होने को वह राज्ञी हो गई और उन्हें वह सब सामान मिल गया । इस कथा से यह प्रकट है कि उस समय के धार्मिक नेता भी गाँव का सुधार कराने के लिए गाँववालों के साथ मिलकर काम करने में शामिल हो जाने थे । साथ ही उस समय गाँव वालों के मन में ऐसा भाव भी था कि अपने खेत में मोटे से मोटा काम करने में किसी तरह की हेठी न थी, पर राजा के यहाँ जाकर बेगार करना नीच काम था ।^१

ग्राम जो जनपद एक अंश था, या सीमा पर होता था या शहर के पास होता था । उसके चारों ओर खेत और गोचर भूमि, वन और उपवन होता था । आज भी आनन्दवन, प्रमोदवन, सीतावन, वृन्दावन आदि वनों के नाम जहाँ-तहाँ वस्तियों में भी पाये जाते हैं । सारन, चम्पारन, सहारनपुर आदि में अरण्य का पता लगता है । इन वनों और अरण्यों में जंगली जानवर और जंगली आदमी भी रहते थे और तपस्वी, संन्यासी अपनी कुटी बनाकर गाँव से दूर रहा करते थे । जंगल प्रायः सबकी सम्पत्ति होती थी । परन्तु कोई-कोई जंगल जो राजधानी से जुड़े हुए होते थे राजा के अधिकार में समझे जाते थे । लोग जंगलों से लकड़ियाँ वें रोक-टोक काट लाते थे और बेचते भी थे । गोचर भूमि में लोग अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते थे या कोई चरवाहा होता था जो थोड़ी मजूरी पर

सबके पशु चराया करता था और चौमासे भर जंगलो मे रहता और पशुओं की रक्षा करता था ।^१

इस काल मे गाँव के चारों तरफ कहीं-कहीं दीवारें भी होती थीं और गाँव के फाटक भी हुआ करते थे । खेतो मे बाड़ें लगी होती थीं । जाल भी तने होते थे और खेतो के पहरेदार भी होते थे और हर गृहस्थ की जोत के चारो ओर नाली से सीमा बँधी होती थी । नालियाँ अक्सर सामे की हुआ करती थीं जिनसे दोनों ओर के खेत सामे मे सीचे जाते थे । ये नालियाँ और गड्ढे, जिनमे पानी इकट्ठा किया जाता था, सभी रूप और आकार के होते थे । यह ठीक पता नहीं लगता कि किस प्रांत मे, औसत जोत का कितना वर्गफल ठहरता था पर जातकों से यह पता चलता है कि एक-एक ब्राह्मण के पास हजार-हजार करीसो (बीघों) की खेती थी । एक ब्राह्मण काशी भारद्वाज—के यहाँ पाँच सौ हलों की खेती होती थी । और वह मजूरो से हल जुतवाता था ।^२

इस युग मे लोग दुख भरे शहरो में रहना इस लोक और पर-लोक दोनो के लिए बुरा समझते थे । एक जगह लिखा है कि धूल भरे शहर मे जो रहता है वह मोक्ष नहीं पा सकता, और दूसरी जगह लिखा है कि शहर मे कभी पवित्र मंत्रों का उच्चारण न करना चाहिए^३ । सूत्रो मे शहर के रहनेवाले के लिए कोई संस्कार, यज्ञ

१. जातक १।३१७।; ५।१०६; १।३८८; ३।१४९; ३।४०१;
१।२४०; ४।३२६; १।१९४, १।३

२. जातक १।२३९; २।७६।१३५; ३।७; ४।३७०; १।२१५;
१।१४३।१५४; २।११०; ४।२७७; ४।१६७; १।३३६; ५।४१२;
२।३५७; १।२७७; ३।१६२; ३।२९३; ४।२७६; २।१६५।३००;

३. आपस्तंब धर्मसूत्र, १।३२।२१; बौध्यायनसूत्र; २।३।६, ३३

या विधि नहीं दी हुई है। परंतु किसानों के लिए उद-पद पर रीतिर्या और विधियाँ दी हुई हैं। हल जोतने के समय अशनि, सीता, अरदा, पर्जन्य, इन्द्र और भग के नाम से हवन कराया जाता था। बोने के समय, काटने के समय, ढँवाने के समय और नये अन्न को लाने के समय यज्ञ कराये जाते थे। यह सब किसानों की क्रिया थी। बार-बार यह आदेश दिया गया है कि चौरस्ते पर, भिटे पर, बाल्मीको (बाँबियो) पर, गाँव से बाहर निकलकर यज्ञ या पूजा करनी चाहिए। यह गाँव के रहनेवाले गृहस्थो और विद्वानों के लिए भी आदेश है। शहर के रहनेवालों के लिए नहीं। अंग्रेजी के (Huddbist India) “बुद्ध कालीन भारत” नामक ग्रंथ में मालूम होता है कि बौद्ध साहित्य से उस समय के केवल बीस शहरों का पता लगता है जिनमें से ये छः महानगर कहे गये हैं—श्रावस्ती, चम्पा, राजगृह, साकेत, कौशाम्बी और वनारस। कुशीनारा, को जहाँ बुद्ध भगवान् ने शरीर त्याग किया है, थेर आनन्द ने जंगल का एक छोटा सा कट्वा लिखा है। पाटलिपुत्र अर्थात् आजकल के पटना का उस समय तक पता न था।

राजा को खेत की उगज में से वार्षिक दसवाँ भाग तक कर मिलता था। वह इतने के लिए ही भू-पति सम्मत्ता जाता था। जो कुछ पैदावार होनी थी, उसे गाँव का मुखिया भोजक या सरकारी कर्मचारी महामात्य या तो खलियान के सामने नाप लेता था या खड़ी फसल को देखकर अटकल कर लिया जाता था। कमी-कमी सरकार इस कर को बढ़ाकर किसी-किसी कारण से आठवाँ या छठा अंश तक भी कर देती थी। किसी-किसी का यह कर राजा छोड़ भी देता था, या किसी समूह या गाँव को मुक्त भी कर देता

था। यह तो राजाओं की बात हुई जिनके कर उगाहने की चर्चा पोथियों में आई। परंतु पंचायती राज जहाँ-जहाँ थे वहाँ-वहाँ कर उगाहने की कोई चर्चा नहीं है। एक-आध जगह पंचायती राज में चंदे की तरह कर उगाहने की चर्चा भले ही है। एक जगह लिखा है कि मल्लो के पंचायती राज में पंचों ने यह आज्ञा निकाली थी कि जब बुद्ध भगवान् अपनी यात्रा में बस्ती के पास आवें तो हर आदमी को उनका स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। जो न जायगा उसको पाँचसौ रुपये दण्ड के होंगे।^१ यद्यपि जंगल पर सार्वजनिक अधिकार था तथापि राजा को जब जरूरत पड़ती थी तब वह जंगल की ज़मीन को बेच सकता था और वह अपनी जायदाद में खेती करनेवाले मजूरों और किसानों से बेगार भी ले सकता था। कहीं-कहीं के किसान गाँववाले राजा के लिए हरिण के जंगल घेर रखते थे कि उन्हें समम-कुसमय शिकार हाँकने के लिए काम-धाम छुड़ाकर बुलाया न जाय।

उस समय मगध के राज में भूमि बेची नहीं जा सकती थी पर दान दी जा सकती थी। कोसल के राज में बेची भी जा सकती थी। जिस भूमि में बाढ़ नहीं लगी होती थी उसमें सब लोग अपने पशु चरा सकते थे, लकड़ी काट सकते थे, फूल चुन सकते थे, फल तोड़ सकते थे। खेती के नियम कड़े थे, परंतु अच्छे थे और विवेक से भरे थे। मिलिक्रयत सिद्ध करने के लिए दस्तावेज़ (काराज पत्र), गवाह और कब्जा प्रमाण माने जाते थे।^२

१. विनय पिटक १।२४७

२. जातक ४।२८१; विनयपिटक २।१५८; आयस्तम्ब २।११।२८ (१) १।६।१८ (२०); गौतम १२।२८; १२।१४-१७; चण्डिका सूत्र १६।१९

यूनानी लेखको से पता चलता है कि उस समय भी सियारीं और उन्हारी की—रबी और खरीफ की—दो फसलें होती थीं और जिस तरह आजकल अनाज की खेती होती है उसी तरह तब भी होती थी। जो अनाज आज उपजते हैं वही तब भी उपजते थे। गन्ने की खेती होती थी और खंडसाले चलती थीं। इतनी शकर तैयार होती थी कि संसार के बाहर के सभी सभ्य देशों में यहाँ से शकर जाती थी।^१ सुन्दर और वारीक कपड़े, कपास, ऊन, रेशम, छाल आदि सभी तरह के इस समय भी बनते थे और जंगल की औषधियाँ और तरह-तरह का माल अब भी उसी तरह काम में आता था। वाणिज्य व्यापार उसी तरह बढ़ा-चढ़ा था। जो बातें हम पिछले अध्याय में लिख आये हैं उन बातों का, विदेशियों के बयान से, इस काल में बहुत ऊँची अवस्था में होना पाया जाता है। बौद्ध मत का प्रचार भारत के बाहर के देशों में इसी समय में शुरु हुआ। आना-जाना, वनिज-व्यापार पहले से ज्यादा बढ़ गया। यहाँ के वने कपड़े शकर, चित्रकारी, मूर्तियाँ हाथी दाँत की बनी सुन्दर चीजें, मसाले आदि भाँति-भाँति की वस्तुयें भारत से बाहर बड़ी मात्रा में जाती थीं और यहाँ की सभ्यता और धन सम्पत्ति की कहानी सुनाती थीं।

दुर्भिक्षों के बारे में जहाँ अपने यहाँ के ग्रन्थों में चर्चा आया करती है वहाँ मेगस्थनीज़ जैसे विदेशी कहते हैं कि भारतवर्ष में अकाल कभी पड़ता ही नहीं। इससे यह अटकल लगायी जा सकती है कि अकाल पडते थे जरूर, परन्तु बहुत जल्दी-जल्दी नहीं पड़ते थे

१. स्ट्राबो १५सी—६९३, मेगस्थनीज़ खण्ड ९। स्ट्राबो १५सी ६९० से ६९२ तक।

और जहाँ-कहीं पड़ते थे वही उनका प्रभाव रहता था। वह सारे भारत में फैल नहीं जाते थे।

२. बौद्धकाल का अन्त

जो काल बुद्धावतार पर समाप्त होता है जातकों में उस काल के सम्बन्ध में एक बड़े महत्व की बात लिखी पाई जाती है। इस समय प्रायः सभी कारीगरी और कलाओं की पंचायतें संगठित थीं। 'भृगुपक्ख' जातक (४१४१) में इस तरह की अट्टारह पंचायतों की चर्चा है जिनमें से बड़इयो, लुहारो, खाल सिम्मानेवालो और चित्रकारो की पंचायतों का विशेष उल्लेख है। परन्तु 'प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास' (पृ० १०१) में लिखा है—“डाक्टर मजूमदार ने इस काल के जातकों और धर्मग्रंथों से पता लगाया है कि इन नौ प्रकार के पेशेवालों की पंचायतें संगठित थीं—(१) काठ के काम करनेवाले, जिनमें नाव बनानेवाले शामिल थे (२) धातु के काम करनेवाले, जिनमें सोना-चाँदी साफ़ करनेवाले शामिल थे (३) माली (४) चित्रकार (५) बनजारे (६) साहूकारी करनेवाले (७) खेती करनेवाले (८) व्यापार करनेवाले (९) पशु-पालन करनेवाले”।^१ एक जातक में (२११८) लिखा है कि एक जगह लकड़ी के काम का भारी केंद्र था जिसमें एक हजार परिवार रहते थे। इनकी दो बराबर-बराबर पंचायतें थीं और हर पंचायत का सरपंच जेटुक कहलाता था (जेटुक का अर्थ है बड़ा भाई)।इन पंचायतों में तीन विशेषताएँ थीं। (१) सरपंच एक जेटुक होता था (२) पेशा अपने कुल का

१. जातक ६। ४२७, जातक न० ४१५, जातक २। २६५

२. गौतम के सूत्र ११।२१

चलता था और (३) धन्धा अपनी जगह में बँध जाता था, (या यों कहना चाहिए कि स्वास-स्वास धन्धों के लिए खास-खास जगहें प्रसिद्ध हो जाती थीं।) जातको से मालूम होता है (२१२१५२ और ३१२८१) कि पंचायत का सरपंच राज-द्वार में रहनेवाला एक बड़ा मंत्री होता था। जेटुक के सिवाय सरपंच को 'पमुक्क' (प्रमुख या सभापति) भी कहते थे।

बनारस के राज की यह विशेषता मालूम होती है कि उस समय पंचायत के सरपंच काशिराज के बड़े कृपापात्र होते थे। एक सरपंच तो सारे राज्य का कोषाध्यक्ष ही था।^१ ऐसा अनुमान होता है कि उस समय जो थोड़े से बड़े-बड़े शहर थे उनके आसपास के गाँवों में कारीगरी और कलाओं के काम बढ़े-चढ़े थे। रोज़गार इतना बढ़ गया था कि शहर के पास के गाँवों में किसान लोग खेती के सिवाय हाथ की कलाओं में भी दक्ष हो गये थे। हम जातको में बारम्बार ऐसे गाँवों का वर्णन पाते हैं जैसे लुहारों के गाँव जिनमें एक हज़ार घर लुहारों के ही थे।^२ इसी तरह ऐसे गाँव भी थे जिनमें पाँच-पाँच सौ घर बढ़इयों के थे। इसी प्रकार कुम्हारों के भी गाँव के गाँव बसे हुए थे। इसी तरह व्याधगाम, निषाधगाम इत्यादि पेशेवरों के नाम से भी गाँव बसे थे।^३ इन गाँवों के पेशेवाले शहर में रहनेवाले पेशे वालों से भिन्न थे। वं किसान भी थे और लुहारी भी करते थे। बढ़ई भी थे और खेती भी करते थे। खेती के काम में उनका सारा समय नहीं लगता था। वे खेती का सारा काम अपने अपने हाथों से करते

१ जातक ३।३८७ ; जातक २।१२।५२

२ जातक ३।२८१—६; , जातक २।१८।४०५; जातक ३।३७६।५०८;
जातक ६।७१; ३।४९;

थे तो भी उन्हें पेशे का काम करने के लिए काफी संयम मिल जाता था, और जिनका पेशे का कारबार बहुत बढ़ा हुआ था वे मजदूरों से काम लेते थे। जान पड़ता है कि उस समय बेकारी की बीमारी न थी।

ये पंचायतें कानून बनाती थीं, मुकदमे फैसले करती थीं और जो कुछ फैसला होता था, उसको व्यवहार में लाना भी उन्हीं का काम था। विनयपिटक में लिखा है कि किसी चोर स्त्री को तबतक संन्यासिनी बनाये जाने का अधिकार नहीं है जबतक पंचायतों की ओर से आज्ञा न मिल जाय। जो लोग पंचायत में शामिल होते थे उनके घरेलू झगड़े भी, स्त्री-पुरुष का वैमनस्य भी, पंचायत के सामने आता था और पंचायत निबटारा करती थी।^१

किसी लेख से ऐसा नहीं मालूम होता कि उस काल में खेती का काम कोई नीच काम समझा जाता हो। खेती करनेवाला अपने समाज में खेती करने के कारण अपमानित नहीं समझा जाता था। इसमें तो सदेह नहीं है कि खेती, व्यापार और पशुपालन वैश्यों का ही काम था और जो ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे या जो पढ़ाने का काम करते वे खेती नहीं करते थे। पर ऐसे ब्राह्मण भी थे, जो न तो पुरोहिती का काम जानते थे और न विद्या ही पढ़े होते थे। ऐसे ब्राह्मणों के लिए सबसे उत्तम काम खेती थी, मध्यम काम बनियई थी। सेवा का काम सबसे नीच काम था और भीख तो वही माँगता था जो गया-गुजरा अपाहिज था। क्षत्रिय का काम भी राजदरबार या सेना और पुलिस का था। परन्तु जिन्हें इस तरह का काम न मिलता था वे लाचार होकर वैश्य या शूद्रका काम करने

१. विनयपिटक ४।२२६, गौतम ११।२१,

लग जाते थे। राजा ययाति की कथा सतजुग की है। यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने कई बेटों को राज के काम से अनधिकारी बना दिया। उनके वंशवाले लाचार होकर वैश्य और शूद्र का काम करने लगे। नन्द और वृषभानु आदि गोपालक ऐसे ही अधिकारहीन किये हुए यादव थे। परन्तु वैश्य द्विजाति थे और द्विजातियों के सभी अधिकार इन्हे प्राप्त थे और जो ब्राह्मण या क्षत्रिय जन्म से यह (वैश्यों का) काम करने लगते थे उन्हें कोई नीच नहीं समझता था। उनका सम्मान भी ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह ही होता था।^१ यद्यपि वे ब्राह्मणत्व और क्षत्रित्व से गिरे हुए समझे जाते थे तो भी वैश्यों का काम उठा लेने से कोई उन्हें ताने नहीं देता था और किसी तरह का अपमान नहीं होता था। जातको और सूत्रों में ऐसे ब्राह्मणों की चर्चा बहुत आई है जो खेती करते हैं, गौएँ चराते हैं, बकरी का रोजगार करते हैं, बनिये का काम करते हैं, शिकार खेलते हैं, बड़ई और लुहार का काम करते हैं, जुलाहे का काम करते हैं, वाण चलाते हैं, बनजारों की रक्षा करते हैं, रथ हाँकते हैं और सपेरे का काम करते हैं।^२ इस तरह के ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वंशवाले उस समय के वैश्य और शूद्र वंशवालों से ऐसे मिलजुल गये और रोटी-बेटी का ऐसा घना सम्बन्ध हो गया कि आज इन पेशेवालों में से यह भेद करना मुश्किल हो गया है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है और कौन वैश्य। यह भेद तो उन्हीं में देखा जाता है जो हाल के ही पतित हैं। अनगिनतियों ब्राह्मण और क्षत्रिय आज किसान का काम करते हैं और अपने को किसान कहने और मानने में उन्हें

१. सुत्तनिपात ३।९; मज्झिम निकाय २।१८०, जातक ४।३६३

२. जातक २।१६५; ३।२९३; ४।१६७-२७६।; ३।४०१; ४।१५; ५।२२-४७१; २।२००; ६।१७०; ४।२०७; ४५७; ५।१२७;

उचित गर्व है, वे उसे पतन नहीं मानते। उस काल में भी यही भाव सबसे ऊपर था। कहीं-कहीं ब्राह्मण किसान बड़ा पवित्र आत्मा और भक्त समझा जाता था। एड़ी से चोटी तक बोधिसत्व गिना जाता था।^१ “उत्तम खेती, मध्यम बान; निर्धन सेवा भीख निदान” यह आजकल की प्रसिद्ध कहावत उस समय भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए राह दिखानेवाली थी।

उस काल में मजूर और शूद्र दो तरह के थे। एक तो किसान आप ही मजूरी करते थे, दूसरे वह मजूर भी थे जिनके पास खेत न थे। जो मजूरी या नौकरी के सिवाय जीविका का और कोई उपाय न रखते थे, वे लकड़ी काटते थे, पानी भरते थे, हल जोतते थे और सेवा के सब तरह के काम करते थे। बड़े-बड़े खेतिहर अपने यहाँ मजूर रखकर खेती का काम कराते थे। मजूरी सब तरह की दी जाती थी। भोजन, कपड़ा और रुपये सबकी चाल थी। इन दो प्रकारों के सिवाय मजूरों का एक तीसरा प्रकार भी था। कैदी, ऋणी और प्राणदंड के बदले काम करनेवाले और अपने आप अपने को बेच देनेवाले या न्यायालय से दंड पाकर काम करनेवाले दास या दासी अपनी मीयाद भर या जीवन भर गुलामी करते थे। परन्तु ऐसे लोगो की गिनती भारतवर्ष में बहुत न थी। साधारण मजूरों की अपेक्षा इन दासों के साथ बर्ताव भी अच्छा ही होता था। इनका लाड़-भ्यार होता था। इन्हें लिखना-पढ़ना और हाथ की कारीगरी भी सीखने का मौका दिया जाता था। कभी-कभी किसी के द्वारा इनके साथ कड़ाई का बर्ताव भी होता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। दास जब तक मुक्त नहीं हो जाता था, तब तक धर्म संघमें वह सम्मि-

लित नहीं होने पाता था। शायद इसलिए कि इससे उसके मालिक के काम में हर्ज होता। इन दासों और दासियों को अपने जीवन से असतोष नहीं था क्योंकि इनके भाग जाने की चर्चा कहीं नहीं पाई जाती।^१ नित्य की मजूरी करनेवाला किसीका गुलाम तो नहीं था तो भी कभी-कभी ऐसे मौके आजाते थे कि उसका जीवन गुलामों की अपेक्षा अधिक कठिन हो जाता था।^२

उन दिनों रहन-सहन का खर्च कैसा था यह कहना तो मुश्किल है। परन्तु जातकों से यह पता लगता है कि एक धेले के तेल या घी से आदमी का काम भरपूर चल सकता था। आठ कहपान में एक अच्छा गधा खरीदा जा सकता था। चौबीस मुद्राओं में एक जोड़ी बैल मिल जाते थे। अर्द्धमासक आजकल के धेले या पैसे के बराबर समझा जाय और कहपान या कार्षपण अठन्नी के बराबर माना जाय और उपर्युक्त मुद्रायें एक-एक रुपये के बराबर मानी जायें तो उस समय का खर्च आजकल की अपेक्षा बहुत सस्ता समझा जायगा। परन्तु यह बात अनुमान के आधार पर है। सिक्के का वास्तविक मूल्य कब कितना समझा जाना चाहिए यह अर्थशास्त्र का एक जटिल प्रश्न है। इसपर यहाँ विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है।

१. जातक १।४५१; मज्झिम निकाय १।१२५; जातक १।४०२
विनयपिटक १।७६, जातक ५।३१३, ६।५४७

२. जातक १।४२२; ३।४४४

चाणक्य के समय के गाँव

इतिहास लिखनेवालों के निकट बुद्धकाल का अन्त उस समय समझा जाता है जब चन्द्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा और शामन की असनी वागडोर चाणक्य के हाथ में आई। इस प्रकांड परिदित ने 'अर्थ-शास्त्र' नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पंथी से उस काल के चारों में पता लगता है जिसमें मौर्य वंश का राज हुआ था और जो विक्रम के एकसौ तीस वरस पहले समाप्त होता है 'अर्थशास्त्र' में मालूम होता है कि गाँवों के कई तरह के विभाग किये गये थे। प्रथम कोटि, मध्यम कोटि और सबसे नीची कोटि के सिवाय ऐसे भी गाँव थे जिन्हें अन्न, पशु, सोना, जंगल का पैदावार आदि किसी रूप में कोई कर नहीं देना पड़ता था। ऐसे गाँव भी थे जहाँ से कर के बदले वेगार मिलती थी और ऐसे भी थे जिनमें कर के बदले दूध, दही थी मक्खन आदि मिलते थे। कुछ बातों में तो सभी गाँव समान थे। हर गाँव में बड़े-बूढ़ों की एक पंचायत होती थी। इस पंचायत का जो कोई सरपंच होता था वही सरकार की ओर से गाँव का मुखिया माना जाता था। जमीन्दारी का कोई रिवाज नहीं था। हर किसान अपने खेत का मालिक था। गाँव में घर सब एक साथ लगे होने थे बीच में गलियारा होती थी। चन्ती के चारों ओर बहुत दूर तक फैली

१ अर्थशास्त्र (परिदित प्राणनाथ विद्यालंकार का उल्था) पृष्ठ १२९, ३९-४१।

हुई नाज की, विशेष रूप से, धान की खेती होती थी। हर गाँव से मिली हुई पशुओं के चरने के लिए गोचर भूमि होती थी जिसका वन्दोवस्त राजा को करना पड़ता था। गृहस्थों के अपने-अपने पशु अलग होते थे, पर गोचर भूमि सबकी एक ही होती थी। इसी गोचर भूमि में वे खुले हुए मैदान भी होते थे, जिनमें बनजारे और घूमनेवाली जंगली जातियाँ आकर ठहर जाती थीं और आये दिन डेरे डाला करती थीं।^१ गाँवों की हदें बँधी हुई थीं। हर गाँव में चौपाल और ढालानें पंचायतों के काम के लिए बनी होती थीं और गाँव का भीतरी अर्थशास्त्र विलकुल स्वतंत्र होता था। गाँव के भीतरी वन्दोवस्त में किसी बाहरी का हाथ विलकुल नहीं होता था। गाँववाले सब बातों का निबटारा आप कर लेते थे। घूमनेवाली जातियाँ या चरवाहों की बस्तियाँ न तो बहुत काल के लिए टिकाऊ होती थीं और न गाँवों की तरह सुसंगठित थीं। गोचर भूमि और गोरक्षा उस समय में ऐसे महत्व की बात समझी जाती थी कि खेती के अध्यक्ष की तरह राज दरवार में गोशाला के अध्यक्ष अलग और गोचर भूमियों के अध्यक्ष अलग होते थे।^२ गोशाला के अध्यक्ष को केवल गाय भैस की ही खबर नहीं लेनी होती थी, बल्कि भेड़, बकरियाँ, गधे, सुअर, खच्चर और कुत्तों के लिए भी वन्दोवस्त करना पड़ता था।

गाँव बसाने के सम्बन्ध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो नियम दिये हुए हैं उनसे बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ हम परिचित प्राण-नाथजी के अनुवाद से (पृ० ३६-४१) नीचे जो अवतरण देते हैं उससे उस समय के गाँव की राज्य-व्यवस्था का पता लगता है:—

१ मेगस्थनीज़ (अग्रज्जी १, ४७)

२ अर्थशास्त्र पृ० ११५-१६, १२८

“परदेश या स्वदेश के निवासियों के द्वारा शून्य या नवीन जन पद को बसाया जाय। प्रत्येक ग्राम सौ परिवार से पाँच सौ परिवार तक का हो। उसमें शून्य कृषकों की संख्या अधिक हो और उनकी सीमा एक कोस से दो कोस तक विस्तृत हो। वह इस प्रकार स्थापित किये जाय कि एक दूसरे की रक्षा कर सकें। नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, गुहा, नहर, टालाब, सीमल, पीतल तथा बड़ आदि से उनकी सीमा नियत की जाय। आठसौ ग्रामों के मध्य में स्थानीय, चारसौ ग्रामों के मध्य में द्रोणमुल, दोसौ ग्रामों के मध्य में स्त्रावटिक तथा दस ग्रामों के मध्य में संग्रहण नामक दुर्ग बनाये जायें। राष्ट्र-सीमाओं पर अन्तपाल के दुर्ग खड़े किये जायें और प्रत्येक जनपद-द्वार उसके द्वारा सुरक्षित रखा जाय। वागुरिक, शबर, पुलिन्द, चंडाल तथा जंगली लोग शेष सम्पूर्ण सीमा की देख-रेख करें।

ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रियों को अभिरूप फलदायक ब्रह्मदेय^१ दिया जाय और उनको राज्यदंड तथा राज्य कर से मुक्त किया जाय। अथर्व, संख्यायक, गोप, स्थानीक, अनीकस्थ, विक्रिसक, अश्व दमक, जंघारिक आदि राज-सेवकों को भूमि दी जाय परन्तु उनको यह अधिकार न हो कि वह उसको बेच सकें या थाली (गिरवी) रख सकें। राजस्व देनेवालों को ऐसे खेत दिये जायें जो कि एक पुरुष के लिए पर्याप्त हों। खेतिहरों को बड़े भूमि न दी जायें। जो खेती न करे, उनसे खेत छीन कर अन्यो के सिपुर्द किये जायें। ग्राम ऋतक या बन्धिये ही उनपर खेती

१. ब्रह्मदेय वह दान है जोकि ब्राह्मणों को स्थिर रूप से सदा के लिए दे दिया जाय। ताम्र पात्र तथा बहुत से शिलालेख खोदने से मिश्र हैं जिनमें पुराने राजाओं ने भिन्न-भिन्न भूमि भागों को ब्रह्मदेय के रूप में ब्राह्मणों को दिया था। (प्राणनाथ विद्यालंकार)

करें। जो खेत जोतें वे सरकारी हर्जाना (अपहीन) भरें। जो सुगमता से राजस्व दें उनको धान्य, पशु तथा हिरण्य से सहायता पहुँचाई जाय। साथ ही खयाल रखा जाय कि अनुग्रह^१ तथा परिहार^२ से कोश की वृद्धि हो और जिससे कोश के नुकसान की संभावना हो उसको न किया जाय। क्योंकि अन्तर कोशवादा राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों को ही सताता है। नये बन्दोबस्त या अन्य आकस्मिक समय में ही विशेष-विशेष व्यक्तियों को राजस्व से मुक्त किया जाय और जिनका राज्यकर-मुक्ति या परिहार का समय समाप्त हो गया है उनपर पिता के मुदा अनुग्रह रखा जाय।^३

मौर्यकाल में भी देश का सबसे बड़ा कारबार खेती का था। इस पर सरकार का बहुत बड़ा ध्यान था। सब तरह के अनाज तो उपजते ही थे साथ ही गन्ने की खेती बहुत जोरो से होती थी। गुड़ खाँड, मिश्री सभी कुछ तैयार होता था। अंगूर से भी एक प्रकार का मीठा तैयार किया जाता था जिसे मधु कहते थे। खाँड तैयार करने के लिए गाँव-गाँव में खँडसाले थीं।^४ शकर का रोज़गार बढ़ा-चढ़ा था। मेगस्थनीज़ लिखता है :—

"भारतवर्ष में बड़े लम्बे-चौड़े अत्यन्त उपजाऊ मैदान हैं जो

१. अनुग्रह—उत्तम काम करने के बदले में कारीगरों—किसानों को राजा जो धन आदि इनाम में दे उसको 'कौटिल्य' ने 'अनुग्रह' शब्द से सूचित किया है। (प्रा० वि०)

२. परिहार—राज्य कर से मुक्त करना। पुत्रोत्पत्ति, वर्षगाँठ आदि समय में राजा लोग ऐसा करते थे, कौटिल्य ने इन सब समयों को आदि 'यथागतक' शब्द से सूचित किया है। (प्रा० वि०)

३. अर्थशास्त्र पृ० ८५, ८६.

खेतों से हरे-भरे दीखते हैं और जिनकी सिंचाई के लिए नदियों का जाल-सा बिछा दीखता है.....जौ, गेहूँ, चावल आदि के सिवाय ज्वार, बाजरा और अनेक प्रकार की दालें और मनुष्य और चौपायों के भोजन के योग्य नाना प्रकार के पौधे होते हैं.....जाड़ों में और गर्मियों में दो बार बरसात होती है और साल में दो फ़सलें होती हैं। विविध प्रकार के स्वाद और मिठास के कन्द, मूल और फल होते हैं जिनसे मनुष्यों का बहुतायत से पोषण हो सकता है.....। बुरे-से-बुरे युद्ध में भी किसानों की कोई हानि नहीं होती; फ़सल को, पशुओं को, खेतों को या पेड़-जतादि को कोई नुक़सान नहीं पहुँचता। भारत के किसान बड़े मिहनती होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, फ़िरायत से रहते हैं और ईमानदार होते हैं। सरकारी प्रबन्ध ऐसा अच्छा है कि खेती का व्यापार बड़ी अच्छी दशा में है। जन, धन की पूरी रक्षा है, न्याय और क़ानून बड़े अच्छे हैं”।

मेगस्थनीज़ के लेख से मालूम होता है कि सिंचाई का प्रबन्ध बड़ा ही उत्तम था। नहरों का भी एक विभाग था, अर्थशास्त्र से भी इस बात का पूरा समर्थन होता है कि सिंचाई का सरकारी प्रबन्ध था, और जिन लोगों को सरकार की तरफ़ से जल मिलता था उसके लिए कर देना पड़ता था। खेती के लिए एक सरकारी अफसर अलग था वह सीताध्यक्ष कहलाता था। उसके लिए अर्थशास्त्र पृष्ठ १०४ में लिखा है—

“सीताध्यक्ष (कृषि का अध्यक्ष या प्रबन्ध कर्ता) कृषि-विज्ञान, शुद्धशास्त्र (भाड़ियों की विद्या), वृक्ष-विद्या तथा आयुर्वेद में पारिदृश्य

१. ‘प्राचीन भारत का इतिहास’ नामक ग्रंथ में पृ० १३९ पर का अवतरण।

प्राप्त कर, या उन लोगों से मैत्री कर, जो कि इन विद्याओं में परिष्ठत हैं, धान्य, फूल-फल, शाक, कन्द, मूल, पाकक, सन, जूट, कपास, वीज आदि समय पर इकट्ठा करे। बहुत हलों से जोती हुई भूमि पर दास, कर्मकर, अपराधी आदिमियों से वीज ढलवाये और इल, कृषि सम्बन्धी उपकरण तथा बैल उनको अपनी ओर से ले तथा काम हो जाने के बाद बौटा ले। तरखान (कर्मार) खटीक (कुशक), तेजी, रस्मी बँटनेवाले, बहेरिये लोगों से उनको रहायता पहुँचाये। यदि काम ठीक न हो तो उनसे हरजाना वसूल किया जाय।”

कताई और बुनाई का काम भी मौर्यकाल में कोई छोटे पैमाने पर नहीं होता था। जिस तरह खेती के विभाग के लिए सरकारी अफसर सीताध्यक्ष होता था उसी तरह कताई-बुनाई के काम पर एक सरकारी अफसर सूत्राध्यक्ष नियुक्त होता था। वह कारीगरों से सूत, कपड़ा और रस्सी का काम भी करवाता था। उसका काम था कि बैरागिनो, विधवाओं, विकलांग लड़कियों, राज्य दण्डितों, बूढ़ी राजदासियां और मन्दिर के काम से छुटी देवदासियों और साधारणतया सभी लड़कियों से ऊन, रेशे, रुई, जूट सन आदि के सूत कतवाये और सूत की चिकनाहट, मुटाई और उत्तम, मध्यम निकृष्ट दशा देखकर उनका मिहनताना नियत करे। इस तरह सूत की कताई के लिए, उसकी ठीक जाँच के लिए और ठीक-ठीक मजूरी देने के लिए बड़े विस्तार से नियम बने हुए थे।^१ और इसके सम्बन्ध में अपराधियों के लिए बड़े कड़े-कड़े दण्ड भी थे, जैसे जो मेहनताना लेकर काम न करे उनका अँगूठा काट दिया जाय। यही दण्ड उनको भी मिले जो कि नाल खा गई हो, लेकर भाग गई हो या चुरा ले गई

१. कौटिल्य अर्थशास्त्र पृ० १०२, १२३

हो। ज्ञान पड़ता है कि कताई के ये नियम राजधानी के पास के गाँव के हैं जिनका सरकारी विभाग से कपास, रुई और मजूरी पाने का बन्दोबस्त था और यह कानून उन लोगों के लिए था जो उस सरकारी विभाग के लिए कातने को बाध्य किये जा सकते थे। परन्तु औरों को कातने की मनाई न थी। शहर से दूसरे गाँव में रहनेवाले लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी कातते होंगे। क्योंकि पहले तो पहनने के लिए कपड़े सारी आबादी को चाहिए और दूसरे भारत के बाहर से कपड़े के आने की कहीं चर्चा नहीं है। इसलिए कताई-बुनाई का काम अवश्य ही गाँव में घर-घर होता था। सरकारी तौर से इस कला का प्रबन्ध यह प्रकट करता है कि कताई और बुनाई का रोजगार खेती-बारी की तरह भारी महत्त्व रखता था। उस समय यह भी कानून था कि किसी के पास खेत हो, और वह खेती न करता हो तो उससे खेत लेकर खेती करनेवाले को दे दिये जायँ। इससे कोई बेकार खेत न रख सकता था।

कोष्ठागाराध्यक्ष के कर्तव्यों की तालिका से^१ पता लगता है कि उस समय खेती के कारबार के साथ ही साथ खण्डसाल के सिवाय जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तिलहनों से तेल निकालने का काम बहुत जोरों से होता था। रंग का कारबार भी बहुत चढ़ा-बढ़ा था। यूनानी लेखकों से पता चलता है^२ कि लाख आदि कीड़ों से पैदा होनेवाले रंग भी उस समय निकाले जाते थे और कपड़े रंगने के सिवाय लोग अपनी दाढ़ियाँ भी विविध रंगों में रंगते थे। कुम्हार लोग बड़े उत्तम-उत्तम प्रकार के बासन बनाते थे। बँसफोर बाँस

१. कौटिल्य अर्थ शास्त्र (पं० आणनाथ) पृ० ८४ से ८८ तक

२. नियारकोस (अंग्रेज़ी) खंड ९ व १०।

और बेंत और छाल के सब तरह के सामान तैयार करते थे। नदी किनारे के गाँव में धीमर मछलियाँ मारते थे और ससुद्र के किनारे मोती और शंख खोज लाते थे। सूखी मछलियाँ और सूखे मॉस के व्यापार की चर्चा से यह भी पता लगता है कि चीजें विकने के लिए बहुत दूर-दूर भेजी जाती होगी। उस समय आटा भी गाँव से पिस कर शहर में बड़े भारी परिणाम में विकने को आता होगा।

पञ्चायतो का संगठन उस समय इतने महत्व का था कि उसके लिए संघ वृत्त नाम का एक अधिकरण ही अर्थशास्त्र में अलग रखा गया है ! इस अधिकरण के पढ़ने से यह जान पड़ता है कि उस समय संघों के अधिकार बहुत बढ़े हुए थे। छोटी-छोटी पंचायतो को एकत्र करके लोगो ने संघ बना रखे थे। लिखा है कि काम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, तथा श्रेणी आदि संघ खेती, पशु-पालन और वनिज संसन्तुष्ट रहते थे और शस्त्र की जोविका भी करते थे, अर्थात् सिपाही का काम भी करते थे। लिच्छविक, वृश्चिक, मद्रक, कुक्कुर, कुरु, पांचाल आदि के संघ भी थे। इनके बारे में यह लिखा है कि ये लोग राजा शब्द से संसन्तुष्ट रहते थे। आगे चलकर भेद-नीति का वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि काम्बोज, सुराष्ट्र आदि बड़ी चतुर जति के थे। लिच्छविक आदि नाम पर मोहित होजाते थे। राजा स्वभावतः इन पंचायतो को निर्बल रखने में अपना अधिक कल्याण समझता था। इसीलिए फोड़-फाँस लगाये रहता था। भेद-नीति का विस्तार करके लिखा है कि जब वह आपस में जुदा हो जायें तब उनको तितर-बितर कर दे। या सबको एक ही देश में बसाकर उन-

हमारे गाँवों की कहानी

पाँच-पाँच या दस-दस परिवार (कुल) को जोतने-बोने के लिए जमीन दे-दे। राजा शब्द से सन्तुष्ट होनेवालों का राजपुत्रों के अनुरूप शासन बनावे।

राजा को जब आवश्यकता होती थी या जब इसमें वह देश का कल्याण देखता था तो वह नए गाँव बसाता था और नई गोचर-भूमि छुड़वाता था। किसी-किसी गाँव को शुद्ध शूद्र गाँव बना देता था और किसी में केवल ब्राह्मणों को बसाकर उनसे खेती कराता था। इस सम्बन्ध में हम एक लम्बा अवतरण दे आये हैं। इस पर साधारणतया यह अनुमान किया जाता है कि शूद्रों को धीरे-धीरे ऊपर उठाकर वैश्य बनाने और ब्राह्मणों को धीरे-धीरे नीचे उतारकर खेतिहर बनाने में राजा का भी हाथ था। आज जो भारी सख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, और शूद्र भी खेती में लगे हुए हैं, उनका जहाँ प्रधान कारण भारतवर्ष में एकमात्र खेती के व्यवसाय का प्रधान होना है, वहाँ एक गौण कारण यह भी है कि समय-समय पर राजा वैश्य के सिवाय और वर्गों को भी खेती के काम में लगा देने में सहायक होता था।

मजूरों और गुलामों की दशा भी बड़ी अच्छी थी। अर्थशास्त्र में यह नियम दिया गया है कि जिस मजूर से कोई मजूरी पहले से तय न की जाय उसे "मजूरी काम तथा समय के अनुसार दी जाय। खेतीहरों में हरवाहे, गडकों का काम करनेवालों में ग्वाले और अपना माल खरीदनेवाले बनियों में दूकान पर बैठनेवालों में मेहनताना तय न होने पर आमदनी का दसवाँ भाग ग्रहण करें।" मजूरी के नियम ऐसे सुन्दर और नीतियुक्त बनाये गये थे कि काम करनेवाला और करानेवाला दोनों में से किसी का हक नहीं मारा जाता था। दासों

के नियम भी बड़े अच्छे थे। इनमें मनुष्यता की रक्षा थी। लिखा है—

“उत्तर दास को छोड़कर, आर्य जाति के नाबाब्रिग शूद्र को बेचनेवाले सम्बन्धी को १२ पण, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को बेचने वाले स्वकुटुम्बी को क्रमशः २४, २६, ४८ पण दंड दिया जाय। यदि यही काम करनेवाला कोई दूर का रिश्तेदार या दुरमन हो तो उसको क्रेता तथा श्रोता को पूर्व, मध्यम तथा उत्तम साहस दंड के साथ-साथ सुष्ठु दंड तक दिया जा सकता है। भलेछ्छ लोग प्रला बँच सकते हैं तथा गिरों रख सकते हैं। आर्य्य लोग दास नहीं बनाये जा सकते हैं। पारिवारिक, राज्य दंड तथा उत्पत्ति के साधन विषयक विपत्ति के आपड़ने पर किसी भी आर्य्य जाति के व्यक्ति को गिरों रखा जा सकता है। निष्कय का धन मिलते ही सहायता देने में समर्थ बालक को शीघ्र ही छोड़ा लिया जाय। एक बार जिसने अपने आपको गिरों रखा है या जिसको सम्बन्धियों ने दो बार गिरों रखा है, राज्यापराध करने पर या शत्रु के देश में भागने पर वह आजीवन दास बनाया जा सकता है। धन को चुरानेवाले तथा किसी आर्य्य को दास बनानेवाले व्यक्तियों को ग्राधा दंड दिया जाय। राज्यापराधी, मृतप्राय तथा बीमार को भुल से गिरों रखनेवाला अपना धन लौटा ले सकता है। जो कोई गिरों में रखे व्यक्ति से मुर्दा या पाखाना पेशाब उठवाये, या उसको जूठा खिलवाये, या कपड़ा पहनने को न देकर नंगा रखे, या पीटे या तर्कनीफ दे या स्त्री का सतीत्व हरण करे उसका (गिरों रखने के बदले दिया गया) धन ज्वल कर लिया जाय। दायी, दासी, अर्धसिरी तथा नौकरानी सदा के लिए स्वतंत्र कर दी जाय और उच्चकुल के मनुष्य को उसके घर से भाग जाने दिया जाय।”

१. कौटिल्य अर्थशास्त्र (प्रा० वि०) पृ०. १६८ से १७१ तक

मजूरों के भी संघ थे। और देश में पूँजीवाले लोग भी ज़रूर थे। खेतिहर और बनिये मिलकर अपने व्यापार संघ बनाते थे और मजूर लोग मिलकर अपने-अपने मजूर-संघ स्थापित किये हुए थे। जहाँ दोनों के सम्बन्ध के नियम दिये गये हैं वहाँ मजूरों की पंचायत (संघ भूताह) के लिए भी नियम हैं। इन सब बातों से पता लगता है कि उस समय मिलजुलकर संघ शक्ति से काम लेने की चाल बहुत काल से दृढ़ हो चुकी थी।

सिक्को का चलन भी उस समय बहुत निश्चित था। सोने और चाँदी दोनों के सिक्के चलते थे। तांबे के सिक्के भी थे। रुपया पण कहलाता था। अठन्नी, चौअनन्नी, दुअन्नी भी चलती थी। तांबे के अघन्ने पैसे, धेले आदि भी चलते थे, जिन्हे माषक, अर्द्धमाषक, काकिणी और अर्द्धकाकिणी कहते थे। इन सिक्को के सिवाय व्यापारी लोग एक दूसरे पर हुंडी भी चलाते थे। और इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है कि गाँव में अड़ला-बदली का नियम पहले की तरह जारी था। गाँव के लोग इतने सुखी थे कि चौपालों में और पंचायतों के दालानों में अक्सर नाटक हुआ करते थे। नाचने और गानेवाले आकर गाँववालों का मनोरंजन किया करते थे। अर्थशास्त्रकार ने इस बात को बहुत बुरा बतलाया है क्योंकि इससे गाँववालों के धरेलू और खेत के काम धंधों में बड़ा हर्ज पड़ता था।

प्रोफेसर संतोषकुमार दास लिखते हैं कि इस काल में गाँव के रहनेवालों को आजकल के हिसाब से अमीर तो नहीं कहा जा

३. डाक्टर शमशास्त्री की राय में (अंग्रेज़ी अर्थशास्त्र पृ० ९८)
रूप्य और कर्शपण एक ही चीज़ है। यहाँ पर रुपये के लिए पण शब्द का प्रयोग हुआ।

सकता, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनकी जितनी सीधी सादी ज़रूरतें थीं, सब सहज में पूरी होती थीं। मेगस्थनीज़ लिखता है कि लोग बहुत सीधी चाल-ढाल के थे। स्वभाव से संयमी थे। और गहने-पाते काम में तो ज़रूर लाते थे परन्तु उनका पहिरावा बहुत सादा था। एक सूती धोती, कन्धे पर चहर, सफेद चमड़े के जूते एक भले मानस के काफी सामान थे। निर्धन और दरिद्र भी होते थे, परन्तु उनकी गिनती अत्यन्त कम थी। और वे थोड़े से निर्धन भी सरकारी आश्रय में रहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार “राजा का कर्तव्य था कि बूढ़े, अपाहिज, पीड़ित और लाचार का पालन करे। और निर्धन, गर्भवती और उनके बच्चों के पालन पोषण का उचित प्रबन्ध करे।”

दैवी विपत्तियों के उपायवाले प्रकरण में अग, पानी, दुर्मिच्छ, चूहा, शेर, साँप तथा राक्षस इन आधिदैवी जोखिमों से जनपद को बचाने के उपाय बताये हैं। पानी, व्याधि, दुर्मिच्छ और चूहों से रक्षा के सम्बन्ध में जो-जो उपाय बताये हैं उन्हें हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

पानी—नदी के किनारे के गाँववाले वर्षा की रातों में किनारे से दूर रहकर सोवें। जकड़ी और बाँस की नावें सदा अपने पास रखें। तूँबा, मपक, नाव, तमड़े तथा बेड़े के द्वारा डूबते हुए लोगों को बचावें। जो लोग डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिए न दौड़ें उनपर १२ पण जुर्माना किया जाय बशर्ते कि उनके पास नाव आदि तैरने का साधन न हो। पर्वों में नदी की पूजा की जाय। माया वेद तथा योगविद्या को जाननेवाले वृष्टि के विस्मय उपाय करें। वृष्टि के रुकने पर इन्द्र, गंगा पर्वत तथा महाकच्छ की पूजा की जाय।

१. अर्थशास्त्र (प्रा० वि०) पृ० ३९ से ४१ तक।

व्याधि—चौदहवें अधिकरण्य (औपनिषदिक) में विधान किये गये तरीकों के द्वारा बीमारी के भय को कम किया जाय। यही बात वैद्य लोग दवाइयों से और सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्तिमय साधन तथा प्रायश्चित्तों के द्वारा करे। फैलनेवाली बीमारी (मरक) के सम्बन्ध में भी यही तरीके काम में लाये जायें। तीर्थों में बहाना, महाश्च्छ का बढाना, गौर्षों का स्मशान में बुहना, मुर्दे का धड़ ललाना तथा देवताओं के उपलक्ष में रात भर जागना आदि काम किये जायें। पशुओं की बीमारी के फैलने पर परिवार के देवताओं की पूजा तथा पशुओं के ऊपर से धूप बत्ती उतारी जाय।

दुमिच्छ—दुमिच्छ के समय में राजा अनाथ तथा बीज कम क्रीमत पर बाँटे। लोगों को इधर-उधर देश में भेज दे। नये-नये कठिन कामों को शुरू करे और लोगों को भोजनाच्छादन दे। मित्र राष्ट्रों का सहारा लेकर अमीरों पर टैक्स बढावे तथा उनका इच्छा किया हुआ धन निकाल ले। जिस देश में फसल अच्छी हो उसमें अपनी प्रजा को लेकर चला जावे। नदी के किनारे घान, शाक, मूल तथा फलों की खेती करावे। मृग, पशु, पक्षी, शिकारी जन्तु तथा मच्छियों का शिकार शुरू करे।

चूहा—चूहों के उत्पात होने पर बिल्ली तथा नेवलों को छोड़े। जो लोग पकड़कर चूहों को मारें उनपर, १२ पण्य जर्माना किया जाय। जो लोग जंगली जानवरों के न होते हुए भी बिना कारण ही कुत्तों को छोड़ रखे उन पर भी पूर्ववत् दण्ड का विधान किया जाय। थूहड़ के दूध में धान को साबकर खेत में छोड़े। ऐन्द्रजातिक तरीकों को काम में लावे तथा चूहों के सम्बन्ध में राज्यरर लगावे। सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्तिमय उपायों को करें। पर्वों में मुषक-पूजा की जाय।

टिड्डीबल पत्ती, कीड़े आदि के उखाटों का उपाय भी इसी प्रकार किया जाय ।”

परन्तु उसी समय के लेखक मेगस्थनीज़ का कहना है कि भारत-वर्ष में अकाल पड़ने की बात कहीं सुनी भी नहीं जाती। इससे प्रकट है कि चंद्रगुप्त के राज का वंदोवस्त ऐसा अच्छा था कि उस समय भारतवर्ष में लोग अकाल की पीड़ा नहीं जानते थे। इस सम्बन्ध में चाणक्य का प्रबन्ध बड़ाई के योग्य था।

प्राचीन काल का अन्त

१. चाणक्य के बाद के पाँचसौ वर्ष

अब तक गाँव के बारे में जो कुछ लिखा गया है वह अधिकतर उत्तर भारत के सम्बन्ध में है। चाणक्य के काल के अन्त में दक्षिण भारत के आँध्रों और कुशानों का समय आता है जो विक्रम से डेढ़-सौ वर्ष पहले आरम्भ होता है और साढ़े तीन सौ वर्ष पीछे खतम होता है। कुशानों का राज उत्तर में था और आन्ध्रों का दक्षिण में था। जो सिलसिला मौर्यकाल तक खेती और व्यापार की उन्नति का चला आया था उसके टूट जाने का अभी तक कोई कारण नहीं हुआ था। भारत की बहुत भारी आबादी पहले की तरह गाँवों में रहती थी। गाँव घोषों और पल्लियों में विभक्त थे। गाँव का मुखिया आँध्रों के राज्य में सरकारी तौर से रखा जाता था वह भगड़ों का निबटारा भी करता था और राजा के लिए कर भी उगाहता था। अधिकारी लोग जो मालगुजारी मुकदर कर देते थे वह रकम जब-तक राजा को मिलती जाती थी तबतक गाँव की बातों में राजा दखल नहीं देता था। धर्मशास्त्र भी यही कहता है कि गाँव सभी तरह से स्वतन्त्र हैं।^१ और महाभारत में कुल की रीति^२ भी प्रमाण

१. पारस्कर गृह्यसूत्र १-८१३

२. महाभारत आदि पर्व ११३-९

मानी गई है। उस समय भी एक ही परिवार में बँधे रहने की रीति सबसे अच्छी समझी जाती थी। और अलग होकर रहना निर्बलता का चिह्न था। इस काल में राजा अपने को पृथ्वी का ऐसा स्वामी समझता था कि जब उसे जरूरत होती थी प्रजा की राय लिये बिना ही भूमि ले लेता था या किसी को दे देता था। तो भी किसान के जीवन की दो बातें उलट-पुलट करने की उसे मनाही थी, (१) उसका घर और (२) उसका खेत।

किसान या वैश्य काम खेती के सिवाय पशुपालन भी करता था। दान देना, पढ़ना, लिखना, व्यापार करना और लेन-देन करना भी उसका कर्तव्य था। उसे बीज बोना भी आना चाहिए था और अच्छे और बुरे खेतों की परख भी होनी चाहिए थी।^१ उस समय जरूरत पड़ने पर किसान या वैश्य को सरकार से बोनो को बीज भी मिलते थे और बदले में उपज का चौथाई हिस्सा सरकार लेती थी। सिंचाई के लिए जल का प्रबन्ध भी सरकारी था और जरूरत पर तकावी बँटती थी।^२

बुनाई का काम इस काल में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुका था। सूत, अन्न और रेशम के उत्तम से उत्तम कपड़े बनते थे। उन के कपड़ों में एक तरह का कपड़ा चूड़ों की ऊन से बनाया जाता था जो विशेष रूप से गर्म रहता था। चीनी रेशम के सिवाय तीस प्रकार के

१. "पशूना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वखिक्पथं कुसीदच वैश्यस्य कृपिमेव च मनुः १ । १०

बीजानामुत्तिविच्च स्यात्क्षेत्र दोषगुणस्य च ।

मानयोगं च जानीयात्तुलायोगश्च सर्वशः मनुः १ । ३३०

२. महाभारत, शांति पर्व, अ० ८८ श्लो० २६-३०, अ० ८९ श्लो० २३-२४ ; समा पर्व अ० ५ श्लो० ६६-७९ ।

देसी रेशम बरते जाते थे। द्राविड़ कवियों ने कुछ कपड़ों की उपमा “दूध की बाष्प और साँप के केचुल” तक से दी है और वारीकी का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट लिखा है कि इनकी बुनावट इतनी वारीक है कि आँखों को सूत के धागे अलग-अलग दिखाई नहीं पड़ते।

इस काल में भी पेशो और कलाओं के संघ या पञ्चायतें बनी हुई थीं। प्राचीन लिपियों से जुलाहो, कुम्हारो, तेलियो ठठेरो, उदयांत्रिको, चित्रकारो और मूर्तिकारो की पञ्चायतें अलग-अलग बनी हुई थीं। जो विद्वान् महाभारत की रचना का काल इसी काल के भीतर समझते हैं वं इस अवसर पर महाभारत का भी प्रमाण देकर कहते हैं कि इस समय पञ्चायतो का बड़ा भारी महत्त्व था। महाभारत में लिखा है कि इन पञ्चायतो से राज की शक्ति को प्रधान रूप से सहारा मिलता था।^१ सरपञ्चो में फूट डालना या बरावत के लिए उभारना, वैरी की हानि करने की मानी हुई रीति थी।^२ जब गन्धर्वों से दुर्योधन हार जाता है तब अपनी राजधानी को लौटना नहीं चाहता। कहता है कि मैं पञ्चायत के मुखियों को कैसे मुँह दिखाऊँगा^३। उस समय पञ्चायत की रीतियाँ और नीतियाँ धर्मशास्त्र की तरह मानी जाती थीं।^४ अपनी पञ्चायत के

१. आश्रमवासिक पर्व, ७। ७-९

२. शांति पर्व ५९। ४९, १९१। ६४

३. ब्राह्मणाः श्रेण्णिमुख्याश्च तथोदासीन वृत्तयः।

किं मां वक्ष्यति किम् चापि प्रतिवक्ष्यामि नानहम्।

वनपर्व २४८। १६

४. जातिजानपदान्धर्मान्श्रेणी धर्माश्च धर्मवित्

समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ मनुः ८। ४१

सामने बचन देकर जा तोड़ता था उसे राजा देश निकाले का दण्ड देता था। और पंचायत के विरुद्ध पाप करनेवाले के लिए कोई प्रायश्चित्त न था। ऐसे कड़े नियमों के होते कला और कारीगरों में ऊँची से ऊँची दशा को पहुँचना जरूरी था। इन्हीं पेशेवालों की धीरे-धीरे जातियाँ बन गईं और उस समय की पञ्चायतें आज भी जातियों की पञ्चायतें बनी हुई हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा को चाहिए कि वैश्यों और शूद्रों से उनके कर्तव्यों का पालन करावे। अगर ये दोनों जातियाँ अपने-अपने कर्तव्यों का पालन न करेंगी तो ससार की व्यवस्था ही नष्ट हो जायगी।^१ उस समय वर्ण धर्म की रक्षा बड़े महत्व की बात समझी जाती थी। नासिक की गुफा के शिलालेख में राजा गौतमीपुत्र बालश्री बड़े गर्व के साथ कहता है कि हम ने चारों वर्णों के एक-दूसरे में मिलकर गड़बड़ करने में रुकावट डाली है। इस प्रथा को वन्द्य कर दिया है।

इस काल में दासों के पास कोई सम्पत्ति न होती थी। वह मजदूरी के रूप में ही कर देता था। शूद्रों का यही कर्तव्य था कि वे विशेष रूप से किसानों की सेवा करें।^२ वार्की दशा दासों की वही थी जो पिछले अध्याय में लिख आये हैं। एक बात इस काल की बड़े मार्के की है कि किसान लोग शूद्रों से अर्थात् मजदूरों से लगभग मिलते जा रहे थे। मजदूर बढ़ते-बढ़ते चरवाहे से गोपालक बन जाता था। वनियों की नौकरी करते-करते आप वनिज करने लग जाता था। बहुत दिनों का किसान का मजदूर इनाम में या मजदूरी में माफ़ी खेत

१. वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।

तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत् । मनुः ८ । ४१८

२ महाभारत १२ । ६० । ३७; १ । १०० । १

पाजाता था। इस तरह मजूरी की जाति का आदम बनिया, ग्वाला या खेतिहर हो जाता था। महाभारत में लिखा है कि छः गायों को चरानेवाला एक गाय का सारा दूध पाने का अधिकारी है और सौ गायें चराता हो तो नित्य के दूध के सिवाय बरस के अन्त में एक जोड़ी गाय बैल की मिलती थी। किसान के मजूर को मजूरी में उपज का सातवाँ भाग मिलता था। इस तरह मजूर जाति के लोग भी किसान बनते गये! ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य तक उतर सकते थे। परन्तु शूद्र नहीं हो सकते थे। इस तरह तीनों वर्णों के लोग धीरे धीरे किसान होते गये और किसानों की गिनती बढ़ती गई।^१

मनुस्मृति में राजा का अनाज के ऊपर छठा भाग, पेड़, माँस, मधु, घी, कन्दमूल औषधि, मसाले, फल और फूल पर भी छठा भाग, पशु पर पाँचवाँ भाग कर राजा को मिलता था।^२ महाभारत में साफ लिखा है कि कर जरूर लगाये जाने चाहिए। इसका कारण यह है

१. महाभारत १२।६०।२४, २।५।५४, २।६१।२०

२ पञ्चाशद्विंशति अध्यायः राज्ञोः पशुद्विरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः पशोः द्वादश एव वा ॥ ७ । १३०

आददाताथ पद्विंशतिं द्रुमासमधुसर्पिणाम् ।

गन्धौषधिरसाना च पुष्पमूलफलस्य च ॥ ७ । १३१

पत्रशाकतृणानां च चर्मणा वैदलस्य च ।

मृगमयानां च भारुडानां सर्वस्याश्रममयस्य च ॥ ७ । १३२

आददाताथ पद्विंशतिं प्रणष्टाधिगतान्द्रुपः ।

दशमं द्वादशं चापि सता घर्ममनुस्मरन् ॥ ३३

धान्येऽष्टमं विशां शुक्लं विशं कार्पापणावरम् ।

कर्मापकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा मनुः १० । १२०

कि प्रजा की रक्षा की जाती है और रक्षा में खर्च लगता है। परन्तु कर बहुत हलका लगाना चाहिए। सभी किसानों से और गाँव के सभी लोगों से कर रुपये पैसे के रूप में नहीं लिया जाता था। किसान अनाज के रूप में देता था, व्यापारी अपने व्यापार की वस्तु के रूप में देता था और मजूर और कारीगर अपने काम के रूप में देते थे। केवल शहर के लोग रुपये पैसे के रूप में देते थे। जो चीजें जीवन के लिए अत्यन्त जरूरी थी उनपर कर नहीं लगता था।

धन पैदा करने के सात साधन बताये गये हैं। उनमें साहूकारी भी है। परिश्रम भी है और वनिज भी है। साहूकारी और वनिज तो धन के साधन हैं ही, परन्तु परिश्रम जो अलग साधन दिखाया गया है उसमें खेती-वारी और कारीगरी मुख्य हैं। सीधी-सादी मजूरी से तो आज कोई धनी नहीं हो सकता। परन्तु मनुस्मृति में केवल परिश्रम का उल्लेख करने से हम यह कह सकते हैं कि शायद उस समय मजूरी बहुत अच्छी मिलती थी और चीजें सस्ती थीं इसलिए मजूर भी धनवान हो सकता था।

सूद, कर, व्यापार और मजूरी इन सबके सम्बन्ध में विस्तार से जो नियम दिये गये हैं उनसे यह पता चलता है कि भारत में इस काल में आर्थिक संगठन जितना उत्तम था उससे अधिक अच्छा हो नहीं सकता। पेशेवर और कारीगर बड़े चतुर और दक्ष देख पड़ते हैं। उस समय का जीवन बड़ा सभ्य और ऊँचा देख पड़ता है। भाँति-भाँति के अनाज, मसाले, फल-फूल तरकारियाँ जो काम आती थीं, ऊँचे दर्जे की खेती की गवाही देती हैं। भारत का उस समय का

१. सप्त वित्तागमा धर्मा दायो लाभः क्रयो जयः ।

प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ मनुः १०।११५

जगद्व्यापी व्यापार वाणिज्य की उत्तम अवस्था बताता है। उस समय की अद्भुत और अपूर्व कारीगरी और कला बहुत ऊँची उन्नति की साक्षी है। सभी घरों में सोना, चाँदी, रत्न, गहने और रेशमी कपड़ों के होने की चर्चा है।^१

२. गुप्तकाल

इसके बाद गुप्तों का समय आता है। गुप्तों के समय में भारतवर्ष के बाहर भी भारतीय लोग जाकर बसे। वंगाल से पूरब बर्मा में जाकर भारतीयों ने बस्तियाँ बसाई और खेतीबारी करने लगे। इससे पहले के काल में भी पता चलता है कि भारत के दक्षिण के हिन्द महासागर में पच्छिम से पूरब तक फैले हुए अनेक टापुओं में बड़े-बड़े जहाजों पर भारत के व्यापारी आया-जाया करते थे और बहुत से लोग जाकर वहीं बस भी गये थे और अपनी संस्कृति का प्रचार भी वहाँ कर रक्खा था। परन्तु जहाँ-जहाँ भारतीय गये और बसे, वहाँ उनका मुख्य कारबार खेती का ही था। और अपनी मातृभूमि में तो सतजुग से गाँव में रहना और खेती-बारी करना उनकी विशेषता थी। युग और राज के बदलने से कभी तो राजा का अधिकार कम हो जाता था और कभी बढ़ जाता था। गाँव में उपज के बढ़ जाने से उसे दूर-दूर पहुँचाने के लिए व्यापार का सिलसिला बढ़ाया गया था और धीरे-धीरे व्यापारियों के केन्द्र बनते

१ 'तैजसाना मणीना च सर्वस्याश्ममयस्य च ।

मस्मनाद्भिर्मृदा चैव शुद्धिश्चा मनीषिभिः ॥ मनुः ५।१११

निलोप काञ्चन भाण्डमद्भिरेव विशुद्ध्यति ।

अञ्जमश्ममयं चैव राजतंचानुपस्कृतम् ॥ मनुः ५।११२

गये। यही केन्द्र नगर थे और इन्हीं नगरों में प्रजा की और प्रजा की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए राजधानियाँ बन गई थीं। ये शहर धीरे-धीरे बहुत बढ़ गये और बलवान राजाओं ने छोटे-छोटे राजाओं को अपने वस में करके अपने अधिकार दूर-दूर तक फैला लिये। इस तरह के राजाओं में मौर्यकाल के राजा बढ़े-चढ़े थे। गुप्तकाल के राजा उनसे भी ज्यादा बढ़े-चढ़े निकले। पर उन्होंने एक बड़ा महत्व का काम भी किया। बाहरी विदेशी जातियों ने भारत पर हमले किये थे और भारत पर अधिकार कर लिया था। अनेक लड़ाइयाँ हुईं। गुप्तों ने उन्हें परास्त किया और भारत को भारतीयों के हाथ में रक्खा। गुप्तों के समय में व्यापार बहुत बढ़ गया और शहरों को बड़ा लाभ हुआ तो भी भारत की बहुत भारी आबादी गाँवों में ही रहती थी और खेती-बारी ही उनका खास धन्धा था। वे लोग कुआँ से, नहरों से, तालाबों से और गढ़दों से पानी लेकर सिंचाई करते थे। उस समय जल संचय के लिए 'निपान' अर्थात् भारी-भारी जलाशय हुआ करते थे। यह नियम था कि प्रजा जब कोई नया धन्धा उठावे या नई जमीन जोते, बोवे या नहर, तालाब, कुएँ खोदे और यह सब कुछ अपने काम के लिए करे तो जबतक खर्च का दूना लाभ न होने लगे तबतक राजा उनसे कुछ न माँगे। राजा इस तरह किसान से कर वसूल करे कि किसान नष्ट न हाने पावें। जैसे माली फूल चुन लेता है परन्तु पेड़ की पूरी रक्षा करता है उसी तरह राजा भी करते। राजा उस कोयलेवाले की तरह न बरतें जो कोयला लेने के लिए पेड़ को जला डालता है।^१

१ शुक्रनीतिसार ४।४।८१-११२, १२४-१२७,

४।५।१४१ और २४२-४, २२२-२३,

जंगल से उदुम्बर, अश्वत्थ, इमली, चंदन, बट, कदम्ब, अशोक, बकुल, आम, पुन्नाग, चम्पक, सरल, अनार, नीम, ताल, तमाल, लिखुच, नारियल, केला आदि के फल मिलते थे। खदिर, सागवान, साल, अर्जुन, शमी आदि बड़े-बड़े पेड़ों की भी चर्चा है। रमनों और जगलो के अध्यक्ष भी हुआ करते थे जिन्हें फल-फूल के जमने और विकसने का पूरा हाल मालूम होता था। वे पेड़ों का लगाना और पौधों का पालन पोषण करना खूब जानते थे और औपधियों का अच्छा ज्ञान रखते थे।^१

कलाओं का भी अच्छा विकास हुआ था। शुक्राचार्य ने तो चौसठ कलाओं का वर्णन किया है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि शुक्रनीतिकार के समय में ही ये चौसठों कलाएँ चली थीं। उन्होंने केवल सूची तैयार की थी जिससे यह पता लगता है कि बहुत से ऐसे काम भी उस समय होते थे जिन्हें लोग आजकल बिलकुल नई बात समझते हैं। अर्क खींचना, औपधियाँ तैयार करना, धातुओं का विश्लेषण, धातुओं का मिश्रण, नमक का धन्धा, पानी को पम्प करना, चमड़े को सिम्ताना इत्यादि काम आज से कम से कम डेढ़ हज़ार बरस से पहले हुआ करते थे। हम इस जगह कताई बुनाई की तो चर्चा ही नहीं करते, जो न केवल देशव्यापक काम था बल्कि जिसमें सारे संसार में भारतवर्ष की विशेषता थी। शुक्राचार्य ने ऊन और रेशम के कपड़ों का केवल जिक्र ही नहीं किया है बल्कि इनके धोने और साफ करने की विधियाँ भी बताई हैं और याज्ञवल्क्य ने तो रुई से बने हुए काराज की भी चर्चा की है।^२

१ शुक्रनीतिसार ४ | ५ | ९५-१०२, ११५-१२२; २ | ३२०-३२४

२. शुक्रनीतिसार ४ | ३ | १ | १८०

जो गाँव समुद्र के किनारे थे उन गाँवों में अधिकाँश मरजीवे रहते थे और समुद्र से मोती, मँगे, सीप आदि निकालने का काम बहुत ज़ोरों से होता था। सीपों के सिवाय मछलियों, सीपों, शंखों और बाँसों से भी मोती मिलते थे। सबसे अधिक सीपों से मिलते थे।^१ लड्डा के रहनेवाले नकली मोती भी बनाया करते थे। उन दिनों साधारण लोग इतने सुखी थे कि सोना, चाँदी और रत्नों के गहने पहनने का आम रिवाज था। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय गाँव-गाँव में बड़े होशियार सुनार होंगे।^२

बँसफोर बाँस की चीज़ों के बनाने में ऐसे कुशल थे कि उत्सव के अवसरों पर शुद्ध बाँस के तने हुए चार पहियों के रथ तैयार करते थे जिनमें तीन-तीन गुम्बद होते थे और चौदह-पन्द्रह हाथ तक ऊँचे होते थे। इन रथों को वे बड़ी सुन्दरता से बनाते, रंगते और सजाते थे। इन पर बड़ी अच्छी चित्रकारी भी करते थे।^३

उस समय भी पंचायतें बनी हुई थीं। किसानों की, कारीगरों की, कलावन्तों की, साहूकारों की, नटों की और सन्यासियों तक की पंचायतें संगठित थीं। इन पंचायतों के नियम बंधे हुए थे और वह सरकारी कानून के अन्तर्गत समझे जाने थे; और उनके अधिकार और उनके नियम उस समय की सरकार भी मानती थी। जो लोग पंचायत के सदस्यों में फूट डालने के अपराधी होते थे उन्हें

१. शुक्रनीतिमार ४।२।११७-११८

२. मृच्छकटिक नाटक और गरुड़ पुराण में अनेक अंशों से इन बातों का प्रमाण मिलता है।

३. वील, फाहियान - (अंग्रेज़ी) पृष्ठ ५६, ५८

४. शुक्रनीतिसार ४।५।३५-३६

सरकार की ओर से बड़ा कड़ा दंड मिलता था। “क्योंकि यदि ऐसों को दंड न दिया गया तो यह फ़ूट की बीमारी महामारी की तरह महा भयानक रीति से फैल जायगी।”^१ याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा है कि जो कोई पंचायत की चोरी करे या बचन तोड़े तो उसे देश निकाल दिया जाय और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाय।^२ पंचायतों के पास पंचायती जायदाद हुआ करती थी, और पंचायत के संगठन के नियम विस्तार से बने हुए थे। परन्तु नियमों के बनाने में यह बात बराबर ध्यान में रखी जाती थी कि उस समय के कानून से और धर्मशास्त्र के नियमों से किसी तरह विरोध न पड़े। पंचायतों की नियमावली का नाम ‘समय’ था और पंचायत के काम करनेवाले ‘कार्य्य चिन्तक’ कहलाते थे। पंचायत में जो लोग इमानदार और पवित्र आचरण के समझे जाते थे वही कार्य्यचिन्तक बनाये जाते थे। और वही पंचायत के नाम से सरकारी दरबारों में भी काम करते थे। सरकार में उनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। पंचायत के सदस्यों पर भी उनका अधिकार था। उनके फैसले जो न माने उन्हें वे दंड दे सकते थे। परन्तु वे भी पंचायत के नियमों से इतने बंधे होते थे कि जब वे आप चूक जाते थे या उनमें और सदस्यों में जब झगड़ा पड़ जाता था तब राजा ठीक निर्णय करता था।^३ परन्तु पंचायत को पूरा अधिकार था कि यदि कार्य-

१. नारदस्मृति १०।६

२. याज्ञवल्क्य संहिता २।१८७-

३. नारद स्मृति १०।१, म. म. मित्रमिश्र विरचित वीरमित्रोदय.

(जीवानन्द विद्यासागर सम्पादित) पृ० ४२८

याज्ञवल्क्य ने तो मुखिया को भी दंड दिलाया है—

चिन्तको से कोई भारी अपराध हो जाय या वे फूट डालनेवाले ठहर जाय या वे पंचायत का धन नष्ट करें तो उन्हें निकाल बाहर करे और राजा को केवल इस बात की सूचना दे दे। और अगर कोई कार्य चिन्तक इतना प्रभाववाला निकले कि पंचायत उसे निकाल न सके तो मामला राजा तक आता था और राजा दोनों पक्षों की बातें सुनकर निश्चय करता और उचित दण्ड देता था।

पंचायत के होने और उसकी रीति पर काम होने का एक पुराना उदाहरण इन्डौर में मिले हुए स्कन्दगुप्त के एक ताम्रपत्र से मिलता है।^१ इस लिपि में एक जायदाद के दान किये जाने की बात है कि उसके व्याज से सूर्य देवता की पूजा के लिए मन्दिर में नित्य एक प्रदीप जला करे। सूर्य देवता के मन्दिर में इस काम के लिए एक ब्राह्मण जो जायदाद दान में लिख देता है, उस जायदाद पर तेलियों की उस पञ्चायत का कब्जा सदा के लिए कर दिया जिसका सरपंच इन्द्रपुर का रहनेवाला जीवन्त है, और इस जायदाद पर उस पञ्चायत का कब्जा उस समय तक रहेगा जब तक कि, इस वस्ती से चले जाने पर भी, उसमें पूरा एका वना रहे।

और समयों की तरह इस समय भी यही बात प्रचलित थी

साहसी भेदकारी च गणद्रव्यविनाशकः ।

अच्छेद्यः सर्व एवैते विख्याप्यैव नृपे भृगुः ॥

गण द्रव्य हरेद्यस्तु सविद लघयेच्च यः ।

सर्वस्वहरण कृत्वा त राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥

याज्ञवल्क्य स्मृतिः ॥ २।१८७

१ प्लॉट (अंग्रेज़ी में) गुप्त लिपियाँ नं० १६ (संवत् ५२१ विक्रमीय)

कि बेटा प्रायः अपने बाप का पेशा करता था। इसीसे पेशेवरों की भी जाति बन गई थी। जो अपने बाप दादों का पेशा छोड़ देता था उसे राजा दण्ड भी दे सकता था। परन्तु यह अकारण छोड़ देने वाले की बात थी। बाप दादों के पेशे को छोड़ देने के लिए प्रबल कारण होने पर पेशा छोड़ने में हर्ज भी नहीं समझा जाता था। मन्द-सोर के शिलालेख में, जो कुमारगुप्त और बन्धुवर्म्मन का लिखा है, यह उल्लेख है कि रेशम बुननेवालों की एक पंचायत पहले लाट पर ठहरी थी, फिर दशपुर में वहाँ के राजा के गुणों पर मुग्ध होकर चली गई। वहाँ जाकर कुछ लोगों ने धनुर्विद्या सीखी, कुछ धार्मिक जीवन बिताने लगे, कुछ ज्योतिषी हो गये, कुछ कवि होगये, कुछ संन्यासी हो गये और बाकी बाप दादों की तरह रेशम बुनते रहे। इस पंचायत ने सम्वत् ४६२ (विक्रमी सम्वत्) में दशपुर में सूर्य का एक बहुत सुन्दर बड़ा मन्दिर बनाया। और छत्तीस बरस बाद जब वह मरम्मत के योग्य हुआ तब उसी पंचायत ने सम्वत् ५२८ वि० में उसकी पूरी मरम्मत कराई। इस उदाहरण से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि पंचायत में बँधकर भी लोगों को इतनी आज्ञादी थी कि वे अपने मनमाने काम कर सकते थे, अपनी योग्यता बढ़ा सकते थे और अपना पारिवारिक पेशा छोड़ सकते थे। दूसरी बात यह मालूम होती है कि जातियों या पेशों की पंचायतों का सगठन बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था और काम करता रहता था। मजूरों का भी ऐसा ही सङ्गठन था और दासों और मजूरों की दशा भी वैसी ही थी जैसी पहले वर्णन की गई है। किसानों की सुख समृद्धि गुप्त काल में भी घटी नहीं थी।

१. प्लेट (अंग्रेज़ी में) गुप्त लिपियाँ नं० १८

पूर्व माध्यमिक काल

१. हर्षकाल और पीछे

गुप्तकाल के बाद ही हर्ष का समय आता है। गुप्त सम्राटों का बड़ा भारी साम्राज्य मध्य एशिया के जंगली लुटेरों की चढ़ाई से तहस-नहस हो गया। जिस तरह गुप्त साम्राज्य बरबाद हुआ उसी तरह भारतवर्ष के भारी व्यापार को भी धक्का पहुँचा। परन्तु गाँव और गाँव के खेती आदि व्यापार इन धक्कों से भी नष्ट नहीं होते थे। यही सारी मुसीबतों में बेड़ा पार लगाते थे। हर्ष के समय में भी खेती-बारी के सम्बन्ध के सारे काम बराबर ज्यों के त्यों होते रहे। इस समय पच्छिमाह के देशों में क्या किसानों के काम में, और क्या व्यापार में, और क्या सामुद्रिक यात्राओं में जाटों का बलोवाला रहा। भारतवर्ष में, जैसे सदा से होता आया, जन समुदाय गाँवों में ही रहता था और सबसे बड़ा कारवार खेती का था। गाँव-गाँव खण्डखण्ड चन्ती थीं, चरखे और करघे चलते थे, गाँव में सभी जाति और पेशे के मनुष्य रहते थे, सब तरह की कारीगरी और कला पहले की तरह बराबर समुन्नत अवस्था में थी। कश्मीर अपने चावलों और केशर के लिए प्रसिद्ध हो गया था। मगध भी अपने चावलों के लिए मशहूर था। ह्युग्नत्सांग ने लिखा है कि बहुत भारी अमीर लोग मगध के ही चावल खाने थे।^१ लिखा है कि मथुरा से १००

१. बील—ह्युग्नत्सांग, (अंग्रेज़ी) जिल्द २, पृ० ८२

मील पच्छिम पार्यात्र नाम के स्थान में इस तरह का चावल होता था जो साठ दिनों में ही पकता था (इसे साठी का चावल कहते हैं और बरसात में अब भी साठ दिन में ही पकता है) ह्युएनत्सांग ने लिखा है कि लोगों का साधारण भोजन घी, दूध, मक्खन, मलाई, खाँड, मिश्री, रोटियाँ, तेल आदि था। और जो मांस खाते थे वे हरिण का मांस और ताज़ी मछलियाँ खाते थे। फलों में, उसने लिखा है कि, इतने हैं कि नाम नहीं गिने जा सकते। आम्र, कपित्थ, आमलकी, मधूक, भद्रआमला, टिंडक, उदुम्बर, मोचा, पस्य, नारियल, खजूर, लुकाट, नासपाती, बेर, अनन्नास, अंगूर इत्यादि-इत्यादि अनेक नाम गिनाये हैं। लिखा है कि कश्मीर फल-फूल के लिए मशहूर था। शिन्ना के विषय में लिखा है कि सात और सात बरस से अधिक के लड़कों को पाँच विद्यायें सिखाई जाती थीं जिनमें से दूसरी विद्या शिल्पस्थान विद्या थी, जिसमें कलाओं और यंत्रों का वर्णन है। कपड़ों के बारे में ह्युएनत्सांग ने भारत के कारीगरों की बड़ी प्रशंसा की है। सूती, रेशमी, झालटी, कम्बल और कराल इन पाँच प्रकार के वस्त्रों का वर्णन किया है। इनमें से कम्बल से अभिप्राय था बहुत बारीक ऊनी कपड़े से जो बकरी के बहुत बारीक रोयें से बनते थे। कराल एक जंगली जानवर के बारीक रोयें के बने कपड़े होते थे। ऐसे कपड़े अमीरो की फरमाइश पर ही बनते थे। बरोच या महाकच्छ की रूई सदा की तरह हर्ष के समय में भी मशहूर थी, उसके बारीक कपड़े भी मशहूर थे। बुनाई की कला किस ऊँचे दर्जे को पहुँच चुकी थी इस बात का थोड़ा सा अन्दाज़ा बाण द्वारा वर्णित राज्यश्री के विवाह प्रकरण से हो सकता है। लिखा है कि “महल क्षौम, बादर, दुकूल, लाला तन्तुज, अंशुक और नैत्र से सुशोभित था

जो साँप के केचुल की तरह चमकते थे और अकठोर केले के पेड़ के भीतर के छिलके की तरह कोमल थे और इतने हलके थे कि साँस से उड़ जा सकते थे। छूने से ही उनका पता लगता था। चारों ओर हज़ारों इन्द्रधनुष की तरह चमक रहे थे। 'नौम छाल के कपड़ों' को कहते हैं, वादर रुई के कपड़ों को कहते हैं, लाला तन्तुज उस कौरोय वस्त्र को कहते हैं जिसके तन्तु कीड़े की लाला वा राल से बनते हैं। नैत्र किसी वृक्ष विशेष की जड़ के रेशों से बने वस्त्र को कहते हैं और दुकूल गरम, महीन, रेशमी कपड़े होते थे और अंशुक वह रेशमी कपड़े थे जिनके धागे किरणों की तरह बारीक और चमकीले होते थे। कपड़ा अनेक प्रकार के रेशों और तन्तुओं से बनता था। आज जिनका हमें पता भी नहीं है और वह भी इतना बारीक बनता था कि छूने से ही पता लगता था कि कपड़ा है। उस बारीकी को मिल के कपड़े क्या पहुँचेंगे ! बुनने की कला इस हद को पहुँच चुकी थी तो साथ ही कातने की कला भी उसी हद तक पहुँच चुकी थी कि सूत के तार मुश्किल से देख पड़ते थे।

बृहस्पति संहिता से पता चलता है कि गाँववाले मिलकर पचायत बनाते थे, या जब कारीगर अपनी पञ्चायत स्थापित करते थे तो एक पञ्चायतनामा लिख लेते थे, जिसमें कोई खटके की बात न रहे और सब लोग अपने कर्तव्यों में बंधे रहे। जब कभी चोरो लुटेरों या बेकायदा सेनाओं का डर होता तो उसे सार्वजनिक विपत्ति समझा

१. हर्षचरित, चौथा उच्छ्वास, राज्यश्री के विवाह प्रकरण से।

“नौमैश्च बादरैश्च दुकूलैश्च लालातन्तुजैश्चांशुकैश्च नैत्रैश्च निर्मोकनिर्भरकठोरग्मागर्भकोमलैर्निःश्वासहार्यैः स्पर्शानुनेयैर्वासोभिः सर्वतः स्फुरद्भिरिन्द्रायुधसहस्रैरिव सञ्छादितं ।

जाता था और उस जोखिम का मुकाबला सब मिलकर करते थे।^१ जब कोई आम फायदे का काम किया जाता था, धर्मशाला, बावड़ी, कुए, मन्दिर, बाग बगीचे आदि सबके लाभ के लिए बनवाने होते थे या कोई सार्वजनिक यज्ञ करना होता था तब पञ्चायत या गाँव की समा ही इन कामों को सम्पन्न करती थी।^२ पञ्चायत की स्थापना के आरम्भ में पहले परस्पर विश्वास इढ़ करके किसी पवित्र विधि या लिखा-पढ़ी, या मध्यस्थ से निश्चय कराकर पञ्चायत का काम आरम्भ किया जाता था। पञ्चायत का काम करनेवाले उसके श्रेष्ठी और दो या तीन या पाँच और सहायक होते थे।^३ जो लोग इस तरह कार्यचिन्तक चुने जाते थे वे वेद के धर्म को और अपने कर्तव्य को जानते थे, अच्छे कुल के होते थे और सब तरह के कारोबार जानते थे। पञ्चायतों के सम्बन्ध में प्रायः वही नियम अब भी बरते जाते थे। जिनकी चर्चा हम पहले कर आये हैं। उनको यहाँ दुहराना व्यर्थ होगा। इस काल में कारीगरों की ऐसी कम्पनियाँ भी बनी हुई थीं जिनमें पूँजी के बदले सदस्यों के कारीगरी के काम लगे हुए थे। बेगारी की चाल उस समय न थी। जरूरत पड़ने पर सरकार या पञ्चायत काम भी लेती थी और पूरी मजूरी देती थी।

ह्युनत्सांग ने भारतवर्ष को बहुत समृद्ध और सुखी पाया। यहाँ पर सब तरह के लोगों में धरती का ठीक-ठीक रीति से बँटवारा था खेती से थोड़े खर्च में बहुत-सा अनाज पैदा होता था और देश की

१. बृहस्पति स्मृति १७।५-६

२. बृहस्पति संहिता १७।११-१२

३. बृहस्पति संहिता १७।७ १७।१७ १७।९

बची हुई पैदावार व्यापारी लोग देश के बाहर ले जाते थे और वदले में सोना, रत्न और उत्तम-उत्तम वस्तुयें लाते थे। संसार के सभी सभ्य भागो से व्यापार बड़े सुभीते से जारी था। सोने-चाँदी की अदृष्ट धारा व्यापार के द्वारा भारत में उमड़ी चली आती थी। इसी धन की प्रसिद्धि से मुसलमान कासिम ने सिन्धु देश पर चढ़ाई की और उसे अपने अधीन कर लिया। मुसलिम अधिकार का यही आरम्भ था और विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में इसी धन के लोभ से महमूद गजनवी के आक्रमण पर आक्रमण हुए और उसने लूट-लूट कर खजाने भरे। उसके बाद शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने तो विदेशी लुटेरो के लिए खैबर का मार्ग ही खोल दिया और भारत में मुसलिम साम्राज्य की नींव डाली। सैकड़ों बरस बाद भारत की इसी धन की प्रसिद्धि ने कोलम्बस को अमेरिका भेजा और पातान का पता लगवाया, और वास्कोडीगामा से उत्तमाशा अन्तरीय पार कराया और खैबर को राह से लाखो तातारियों, पठानो और मुगलो से भारत पर आक्रमण कराया।

२. मुसलिम चढ़ाई के आरंभ तक

विक्रम की लगभग दसवीं शताब्दी में भारतवर्ष अनेक राज्यों में बँटा था उनका राज्य प्रजा के लिए बड़ा सुखदायक था। उनको कर बहुत हलका देना पड़ता था, लगान बहुत कम देना पड़ता था क्योंकि खेती के लिए धरती बहुत थी और प्रजा को किसी तरह का कष्ट न था। राजा लोग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे पर विजय कर लेते थे परन्तु प्रजा को वैरी राजा से भी कोई कष्ट न मिलता था। किसान शान्ति से हल जोत रहा है, खेती कर रहा है और उसके

पड़ोस में घोर युद्ध हो रहा है। युद्ध करनेवाले खेती को कोई हानि न पहुँचाते थे। व्यापारी अपना माल लादकर देश-विदेश में बेचने को लेजाता था। युद्ध करनेवाले सैनिक उनको नहीं छूते थे। सिन्ध के सिवाय और कहीं भी अहिन्दू राज न था। कन्नौज, मालखेड़ और मुंगेर ये तीन बड़े बड़े साम्राज्य थे, पर ये अपने-अपने स्थान के साम्राज्य थे। ऐसा भी न था कि राजपूतों पर मराठों या मराठों पर बंगालियों का राज हो। जहाँ कहीं भारत के और किसी प्रान्त का दूसरे प्रान्त पर अगर कोई आधिपत्य भी था तो वह इतना थोड़ा था कि विदेशी राज-सा प्रतीत न होता था। किसानों की रक्षा और शान्त जीवन ने उन्हें राज के मामलों से इतना निश्चिन्त कर दिया था कि उनकी खेती-बारी अगर आज एक राजा के अधीन है और कल दूसरे राज्य में चली जाती है तो इस हेर-फेर से उनके कारबार में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। उनके भूमिकर और ग्राम-स्वराज्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। इस कारण देश में क्रान्ति भी होजाय और राज्य कितना ही बदल जाय वे इस बात से बिल्कुल बेपरवाह रहने लगे। उनकी बान पड़ गई कि कोई भी राज हो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। अलबेरूनी ने लिखा है कि राजा ज्यादा से ज्यादा छठा भाग कर लेता था। खेतों से, मजूरों से, कारीगरों से, व्यापारियों से सबसे उनकी आमदनी पर कर लिया जाता था। केवल ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था।

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यहाँ के गाँवों का जैसा संस्थान था, पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने कुछ अधिक विस्तार से दिया है। हम उसे ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं:—

"शासन की सुविधा के लिए देश भिन्न-भिन्न भागों में बँटा हुआ था। मुख्य-विभाग भुक्ति (प्रांत), विषय (जिला) और ग्राम थे। सबसे मुख्य संस्था ग्राम संस्था थी। बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में ग्राम संस्थाओं का प्रचार था। ग्राम के लिए वहाँ की पंचायत ही सब कुछ कार्य करती थी। केन्द्रीय सरकार का उसीसे संबंध रहता था। ये ग्राम संस्थायें एक छोटा सा प्रजातंत्र थीं, इनमें प्रजा का अधिकार था। मुख्य सरकार के अधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से स्वतंत्र थीं।

प्राचीन तामिल इतिहास से उस समय की शासन-पद्धति का विस्तृत परिचय मिलता है, परन्तु हम स्थानाभाव से संक्षिप्त वर्णन ही देंगे। शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिए पाँच समितियाँ होती थीं। इनके अतिरिक्त जिलों में तीन सभाये होती थीं। ब्राह्मण सभा में सब ब्राह्मण सम्मिलित होते थे। व्यापारियों की सभा व्यापार-रादि का प्रबंध करती थी। चोल राजराज (प्रथम) के शिलालेख से १५० गाँवों में ग्राम-सभाओं के होने का पता लगता है। इन सभाओं के अधिवेशन के लिए बड़े-बड़े भवन होते थे, जैसे तंजोर आदि में बने हुए हैं। साधारण गाँवों में बड़े-बड़े बटवृक्षों के नीचे सभाओं के अधिवेशन होते थे। ग्राम-सभाओं के दो रूप—विचार-सभा और शासन-सभा—रहते थे। संपूर्ण सभा के सम्य कई समितियों में विभक्त कर दिये जाते थे। कृषि और उद्यान सिंचाई, व्यापार, मंदिर, दान आदि के लिए भिन्न-भिन्न समितियाँ थीं। एक समय एक तालाब में पानी अधिक आने के कारण ग्राम को हानि पहुँचने की सम्भावना होने पर ग्राम सभा ने तालाब-समिति को इसका सुधार करने के लिए बिना सूद रुपया दिया और कहा कि इसका सूद मंदिर-समिति को दिया जाय। यदि कोई किसान कुछ वर्ष तक कर न देता था, तो उससे भूमि छीन

ली जाती थी। ऐसी ज़मीन फिर नीलाम कर दी जाती थी। भूमि बेचने या ख़रीदने पर ग्राम-सभा उसका पूरा विवरण तथा दस्तावेज़ अपने पास रखती थी। सारा हिसाब-किताब ताड़पत्रादि पर लिखा जाता था। सिचाई की तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाता था। जल का कोई भी स्रोत व्यर्थ नहीं जाने पाता था। नहरों, तालाबों और कुओं की मरम्मत समय-समय पर होती थी। आय-व्यय के रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने के लिए राज्य की ओर से अधिकारी नियुक्त किये जाते थे।

“चोल राजा परांतक के समय के शिवालेख से ग्राम-संस्थाओं की निर्माण-पद्धति पर बहुत प्रकाश पड़ता है। उसमें ग्राम-सभा के सभ्यों की योग्यता अयोग्यता सम्बन्धी नियम, सभाओं के अधिवेशन के नियम, सभ्यों के सार्वजनिक चुनाव के नियम, उपसमितियों का निर्माण, आय-व्यय के परीक्षकों की नियुक्ति आदि पर विचार किया गया है। चुनाव सार्वजनिक होता था, इसकी विधि यह होती थी कि लोग टोकरियों पर उम्मीदवार का नाम लिखकर घड़े में डाल देते थे, सबके सामने वह घड़ा खोलकर उम्मीदवार के मत गिने जाते थे और अधिक मत से कोई उम्मीदवार चुना जाता था।

“इन संस्थाओं का भारत की जनता पर जो सबसे अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा वह यह था कि वह ऊपर के राजकीय कार्यों से उदासीन रहने लगी। राज्य में चाँहे कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो जायें, परन्तु पंचायतों के जैसे ही रहने से साधारण जनता में कोई परिवर्तन नहीं दीखता था जब साधारण को परतंत्रता का कटु अनुभव कभी नहीं होता था। इतने विशाल देश के भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए यह कठिन भी है कि वे गाँवों तक की सब बातों की तरफ़ ध्यान रख सकें।

भारतवर्ष में इतने परिवर्तन हुए, परन्तु किसी ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया।”

मुराल बादशाह अपने पतनकाल में जब भूमिकर अत्यधिक और बेदरदी, कड़ाई और पशुता से बसूल करने लगे और ब्रिटिश सरकार ने भी वही नीति बराबर जारी रखी तो वही पंचायतें अत्याचार और हृदयहीनता के साथ सहयोग न कर सकीं और अन्ततः टूट गईं। पटवारी जमींदार, तहसीलदार उसके शहने, सिपाही सभी मनमानी करने लगे। प्रजा की सुननेवाला कोई न रह गया। अदालतें, वकील, मुख्तार, पेशकार, मुंशी, मुहरिर्, दलाल, सबके सब किसान को बेतरह चूसने लगे और वह बेचारा बरबाद हो गया।

परमाध्यमिक काल

१. सुगलों से पहले

तारीख फीरोज़शाही में बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के राज में उन भावों का विवरण दिया है, जिन पर कि उस समय के अनाज, नेल, धाँ, नमक आदि चादशाही हुकम से विकते थे। उसने जो भाव दिये हैं उनको आजकल के संयुक्तप्रान्त के माने हुए तौल में नीचे दिया जाता है।

गेहूँ	एक पैसे में	दो सेर
जौ	"	साढ़े तीन सेर
धान	"	तीन सेर
बड़ी माश	"	तीन सेर
बने की दाल	"	तीन सेर
मोठ	"	एक पसेरी
नाँद	"	साढ़े चार छटाँक
गुड़	"	अठारह छटाँक
मक्खन	"	साढ़े चौदह छटाँक
तिब्बती का तेल	"	साढ़े सत्रह छटाँक
नमक	"	नौ सेर

यह भाव चादशाह के हुकम से दिल्ली के लिए सुकरिर हो गये थे। काँडे एक घन्टा भी नहीं बढ़ा सकता था। यह इतना सस्ता है

कि जल्दी विश्वास नहीं होता; पर उस समय खाने-पीने की सब चीजें इतनी सस्ती थीं कि इस भाव से लोग सन्तुष्ट थे। यह भाव उस समय सस्ते नहीं समझे जाते थे। यह इतने ऊँचे भाव थे कि सूख के समय में भी दिल्ली में गल्ला भरा रहता था। भाव महँगा करने के लिए गल्ले की बिक्री रोक लेना या नाज को जमाकर रखना घोर अपराध था जिसके लिए बड़ा दण्ड मिलता था। किसानों को अपना लगान देने के लिए अनाज का एक भाग दे देना पड़ता था। अपने खर्च से ज्यादा बचा हुआ अनाज जहाँ पैदा होता था वहीं किसानों को बेच देना पड़ता था। कपड़े, खाँड, शकर, चीनी, घी और तेल सबके भाव बाजारों से ठहरा दिये जाते थे। सब व्यापारियों को चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान, ठहराये हुए भाव पर लेना-देना पड़ता था। व्यापारी लोग उसी बाजार में अत्यन्त सस्ता खरीद कर उसके आस-पास अत्यन्त महँगा नहीं बेच सकते थे। इस तरह बादशाहत के अन्दर सब बाजार कायदे कानून के अन्दर जकड़े हुए थे। शहन-ए-मण्डी जिस किसी को कायदे के खिलाफ चलते हुए देखता था कोड़े लगाता था। दुधार गाय तीन-चार रुपये में और बकरी दस-चारह या चौदह पैसे में मिल जाती थी। कोई दुकान पर जो कम तौलता था तो वजन में जो कमी होती थी, उसके चूतड़ों का मॉस काटकर पूरी की जाती थी। जो दुकानदार ज़रा भी गड़बड़ करता पाया जाता था, नात मारकर बाजार से निकाल दिया जाता था। इसका फल यह होता था कि वनिये कुछ ज्यादा ही तौलते थे। वरनी ने इसके चार कारण बताये हैं। (१) बाजार के कायदों की सख्त पावन्दी (२) रोकड़ों का कड़ाई से उगाहा जाना। (३) लोगों में सिक्को का बहुत कम प्रचार (४) कर्मचारियों की निष्पक्षता और ईमानदारी।

फीरोज़शाह के समय में कर और भी घटा दिया गया। जिन खेतों की सरकारी नहरों से सिंचाई होती थी उनसे पैदावार का दहियक अर्थात् पैदावार का दसवाँ भाग लिया जाता था। खाने पहनने की चीज़ें इतनी सस्ती थीं कि अकाल के दिनों में भी लोग सहज में विपत्ति काट देते थे। महसूलों और लगानों की कमी से खेती और व्यापार को बहुत लाभ हुआ। शम्स सिराज अफीफ ने नीचे लिखे भाव दिये हैं—

गेहूँ	एक पैने में	पौने दो संर
जौ	"	साढ़े तीन "
और अनाज	"	" " "
दाज	"	" " "
धी	"	पौने तीन छटांक
चीनी	"	ढाई "

कहते हैं कि उस समय बिना खेती के धरती का एक टुकड़ा नहीं बचा था।

मध्यभारत में वहमनी राज्यों के समय में दशा कुछ बुरी न थी। इतिहास से पता चलता है कि जैसा प्राचीन काल से बराबर चला आता था उस समय गाँव-गाँव अपना स्वतन्त्र शासन रखते थे; हरेक गाँव में पंचायत रहा करती थी जिसका सरपंच उत्तर भारत में मुखिया या चौधरी कहलाता था और दक्षिण भारत में अयगर कहलाता था। मुखिया या अयगरो को या तो पंचायत की ओर से खेत मिल जाता था या फसल पर किसान लोग उपज का कुछ अंश दे देते थे। यह अयगर या मुखिया पंचायत की ओर से छोटे-छोटे मुकद्दमे फैसल करते थे, मालगुजारी लगाहते थे। अमन और शान्ति

रखते थे। इन्हीं लोगों के द्वारा राजा और किसान के बीच सम्बन्ध बना रहता था। जान पड़ता है कि यही मुखिया या अग्रगर काल पाकर जमींदार बन गये। उस समय लगान जरूर बढ़ गया था परंतु जितना बढ़ा हुआ था उस हिसाब से वसूल किया जाना सिद्ध नहीं होता। लगान के सिवाय पचासों तरह के और महसूल मुसलमान बादशाहों ने लगा दिये थे जिनका व्यवहार शहरों से अधिक था। चाहे इन सब उपायों से राज्य की आय बहुत बढ़ जाती रही हो परन्तु पूरा महसूल वसूल होकर शाही खजाने तक पहुँचने में सन्देह है। यह बात सचार्इ से कही जा सकती है कि आमदनी के इन उपायों में मुसलमान बादशाह भी किसान की भलाई का बराबर खयाल रखा करता था, तो भी किसान से अब बेगार ली जाने लगी। चराई और विवाह का महसूल भी लिया जाने लगा। आज-कल के मोटरावन, हथियावन, नचावन आदि भाँति-भाँति के 'आवनो' का अभी किसीने सपना भी नहीं देखा था। लोगों को चुगी के रूप में नाज, फल, तरकारी, तेलहन और जानवरों पर भी महसूल देना पड़ता था। शहर में आने का रास्ता एक ही था और फाटक पर पहरा रहता था। इसलिए शहरवाले महसूल से बच नहीं सकते थे।

शुरू-शुरू में जब मुसलमानों ने भारत पर चढ़ाई की तो यहाँ से बहुत-सा धन लूट ले गये। पहले के मुसलमान बादशाहों के विजय की लालसा इतनी रहती थी कि वे बन्दोवस्त की ओर ध्यान नहीं देते थे। देश के भीतर अमन-चैन लाने का काम बलवन ने किया। उसने ठगों और लुटेरों से देश की रक्षा की और उनका दमन किया। मुसलमानों के राज में कहीं-कहीं किसानों की दशा विगड़

गई थीं परन्तु अब किसान शान्ति से खेती करते थे और व्यापारी अपना माल एक देश से दूसरे देश में बिना लुटे ले जाने लगे। फ़ीरोज़शाह के समय में जब घोर काल पड़ा तो दिल्ली में अनाज तीन पैसे सेर तक चढ़ गया। अल्ताउद्दीन के समय में शाही भण्डारों और खतों में अनाज रक्खा जाता था और अकाल के समय में सस्ता विकता था। परन्तु उसके बाद उसके बनाये कानून टूट गये और चीजें मनमाने भाव पर विकने लगीं। मुहम्मद तुग़लक के समय में नकली सिक्कों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। क्रोई दस बरस तक घोर अकाल रहा। दो बरस में सत्तर लाख रुपये तकावी के लिए किसानों को बाँटे गये। वादशाह ने शाही खतों से नाज निकलवाकर बँटवाया और फकीहों और क़ाजियों को हुक्म हुआ कि मुहताजों की फ़ेहरिस्त बनावें। मुहरिरी के साथ क़ाज़ी और अमीर गाँव-गाँव घूमकर अकाल-पीड़ितों को आदमी पीछे तीन पाव अनाज बाँटने थे। बड़ी-बड़ी खानकाहे मदद बाँट रही थीं और कुतुबुद्दीन की खानकाह में जिसमें चार सौ साठ आदमी नौकर थे हजारों आदमी नित्य खिलाये जाते थे। हाथ की कारीगरी को बहुत बढ़ावा मिला। चार सौ रेशम बुननेवाले सरकारी कारख़ाने में काम करने थे और सब तरह की चीजें तैयार की जाती थीं। बासफ के लिखने से मालूम होता है कि विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में गुजरात एक बड़ा अमीर प्रांत था जिसकी आबादी घनी थी। इसमें सात हज़ार

१. आजकल अच्छी फसलों पर जो भाव होता है उससे उस समय के घोर अकाल का भाव तिगुना-चौगुना सस्ता था। अनाज की भी आज कमी नहीं है, पैसा तो उस समय की अपेक्षा बहुत सस्ता है। परन्तु किसान के पास पैसे कहाँ हैं ?

गाँव और कस्बे थे और लोग धन सम्पत्ति में रँजे-पुँजे थे। खेती से पैदावार बढ़ी अच्छी होती थी। अंगूरों की दो फसल हुआ करती थी। धरती इतनी उपजाऊ थी कि कपास की शाखाएँ भाड़ की तरह फैल जाया करती थीं और एक वार के लगाने में वही पौधे कई साल तक बराबर कपास की ढोंड़ियाँ दिया करते थे। मारकोपोलो ने तो लिखा है कि कपास की खेती सारे भारत में फैली हुई थी और कपास के पेड़ छः-छ हाथ ऊँचे होते थे, और बीस-बीस बरस तक कपास होती थी। मिर्च, अदरक और नील बहुतायत से होती थीं। लाल और नीले चमड़े की चटाइयाँ बनती थीं जिसमें कि चाँदी और सोने के काम के पत्ती और पशुओं के चित्र कढ़े हुए होते थे। मारकोपोलो ने यहाँ के निवासियों को सुखी और समृद्ध पाया। व्यापार में कुशल और कारीगरी में दक्ष देखा।

चौदहवीं शताब्दी में बंगाल को इब्नबतूता ने बहुत सुखी और समृद्ध देश लिखा है। उसके समय में वहाँ चीजें अत्यन्त सस्ती थीं और बहुत थोड़ी आमदनी का आदमी बड़े ऐश आराम से गुजर करता था। इस समय के लगभग सारे भारत में सम्पत्ति और समृद्धि बढ़ी हुई थी। दिल्ली और आसपास के प्रांतों की आमदनी सात करोड़ के लगभग थी और अकेले दुआबे की आमदनी पचासी लाख थी। चीजें इतनी सस्ती थीं कि आदमी दो चार पैसे लेकर एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा कर सकता था। दिल्ली से फीरोजाबाद तक जाने के लिए गाड़ी में एक आदमी की जगह के लिए दो आने देने पड़ते थे। एक खच्चर किराये पर कराने के लिए तीन आने देने पड़ते थे। छः आने में किराये का एक घोड़ा मिल जाता था और एक अठन्नी देने पर एक पालकी मिल जाती थी।

काम के लिए कुली बहुत आसानी से मिल जाते थे और वे अच्छी कमाई भी कर लेते थे। सबके पास सोने और चाँदी की बहुतायत थी, हर औरत गहनों से लदी हुई थी, और कोई घर ऐसा न था जिनमें बड़े अच्छे बिछौने, गद्दे, मसहरियाँ और कोच न होते।

परन्तु १४ वीं शताब्दी से देश की दशा बिगड़ने लगी। व्यापार और खेती दोनों की दशा कुछ उतार पर हुई। चौदहवीं शताब्दी के अन्त में महवान नामक यात्री, जो चीनी च्वांगहो के साथ आया था, लिखता है कि बंगाल में चावल की दो फसलें होती हैं और गेहूँ, तिल, तरह-तरह की दालें, ज्वार, बाजरा, अदरक, सरसों, प्याज, भंग, बैंगन और भाँति-भाँति की साग-सब्जी बंगाल में बहुतायत से होती है। केला और बहुत से फल बहुतायत से होते हैं। इस देश में चाय नहीं होती और मेहमानों को चाय के बदले पान दिया जाता है। नारियल, चावल, ताड़, आदि से शराब बनती है और बाजार में बिकती है। इस देश में पाँच-छः तरह के बहुत बारीक सूती कपड़े बुने जाते हैं। रेशमी रुमाल और टोपियाँ जिन पर सोने का काम होता है। चित्रकारी किये हुए सामान, खुदे हुए बरतन, कटोरे, इस्पात के सामान जैसे तलवार, बंदूक, छुरी कैंचियाँ सभी तरह की चीजें इस देश में तैयार होती हैं। एक तरह का सफेद कागज भी एक पेड़ की छाल से बनता है जो हरिन की खाल की तरह चिकना और चमकदार होता है।

१ धन की बहुतायत थी। सिक्कों की बहुतायत न थी। चाँदी सोने के गहने बनते थे। यह बहुमूल्य धातुएँ उचित रीति पर कला के काम में आती थीं। आज इस दरिद्र देश में जब आदमी दानों को तरस रहा है, गहने कहाँ पावे। परन्तु गहनों का जहाँ थोड़ा बहुत रिबाज है वहाँ उसी प्राचीन कला की छाया समझनी चाहिए।

अकबर का राज्यकाल पिछले दो हजार बरसों के भीतर सब तरह से बहुत अच्छा समय समझा जाता है। यह समय आज से केवल साढ़े तीन सौ बरस पहले हुआ है। हम इस काल से अपने काल का मुकाबला कर सकते हैं। हम गेहूँ के भाव को प्रमाण मान लें तो आज कल उसे पन्द्रह-सोलह गुना बढ़ा हुआ पाते हैं। दूध का भाव ग्यारह गुना बढ़ा हुआ है। घी सोलह गुना ज्यादा महंगा है। परन्तु मजूरी का भाव कितना बढ़ा? पहले एक रुपया रोज़ में बीस मजूर या बीस कुली मिल जाते थे। आज शहरों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रेट दस रुपये में बीसकुली है। इस तरह चीजों का भाव जितना ऊँचा चढ़ गया है उतनी ऊँची मजूरी नहीं चढ़ी। होशियार से होशियार बढ़ई सवा रुपये रोज़ में मिलता है। उस समय ग्यारह पैसे रोज़ में मिलता था। बढ़ई की मजूरी साढ़े सात गुनी से ज्यादा नहीं बढ़ी। यह नतीजा निकालने में किसी अर्थशास्त्री को संकोच नहीं हो सकता कि उस समय से इस समय महंगी सोलह गुनी बढ़ गई है और मजूरी उसके मुकाबले में बहुत कम बढ़ी है। इससे मजूरी की दशा उस समय के मुकाबले में बहुत गिरी हुई है। लगान उस काल में अधिकांश पैदावार का ही एक अंश लिया जाता था। किसान प्रायः रुपये नहीं देता था इसलिए जब जितनी पैदावार हुई उतने का निश्चित अंश ही देना पड़ा। आज तो ऐसा नहीं है। आज देने की रकम चन्द्रोवस्त के समय में अन्धाधुन्ध बढ़ जाती है; फिर चाहे सूखा पड़े या चाहे टिड्डी लग जाय या वाढ़ वहा लेजाय, पर किसान को सरकारी लगान उतना ही देना पड़ता है। किसी खेत से, जहाँ बीस मन अनाज होता था वहाँ दो मन लगान में दे दिया जाता था। उसी खेत में जब केवल दस मन होना तो लगान भी मन ही मन भर दिया जाता था और इतने

ही में किसान का देना चुकता समझा जाता था। आज अगर किसी खेत के लगान के बीस रुपए देने हैं तो वह रकम देनी ही पड़ेगी, चाहे पैदावार कितनी ही कम हो। इस तरह उस समय के मुकाबले इस समय किसान की हालत बिल्कुल रही है।

तीसरी बड़ी बात यह है कि बादशाहों की ओर से जो कुछ लगान मुकर्रर होता था, वह सबका सब वसूल नहीं हो सकता था। आज लगान जिस कड़ाई से वसूल किया जाता उससे भी किसानों की बिल्कुल बरबादी है।

२. मुग़लों का समय

अकबर के समय में खेती और किसानों की दशा वैसे ही अच्छी थी जैसी कि पठान बादशाहों के समय में थी। अलाउद्दीन के समय में खाने-पीने, पहिनने की चीजों के जो भाव मुकर्रर कर दिये गये थे, उनकी पाबन्दी बड़ी कड़ाई से होती थी। परन्तु अकबर के समय में वह कड़ाई नहीं थी, तो भी सभी चीजें बहुत सस्ती थीं। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग बहुत सुखी और धनवान थे। उसके समय में जो सिक्का चलता था और जिस मन के तौल का प्रमाण माना जाता था उसका वर्णन आईने-अकबरी में मौजूद है। आजकल जो सिक्के चलते हैं और जो तौल का प्रमाण है वह तब से बहुत भिन्न है। हिसाब लगाकर हमने नीचे आजकल के हिसाब से उस समय के हिसाब दिये हैं—

गेहूँ	एक पैसे में	तेईस इटांक
जौ	„	पैंतीस „
उत्तम से उत्तम चावल	„	डाई „

अत्यन्त मामूली चावल	”	चौदह	”
सूंग की दाल	”	साढ़े पंद्रह	”
मांस की दाल	”	सत्रह	”
मोठ की दाल	”	तेईस	”
चना	”	साढ़े सोलह	”
ज्वार	”	अट्ठाइस	”
सफेद चीनी	”	सवा दो	”
शकर	”	पाँच	”
घी	”	पौने तीन	”
तिल का तेल	”	साढ़े तीन	”
बमक	”	सत्तर	”
दूध	”	ग्यारह	”

इस तरह गेहूँ रुपये में सवा दो मन से ज्यादा मिलता था और मामूली चावल डेढ़ मन के लगभग मिलता था। सबसे उत्तम प्रकार का चावल दस सेर का था। घी रुपये में साढ़े दस सेर पड़ता था। दूध का भाव एक रुपये में नौ पसेरी था। और सब तरह की चीजें भी इसी तरह के भाव पर मिलती थीं। मामूली भेड़ रुपये डेढ़ रुपये में मिल जाती थी। भेड़ का मांस एक रुपये में अठारह सेर मिलता था। मजूरी भी बहुत सस्ती थी। रुपया रोज में बीस मजूर काम कर सकते थे। बड़ा ही होशियार बढ़ई ग्यारह पैसे रोज में काम करता था। एक मर्द के लिए एक महीना भर के अनाज का खर्च साढ़े तीन आने से ज्यादा नहीं था। उस समय का अमीर से अमीर आदमी अपने भोजन में आठ आने महीने से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता था। शहर के रहनेवाले पाँच आदमियों के एक अमीर परिवार का

सारा खर्च तीन रुपये महीने से ज्यादा नहीं होता था। यह शहर के रहनेवालों का खर्च हुआ। देहात के रहनेवालों को तो पैसे खर्च करने का कोई काम न था। खेत की पैदावार से ही जब शहरवाले जीते थे, तब देहातों के क्या कहने हैं।

कताई और बुनाई का काम पहले की तरह सारे भारत में फैला हुआ था और अब इन कामों में मुसलमान भी पूरा हिस्सा ले रहे थे। राजधानी आगरे में और फतहपुर-सीकरी में चारीक कपड़ों के सिवाय शतरंजी, कालीनें और बहुत अच्छे-अच्छे फर्श और पर्दों के कपड़े भी बुने जाते थे। गुजरात में पाटन और खान देश में बुरहानपुर और ढाके में सुनारगाँव सूती कपड़ों के लिए मशहूर थे। इन कपड़ों का नाम ही ढाका, पाटन, बुरहानपुरी और महमूदी आदि मशहूर था। सब तरह के सूती माल का खास बाजार बनारस था। पटने में भी कपास, खहर, खाँड, अफीम आदि का बड़ा भारी व्यापार था। फैजाबाद जिले का टाँडा रुई के माल का बहुत बड़ा बाजार था। गाँव के उद्योग-धन्धे जैसे युगो से चले आते थे अकबर के समय में भी उसी तरह से बराबर हो रहे थे। उसमें किसी तरह की कमी नहीं आई थी। गाँव और किसान और उसके जान-माल की रक्षा कुछ तो किसान आप ही कर लेता था, कुछ पञ्चायत के प्रबन्ध से होता था और कुछ सरकारी बन्दोबस्त भी था। कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता कि हम किसान को आज के मुकाबले उस समय कम सुरक्षित समझें। आज भी लुटेरों से किसान उसी तरह सुरक्षित है जैसे उस समय था। परन्तु अकबर सहृदय शासक था और आज का शासन निष्प्राण हृदयहीन यंत्र है, जो निस्सहाय किसान को चूसकर उसका सारा तेल निकाल लेता है

और उसे रक्तहीन छोड़ देता है। किसान की क्या रक्षा हुई? इस यंत्र से उसकी रक्षा करनेवाला कौन है?

जहाँगीर और शाहजहाँ तो अकबर के पद चिन्ह पर चलते थे। उनके समय में गावों की दशा, भारत की आर्थिक और सामाजिक दशा वैसी ही रही जैसी अकबर के समय में। औरंगजेब के समय में अवनति का कुछ आरम्भ हुआ। उसके बाद के बादशाहों ने तो लुटिया ही डुबोई।

३. औरंगजेब काल और ब्रिटिशों का चूसनेवाला रोज़गार

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक बोल्ड्स नामक कर्मचारी ने लिखा है कि संवत् १६४७ में मलबार के समुद्रतट पर अंग्रेजी बेड़े ने हिन्दुस्तानी जहाजों की अन्धाधुन्ध लूट की और अपार धन इकट्ठा कर लिया। बंगाल में जाव चानाक नाम के अफसर के अधीन, जो कि हुगली में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सबसे बड़ा कारखानेदार था, अंग्रेज सेना के भाग्य ने बहुत से पलटे खाये। बम्बई में कम्पनी के गवर्नर सर जान चाइल्ड ने अपने नासमझी के व्यवहार से संवत् १७४७ के आषाढ़ के महीने तक युद्ध जारी रखा। यह व्यवहार कम्पनी के लिए घातक ठहरा क्योंकि इसमें कम्पनी के साठ लाख से अधिक रुपये का नुकसान हुआ। उनके साथ जो रिश्तायतों की गई थीं वे छिन गईं और भारतीयों और मुगलों के बीच से उनकी साख उठ गई। सूरत के सूबेदार सैदी याकूब ने बम्बई पर दखल कर लिया, कम्पनी के कारखानेदारों को कैद कर लिया और उनकी गर्दनों में जंजीर बाँधवाकर सड़को पर फिराया।

इस युद्ध में हार जाने के कारण अंग्रेजों को संधि की प्रार्थना करनी पड़ी और उस समय के सम्राट औरंगजेब से इस प्रकार क्षमा माँगनी पड़ी। उन्होंने अंग्रेज राजदूत के नाम से अपने दो कारखानेदारों को दिल्ली भेजा। एक तो जार्ज वैल्डन था और दूसरा अब्राहमनवार नाम का यहूदी था। दोनों औरंगजेब के हुजूर में लाये गये। दूतों के लिए यह एक बिल्कुल नया ढंग था। उनके दोनों हाथ बँधे हुए थे और उनको सम्राट के सामने साष्टांग दण्डवत् करना पड़ा। सम्राट ने बड़ी लानत मलामत की और तब पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने बड़ी दीनता से अपने कसूरों को कबूल किया और माफी माँगी। फिर यह प्रार्थना की कि जो फरमान हुजूर से ज्ञात किया गया है वह फिर जारी किया जाय और सैदी को सेना सहित बम्बई के टापू से लौटा लिया जाय।

औरंगजेब बड़ा दयालु और बुद्धिमान राजा था। उनकी प्रार्थना स्वीकार करती और इस शर्त पर माफ कर दिया कि नौ महीने के अन्दर गवर्नर चाइल्ड हिन्दुस्तान छोड़ दे और फिर न लौटे। फरमान इस शर्त के ऊपर जारी किया गया कि जिस रिआया को लूटा गया है, जिनसे कर्ज लिया गया है और जिनका जो कुछ अंग्रेजों से नुकसान हुआ है उन सबको धन देकर सन्तुष्ट कर दिया जाय। मुगल सम्राट की कृपा से मामला तय हो गया और बङ्गाल में कम्पनी के एजेण्ट जाबचानाक ने अंग्रेजों को फिर से अपने कारखानों में आने के लिए आज्ञा प्राप्त कर ली। इसके बाद कम्पनी ने भारत के कई भागों में अपने कारखाने खोल लिये। ये कारखाने अधिकांश कपड़े के थे। कपड़े का रोजगार औरंगजेब के समय में बहुत बढ़ा-चढ़ा था। उत्तर भारत में भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक

गाँव-गाँव में चरखा कतता था और खदर बुना जाता था। मुगलों के राज के अन्त तक और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य के आरम्भ तक बाफता के लिए पटना, टाँडा, चटगाँव, इलाहाबाद, खैराबाद, बीरभूम और लखीमपुर मशहूर थे। इन स्थानों के सिवाय खासे के लिए हरियल, शान्तिपुर, मऊ और लखनऊ का नाम था। चन्द्रकोना, शान्तिपुर और हरीपाल की डोरिया सबसे अच्छी समझी जाती थी। महमुदी के लिए टाँडा, इलाहाबाद, खैराबाद, जौहाना और लखनऊ का नाम था। ढाका, पटना, शांतिपुर, मेदनीपुर, गाजीपुर, मालदह और बनारस आदि स्थान मशहूर थे। सन्नों के लिए और तरीं दम के लिए इन सब स्थानों के सिवाय हरीपाल, बुढावल, कासिमाबाद, शान्तिपुर, वालासोर और कोहाना खास जगह समझी जाती थी। ये सब इन कपड़ों के बाजारों के नाम हैं। इन बाजारों के आसपास के गाँवों में बड़े जोरों से इन कपड़ों का नाम होता था। इन गाँवों की संख्या अनुमान से कई लाख की होगी। क्योंकि उस समय विदेशों में यहाँ के वस्त्र कपड़े जाया करते थे। सम्बत् १८६२ के लगभग बंगाल के व्यापार के सम्बन्ध में डाक्टर मिलवर्न के Oriental Commerce (पूर्वी वाणिज्य) की जिल्दों से बड़े काम की गवाही मिलती है। उत्तरी भारत भर में ये कपड़े बड़ी मात्रा में तैयार होते थे। इसमें ये अंक मिलते हैं :—

सम्बत् १८६२ के लिए

बंगाल का वाणिज्य	आयात रुपयों में : जिसमें प्रधानतः	निर्यातकपड़े
किस स्थान से था।	सोना, चाँदी आदि कोष शामिल था।	के थानों का
१ लंदन	६७७२२)	३३ १५८२
२ टेनमार्क	२१२५)	३३७६३२

३	जिसवन		१२१३३२३
४	अमेरिका	२२०६६)	४०६३१३२
	(संयुक्तराज्य)		
५	लंका		१०३६४४
६	सुमात्रा		८२०८६
७	कारोमण्डल का	११२३६०)	(विशेषतःमाल)
	किनारा		४०१७६२
८	खलीज, फारस और अरब		८४६७८८
९	पेगू		८२२२४
१०	पूखोपिनेंग पूर्ववर्ती देश		८१६६१२
११	बटेविया		६१२६६६
१२	चीन	१८२१२७)	३७६४६६

नोट—चीन को २८८४६१६) की रूई मेली गई ।

ऊपर लिखी सारिणी में जो बाहरी व्यापार का प्रमाण मिलता है वह इतना तो स्पष्ट कर देता है कि भारत के गाँवों में कतार्ड-बुनाई का काम बड़े जोरों से चल रहा था । दक्षिण भारत में भी इस काम में किसी तरह की ढिलाई न थी । दक्षिण भारत के बने कपड़े मछली-पट्टम के बन्दरगाह से बाहर के देशों में जाया करते थे । दक्षिण में बुरहानपुर में कपड़ों के शाही कारखाने थे और मछलीपट्टम में और उसके आसपास के अनगिनत गाँवों में भाँति-भाँति की छींटें तैयार होती थीं और संसार में भारत का नाम फैलाती थीं । गोलकुण्डा के राज में खान से हीरे, जवाहिर की खुदाई होती थी और गाँव-गाँव में इस तरह के कारबार थे । राजधानी हैदराबाद के पास के दो गाँव निर्मल और इन्दूर में लोहे का कारबार इस दर्जे को पहुँचा हुआ था ।

कि निर्मली और इन्दूरी तलवारें, बरछे और खंजर यहीं से सारे भारत में जाते थे। और दमिश्क की मशहूर तलवार के लिए यहीं से लोहा जाता था और शमशीर हिन्दू का नाम मशहूर करता था। हीरे और सोने के लिए गोलकुण्डा का राज संसार में प्रसिद्ध था। और मछलीपट्टम के बन्दरगाह से भारत के जहाज संसार के समुद्रों में आते-जाते थे। खेती उसी तरह वहाँ भी उपजाऊ थी जैसी कि उत्तर भारत में। और जंगलों की पैदावार उसी तरह धन-धान्य देनेवाली थी। सारे भारत में जहाँतक किसानों का सम्बंध है निरन्तर शान्ति का साम्राज्य था। किसानों का इतना आदर था कि कडाई करनेवाले हाकिमों की जब लोग शिकायत करते थे तो वह बहुत करके बरखास्त कर दिये जाते थे। शाहजहाँ ने दाराशिकोह को राजगद्दी पाने के लिए अपनी बीमारी में ही उपदेश किया कि किसानों को और सेना को खुश रखना। औरंगज़ेब ने अपने लड़कों को रयत को खुश करने के लिए बारम्बार उपदेश किया है। इन बादशाहों का जैसा उपदेश था वैसा ही अपना आचरण भी था। औरंगज़ेब की बादशाहत के ज़माने में प्रजा को कुछ कष्ट होने लगा। प्रजा पर जुल्म होने लगा। औरंगज़ेब अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक कट्टर था। हिन्दुओं पर उसकी कड़ी निगाह थी। उसने सारी हिन्दू प्रजा पर जज़िया लगाया और मुसलमानों का पक्षपात किया। साधारणतया कई प्रकार के महसूल जो हिन्दुओं को देने पड़ते थे, मुसलमानों को नहीं देने पड़ते थे। अनेक अपराधों में मुसलमान छोड़ दिया जाता था क्योंकि काफिर हिन्दुओं के विरुद्ध अपराध करने में मुसलमान दोषी नहीं समझा जाता था। किसान साल के साल में बेहतर करता था परन्तु लड़ाई के कारण शत्रु या बलवान जमींदार उसे

लूट लेता था या उसके धन का अपहरण कर लेता था। सम्बत १७१५ और १७१६ के लगभग इन्हीं कारणों से अनाज में हहा विकने लगा था। नाके-नाके पर, घाटों पर, पहाड़ी गुजरगाहों पर और सरहदों पर जो माल गुजरता था उस पर राहदारी का माल का दशमांश महसूल देना पड़ता था। यह कहलाता था राहदारी का महसूल। परन्तु महसूल लेनेवाले लोग जुल्म करते थे और कड़ाई करते थे और कई गुना अधिक वसूल कर लेते थे। इससे किसानों के ऊपर सारा बोझ आ पड़ता था। औरंगजेब ने पीछे इस तरह के महसूल उठा दिये तब कहीं जाकर भाव सुधरे और अनाज ठीक तरह से विकने लगा।

इन सब बातों के होते हुए भी मुगलों के साम्राज्य के अन्त में भी गल्ले का भाव प्रायः अकबर के समय के ही लगभग रहा।

कम्पनी का कठोर राज्य

ईस्ट इंडिया कम्पनी संवत् १६५७ से ७० हजार पौंड की पूँजी के साथ भारत से रोजगार करने के लिए कायम हुई थी। उस समय इंग्लैण्ड की सरकार ने उसे एक हुक्मनामा देकर भारत के साथ रोजगार करने का इजारा दे दिया था। कम्पनी के सिवाय इंग्लैण्ड का कोई वाशिन्दा भारत के साथ रोजगार नहीं कर सकता था। कम्पनी का यह हुक्मनामा हर बीसवें बरस बढ़ा जाता था। भारत में अशान्ति और बदइन्तजामी होने से, कम्पनी भारत की मालिक बन गई, किन्तु इंग्लैण्ड में उसका वही पहला ही पद बना रहा। उसके हुक्मनामे का हर बीसवें वर्ष बढ़ा जाना जारी रहा।

विक्रम की अठारहवीं शताब्दी तक भारत के गाँव जैसे अनाज उपजाते थे, वैसे ही हाथ की कलाओं में भी कुशल थे। भारत के करघों से बने हुए कपड़े एशिया और यूरोप के वाजारों को भरे हुए थे। परन्तु देश की इस कोमल कला को आर्थिक कूटनीति और लूट की भारी भुजाओं ने दबा लिया। युगों के ठोस उद्योग और रोजगार को कुचल डाला। देश को विदेशी कपड़ों के सबसे बड़े मोहताज की दशा को पहुँचा दिया। इस प्रलयकारी फेरफार से, भारत का दरजा सबसे बड़े बेचनेवाले से, सबसे बड़ा खरीदनेवाला हो गया। बात यह थी कि पार्लमेण्ट और ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापार में हर तरह, अपना स्वार्थ देखा। पहले तो उन्होंने भारतवर्ष में कार-

खाने खोले, और उन कारखानों में यहाँ के दस्तकारों को काम करने के लिए मजबूर किया। धीरे-धीरे उन्होंने जहाँतक बन पड़ा, देश के भारतीय कारखानों को हथिया लिया अथवा बन्द करा दिया। परन्तु जब विलायत में वहाँ के कारीगरों ने बहुत हल्ला मचाया, तब बाधक कर लगाये गये।

विक्रम की उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल में, विलायत की दस्तकारियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने हिन्दुस्तानी माल को विलायत जाने से रोकनेवाले कानून बनाये। उनकी यह निश्चित नीति रही कि भारत विलायत की दस्तकारियों की उन्नति का एक साधन बन जाय और वहाँ के कारखानों तथा करघों के लिये कच्चा माल तैय्यार करनेवाला एक देश ही रह जाय।

इस नीति का पालन सख्ती से किया गया और इसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। भारत में रहनेवाले गोरे अधिकारियों को कम्पनी के कारखानों में काम करने के लिए, भारतीय दस्तकारों को लाचार करने की आज्ञा दी गई। भारतीय जुलाहों के गाँवों तथा उनकी जातियों के ऊपर, कम्पनी के व्यापारिक रेजिडेण्टों को बहुत बड़े-बड़े अधिकार दिये गये। अधिक महसूल लगाकर भारत के सूती और रेशमी कपड़ों का विलायत जाना रोका गया। अंग्रेजी चीजों बिना महसूल दिये ही, या कुछ नाम भरके महसूल पर भारत में आने दी गई।

इतिहासवेत्ता विलसन के शब्दों में, ब्रिटिश दस्तकार ने राज-नीतिक हथियारों से अपने मुकाबलेवाले हिन्दुस्तानी कारीगर को दबाया। क्योंकि दोनों को बराबर सुभीते होते तो ब्रिटिश कारीगर हिन्दुस्तानी का सामना न कर सकता। फल यह हुआ कि यहाँ के

लाखों दस्तकारों की रोजी मारी गई और यहाँ की सम्पत्ति के उप-जाने का एक द्वार ही बन्द हो गया ।

इस देश के ब्रिटिश कालीन इतिहास में इस दुःखद घटना का वर्णन इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि हम इतने दरिद्र क्यों हैं । और हमें खेती का ही अकेला सहारा क्यों रह गया है । यूरोप में भाप के बल से चलनेवाले करघों के चल पड़ने से हमारे कारीगर बरबाद हो गये और जब हमारे यहाँ कल कारखाने चले तो इंग्लि-स्तान अन्याय और डाह से काम लेने लगा । उसने हमारी सूत की कारीगर पर कर बैठा दिया । इसका फल यह हुआ कि हमारे कारीगर जापानी और चीनी दस्तकारों के मुकाबले के भी नहीं रहें । तबसे यह कर हमारी भाप से चलनेवाली नई कलों का गला घोटता रहा है । जिन लाखों करोड़ों दस्तकारों की रोजी मारी गई, वे बेचारे अपने-अपने गाँवों में मजूरी और खेती आदि धंधों पर टूट पड़े, जिसे जो रोजगार पेट पालने को मिला कर लिया । बेचारे लाचार होकर भगी डोम तक का काम करने लगे । ज़मीन बढ़ी नहीं, खेतिहर बढ़ गये । पैदावार घट गई, खानेवाले बढ़ गये । हट्टे-कट्टे काम करने-वाले ज़्यादा रोट्टी के लालच से विदेशों में काम करने चले गये, गाँव उजड़ गये । ससार के अनेक निर्जन टापू गुलामों से बस गये । आज अब दशा यह है कि हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक ही द्वार खेती रह गई है और आज हमारे देश के हर पाँच आदमी में चार तो खेती पर ही दिन काटते हैं । परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भूमि कर बमूल किया जाता है वह एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरे कई प्रान्तों में तो वह इतना अनिश्चित है कि उसमें खेती की तरकीब करने का कभी किमी को हौसला नहीं हो सकता । कर बढ़ता ही जाता है ।

इंगलिस्तान में संवत् १८५५ तक भूमिकर लगान के सैकड़ा पीछे ५ और २० के बीच में था। उस समय के प्रधान मंत्री पिट ने उसको सदा के लिए ठहरा दिया। यहाँ संवत् १८५० और १८७६ के बीच में बंगाल भूमिकर लगान का सैकड़ा पीछे ६० और उत्तरी भारत में सैकड़ा पीछे ८० रक्खा गया। यह सच है कि इतना भारी भूमिकर लगाने में अंग्रेजी सरकार ने अपने पहले के मुसलमान बादशाहों की ही नक़ल की थी। परन्तु इन दोनों में यह अन्तर था कि मुसलमान शासक जितना माँगते थे उतना कभी वसूल नहीं कर पाये। परन्तु अंग्रेज सरकार जो कुछ माँगती रही है उसे कड़ाई के साथ वसूल भी करती जाई है। बंगाल के अन्तिम मुसलमान हाकिम ने अपने राज के आखिरी साल संवत् १८२७ में सवा करोड़ से कम ही रुपयें मालगुजारी वसूल की थी। बंगाल से अंग्रेजी सरकार तीस वर्ष के अन्दर ही ४ करोड़ २ लाख रुपयें साल की मालगुजारी वसूल करने लगी। संवत् १८५६ में अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कुछ और जिले अंग्रेजी सरकार को दिये, जिनसे वह २ करोड़ २॥ लाख रुपयें वार्षिक मालगुजारी माँगता था। तीन वर्ष के भीतर अंग्रेजी सरकार ने इनकी मालगुजारी बढ़ाकर २ करोड़ ४७॥ लाख रुपयें से भी अधिक करदी। मद्रास में पहले पहल ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भूमिकर नियत किया। वम्बई में संवत् १८७४ में मराठों से जीती हुई भूमि की मालगुजारी १ करोड़ २० लाख रुपयें थी। कुछ ही वर्षों के अंग्रेजी शासन के पीछे वह बढ़ाकर सवा दो करोड़ रुपयें कर दी गई और तब से वह लगातार बढ़ती ही जा रही है। पादरी हैबरन ने समस्त भारत में यात्रा करने और सब अंग्रेजी तथा देशी राज्यों का निरीक्षण करने के पीछे संवत् १८८३ में लिखा था कि "कोई

देशी शासक इतना भूमिकर नहीं माँगता जितना हम माँगते हैं।’ सवत १८८७ में कर्नल त्रिग्ल ने लिखा था कि “भारत का वर्तमान भूमिकर प्रायः समस्त लगान के बराबर है। इतना भूमिकर एशिया अथवा यूरोप में किसी भी शासक के समय कभी नहीं सुना गया।”^१

बंगाल और उत्तरी भारत के मनुष्यों के लिए अंग्रेजी शासन के प्रारम्भिक समय के इस भारी भूमिकर का बोझ धीरे-धीरे कुछ हलका हुआ। बंगाल में भूमिकर स्थायी नियत कर दिया गया और इसलिए कृषि की वृद्धि के साथ-साथ उसमें वृद्धि नहीं हो पाई है। अब वह लगान का केवल ३५ प्रतिशत रह गया है। (इसी में कुछ छान्य कर भी सम्मिलित हैं।) उत्तरी भारत में भूमिकर स्थायी तो नहीं किया गया परन्तु सन्वत् १६१२ में वह घटाकर लगान का ५० प्रति सैकड़ा कर दिया गया। परन्तु पीछे कुछ नवीन कर और भी लगा दिये गये, जिनके कारण भूमिकर बढ़कर लगान का ६० प्रति सैकड़ा हो गया। जमीन्दारों ने अपना सारा बोझ इजाफा लगान करके दरिद्र किसानों पर डाल दिया। अन्त में सब तरह से किसानों की ही चरबादी हुई।

मनास और बम्बई की अवस्था और भी खराब है। वहाँ कृषक लोग सरकार को भूमिकर सीधे अदा करते हैं। उनके तथा सरकार के बीच कोई जमींदार मालगुजार या ठेकेदार नहीं है। सन्वत् १६२१ में सरकार ने आर्थिक लगान का आधा मालगुजारी के स्वरूप में चमूल करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी, परन्तु सरकार लगभग सारा आर्थिक लगान वसूल कर लेती है, और बेचारे किसानों को

१. श्री रमेशचन्द्रदत्त के प्रसिद्ध ग्रंथ “ब्रिटिश भारत के आर्थिक इतिहास” की भूमिका से संकलित

अपने महान्त मजदूरी और औजारों, चौपायों इत्यादि में लगे हुए धन पर लाभ के सिवा कुछ भी नहीं बचता। हर तीमवें वरम नया चन्द्रावन्त होता है। किसान जान भी नहीं पाता कि उसका लगान किस कारण से बढ़ाया जा रहा है। उसके सामने बस दो रास्ते रह जाते हैं, या तो वह बढ़े हुए लगान को मान ले या अपने बाप दादों के विन को छोड़कर भूगर्बों में। लगान की यह आये दिन की घट चढ़ खेती को बढ़ने नहीं देती। किसानों को कुछ बचन भी नहीं होने देती और उन्हें दरिद्र और कर्जदार बनाये रखती है।

भारत में भूमिकर केवल भारी और डावाँडोल ही नहीं है, वल्कि जिन सिद्धान्तों पर लगान बढ़ाया जाता है वे जग में निराले हैं। और देशों की सरकार जनता का धन बढ़ाने में सहायता देनी है, अपनी प्रजा को धनी और रँजी-पुँजी देखना चाहनी है और फिर उसकी आय का बहुत थोड़ा अंश उसकी रक्षा के लिए माँगनी है। भारत की सरकार कर लगाकर धन के इकट्ठा होने में बाधा डालती है। किसानों की आय को रोकती है और लगभग हर नये चन्द्रावन्त के समय अपनी मानगुजारी बढ़ाकर किसानों को सदा ही दरिद्र रखती है। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्तराज्य आदि देशों में सरकार अपनी प्रजा की आय बढ़ाती है, उसकी वस्तुओं की खपन के लिए नये-नये बाजार ढूँढती है, भरसक बाजारों के ऊपर अधिकार जमाने की चढ़ा ऊपरी में महासमर तक हो जाने हैं, उनकी आय के लिए नवान द्वारा खालती है उनकी भलाई के लिए मर मिटती है, और उनके बढ़ने हुए गेश्वर्य के साथ आप भी गेश्वर्यवाली बनती है। भारत में अंग्रेजी सरकार ने न तो नडे दम्तकारियों के चलाने में सहायता दी; और न उसकी पुरानी दम्तकारियों को ही नया जीवन दिया है,

उल्टे वह हर बन्दोवस्त के समय भूमि की पैदावार से मनमानी आमदनी करने के लिए उलट-फेर किया करती है। मद्रास और बम्बई में लोग हर नये बन्दोवस्त को अपने-अपने और सरकार के बीच एक युद्ध समझने हैं, जिसमें सरकार और प्रजा के बीच परस्पर स्वार्थों की छीना-झपटी होती रहती है। और इस लड़ाई का निर्णय करने के लिये कानून में कोई ठीक विधान या सीमा नहीं है। माल के हाकिमों का फैसला आखिरी होता है जिसकी कहीं अपील नहीं है। सरकार की आय और प्रजा की दरिद्रता नित्य बढ़ती ही चली जाती है।

धरती से जल खींचकर सूर्य मेघ बनाता तो है परन्तु वह मेघ अपने लिए नहीं बनाता। वर्षा के रूप में हजार गुना अधिक फैला कर उसी धरती को लौटा देता है।' कवि ने अपने यहाँ कर या लगान लेने की नीति का इसी तरह हजारों गुना अधिक बखान किया है। परन्तु भारतभूमि से खींचा गया कर रूपी जल आज विदेशों में ही बरसता और विदेशों को ही उपजाऊ बनाता है। हरेक देश उचित रीति से यही चाहता है कि उसके देश से बसूल किया गया टैक्स या कर वही खर्च किया जाय। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के घुरे से घुरे हाकिमों के समय में भी यही बात थी। पठान और मुगल बादशाह जो अपार धन सेना में खर्च करते थे पर उससे तो यही के बहुत से बड़े-बड़े घरानों का और लाखों परिवारों का पालन

१. प्रजानामेव भूदर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत् ।

सहस्रगुणमुत्सृष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ रघुवंश । १ । १८

रवि जैने हजारगुना वरस देने के लिए रस लेता है, वह (राजा) प्रजाओं का धन बढ़ाने के लिए ही उनसे कर लेता था ।

होता था। वे जो बड़े-बड़े सुन्दर महल बनाने में या सुख और भोग-विलास की चीजों में या दिखावटी ठाट-बाट में धन लगाते थे, वह धन इसी देश के कारीगरों और दस्तकारों के हाथ में जाता था और उनका हौसला बढ़ाता था। सरदार, सूबेदार, सेनापति, दीवान, काजी और उनके छोटे हाकिम भी अपने मालिकों की देखादेखी वैसा ही बरताव करते थे, और अनेकों मस्जिद, मन्दिर, सड़कें, नहरें और तालाब उनकी उदारता के गवाह हैं। वे धन को बेहिसाब उड़ाते भी थे तो वह उड़कर भी भारत के ही वायुमण्डल में फैल जाता था, कहीं बाहर न जाता था। बुद्धिमान और मूर्ख दोनों तरह के शासकों के समय में भी कर के रूप में वसूल किया हुआ धन लौट कर प्रजा के ही व्यापार और दस्तकारियों को बढ़ाता था। पर भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य का आरम्भ होते ही दशा बदल गई। कम्पनी भारत को एक बड़ी जागीर या बड़ा खेत समझती थी, जिसका लाभ यहाँ से जाकर यूरोप में जमा होता था। भारत की सरकार में मोटी तनखवाहोंवाले और आमदनी के जितने ओहदे थे, कम्पनी अपने देशवालों को ही देने लगी। भारत की आय से व्यापार की वस्तुयें मोल लेती थी और फिर उन्हें अपने निजी लाभ के लिए योरप में ले जाकर बेचती थी। व्यापार में लगी हुई अपनी पूँजी का भारी व्याज वह भारत से कड़ाई के साथ वसूल करती थी। सारांश यह की भारत में भारी कर से जो कुछ वसूल किया जा सकता था, उसमें-से बहुत जरूरी बन्दोबस्ती खर्चों के पीछे जो कुछ बचता था, वह किसी न किसी तरह योरप पहुँचाया जाता था।

विक्टोरिया के राज से वर्त्तमान काल तक

१. भारत का रक्त चूसा जाना

जब सम्बत् १८६४ मे अंग्रेजी राजगद्दी पर विक्टोरिया बैठी उस समय कम्पनी ने भारत की जितनी हानि करनी थी करली थी। भारत के रेशमी रुमाल यूरोप मे अब भी विक रहे थे, और यहाँ के तैयार रेशमी माल पर अब भी वहाँ कड़ा महसूल लगता था। पार्लियेण्ट ने कमीशन बैठाकर इस बात की जाँच की कि ब्रिटिश करघो के लिए भारत मे रुई कैसे उपजाई जा सकती है, यह न पूछा कि भारतीय करघो की बढ़ती कैसे कराई जाय। लगातार डेढ़ सदी के लगभग भारत के गोरे प्रमुत्रो की नीति यही रही है, कि ब्रिटिश कारखानो की बढ़ती भारत के द्वारा कैसे की जाय। भारत के कारीगरो की भलाई का कोई खयाल नहीं रहा। भारत की वनी चीजें जो जहाजो मे भर-भर कर विलायत भेजी जाती थीं वह धीरे-धीरे सपने का धन होती गई।

हम पिछले वर्षों में यह देख चुके, कि कम्पनी इस्तमरारी वन्दोवस्त और प्रान्तों मे बढ़ाना नहीं चाहती थी। उत्तर भारत मे उसने पहले लगान का सैकड़ा पीछे ८३ भाग मालगुजारी लगाई. फिर उसे ७५ प्रति सैकड़ा और फिर ६३ प्रति सैकड़ा घटाया। यह भी जब ठीक न ठहरा तब संवत् १६१२ मे उसे लगान का आधा

कर दिया। सम्बन् १९२१ में यही लगान की आधी मालगुजारी का हिसाब दक्षिण भारत पर भी लगा दिया गया। संसार के किसी सभ्य देश में खेती के मुनाफे के ऊपर आधों आध आय कर का लगान आज तक सुना नहीं गया। पर इतने पर भी सन्तोष होता, तो भी बड़ी बात* ।

सम्बन् १९१५ में कम्पनी का राज समाप्त हो गया। पार्लमेण्ट के अधिकार में आजाने पर भी भारत को लेने के देने ही पड़े। पार्लमेण्ट ने कम्पनी के हाथों से भारत की जागीर को खरीद कर अपने हाथ में कर लिया और इसी जागीर के मत्थे ऋण लेकर कम्पनी का देना चुका दिया। कम्पनी ने जो टोटा उठाया था, वह भी भारत के मत्थे मढ़ा गया। साल-साल भारत ही के मत्थे सूद भी चढ़ने लगा। लड़ाई चाहे संसार में अंग्रेजों को कहीं भी लड़नी पड़ी तो किसी न किसी तरह बादरायण सम्बन्ध जोड़कर उसका खर्च भी भारत की ही जागीर पर लादा गया। रेलें निकलीं तो मुनाफा विलायत गया, और टोटा भारतीय जागीर को सहना पड़ा। इस तरह पार्लमेण्ट के राज ने भारत की जागीर को और भी अधिक निडुराई से चूसना शुरू किया। भूमि और नमक इन दोनों के ऊपर कड़े से कड़ा महसूल लगने लगा।

सम्बन् १९३२ में स्वर्गीय लार्ड सैलिसबरी भारत मंत्री थे। उन्होने उसी साल अपनी एक रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा था—

“भारत, य राजस्व-पद्धति के बढ़ाने की जहाँ तक गुँगाइश है, वहाँ तक इस बात की भारी ज़रूरत है, कि किसान को जितना देना पड़ता है उससे कुछ कम ही, कुल देश के राजस्व के नाते व, दिया करे। नीति की ही दृष्टि से यह कोई किफायत की नीति नहीं है कि राजस्व

की प्रायः सारी मात्रा उन देहातों से ही निकाली जाय, जहाँ पूंजी अत्यन्त महँगी हैं, और उन शहर के हिस्सों को छोड़ दिया जाय, जहाँ धन बेकार पड़ा हुआ है, और ऐशोभाराम में बर्बाद होता है। भारत के सम्बन्ध में तो बड़ी हानि पहुँचाई जाती है, क्योंकि वहाँ से माल-गुजारी का हतना बड़ा अंश बदले में बिना कुछ मिले हुए देश के बाहर चला जाता है। जब भारतवर्ष का जोहू बढ़ाना ही है, तब नरतर उन हिस्सों में लगाना चाहिए, जिनमें जोहू जमा हो, कम से कम काफ़ी हो। उन अंगों में नहीं लगाना चाहिए, जो जोहू के बिना दुबले और कमज़ोर हो चुके हैं।”

लार्ड सैलिसवरी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वही पुरानी कहानी बार-बार दोहराई जाती रही। हर वीसवें और तीसवें बरस बन्दोबस्त होता रहता है, और हर नये बन्दोबस्त पर मालगुजारी बढ़ती ही रहती है। कहने को तो लगान की आधी ही मालगुजारी ली जाती है, परन्तु असल में तो बम्बई और मद्रास में इससे तो बढ़ी ही रहती है। मालगुजारी में और कई तरह के महसूल भी जोड़ दिये गये हैं, जिनको बढ़ाने में सरकार को तनिक भी सकोच नहीं होता। संसार में कौन ऐसा देश है जिसके धन की इस निठुरायी से चुंसायी हो, तब भी उसकी खेती बर्बाद न हो जाय। भारत के किसान थोड़े में गुज़र करनेवाले होते हैं, परन्तु तो भी वे दरिद्र हो गये हैं, खोखले हो गये हैं, और सदा दुर्भिक्ष और भूख की भयानक सूरत उनके द्वार पर खड़ी रहती है। श्री रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं—

“धर के देने के नाम से भारत की सारी आमदनी का चौथाई हिस्सा हर साल इंग्लिस्तान चला जाता है। और अगर उसके साथ

यह धन भी जोड़ लिया जाय जो यहाँ के विलायती अफसर हर साल अपने वेतन से बचाकर इंगलिस्तान भेजा करते हैं, तो यह रकम तीस करोड़ से कहीं अधिक हो जाती है। संसार का सबसे धनी देश संसार के सबसे दरिद्र देश से यह धन चूसने की वेहयाहं करता है। आदमी पीछे १२६०) साल कमानेवाले उन लोगों से आदमी पीछे ७) माँगते हैं, जो लोग आदमी पीछे ३०) साल कमाते हैं। यह सिर पीछे ७॥) रुपया जो भारत के लोगों से अंग्रेज़ लोग लेते हैं, भारत को दरिद्र कर देता है। और इस तरह भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार को भी डानि पहुँचती है। इस देने से अंग्रेज़ी व्यापार और व्यवसाय को कोई लाभ नहीं पहुँचता, परन्तु तो भी भारत के शरीर से लगातार लोहू की बूट्ट धारा बहती चली जाती है।”

यह बात विलकुल सच है। सम्वन् १९५७ में भारत से मान-गुजारी की सारी आमदनी सवा छब्बीस करोड़ रुपये हुई थी। घर के देने के नाम से साढ़े पच्चीस करोड़ उसी साल विलायत भेजे गये थे। यह तो साफ जाहिर है, कि धरती की लगभग सारी आमदनी एक न एक ढंग से विलायत चली जाती है। विलायती अफसर अपनी तनख्वाह की वचत जो भंजते हैं, वह इससे अलग है। प्रजा से जाँ कर लिये जाते हैं, वह यदि देश में ही खर्च किये जाते, जैसा कि संसार के सब देशों में होता है, तो वह रकम प्रजा में ही फैलती। पेशा, व्यवसाय और खेती को बढ़ाती और किसी न किसी रूप में प्रजा का ही धन बढ़ाती। देश के बाहर निकल जानं पर एक कौड़ी भी देश के काम में नहीं आती।

रानी विक्टोरिया का राज ६४ वर्ष के लगभग चला। इतने समय में भारतवर्ष पर अंग्रेज़ों का फौलादी पंजा बराबर जकड़ना

गया। महसूल बढ़ते गये। करो का भार अन्त में देश की दरिद्र प्रजा के ही सिर पड़ता गया। नमक का महसूल दरिद्रों को अत्यन्त खला, परन्तु उसे बढ़ाने में हृदय-हीन विदेशी सरकार को कभी तरस न आया। विदेशी माल ने बाजार को भर दिया। देश के आदिमियों की दस्तकारी और कारीगरी का काम छिन गया। खेती से बची हुई षड़ियों में किसान खदर सम्बन्धी काम किया करते थे। वह सारा काम छिन गया। साल में ६ महीने से लेकर २ महीने तक किसान बिल्कुल बेकार रहने लगे। पछाहीं रोजगार की कठिन चढ़ा-ऊपरी ने यहाँ के एक रोजगार के बाद दूसरे रोजगार को चौपट कर दिया। कच्ची धातुओं से पक्की धातु बनाना खानों की खुदाई, लोहे आदि की ढलाई के काम बन्द हो गये। नमक बनानेवाली एक जाति नोनिया थी, जिनका काम नमक और शोरा तैयार करना था। यह जाति तो बिल्कुल बे-रोजगार हो गई। नोनिये कभी-कभी कुआँ खोदने का काम करते हैं। अधिकांश लोग मोटी मजूरी करने लगे। कोष्ठी, दुनकर, कोरी, जुलाहों का रोजगार मारा गया। बढ़ई, लुहार आदि शिल्पी अपनी ऊँची कला भूल गये। सूत कातने की अत्यन्त प्राचीन कला इस कठिन चढ़ा-ऊपरी से नष्ट हो गई। लोगो ने चरखे उठाकर धरो पर फेंक दिये, मचानों पर डाल दिये, या लकड़ी की जगह चूल्हों में लगा दिये। लाखों की गिनती में दुनकर आदि कारीगर जब बेकार हो गये, तो उनका जहाँ सींग समाया वहीं चले गये। जिनसे हो सका, खेती करने लगे, अनेक मोटी मजूदूरी से ही पेट पालने लगे। गुजरात के हज्जारों दुनकर भङ्गी का काम करने लगे। हथियार वारूद आदि का बनाना एकदम बन्द हो गया। इधर पैसे इतने सस्ते कर दिये गये कि ज़रूरत की सारी चीजें अत्यन्त महँगी हो चलीं।

२. पैसे की माया

पैसे के भाव की कमी-बेशी करके विक्टोरिया के राज के पिछले २५ वर्षों में भारत की विदेशी सरकार ने शकुनी का कुटिल और निर्दय खेल खेला। भारत की दरिद्र और मोहग्रस्त जनता इस कुटिलाई को कैसे समझ सकती थी। समझती भी तो कर क्या सकती थी; सरकार बारम्बार नया बन्दोबस्त करके मालगुजारी बराबर बढ़ाती गई और किसानों को लाचार होकर ज्यादा-ज्यादा पैसा देना पड़ने लगा। पहले उसको थोड़ा पैसा जुटाने के लिए बहुत अनाज देना पड़ता था, यह उसे खलता था। सरकार ने पैसे का अधिक प्रचार करके एक निशाने से दो शिकार मारे। एक तो अपनी-अपनी आमदनी बढ़ाई, और दूसरे किसानों में जो असंतोष फैलता उसपर परदा डाला। किसान पैसे की माया में फाँसे गये। अंग्रेजों ने पैसे को कुछ थोड़ा सस्ता कर दिया। किसानों ने देखा कि पैसा बहुत सस्ता हो रहा है, अनाज दे-दे लगे पैसे जुटाने। जब पैसे इकठे होने लगे तब महीन और चमक दमकवाले कपड़े, खिलौने लम्प, लालटेन तसवीरें, इत्र, सुगन्ध फुलेल और भाँति-भाँति की विदेशी की बनी शौकीनी चीजें उन्हीं पैसे के बलपर खरीदने लगे और दरिद्र किसान शौकीन रईसों की नकल करने में अपनी बढ़ाई मानने लगे। जो शहर के बच्चे रूखी रोटी और नमक कलेवा करते थे, और नगे पाँव लंगोटी बाँधे पढ़ने या काम करने जाने में संकोच नहीं करते थे, वही माँग काढ़ने, बाल सँवारने, फैशन बनाने और रईसों की-सी लम्बी ढीली धोती बाँधने लगे। यह सब शौकीनी की चीजें विलायती चल गई, जो अनाज से नहीं मिलती थीं। इनके लिए पैसों की बहुत

जल्दतरत पड़ी। फिर शादी, ब्याह, मूडन छेदन की तरह गिरस्ती में आये दिन हौसले बढ़ने लगे, चढ़ा ऊपरी होने लगी। बेकार खर्चा बढ़ गया। अब हरेक को पैसे की लत लग गई। अनाज देकर अब सौदा मिलना मुश्किल हो गया। सुई, डोरा, नमक, हल्दी, सूत, रुई सब तरह की जरूरी चीजें, जो अनाज देकर मिलती थी, पैसे पर मिलने लगीं।

मुसलमानों के राज में किसान जो चाहता था, मालगुजारी में दे सकता था, चाहे अनाज दे, चाहे रुपया। विदेशी सरकार ने देखा कि अनाज लेने में मंफ़्ट है, और जब पैदावार भारी जायगी तब तो घाटे में रहेंगे। इसलिए मालगुजारी में अनाज लेने की रीति उठा दी गई। फिर भी ज़मींदार असाधियों से अक्सर लगान में अनाज का अंश ले लिया करते थे। सरकार की नीति से यह भी चलने न पाया। जब ज़मींदारों से मालगुजारी के रुपये लिये जाने लगे, तो उन्हें भी अनाज के बढ़ले रुपया लेने में सुभीता पड़ा। मालगुजारी और लगान की दरे ठहराई गई। और ठहराई हुई रकम किस्तों में वसूल की जाने लगीं। अब ज़मींदार या राजा का महसूल अनाज की पैदावार पर नहीं रहा। खेत में अनाज उपजे, चाहे न उपजे, पर राजा और ज़मींदार अपना महसूल बिना लिये नहीं रहते। किसान चाहे भूखो मर जाय, पर उसे लगान की रकम देनी होती थी। इसमें पैसेवालों की और भी बच आई थी। साहूकारों ने टका रुपया और आना रुपया ब्याज लगाकर किसानों को चूसना शुरू किया। किसानों को कर्ज लेने की वान पड़ गई, और एक बार जिस किसान ने कर्ज लिया, समझो कि वह खड़ा लुट गया। क्योंकि एक तो इतना भारी ब्याज ही देना पड़ता था, दूसरे ब्याज-पर-ब्याज लगाया जाता था। किसान की खेती-वारी धीरे-धीरे साहूकारी के

पास चली गई। इस तरह देश में ज़मींदार और साहूकार तो बसे और किसान उजड़ गये। कलकत्ता, बम्बई, कराँची, हैदराबाद, मद्रास लाहौर, अहमदाबाद, इन्दौर, आदि बड़े-बड़े शहरों में उजड़े हुए किसान कुलीगिरी करने लगे, और लाखों इसी तरह के बे-खेत और बे-घर के मर्द औरत गिरिमिट की गुलामी करने के लिए मिरिच के देश, ट्रिनीडाद, फीजी आदि विदेशी टापुओं में चले गये। किसानों की सिध्दाई और भोलेपन के कारण आरकाटियों को उनके बहकाने में बड़ी आसानी हुई। आरकाटो गाँव में आया और किसान का बड़ा हितैषी बनकर रहने लगा। दुखी किसानों के जिनके खेत साहूकारों की ठगी के कारण चले गये थे, उसने बहकाना शुरू किया “तुम हमारे साथ कलकत्ते चलो, हम तुम्हें ३) ६० रोज़ की मज़दूरी दिला देंगे, मज़े में खाना और बचाना, और रुपये जमा करके अपने खेत छोड़ा लेना। कुछ दिनों में तो तुम ज़मींदारी खरीद लोगे। यहाँ क्यों अपनी मिट्टी खराब करते हो? कलकत्ते जाने को खर्च नहीं है, तो किराया हम दिलवा देंगे। नौकरी चाकरी खर्च-बर्च हम सब कुछ दिलवा देंगे, मौज काटो।” आरकाटी ने पैसों का जो जाल बिछाया उसमें रोटियों को तरसनेवाला किसान फँस गया। कलकत्ते जाकर गिरिमिट लिखाकर सदा के लिए गुलाम बन गया। इन बेचारे किसानों में से अपने जीवन में हज़ारों में से कोई एक मुश्किल से जीते जी फिर अपनी मातृ-भूमि के दर्शनों के लिए लौट सका।

वे लौटे क्यों नहीं? इसीलिए कि वे पैसों के मायाजाल में बेतरह फँस गये। पच्छिमी सभ्यतावाले देशों में पैसा रुपया बहुत सस्ता है। खाने-पीने पहिरने की चीज़ें बहुत महँगी हैं। और कोई बाहरी छूटनेवाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग आप ही कल-बल से जगत

को लूटते रहते हैं। इसीसे वे धनवान हैं। वे तीन-तीन रुपये रोज मजूरी भी देते हैं। हमारे दरिद्र किसान उनके यहाँ मजूरी करने लगे तो उन्हीं-की तरह खाने-पीने भी लगे। अपने देश में जैसा खाते थे उसमें मान लें कि चारों आने भी खर्च हो जाते थे तो भी चार आने रोज की मजूरी करनेवाला कारीगर घाटे में नहीं रहता था, क्योंकि उसका अपने घर का घर होता था, खेत-बाड़ी भी होती ही थी। परन्तु वहाँ के तीन रुपये वहाँ के चार आने से ज्यादा कीमत नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पैसा सस्ता है और सब चीज़ें महंगी हैं। वहाँ के असुरों को बुरी लतें भी लग जाती हैं। तीन रुपये में दो ढाई रुपये रोज तो खर्च ही हो जाते हैं, बचता बहुत कम है। फिर जब वह गुलामी से छूटता है तो जो कुछ बचाया होता है वह इतना ज्यादा नहीं है कि आने-जाने का भारी खर्चा सहकर भी इतना बच जाय कि अपने लिए भारत में खेत खरीद लें। वह अभाग्य इस देश में किस विरते पर लौटेगा? यहाँ विदेशी सरकार ने पैसों का जो मायाजाल बिछाया उसमें फँसकर जमींदार ने किसान को चूसा, साइंकार ने किसानों को चूसा और जब उसमें खून नहीं रह गया, जब वह विलकुल बे-घर-द्वार होकर बरबाद होगया, तब उसकी बची हुई भूखी हाड की ठठरी को आर-काटी ने रेल का किराया और भोजन देकर माल ले लिया। अपने भाई को पैसे लेकर राक्षसों के हाथ बेच दिया। यह सब कुछ विदेशी लुटेरों के लिए किया गया। जानकर नहीं अनजान में, और पैसों की माया मोह में फँसकर। जिसके खेती-वारी, जगह-जमीन नहीं रह गई, और रंगों में खून भी नहीं रहा, वह चेहरा इस देश में रह-कर सूखी ठठरी में प्राणों को किस सहारे रखता।

यह तो कथा हुई सबसे नीची श्रेणी के लोगों की जो खेती भी

करते थे, और मजूरी भी करते थे। जो उनसे अच्छे थे और भूखों नहीं मरते थे, वे भी पैसों के मायाजाल में फँसकर बरवाद हुए। ये लोग अपने को ऊँची जाति के समझते थे। इनकी मोटी समझ में भी जो ज्यादा खर्च करे वही बड़ा इज्जतदार समझा जाता। इसी-लिए यह अपने को समाज में ज्यादा इज्जतदार सिद्ध करते रहे। इसमें उन्हें रुपयों की ज़रूरत पड़ा करती थी। राती ब्रदर्स के एजेण्ट फसल तैयार होने के पहले से ही घूसा करते थे। राती ब्रदर्स विलायत का एक भारी व्यापारी है, जो लाखों मन अनाज भारत से खींच ले जाता है। इसके कारिन्दे रुपया लेकर गाँव-गाँव घूमते हैं; खड़ी फसल कूत करके खरीद लेते हैं। या नाज का भाव पहले से ठहरा कर किसान को पहले से रुपया दे देते हैं, और सस्ता अनाज और रुपये का सूद किसान से वसूल कर लेते हैं। पैसों की माया में पड़कर किसान अपने खाने के लिए काफी अनाज तक नहीं रखते। यह देखकर कि रुपया ज्यादा मिलेगा, भूखों मरकर भी अन्न बेच डालते हैं। यह खूब जानते हैं कि पैसों से पेट नहीं भरता, फिर भी पैसों पर लट्टू हो रहे हैं।

हमारे देश में पैसों की माया में फँसकर बे-ज़रूरी चीजों की खेती अगर न की जाती और पहले की तरह अपाज और कपास का ही अधिकार खेतों पर रहता तो भी हमारी दरिद्रता इतनी अधिक न होती। हमारे किसान पैसों की माया में फँसकर विदेशी सरकारों से दादनी लेने लगे, और खेतों से जहाँ अमृत उपजाते थे, जहर बोनो और उपजाने लगे। पोस्ते की खेती करके अफीम बेचने लगे। तम्बाकू की खेती करके देश में जहर फैलाने का उपाय करने लगे। तम्बाकू और अफीम ने किसानों को मोह में फँसाकर कहीं का न रक्खा। ताड़ी से, शराब से, गाँजा, भंग, चरस आदि जितनी नशीली

चीज हैं, सब से विदेशी सरकार को आमदनी होने लगी। इसलिए इन सब चीजों का प्रचार किया गया, और किसान लोग पैसे की माया में फँसकर उस महापातक के काम में भी पैसा-पूजकों की मदद करने लगे। पैसे की माया ने किसान को बरबाद कर डाला।

पैसे की माया अपार है। पैसा अंग्रेजों का देवता है, असुरों का परमात्मा है। उसकी माया में जिसे देखो वही फँसा हुआ है। किसान का तो सारा रोजगार पैसे ने छीन लिया है। बारीक, चिकना, चमकीला, सस्ता मलमल देखकर किसान लट्टू हो गया। मोटा खहर उसके वदन में चुभने लगा। कारिन्दे ने ज्यादा पैसे देकर कपास की फसल खरीद ली। उसने भी खुशी से बेच दिया। सोचा कि "इन्हीं पैसों से महीन मलमल खरीद लूँगा। ओटने, धुनने, कातने, बुनने की मेहनत से बच जाऊँगा। और इन्हीं कपड़ों से महीन कपड़ा भी मिल जायगा। मेरे घर की औरतें बारीक सूत नहीं कातती।" इस तरह जो पैसा विलायत से अनाज और कपास के लिए किसान को दिया था, वही पैसा बारीक कपड़ा पहनाकर फिर लौटा लिया। देखो पैसे की माया में डालकर किसान को कैसा बेवकूफ बनाया। किसान के घर में दरिद्र का वास होगया। चरखा, चक्की और रई का चलना बन्द होगया। चीनी का रोजगार, पटसन, सन, सूत, ऊन की कटाई-बुनाई का रोजगार उसके हाथ से छिन गया। देश के लाखों बुनकर, कोली जुलाहे बेरोजगार होगये। जब कोई रोजगार न रहा, लाचार हो, कुली, भगी, डोम आदि का काम करने लगे या विदेश चले गये। जिन लोगों को खेत मिल सके वे खेती करने लगे, या खेती मजदूरी दोनों करने लगे। इस तरह खेती करनेवाले बहुत बढ़ गये। और उनके पेट का भी वोम्मा खेती के ही कन्धों पर आपड़ा।

अब खेत की ज़मीन बढ़ानी पड़ी। वह कहाँ से आये ? गाँवों की गोचर भूमि जो गड-बैलों के लिए छूटी रहती थी वह खेती के काम में आने लगी। बेचारी गड-बैलों को उनकी मिल्कियत से निकाल बाहर किया गया। पैसों की माया ने उनकी रोजी छीनकर भी उन्हें कुशल से न रहने दिया। उनकी जान के लिए बड़ी-बड़ी कीमत लगने लगी। जीती गऊ का कम दाम मिलने लगा, पर उसकी लाश पर ज्यादा पैसे मिलने लगे। जीती गऊ का दाम १०) था, तो उसके चमड़े का दाम १३) मिलने लगा। और मारी हुई का मांस और उसकी हड्डी का दाम अलग खड़ा होने लगा। पैसे की माया में फँसकर किसान ने अपना तन बेच दिया, घर-द्वार बेच दिया, अब उसने अपनी गऊ माता को भी बेचकर नरक का रास्ता साफ कर लिया। गोरी सेना को खिलाने के लिए हज़ारों गायें इसी तरह खरीद खरीद कर काटी जाने लगीं। पैसे की माया ने न गोचर-भूमि रहने दी और न गोचर-भूमि के भोगनेवालों को जीता छोड़ा। दही, दूध, घी पहले खास खाने की चीज़ें थीं। यह आज अमीरों को भी जितना चाहिए उतना नसीब नहीं। पैसे की माया हमारे सामने की परसी थाली छीन ले गई। बच्चों के मुँह से दूध की प्याली हटा ले गई। और नकली घी, रेशम, चीनी आटा आदि सभी चीज़ें उसने फैलाईं। उसने हमें हड्डी, चरबी, मांस खिला और चबवा कर छोड़ा। एड़ी से चोटी तक हमें हिंसा का अवतार ही नहीं बल्कि भूखा, नगा राक्षस बना डाला।

हिसाब करनेवालों ने पता लगाया है, कि इन्हीं पैसों की माया में फँस कर आज किसान के सिर पर सात आठ अरब रूपयों का कर्जा है। जब तक किसान इस भयानक कर्जों के बोझ से पिस

रहा है, तबतक गाँव का सुधार क्या होगा। जबतक ग्यारह करोड़ किसान साल में नौ से तीन महीने तक बेरोज़गार रहेंगे, जबतक हमारा अन्न दूसरे खाते रहेंगे, और हम मुँह ताकते रहेंगे, जबतक हम अपने तन ढकने के लिए मचेस्टर के मुहताज रहेंगे, जबतक गोरो का पेट भरने के लिए हमारा गोधन बरबाद होता रहेगा, जबतक हम ठंडे रहेंगे और हमारे हृदयों में अपने को पच्छाहीं सभ्यता की गुलामी और पैसों की मायाजाल से छुटकारा पाने के लिए आग न लग जायगी, तबतक गाँवों का सुधार न होगा।

भारत में जहाँ-जहाँ रैयतचारी ढग है; वहाँ तो सरकार से सीधा सम्बन्ध है। पर जहाँ-जहाँ जमींदारी की चाल है वहाँ बीच में ज़मींदार के पड़ जाने से किसान के साथ ज़मींदारों से रगड़ा-मगड़ा लगा रहता है। आपस के मगड़े भी बटवारे हकीयत आदि के लिए लगे रहते हैं। आधे दिन नोन सत्त लेकर खेती के उपजाऊ कारवार को छोड़कर, अपना लाख हरज करके, अपने भूखे बीबी-बच्चों को धिलखने छोड़कर बेचारे किसान को बीसों कोस की दौड़ लगानी पड़ती है। बकीलो मुख्तारों के दरवाजों पर ठोकर खानी पड़ती है। बेचारे को आधे पेट खाने को नहीं मिलता, पर बकीलो मुख्तारों, अहलमदों, पेशकारों और अदालत के अमलो को और अनगिनत ऐसे ही रिश्वतखोरो को, फर्ज लेकर, खनाखन रुपये गिनने पड़ते हैं। नालिश करते ही रसूम तलशाना वगैरा के लिए खर्च करना पड़ता है। और अन्त में फल यह होता है, कि हारनेवाले और जीतनेवाले दोनों के दोनों फर्जों से लड़ जाते हैं, और जायज और नाजायज तब दोनो मिलकर मुकदमा जीतनेवाला भी घाटे में ही रहता है। पुराने ज़माने की पंचायतें इसीलिए उठ गई कि उनके अधिकार विदेशी

सरकार ने छीन लिये और देहातो के कोने-कोने तक अपना अख्तियार फैलाने के लिए गाँववालों को कचहरी के अर्थात् मूड़ने वालों के मातहत कर दिया।

इसी तरह मिलों और कारखानों में जहाँ मजूरो और मालिक का सम्बन्ध है, वहाँ भी पैसे की माया अजब खेल खिला रही है। पैसा सस्ता हो जाने से सारी चीजें महँगी तो हो गई, पर मजूरी उसी हिसाब से नहीं बढ़ी। हम यह बात और जगह दिखा आये हैं। पैसे की माया के कूटनेवाले बैलट के नीचे दरिद्र मजूर और किसान कंकड़ और पत्थर के टुकड़ों की तरह पिस गये। और पैसे के पुजारियों की ठंडी सड़क बन गई।

अभी कुछ हा बरस हुए कि ब्रिटिश सरकार की ओर से पंचायतें बनने के लिए कानून बना, परन्तु इन पंचायतों में वह बात कहीं है, जो पुरानी पंचायतों में थी। पंचायतों के प्रकरण में हम देखेंगे, कि पहले कैसी पंचायत होती थी, आज ब्रिटिश सरकार ने जो पंचायतें बनाई हैं वे कैसी हैं, और जैसी पंचायतों से हमारे देश का कल्याण हो सकता है, वैसी पंचायतें कैसे कायम हो सकती हैं।

३. आज कैसी दशा है ?

महारानी विक्टोरिया के राज में भारत की जितनी दुर्दशा हो चुकी थी, वह यूरोप के महासमर तक बराबर बढ़ती ही गई थी, और युद्ध के बाद तो वह इस हद तक पहुँच गई कि, भारत के अत्यन्त शान्त, अत्यन्त सहनशील, और अहिंसा के भक्त, भिक्षा माँगने तक के विनयी भारतवासी अत्याचारों से इतने व्याकुल हो गये कि उन्होंने

स्वतन्त्रता का शान्त निरख युद्ध आरम्भ कर दिया। विदेशी सरकार मुह्त से इस बात को जानती थी, कि जितने भारी अत्याचारों को भारतवासी चुपचाप सह रहे हैं, उनको संसार की सभ्यता के इतिहास में किसी भी देश ने वर्दाशत नहीं किया है। इसी अपडर से सम्बत् १९१४ के असफल भारतीय युद्ध के कुछ वरसो वाद ही सारे ब्रिटिश भारत के हयियार कानून बनाकर अपने कब्जे में कर लिये। एक तरह से सारे देश को निहत्था कर दिया, और पासपोर्ट के कानून से भारत के अन्दर वाहर से आना या भारत से वाहर को जाना अपने कब्जे में कर रक्खा है।

भारतवर्ष एक बहुत भारी किला है, जिसके भीतर अंग्रेज नव्वावों की जागीर है. जहाँ करोड़पती से लेकर भिखमगे तक उनके क़ैदी है, इन क़ैदियों की कई श्रेणियाँ हैं, जिसमें पहली श्रेणी में बड़ी-बड़ी रियासतों के शासक महाराजा, राजा, नव्वाव ताल्लुक़ेदार और भारी-भारी उपाधियोंवाले ज़मींदार आदि हैं। उसके बाद बीच की श्रेणी के लोग हैं। परन्तु इन दोनों की गिनती बहुत थोड़ी है। सैकड़ा पीछे निन्यानबे वे दारिद्र क़ैदी हैं, जिन्हे इज्जत के लिए मजदूर और किसान कहते हैं। उन बेचारों को भर पेट मिट्टी मिली हुई वे रोटियाँ और कीचड सी वह दाल और घास का वह भल्लरा भी भरपेट नसीब नहीं होता, जो इस बड़ी जागीर के मालिक लोग डाकुओं, चोरों, हत्यारों, लठवारों और अत्याचारी गुण्डों को इस किले के भीतर की जेलों में खुशी से देते हैं। क्या संसार में ऐसी दुर्दशा किसी सभ्य देश की सुनी गई है ?

इस संसार के अनुपम और विशाल किले के भीतर, इन क़ैदियों की लां दशा है, अगर उसका पूरा और सबा चित्र इन्हीं क़ैदियों के

सामने रक्खा जाय और उन्हें उनके कष्टों की गम्भीरता का पूरा ज्ञान करा दिया जाय तो शायद उसका फल अत्यन्त भयङ्कर हो, जिसका अनुमान करना बड़ा कठिन है। भूल और अज्ञान ऐसे मौकों पर बहुत बड़ी चीज है, उससे लाभ भी है, और हानि भी। भूल और अज्ञान की बेहोशी में भारतवर्ष को नशतर पर नशतर लगते जाते हैं, खून का चूसा जाना लार्ड सैलिस्बरी की राय के विरुद्ध अन्धाधुन्ध जारी है। इस बेहोशी को कायम रखने के लिए भारत के रहनेवाले सौ में चौरानवे आदमियों को सब तरह की शिक्षा से विदेशी सरकार ने अलग रक्खा है, और कहा यह जाता है कि आम तालीम पहले कभी दी ही नहीं जाती थी। पहले के किसान खेती के काम में जितने होशियार थे उसकी गवाही में पुराने विदेशी लेखक लाख-लाख मुँह से सराहना करते थे। परन्तु गिरमिट की गुलामी ने हमारे यहाँ से कुछ तो खेती की कला में कुशल मजूरों और किसानों को विदेशों में भेज दिया, और अधिकांश भारी लगान कर्जा आदि के बोझ से लदकर उजड़ गये। नये ढंग की मुकदमेबाजी में फँस-फँस कर मर-खप गये, और महामारी हैजा आदि दुर्भिक्ष के रोग उन्हें उठा ले गये। अकाल बारम्बार पड़ने लगे, और इतनी जल्दी-जल्दी पड़े कि भारतवर्ष में आज अकाल सदा के लिए ठहर गया है। इन सब बातों ने भारत के किसानों की खेती की कला को चौपट कर दिया। जब बेटे को सिखाने का समय आया, बाप चल बसा। भाई-भाई में मुकदमेबाजी हुई, बँटवारे में चार-चार पक्के बीधे खेत लेकर अलग हो गये। अब हर भाई को अपना-अपना हल-बैल अलग रखना पड़ा। उधर मुकदमेबाजी ने घर की सम्पत्ति को स्वाहा कर दिया, इधर साहूकार के दिये हुए ऋण ने व्याज और सूद पर

सूद मिला कर सुरसा की तरह अपना मुँह बढ़ाया, और अन्त में रहे-सहे वह चार बीघे मय हल-बैल के निकल गया। घर-घर किसानों के यहाँ यही कहानी आज तक दोहराई जा रही है। गाँवों का उजड़ना आज तक जारी है।

आज भारतवर्ष में बच्चों की मौतें जितनी ज्यादा होती हैं, संसार में कहीं नहीं होतीं। दरिद्रता के कारण माँ-बाप न तो बच्चों को दूध दे सकते हैं और न उनके पालनपोषण की ओर ध्यान देते हैं। बच्चों के होने समय न तो किसी तरह की सहायता पा सकते हैं। और न सफाई रख सकते हैं। सफाई और तन्दुरुस्ती भी कुछ अंश तक धन के सहारे ही होती है। इसीलिए दरिद्रता और दुर्भिक्ष ने पहले रास्ता साफ करके रोगों के खेमे खड़े किये, और जब मौत का पड़ाव बन गया, यमराज ने आकर डेरे डाले। आज भारतवासियों की औसत उम्र २८ बरस की हो गई है। जितने आदमी भारतवर्ष में मरते हैं, उतने संसार में और कहीं नहीं मरते। और देशों की हुकूमतें अपनी आवादी बढ़ाने की चिन्ता में रहती हैं, सुख, समृद्धि बढ़ाती रहती हैं, और इन बातों के लिए जरूरत पड़ती है, तो खून की नदियाँ बहा जाती हैं। यहाँ की हुकूमत भी खून की नदियाँ बहाती है, परन्तु खून होता है भारतवासियों का, और नदियाँ बहा कर निलायत के सुख-समृद्धि को सींचती हैं, और बढ़ाती है। इस किले के महा-प्रभुओं को यह मंशा नहीं है कि कैदियों की ठठरियों में जो खून बने, वह उनके पास रह जाय। मचेस्टरवालों को तो शायद इस बात में खुशी होगी कि भारत में मौतें ज्यादा होती हैं, और कफ़न की चिक्री अच्छी हांती है।

हाथ-पैर के मजबूत और खेती के काम में कुशल किसान जब

देश में एक बार उजड़ जाते हैं, तो देश के सम्भालने में युगों का समय लग जाता है। भारतवर्ष की उजड़ी खेती को फिर पहले की तरह अच्छी दशा में लाने के लिए अब से सैकड़ों बरस लगेंगे शर्त यह है कि सुधार के काम में भारत के लोग प्राणपण लग जायँ। विदेशी सरकार हमारी उन्नति के लिए अपने को बहुत चिन्तित प्रकट करती है परन्तु यह दम्भ मात्र है। उसे वस्तुतः चिन्ता यह रहती है कि पैदावार घटकर हमारी आमदनी को न घटा दे।

आज भारतवर्ष में बेकारी का डंका बज रहा है। यह बात जग जाहिर है कि खेती में कहीं भी बारहों मास के लिए किसान या मजूर को काम नहीं मिल सकता। बंगाल के फरीदपुर जिले को भारतवर्ष में आदर्श समृद्ध जिला बताते हुए जैक नामक एक सिविलियन लिखता है कि यहाँ का किसान तीन महीने की कड़ी मेहनत के बाद नौ महीने बिलकुल बेकारी में बिताता है।^१ “अगर वह धान के सिवा पटसन भी उपजाता है तो जुलाई और अगस्त के महीनों में उसे छ. हफ्ते का काम और रहता है।”^१ इस तरह कम से कम साढ़े सात महीने बंगाल के किसान बेकार रहते हैं। श्री कैलवर्ट का^२ कहना है कि पंजाब के किसान ३६५ दिनों में अधिक से अधिक १५० दिन पूर्ण मेहनत करते हैं। बाकी सात महीने बेकार रहते हैं। सयुक्तप्रान्त के लिए श्री इडाई का वयान है कि दो बार बोवाई, दो फसलों की कटाई, बरसात में कमी-कमी निराई और जाड़ों में तीन बार सिंचाई—किसान के लिए कड़ी मेहनत का काम इतना ही है—

१. J. C. Jack : The Economic life of a Bengal District, Oxford, 1916, pp. 89.

२. Calvert's Wealth Welfare of the Punjab PP. 245

वाकी साल भर किसान बिलकुल बेकार रहता है। विहार और उड़ीसा के लिए श्री टाल्लेंटस और मध्यप्रान्त के लिए श्री राउटन भी ऐसा ही कहते हैं। श्री गिलवर्ट स्लेटर का कहना है कि मद्रास प्रान्त में जहाँ एक फसल होती है वहाँ किसान को केवल पाँच महीने काम पड़ता है और जहाँ दो फसल होती है वहाँ कुल ८ महीने, इस तरह कम से कम चार महीने किसान को दक्षिण देश में बेकार रहना पड़ता है।^१ इस तरह भारतवर्ष भर में कम से कम चार महीने से लेकर नौ महीने तक किसान बिलकुल बेकार रहता है। श्री प्रेग ने भारत के पक्ष को अत्यन्त दबाकर औसत बेकारी कम से कम तीन महीने रखी है। अपने ही पक्ष में अटकल की ऐसी कड़ाई वर्तमान लेखक अन्याय समझता है। यह औसत साढ़े छः महीने होता है परन्तु समीक्षा की कड़ाई और हिसाब के सुभीते के लिए हम इसे छः महीना रखते हैं।

भारतवर्ष की खेती पर निर्भर करनेवाली आबादी मैकड़ा पीछे ७५ के लगभग है। इसमें भी जो लोग खेतों पर मेहनत का काम करते हैं उनकी गिनती लगभग पौने ग्यारह करोड़ है। हम बिना किसी अत्युक्ति के यह कह सकते हैं कि यही पौने ग्यारह करोड़ आदमी औसत छः महीने बिलकुल बेकार रहते हैं। कड़े अकाल के दिनों में विदेशी सरकार सहायता के रूप में भारत के भुखण्डों से कसकर काम लेती है और दो आने रोज मजूरी देती है। हिसाब के सुभीने के लिए हम पौने ग्यारह करोड़ की जगह दस ही करोड़ लें

^१ Prof. Gilbert Steater *Some South Indian Villages Oxford University Press, London* p 16, and *Census Reports* pp 270, 271 and 274, For Bihar & Orissa, U P, and C P. respectively.

और केवल एकसौ अस्सी दिनों की मजूरी दो आने रोज के हिसाब से रक्खें तो आदमी पीछे साढ़े बाईस रुपये होते हैं। छः महीने में दस करोड़ आदमियों की मजूरी के इस हिसाब से सवा दो अरब रुपये होते हैं, या सवा करोड़ रुपया रोजाना होता है। इन पौने ग्यारह करोड़ मनुष्य रूपी मशीनों को बेकार रखकर विदेशी सरकार सवा करोड़ रुपये रोज और सवा दो अरब रुपये सालाने का घाटा कराती है। अगर इसे बेकारी का टैक्स समझा जाय, तो भारतवर्ष को इस भयानक बेकारी के पीछे सिर पीछे सात रुपये के लगभग खोना पड़ता है। जिस आदमी की आमदनी साल में छत्तीस रुपये हों, वह क्या सात रुपये या अपनी आमदनी का पंचमांश खो देना सह सकेगा ?

सन्वत् १९७८ की मालगुजारी की रकम जो सरकार ने वसूल की, सवा अरब से कुछ अधिक थी। भारत की सारी आमदनी सन्वत् १९८१ की एक अरब अड़तीस करोड़ के ऊपर थी। भारत सरकार का कुल खर्च जो उस साल हुआ, एक अरब साढ़े बत्तीस करोड़ से कम था। यही मदें विदेशी सरकार की आमदनी और खर्च की मदों में सबसे बड़ी हैं। बेकारी के कारण भारतवर्ष को जितना हर साल खोना पड़ता है, वह इनमें बड़ी-से-बड़ी मद का पौने दो गुने से ज्यादा है। यह तो किसानों की मजूरी की रकम का हिसाब रक्खा गया, परन्तु यही मजूर लोग काम करके जो माल तैयार करते वह उनकी मजूरी से कई गुना ज्यादा कीमत का होता। तैयार माल की कीमत अगर मजदूरी की दूनी भी लगाई जाय तो पौने सात अरब सालाना का घाटा होता है। हर साल पौने सात अरब का घाटा उठानेवाले किसान अगर कुल आठ ही अरब के कर्जदार हो तो यह कर्जा कुछ ज्यादा नहीं है। परन्तु जैसे ससार के

किसी सभ्य देश के किसान अपनी जिंदगी के आधे दिन न तो इस तरह बेकार खोते हैं, और न कई करोड़ की संख्या में पेट पर पत्थर बाँधकर सो रहते हैं, और न इस तरह भयानक रूप से शृणासुर के ढाढ़ों के बीच पिस रहे हैं।

इस भयङ्कर बेकारी का भयानक परिणाम भी देखने में आ रहा है। खानों दिमाग में शैतान काम करता है। जिन लोगों को कोई काम नहीं है वे ज्यादातर हुक्का पीते हैं और तमाखू फूँक डालते हैं। तमाखू का जहर हमारे समाज के अग के रोयें रोयें में फैल गया है। तमाखू आदर-सत्कार की चीज बन गई है। जो तमाखू खून को खराब कर देता है, हृदय और आँतों को बिगाड़ देता है, आँख की रोशनी को खराब कर देता है अच्छे खासे मर्द को नामर्द बना देता है, क्षय रोग पैदा करता है, और आदमी के जीवन को घटा देता है, उसी जहर की खेती कमाई करने के लिए नहीं तो अपना नाश करने के लिए किसान करता ही है। परन्तु वह इस तरह पर केवल अपने तन-मन को ही नहीं खराब करता, बल्कि अपने देश के धन का भी नाश करता है। अगर हम मान लें, कि भारत के बत्तीस करोड़ प्राणियों में केवल आठ करोड़ प्राणी धेले की तमाखू रोज खाते, पीते, सूँघते और फूँकते हैं तो इस जहर के पीछे सवा छः लाख रुपये रोज फूँक देते हैं। साल में तेईस करोड़ के लगभग तमाखू में खर्च कर देते हैं। ताड़ी और शराब की आमदनी से सरकार अंधाधुन्ध फायदा उठाती है, वह तो इसका खासा प्रचार करती है। रहे सहे किसान इन जहरों के कारण उजड़ते जाते हैं। हमारे देश में लगभग बारह लाख एकड़ में तमाखू की खेती होती है। "शैतान की लकड़ी" के लेखक ने तो अटकल लगाया है, कि पचास करोड़ रुपये

की तमाखू हमारे देश में खप जाती है। सन् १९२० ई० में सरकार को शराब से बीस करोड़ से ज्यादा आमदनी हुई। अफीम से सन् १९१९-२० में सरकार को ढाई करोड़ से अधिक आमदनी हुई। गॉंजा, भाँग, चरस, चाय काफी आदि नशे की चीजें भी बेकार किसान को तबाह कर रही हैं।

यह भुक्खड़ जिन्हे आधा पेट खाना भी नहीं नसीब होता नशा किसलिए सेवन करते हैं। भूखा आदमी पापी पेट को भरने के लिए लाचार होकर ऐसे काम भी कर डालता है, जिनके करने में उसे शर्म आती है। जब वह होश में रहता है तब भीतरवाला ऐसे कामों के करने में रुकावट डालता है, परन्तु शरीर का बाहरी काम कैसे चले। भुक्खड़ भीतरवाले की आवाज़ सुनना नहीं चाहता, इसलिए नशे से अपने को बेहोश कर देता है। भूखे बाल-बच्चे कष्ट से तड़फ रहे हैं, कमानेवाला बाप उनके मुँह में अन्न नहीं रख सकता। जी तोड़कर मेहनत करता है, परन्तु मजूरीं काफी नहीं मिलती। घोर अकाल के समय में भी भारत में काफी अन्न मौजूद रहता है, परन्तु दरिद्र भुक्खड़ के पास पैसे कहाँ हैं, कि मोल ले सकें। वह बेचारा चिन्ताओं से व्याकुल हो जाता है, तड़पते बाल बच्चे देखे नहीं जा सकते, नशा उसे बेहोश कर देता है। इसीलिए वह किसी न किसी ढंग से अपने को बेहोश कर लेता है। पाप करने के लिए जिस तरह आदमी नशा पीता है, पाप कराने के लिए भी उसी तरह दूसरों को नशा पिलाता है। विदेशी सरकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए इस विशाल किले के कैदियों को बेहोश रखने के लिए भाँति-भाँति से नशा पिलाती है। हमारे किसान नशे के पीछे भी बेतरह बरबाद हो रहे हैं।

गायों से ज्यादा सीधा कोई पशु नहीं है, परन्तु चारा थोड़ा हो,

और गाँवें अधिक हों, तो भी आपस में लड़ जायँगी। दरिद्रता की जैसी विकट दशा में हमारा देश है वद तो प्रकट ही है। खाने को थोड़ा मिलता है, और बेकारी हद से ज्यादा है, तो उसका नतीजा ऋगडा-ऋसाद क सिवा कुछ नहीं हो सकता। यही बात है कि कोई गाँव ऐसा नहीं है। और किसी गाँव में एक घर भी ऐसा नहीं है, जिसमें ऋगडा-ऋसाद का बाजार गर्म न हो, और जहाँ आये दिन लोगों में लठ्ठवाजी न होती हो, और फौजदारी या दीवानी तक जाने की नौबत न आती हो। गाँव का पटवारी और चौकीदार और थाने के दारोगा, सिपाही हमेशा इसी फिक्र में रहते हैं, कि कोई ऋगडा खड़ा हो और उनकी जेबे गर्म हो। ऋगडे में ऋगडनेवालों का नुकसान ही नुकसान रहता है। और अपनी शान में ही कोरे रह जाते हैं, और सरकारी लोमड़ियाँ शिकार का बारा-न्यारा करती हैं। गाँव-वालों में कचहरी की दलाली का रोजगार दरिद्रों को इसी कफन खसोटी में पैदा कर दिया है। जहाँ गाँवों का मुखिया बिना एक कौड़ों खर्च कराये सच्चा और शुद्ध न्याय कर देता था, वहाँ आज गाँव के दलाल उकसा-उकसा कर चिड़िया लड़ाते हैं, और भुक्खड़ों तक को अदालत के दरवाजे पर पहुँचाकर अपना सर्वस्व लेने में कोई कोर कसर नहीं रखने।

४. गाँव का सरकारी प्रबन्ध और लगान-निति

गाँव के प्रबन्ध के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक गाँव में मुख्यतः दो मुलाजिम रहने हैं, एक पटवारी और दूसरा चौकीदार। पटवारी को जमीन की नाप-जोख खेतों का लगान और जमीन के बँटवारे आदि का रेकार्ड रखना पड़ता है। पटवारी इसलिए रखवा

जाता है कि उससे गाँव का पूरा हाल हुकूमत को मित्रे। चौकीदार पुलिस की ओर से रहता है कि किसी तरह का उपद्रव हो तो वह उसकी खबर ऊपरी अफसरों को दे। विदेशी सरकार की वर्तमान लगान-नीति को समझने के लिए 'टाइम्स' की 'इण्डियन इयर बुक' में जो लेख है उसका सार यह है :—

सरकार की ज़मीन के लगान-सम्बन्धी नीति यही है कि ज़मीन की मालिक सरकार है और ज़मीन का जगाव एक तरह से उसे मिलने वाला किराया है। सरकार इस बात को अनुभव करती है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से इस व्याख्या पर आपत्ति की जा सकती है, पर वह कहती है कि सरकार और किसान के बीच अभी जो सम्बन्ध है उसको स्पष्ट करने के लिए यही शब्द उपयुक्त हैं। किसान अपनी ज़मीन की हैसियत के अनुसार सरकार को जगाव देता है। जगाव पर समय समय पर पुनः विचार करने के लिए जो सरकारी कार्यवाही होती है, उसे सेटलमेण्ट या बन्दोबस्त कहा जाता है। भारत में दो तरह के बन्दोबस्त हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी बन्दोबस्त में तो जगाव हमेशा के लिए स्थिर कर दिया जाता है। जो किसान से वहाँ वार्षिक ज़मींदार से वसूल किया जाता है। लार्ड कार्नवालिस ने सन् १७६५ में स्थायी बन्दोबस्त कर दिया। अवध और मद्रास के प्रान्तों के कुछ हिस्सों में भी स्थायी जगाव निश्चित कर दिया गया था। शेष सारे देश में स्थायी बन्दोबस्त की प्रथा जारी है। सरकार के सरवे विभाग द्वारा जो गई सरवे के आधार पर तीस-तीस वर्ष में प्रत्येक ज़िले की ज़मीन की पूरी जाँच होती है। प्रत्येक गाँव की ज़मीन नापी जाती है। बक्राये बनते हैं। हरेक किसान के खेत को उसमें प्रत्येक-

पृथक बताया जाता है, और उनके अधिकारों का रजिस्टर रक्खा जात है, जिसमें ज़मीनों का खेन-देन आदि लिख लिया जाता है। इस पुस्तक को 'बालिबुद्ध अज़' (रेकॉर्ड ऑव राइट्स) भी कहते हैं। यह सब जाँचकर उसके अनुसार जगान कायम करने का काम भारत सरकार की सिविल सर्विस के प्लास तौर पर नियुक्त सभ्यों द्वारा होता है जिन्हें सेटलमेण्ट अफसर कहा जाता है। मि० स्टेची अपनी अपनी पुस्तक (इण्डिया के संशोधित संस्करण १९११) में सेटलमेण्ट अफसर के कार्यों का नीचे लिखे अनुसार दिग्दर्शन कराते हैं—

सेटलमेण्ट अफसर का काम

“सेटलमेण्ट अफसर को सरकार की सौग निश्चित करनी पड़ती है, और जमीन सम्बन्धी तमाम अधिकारों, हकों और जिम्मेदारियों को रजिस्टर कर लेना पड़ता है। उसकी सहायता के बिना इस काम के अनुभवी सहायक भी दिये जाते हैं। जो प्रायः सब देशी ही होते हैं। एक ज़िन्ने का इन्तकाम करना एक बड़ी जिम्मेदारी का और भारी काम है, जिसमें दिन-रात काम में लगे रहने पर भी बरसों लग जाते थे। खेती-विभाग की स्थापना तथा अन्य सुधारों के कारण अब तो सेटलमेण्ट अफसर का काम बहुत कुछ आसान हो गया है, और वह पहले की अपेक्षा बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। जितना भी काम सेटलमेण्ट अफसर द्वारा होता है, उसकी उच्चाधिकारियों द्वारा जाँच होती है, और जगान-विषय सम्बन्धी उसकी सिफारिशें तभी अन्तिम समझी जाती हैं। उसके न्याय-सम्बन्धी निर्णयों की जाँच दीवानी अदालतों में हो सकती है। सेटलमेण्ट अफसर का यह कर्तव्य है कि वह जमीन सम्बन्धी उस तमाम अधिकारों और हकूकत को नोट करले, जिसपर आगे चलकर किसान और सरकार के बीच खगदा होने-

की सम्भावना हो। मतलब यह कि वह किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो कुछ भी बात हो, उसी को वह ठीक-ठीक लिख ले।”

दो प्रणालियाँ

अस्थायी बन्दोबस्त में भी लगान दो प्रणालियों से वसूल किया जाता है; एक रैयतवारी और दूसरी ज़मींदारी। जहाँ तक लगान से सम्बन्ध है, दोनों में स्थूल रूप से यह भेद है कि रैयतवारी प्रणाली से जिन प्रदेशों में लगान वसूल किया जाता है, वहाँ काश्तकार सीधा सरकार को लगान देता है, जहाँ ज़मींदारी प्रणाली है, वहाँ ज़मींदार अपने इलाके का लगान खुद वसूल करके देता है। अवश्य ही इसमें उसे भी कुछ हिस्सा मिलता है।

रैयतवारी प्रणाली भी दो तरह की होती है। एक तो वही जिसमें किसान खुद सरकार को लगान देता है, और दूसरी वह जिसमें गाँव या जाति का मुखिया गाँव से लगान वसूल करने देता है। सरकार के प्रति जिम्मेदार तो मुखिया ही होता है इस तरह की रीति उत्तर भारत में अधिक है और पहिले प्रकार की रैयतवारी प्रणाली मद्रास, बम्बई, ब्रह्म और आसाम में प्रचलित है।

पहले की अपेक्षा अस्तित्व की लगान नीति सब प्रकार की ज़मीनों पर, किसानों के लिए अधिक अनुकूल है। पहले तो आगामी सेटलमेण्ट की अवधि में ज़मीन की जो औसत कृती जाती थी, उसीपर लगान लगा दिया जाता था। अब तो लगान कृते समय ज़मीन की जो उपज प्रत्यक्ष पाई जाती है, उसी के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता है। इसलिये किसान अगर अपनी मेहनत से ज़मीन की पैदावार को कुछ बढ़ा लेता है, तो उसका सारा फायदा उसीको मिलता है। हाँ, नये बन्दोबस्त में इस ज़मीन को किस वर्ग में रखना

जाय, इसपर पुनः विचार करके, यदि किसान का लाभ नहर, रेल जैसी सार्वजनिक लाभ की वस्तु के कारण अथवा बाजार भावों में वृद्धि होने के कारण बढ़ गया हो, तो उस जमीन को नये वर्ग में ढाका जा सकता है। पर सरकार ने इस सिद्धान्त को अब मान लिया है कि किसी झास तरीके पर कोई किसान अगर अपनी जमीन की उपज बढ़ा लेता है, तो उसपर लगान न बढ़ाय जाय। इस विषय में उसने कुछ नियम भी बना लिये हैं।

लगान की तादाद

भारत में ज़मीन पर जो लगान लिया जाता है, उसकी एक निश्चित दर नहीं है। वह स्थायी बन्दोबस्तवाले सूबों में एक प्रकार का है तो अस्थायी बन्दोबस्तवाले सूबों में दूसरे प्रकार का। फिर जमींदारी तथा रैयतवारी प्रदेशों में और भी अलग-अलग। रैयतवारी में भी वह ज़मीन की किस्म उसके अधिकार आदि के अनुसार न्यून-अधिक है। बंगाल में लगभग १६०००००००) रुपये जमींदार लोग अपनी रैयत से वसूल करते हैं, परन्तु चूँकि वहाँ स्थायी बन्दोबस्त हो गया है, इसलिए सरकार उसमें से केवल ४०००००००) रुपये लेती है। अस्थायी बन्दोबस्तवाले प्रदेशों में ज़मींदारों से, अधिक से-अधिक लगान का ५० फ्री सैकड़ा सरकार वसूल करती है। कहीं-कहीं तो उसे फ्री सैकड़ा ३५ बरिफ २५ ही पड़ता है। पर यह निश्चित है कि वह फ्री सैकड़ा ५० से कभी अधिक नहीं होता। रैयतवारी प्रणाली में सरकार का हिस्सा कितना होता है यह ठीक-ठीक बताना ज़रा कठिन ही है। पर ज़मीन की पैदावार का अधिक-से-अधिक पाँचवाँ हिस्सा सरकार का भाग समझ लिया जाय। इससे कम तो कई प्रकार के रेट मिलेंगे, पर इससे अधिक तो कहीं नहीं है।

लगभग सोलह सत्रह वर्ष पहले भारत के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने भारत सरकार को अपने दस्तख़त से इस आशय की एक दरखास्त (Memorial) भेजी थी, कि वह ज़मीन की उपज के पाँचवें हिस्से पे ज्यादा लगान कभी न ले। उस समय लाई कर्ज़न वाइसराय थे। इन्होंने इस 'मेमोरियल' तथा अन्य 'रिप्रेज़ेन्टेशन्स' के जवाब में अपनी लगान-नीति के बचाव में एक प्रस्ताव प्रकाशित किया था। उसमें लिखा था कि "सरकार को जितना लगान लेने को अभी कहा जा रहा है, उससे तो इस समय वह बहुत कम ले रही है। प्रत्येक प्रान्त में औसतन लगान इससे कम ही है।" यह प्रस्ताव तथा उन प्रान्तीय सरकारों के बयान भी, जिनपर यह कथन आधार रखता था, बाद में हुस्तकाकार छुपा दिये गये थे। आज भी सरकार की लगान-नीति के नियमों को प्रकट करनेवाली वही सबसे प्रमाणिक पुस्तक समझी जाती है। उपर्युक्त प्रस्ताव में अनेक सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं, उनमें से मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

लगान नीति

"(१) जमींदारी प्रदेशों में सरकार की नीति की कुंजी यही है कि धीरे-धीरे लगान कम किया जाय। अधिक-से-अधिक फ़ी सैकड़ा ५० शालगुजारी ली जाय। इस समय तो यदि ग़लती होती है, तो लगान कम रखा किया जाता है, अधिक नहीं।

(२) इन प्रदेशों में जमींदारों के अत्याचारों से कारतकारों को बचाने के लिए क़ानून बनाकर या अन्य तरह से हस्तक्षेप करने में सरकार कभी हिचकिचाती नहीं।

(३) रैयतवारी प्रदेशों में बन्दोबस्त की मीयाद दिन-ब-दिन अधिक बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नये बन्दोबस्त के समय जो-जो

कार्यवाहियाँ होती हैं उनको अधिक सरख और सस्ती बनाने की नीति है।

(४) ज़मीन सम्बन्धी स्थानीय कर बहुत ज्यादा और भारी नहीं है।

(५) जैसा कि कहा जा रहा है, ज़मीन से इतना कर वसूल नहीं किया जा रहा है कि उसके कारण लोग दरिद्र और कंगाल हो रहे हों। वही तरह अकालों का कारण भी लगान नीति नहीं है। तथापि सरकार ने आगे के कार्य की सुविधा के लिए कुछ सिद्धान्त प्रायम कर लिये हैं।

(अ) अगर लगान से इजाज़ा करना है तो वह क्रमशः और धीरे-धीरे किया जाय।

(ब) लगान वसूल करने में कुछ उदारता से काम लिया जाय। मौसिम तथा किसानों की दशा को ध्यान में रखते हुए, कभी-कभी लगान वसूल करने की तारीख़ बढ़ा दी जाय और लगान माफ़ भी कर दिया जाय।

(इ) स्थानीय कठिनाई के समय लगान बड़े पैमाने पर घटाया भी जा सकता है।”

ऊपर की प्रकाशित नीति हाथी के दिखाने के दाँत हैं। खाने के दाँत और ही है। इस अवतरण से तो ऐसा जान पड़ता है कि प्रजा का दरिद्र होना, बार-बार अकाल का पड़ना, करोड़ों की संख्या में भारतवासियों का मरना सब कुछ भारतवासियों के अपने कसूर से है। लगान और मालगुजारी की सारी शिकायतें भूठ हैं। उसका एक अच्छा सा उदाहरण यह है कि गवर्नमेण्ट कहती तो है कि हम मुनाफ़े का ज्यादा-से-ज्यादा आधा लेते हैं परन्तु मातार ताल्लुका (गुजरात) में लगान का ३२६ गुना कर लगाया गया। दो एक गाँवों में ५१

प्रतिशत था, परन्तु बाकी सब गाँवों में ७१ से लेकर ९४ प्रतिशत तक कर लगाया गया था। जो बातें इस सम्बन्ध में सरकार के ही बताये हुए अंकों के आधार पर हम पहले दिखा आये हैं उनके ऊपर इस अवतरण से कैसी सफेदी हो जाती है। ज्यादा टीका-टिप्पणी की जरूरत नहीं है। सारांश यह कि इस सफेदी के होते हुए भी अत्यन्त कठोर और किसी प्रकार न मिटनेवाला सत्य यह है कि संसार में कोई देश न तो भारत-सा दरिद्र है, और न ऐसे भारी भूमि-कर की चक्की में पिस रहा है। इस भारी कर के बोझ को सहना भी हमारे देश के लिए लाभकर होता, अगर यह धन हमारे देश के भीतर ही खर्च किया जाता। एक तो भारी कर का अत्याचार था ही, दूसरे उससे भी कहीं भारी अत्याचार यह है, कि देश का धन बाहर चला जाता है। इसपर बड़े भोलेपन से यह जवाब दिया जाता है कि आखिर हुकूमत का खर्च और सेना का खर्च कैसे चले ? दरिद्र किसान इस जवाब से कर्मा सन्तुष्ट नहीं हो सकता। “अगर आप किरायेत से खर्च नहीं कर सकते, तो आपमें वन्दोबस्त की योग्यता नहीं है। आपने हमसे कब पूछा कि हम इतना खर्चीला वन्दोबस्त करें या न करें। हमें आपकी सेवा नहीं चाहिए। आपके लुटाऊ कलेक्टर और कमिश्नर नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए रोटियाँ, जिनके लिए हम तरस रहे हैं।”

१ “An Economic Survey” Young India, 1929 page 389 para 6.

किसानों की बरबादी

१. क्या थे क्या हो गये ?

हम जब अपने पहले की सुख-समृद्धि के इतिहास से आज की अपनी दशा का मुकाबला करते हैं, तो चकरा जाते हैं कि हम क्या थे आज क्या हो गए। हम सुख से रहते आए। मेहमानों से जी खोलकर मिलते रहे। मेहमान आते थे तो हम अपना परम सौभाग्य मानते थे। उनके साथ हमारे घरों में कल्याण आता था। लक्ष्मी आती थी। परन्तु जबसे ये विदेशी व्यापारी मेहमान आए तभी से हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया। पहले भी विदेशियों से सम्बन्ध था। परन्तु वे सचमुच व्यापारी थे। लुटेरे न थे। ये कैसे मेहमान आये जिनकी निगाह सदा हमारे माल पर रही और आज भी, जब हम बरबाद हो गए हैं, उनकी लूट-खसोट घटने का नाम नहीं लेती।

२. लुटेरों की मेहमानी

जिस समय विदेशियों से हमारा अधिक सम्बन्ध न था उस समय भारतवासियों की खत्ती बखारियों में अन्न समाता न था, पशु बधेष्ट थे, दूध घी अच्छी तरह मिलता था, लोगों के शरीर पर भजवृत कपड़े भी अच्छी तरह दिखाई देते थे और महँगी का तो कहीं नाम भी न था। उन दिनों हृदय में कंजूसी को जगह न मिलती थी। कोई मेहमान आ जाता था तो वह भार नहीं होता था। उसके आने

से किसान फूले नहीं समाता था। देशवासियों में सादगी, सन्तोष तथा आजादी दिखाई देती थी। किन्तु जवसे हम शिकारियों के जाल में उलझ गए, तबसे हमारा धन और माल जहाजों में लद-लदकर यहाँ से जाने लगा। पहले यहाँ की अनमोल कारीगरी की चीजें ही जाती थीं परन्तु अब कच्चा माल ढो-ढो कर जाने लगा। आज तो विदेशियों का बस चले तो वे भारत भूमि की अर्धे तक निकालकर रेल में लादकर ले जायें। और यही हो भी रहा है। सोना, चाँदी और मँगनीज आदि धातुओं की खानों से जो माल निकलता है, वह कहाँ जाता है? अन्न, रुई, तेलहन यहाँ तक कि हड्डियाँ तक बिनबा-बिनबा कर कहाँ जाती हैं? साथ ही मजेदार बात यह है, कि हमें बतलाया जाता है, कि अंग्रेजों को यह सब लूटने का परिश्रम हमारे ही लाभ के लिए करना पड़ता है। पाँच करोड़ की रुई जाती है और साठ करोड़ का कपड़ा आता है। बीच के पचपन करोड़ कहाँ चले जाते हैं? इस लूट से तो नादिरशाह की लूट अच्छी थी। उस लूट को हम लूट तो कह सकते हैं। यह कम्पडशाह की लूट तो लूट भी नहीं कहलाती। वह तो यही कहता है कि भारतवासियों के शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें सस्ते कपड़े देने और उन्हें भाँति-भाँति के लाभ पहुँचाने के लिए ही वह यहाँ आया है। यही तो उसका जादू है। और सबसे बढ़कर अचरज की बात तो यह है कि भारत के किसान उसकी लूट में शामिल होते हैं और उसमें अपना लाभ समझते हैं।

३. उनका जादू

विदेशियों ने कहा कि तुम्हें खेती करना नहीं आता। तुम्हारे हल और औजार बहुत पुराने हैं, तुम्हारा खेती का ढंग पुराना है—जंगली

है। अब तुम्हें विलायती ढंग के लोहे के हल काम में लाना चाहिए। हमारा कृषि विभाग उसका प्रयोग करके दिखावेगा। हमारे अनेक सीधे-सादे किसान इस भ्रम में पड़कर, कि साहब जो कहते हैं ठीक होगा, उनके कहे पर चले, परन्तु नतीजा उलटा ही हुआ। साहब कहते हैं कि किसानों के खेत विस्तार में बहुत छोटे-छोटे हैं। इस तरह के खेतों में वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो सकती। भाफ के इजन से चलनेवाले औजार इनमें काम नहीं दे सकते। इसलिए छोटे-छोटे किसानों को उजाड़ कर जमीन के बहुत बड़े टुकड़ों में खेती करनी चाहिए। ठीक है, घर-घर में छोटे-छोटे चूल्हे रखने में हरेक घर की स्त्रियों को रोटी-पानी में फँसना पड़ता है, और उनका बहुत समय नष्ट होता है। यदि इनके स्थान में बड़े-बड़े भठियारखाने खोल दिये जायँ, तो अनेक स्त्रियों को फुसरत मिल जाय, उनका समय बचे और आर्थिक दृष्टि से भी लाभ हो। अक रखकर भी यह लाभ सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए छोटे-छोटे चूल्हों को नष्ट करके रोटी-पानी के संकट से भी पीछा क्यों न छुड़ा लिया जाय ? भारतवासी जंगली हैं। उनका उत्तराधिकार का कानून भी पुराने ढंग का है। उसके कारण जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटती जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक नया कानून बनाकर छोटे-छोटे किसानों से जमीन छीन ली जानी चाहिए, और किसी बड़े जमींदार को—चाहे वह गौरा हो या काला—दे देनी चाहिए। इससे पैदावार बढ़ेगी, वैज्ञानिक ढंग से खेती हो सकेगी और आधुनिक औजार काम में लाये जा सकेंगे। औजार सब विलायत से आर्येंगे, दूटें फूटेंगे तो उनके कल पुर्जे भी वहीं से मँगाने पड़ेंगे। वैज्ञानिक खाद भी काम में लाई जाय ताकि उसे बनाने और बेचनेवाली

कम्पनियों को लाभ हो। उपाय तो बहुत बढ़िया है। इसकी बदौलत छोटे-छोटे किसान ज़मीन छोड़कर मजे के मजूर बन सकते हैं। यह सब अर्थशास्त्र है। न गृहशास्त्र न नीतिशास्त्र, केवल अर्थशास्त्र—अर्थशास्त्र ॥

अर्थशास्त्र की दृष्टि से पशुपालन भी हानिकर है, इसलिए पशुओं को बेच देना चाहिए। कोई गाहक न मिले तो उन्हें कसाईखाने में भेज दीजिए। वहाँ उनकी हड्डियाँ और चमड़े आदि की अच्छी कीमत खड़ी हो जायगी। इसके बाद ले आइए पम्प और तेल के इञ्जन और छोड़िये पुर चलाकर खेत सींचने का भ्रम। कम्पनी-वाले खुद आकर इञ्जन चालू कर जायेंगे इसका वे मेहनताना भी आपसे न माँगेंगे। आपको केवल किरासिन तेल लाना होगा और कुछ नहीं। बस फिर जितनी जी चाहे उतनी सिंचाई कीजिए। किसान इस तरह की बातें सुनकर अचम्भे में पड़ जाता है, और इञ्जन लाने का विचार करने लगता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। वह सोचता है कि जो सबकी गति होगी, वही मेरी भी होगी।

४. हर बात में उन्होंने अपना फ़ायदा सोचा

पहले खेत में जो पैदावार होती उसीमें सरकार का भाग रहता था। यदि फसल पैदा होती थी, तो सरकार लगान लेती थी और फसल न होती थी तो न लेती थी। बाद को इसमें भ्रम दिसाई दी, इसलिए नगद मालगुजारी था लगान लेना स्थिर हुआ। किस जमीन का कितना लगान होना चाहिए यह निश्चित करना सरकार का काम है, इसमें किसान की सम्मति लेना ज़रूरी न रहा। वह इन बाज़ों को क्या जाने? प्राचीन काल में भारत के राजा और बादशाह पैदावार

का छठा भाग वतौर मालगुजारी के लेते थे, परन्तु अंग्रेज बहादुर ने इसे खूब बढ़ाया। किसान की मजूरी और लागत निकल आये तो गनीमत, बाकी सभी मालगुजारी में चला जाता है। स्वर्गीय दत्त महोदय ने सरकारी प्रमाणों से ही साबित कर दिया है, कि सरकार फी सैकड़ा पचास से अधिक मालगुजारी लेती है और दिन पर दिन इसमें भी इजाफा होता जा रहा है। किसान के सिर का बोझ इस तरह धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता है। मालगुजारी तै करनवाले अफसरों के खिलाफ कोई शिकायत सरकार में सुनी ही नहीं जाती। किसान अगर खेत का सुधार कर खेती की बढ़ती करता है, कुआँ खुदवाता है और पैदावार बढ़ाता है, तो उसके कारण भी मालगुजारी बढ़ जाती है। ऐसी दशा में किसान को खेती की दशा सुधारने की इच्छा कैसे हो सकती है? इस तरीके के कारण किसान की माली हालत दिन-पर-दिन खराब होती गई, और कोई सहारा न रहने के कारण अकाल में डटे रहने की ताकत घट गई। इसका नतीजा यह हुआ कि वह कर्जदार हो गया। जिसकी प्रतिष्ठा जितनी कम और अवस्था जितनी लाचार होती है, उमको व्याज भी उतना ही अधिक देना पड़ता है। इस कारण से किसानों की देनदारी धीरे-धीरे बढ़ती ही गई। इस एग्य उनके सिरपर ऋण का बोझ इतना ज्यादा हो गया है, कि वे उससे दबे जा रहे हैं और उनके छुटकारे का प्रश्न बहुत ही कठिन बन गया है।

किसानों को इस देनदारी से छुटकारा दिलाने के लिए दक्षिण भारत में एक कानून बनाया गया है, उसका नाम है “दक्षिण के किसानों को आराम पहुँचानेवाला कानून”। इस कानून के मुताबिक पहले महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में काम किया गया। इस

क़ानून से सरकार की लगान नीति की सख़्ती में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसका नतीजा सिर्फ़ यही हुआ है, कि सड़क के समय किसानों को उधार देनेवाला भी अब कोई नहीं रहा। सरकार खुद किसानों को रुपया उधार देती है और तक़ाबियाँ बाँटती है। इसकी किस्तें, नियम और ब्याज आदि बातें इस तरह गढ़ी गई हैं, कि किसान पानी से निकलकर आग में जा गिरा है। किसान को अपने पिता का व्रत कर्म करना हो या कन्या का विवाह करना हो तो उसे तक़ाबी नहीं मिल सकती। वह सिर्फ़ खेती के काम के लिए ही मिल सकती है। उसे वसूल करनेवाले भी माल मुहकमे के अफसर ही होते हैं। पत्र-पुष्प से उनकी भली भाँति पूजा करनी होती है, एक ओर तक़ाबी लेते समय किसान लूटा जाता है और दूसरी ओर उसे चुकाते समय कठिन से कठिन क़ायदों की पाबन्दी करनी पड़ती है। इससे किसान निराश हो जाता है। एक ओर महाजन ने रुपया देना बन्द कर दिया, दूसरी ओर सरकार सख़्ती करने लगी। किसान को किसीका भी सहारा न रहा। उसे खेती या गृहस्ती के खर्चों के लिए वषत बेवक़्त कुछ-न-कुछ रुपयों की ख़रूरत पड़ती ही है, लेकिन अब वे कहाँ से लाये? किसानों की इस बेबसी से एक तीसरे ही दल ने लाभ उठाया। यह दल काबुली पठानों का था। हाथ में छुरा लेकर यह दल कार्यक्षेत्र में उतरा। काबुलियों के ब्याज ने महाजन और सरकार को भी मुला दिया। रुपयों दो या हड्डियाँ तुड़वाओ। यही काबुलियों का नियम था। महाजन किसान को एकदम चूसता न था। वह आँखें दिखाता था, नरम-गरम होता था, किन्तु किसान को ज़िन्दा रहने देता था। एक तो पुश्त दर पुश्त से लेनदेन, दूसरे हिन्दू समाज, इसलिए वह

अधिक सख्ती कर भी न सकता था। किन्तु काबुली को क्या ? महाजनो का लेन-देन बन्द होने पर इस समय देहात में काबुली जो लूट मचा रहे है, उससे किसानो की हालत का पता अच्छी तरह चल सकता है। किसान खेत छोड़कर कहाँ जाय और क्या करे ? किसानों को आराम पहुँचानेवाले सरकारी कानून ने ही यह हालत पैदा की है। डाक्टर भण्डारकर जैसे सरकार के खैरखवाह ने भी एक बार व्यवस्थापिका परिषद् में काबुलियों की इन ज्यादतियों का वर्णन कर, प्रजा के प्रति सरकार के उपेक्षा भाव की निन्दा की थी। एक ओर मालगुजारी का बोझ दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिना उसके गोरे हाकिमो की बड़ी-बड़ी तनखाहे और भारतवासियो को कब्जे में रखने और विदेशो पर चढ़ाई करने के लिए रक्खी हुई फौज का खर्च चलाना कठिन है और दूसरी ओर किसानों की देनदारी और लाभदायक कहे जानेवाले कानूनो का भयङ्कर परिणाम दोनो के बीच में बेचारे किसान पिये जा रहे हैं।

किसान को रुपयो की जरूरत तो पड़ती ही है। इसके लिए उसे ऐसी चीजें बानी पड़ती हैं जिससे रुपये मिल सकें। बच्चो के लिए अन्न और पशुओ को चारा चाहिए। किंतु सरकार और काबुलियों के आगे वह इन चीजो का विचार तक नहीं करता। बच्चे और पशुओ का चाहे जो हो, सरकार का लगान और काबुली का पावना तो चुकाना ही होगा। इस प्रकार लगान देने के लिए, काबुली को खुश रखने के लिए, महाजन से कुछ अन्न पानी लिया हो तो उससे उन्मत्त होने के लिए, किसानो को अपनी पैदावार—समूचे वर्ष के कठिन परिश्रम का फल बेच देना पडता है। न वह अनुकूल भाव की राह देख सकता है, न अनुकूल समय की। फल यह होता है कि उसे

अपने माल का पूरा दाम भी नहीं मिलता। मजबूर होकर सब मिट्टी के मोल बेच देना पड़ता है। चैत में जिस समय गेहूँ पैदा होता है, उस समय उसे चार रुपये मन बेच देना पड़ता है, किन्तु बरसात में खाने या कातिक में बोनो के लिए जब उसे उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब वही छः रुपये मन खरीदना पड़ता है। नकद रुपये तो उसके पास रहते ही नहीं, इसलिए उसे यह भी उधार लेना पड़ता है। इन रुपयों का व्याज जोड़ने पर उसे पहले के भाव से दूना या इससे भी अधिक देना पड़ता है। इस तरह माली मुसीबत के कारण किसान को दूनी चोट सहनी पड़ती है। जिस समय किसानों को सरकारी किस्त चुकानी होती है, उस समय किसी हाट में जाकर देखने से, किसान किस प्रकार अपना अन्न मिट्टी मोल बेचते हैं, इसका पता चल सकता है। सरकार की किस्त महाजन या काबुली से भी भयङ्कर होता है। काबुली तो अन्त में मनुष्य ठहरा, किस्त मनुष्य थोड़े ही है जो मान जायगी। किस्त माने मशीन। मशीन चलाने के लिए आकाश टुढ़ कर या पाताल फोड़कर कहीं न कहीं से तेल लाना ही होता है। किस्त की बदौलत किसान के यहाँ साक्षात् यमराज आ पहुँचते हैं। जिस समय उनका आगमन होता है उस समय किसान को अपनी प्यारी-से-प्यारी वस्तु धँच देनी पड़ती है। पशुओं का चारानी बेच देना पड़ता है, जी जिलाने के लिये रक्खा हुआ अन्न तक बेच देना पड़ता है और वह भी मिट्टी के मोल। बाज़ार भाव तो व्यापार के अनुसार घटता बढ़ता है। उससे फायदा उठाने के लिए वस्तु का इन्तज़ार करना पड़ता है, किन्तु किस्त के समय में घटा-बढ़ी न हो सकने के कारण किसान को तत्काल अपनी चीज़ें बेच देनी पड़ती है। किसान को उन सब दुःखों से बचाने के लिए सरकार ने सहयोग समितियों की

स्थापना की। जिन किसानों की पचायतें तोड़कर उनका आपसी मेल-जोल नष्ट किया गया था, उन्हीं में इन समितियों द्वारा आपसी मेल-जोल की कोशिश की गई। लेकिन इस उपाय का परिणाम भी शून्य में ही आया। जिन गाँवों में ऐसी समितियाँ कायम की गईं, उन गाँवों को इनसे लाभ होना तो दूर रहा, उल्टे किसान इन नई किस्म के सरकारी अफसरो के नीचे इस तरह दब गये कि जिन गाँवों में ये समितियाँ अभी तक कायम हैं उनमें कोई दूसरा आन्दोलन चल ही नहीं सकता। अनुभव ने बतलाया है कि जिन गाँवों में सहयोग समितियाँ हैं उन गाँवों में खादी के आन्दोलन की जड़ नहीं जमने पाती। जम भी कैसे सकती है? किसान उस सहयोग समिति के नीचे कुछ-न-कुछ दबे ही रहते हैं। ऊपर से सुपरवाईज़र और आर्गनाइज़र उन्हें लाल पीली आँखें दिखलाया करते हैं। ऐसी अवस्था में बेचारा किसान क्या कर सकता है? सहयोग समितियों से क्या-क्या लाभ हुए इसका वर्णन हम यहाँ करना नहीं चाहते। इस सम्बन्ध में सिर्फ उतना ही कहना काफी है कि उनका व्याज, उनमें होनेवाली धूर्तता, उनकी किस्तें, उनकी सरत निगरानी और उनकी गोलमाल से जहाँ-जहाँ वे कायम हैं वहाँ लोग बंतरह ऊब उठे हैं।

५. मालगुजारी की तहसील

सरकार ने क़ानून बनाकर, सरकारी मालगुजारी साल में दो किस्तों में लेना तय किया है, किन्तु देहात में मालगुजारी वसूल करनेवाले हाकिम या पटवारी उसे एक ही वार में—एक मुश्त, वसूल करने की कोशिश करते हैं। वे किसान पर निजी तौर से दबाव डालकर उसे समझाते हैं कि, भविष्य में शायद रुपये रहे न

रहे, सरकार का लगान तो आखिर देना ही होगा, सब एकसाथ ही क्यों नहीं दे देते ?” सरकार ने कानून बनाया कि फसल चार आने से कम हो तो लगान उस साल मुलतबी रखकर अगले साल लिया जाय। किन्तु पटवारी और सर्कल इन्स्पेक्टरों की यह हालत है कि पैदावार कम होने पर भी वे अधिक ही लिख मारते हैं। इस सम्बन्ध में न तो वे किसानों से पूछते हैं न कोई जाँच ही करते हैं। कानून आल्मारियों की किताबों में ही रह जाते हैं। ऊँचे अधिकारियों को छोटे कर्मचारियों की बात माननी ही पड़ती है। न मानें तो देहात में सरकार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाय। गुजरात के खेड़ा जिले में यही हुआ था। पहले सरकार को छोटे कर्मचारियों की बात रखनी पड़ी थी, किन्तु बाद को आन्दोलन के कारण उसे अपना विचार दलना पड़ा।

छोटे कर्मचारी अक्सर रिश्वतखोर होते हैं। किसान को जब कोई काम पड़ता है तो उनकी पूजा अवश्य करनी पड़ती है। सरकारी कानून है किसी मिसिल की नकल जरूरी हो, तो एक आना देने से मेल सकती है, किन्तु चाहे जिस किसान से पूछिये, कि एक आना देनेपर क्या कभी समय पर काम हुआ है? नाम बदलवाना हो, तो पहले पटवारी साहब को एक रुपया दक्षिणा देनी होगी। पटवारी की लड़की या तहसीलदार के लड़के का ब्याह होने पर किसान क्या-क्या सौगात नजराना देते हैं, सो सुनिए। सरकारी नौकरो को तरकारी, दूध और घी में कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? उनके सफर के लिए सवारी का इन्तजाम कौन करता है? घोड़े की लगाम टूट गई तो मोची हाज़िर है, तम्बू के लिए खूंटों की जरूरत हुई तो बढ़ई बसूला लिये खड़ा है, घोड़े के लिए घास की जरूरत हुई तो किसान

की लाँक (दानो समेत अन्न के पौधो के गट्ठे) मौजूद हैं, शीतल जल के लिए घड़ा या सुराही चाहिए तो कुम्हार लिये खड़ा है, हजामत या चप्पी करवानी हुई तो नाई हाज़िर है, किसी दूसरे गाँव को चिट्ठी या खबर भेजना है तो बेगार के लिए चमार या भगी मौजूद है, दूध की जरूरत हुई तो अहीर खड़ा है। घी दूसरों को रुपये सेर नहीं मिलता, किन्तु हुजूर को रुपये का दो सेर देना होगा, क्योंकि उनसे किसी दिन काम पड़ सकता है। इस तरह छोटे-बड़े सभी हुजूर मौज करते हैं, तब मुखिया और पटवारी ही क्यों बाकी रह जायँ ? मुखिया का खेत निराना है, सभी मजूरी पेशा लोगो को दो-दो दिन मुफ्त काम करने का हुक्म निकाल दिया गया। खेत जोतना है तो किसी के हल बैल पकड़ मँगाये गये, काटने का वक्त हुआ तो मजूर बेगार मे पकड़ लाये गये, और घोड़ी के लिए चारे की आवश्यकता हुई तो किसी कुरमी काछी को रोज हरियाली का गट्टर पहुँचाने की फरमाइश की गई। यह एक प्रकार का कर है। जिस तरह देसी रियासतें सरकार को कर देती हैं, उसी तरह किसानों से यह कर लिया जाता है। सरकार उन्हें जमीन पर रहने देती है, यह क्या कोई मामूली मेहरवानी है ? सरकार की यह हुक्मत की रीति बड़े से लेकर छोटे कर्मचारियो तक छन-छन कर चलती है। हरेक काम के लिए बड़े से लेकर छोटे कर्मचारी तक का अहसान सिरपर चढ़ाना पड़ता है। इसका देशवासियों की माली हालत के सिवा चाल-चलन पर भी असर पड़ता है। जब इंग्लैण्ड और भारत के आपसी सम्बन्धो का इतिहास लिखा जायगा, तब, इंग्लैण्ड क्या-क्या लूट ले गया, यह लिखा जायगा। किन्तु जो गाँव के गाँव नष्ट हो गये हैं, लोगो की नीति छिन्न-भिन्न होगई है, जनता भी डरपोक बन गई

है। लोग भूठ बोलना सीख गये हैं, लोग मारतेखाँ को पूजने लग गये हैं, यह थोड़े ही लिखा जायगा। देश के ही मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर कुल्हाड़ी के बेंट की तरह देशवासियों पर जो चोट कर रहे हैं, वह थोड़े ही लिखा जायगा। इस देश की सभ्यता का नाश कर अंग्रेजी शासन-पद्धति ने जो बुराइयाँ की हैं, और देशवासियों को जिसतरह लोभी, डरपोक और नालायक बना दिया है, उससे लूट और कत्ल लाख दरजे अच्छे थे ! तैमूर की लूट, नादिरशाह की कत्ल और अहमदशाह अब्दाली की चढ़ाई सभी इससे अच्छे थे।

६. पशुओं की जायदाद छिन गई

अब हम लोग जरा पशुओं पर दृष्टिपात करें। मनुष्य तो प्रलोभन में पड़ गये किन्तु पशुओं ने कौनसा अपराध किया था ? जिस प्रकार गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है और सूखी चीजों के साथ हरी चीजें भी जल जाती हैं, वही अवस्था इनकी भी हुई। पशुओं का चरने के लिए भारत में गोचरो की कमी नहीं थी, किन्तु ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के किरानी और डिरेक्टरो से लेकर आज तक जहाँ रुपयो के लिए हाथ-हत्या मची हुई है उसपर भूखे राज्य के पास गोचर कैसे रह सकते हैं ? गोचरों की ज़मीन लाट की लाट बेच दी गई, नीलाम करदी गई। धनवान व्यापारी और जमींदार पतंग की तरह इन लाटों पर टूट पड़े। बेचनेवाले साइवों की मेमो को सोने की जंजीरें पहनाई गई और लाल हाथ किये गये। इन लाटों की जोतार्ई साधारण वैलो से कैसे हो सकती थी ? हजारी बीघा जमीन कितने दिनों में जोती जाती ? घास की जड़े भी खूब गहराई तक जमी हुई थीं। वस विलायत से स्टीम प्लाऊ—इस्खन से चलनेवाला

हल—मँगाया और बात की बात में जमीन जोतकर बराबर करदी गई जिन लोगों के पशु इन जमीनों में चरकर आशीर्वाद दिया करते थे, जिन गाँवों के निकट थे गोचर थे, और दूर-दूर के अहीर गढ़रिये जो इन गोचरों से लाभ उठाकर भारतभूमि को सुजलां सफलां कहते थे, वे इस पैशाचिक हल को देखकर दंग रह गये। इस हल को चलाने के लिए एक गोरा साहब आया था। उसके साथ में अनेक काले लोग भी थे, किन्तु वे सब साहब की टोपी पहनकर नकली साहब बन गये थे। इन सबको देखकर देहातियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।

खैर किसी तरह ये लाट जोते गये, घास की जड़ें उखाड़ फेंकी गई और उनके स्थान में कपास बोई गई। इस कपास के बोनेवाले मालामाल होगये और सरकार को भी काफी आमदनी हुई। पहले तो नीलाम में लाभ हुआ, फिर मालगुजारी में बढ़ती हुई। किन्तु दूसरी ओर लाटवाले और आसपास के ग्रामवासियों में भगड़ा होने लगा। जो लोग वहाँ पशु चराने जाते, उन्हीं से लड़ाई होती। लाटवालो ने देहातियों को दबाने के लिए पठानों को नौकर रक्खा। इसके फलस्वरूप वहाँ दंगे और हत्याएँ हुईं। किन्तु इनका कौन हिसाब ? हत्याओं की ओर कौन देखता है ? जिन लोगों के पुश्तैनी हक छिन गये, उनमें से कुछ लोगों ने लूटमार का पेशा इख्तियार करके मौक्रे-बे-मौक्रे लाटवालों को तग करना शुरू किया। जिन साहबों ने यह आग लगाई थी, वे शाही महलो में बैठे हुए चैन की बंशी बजा रहे थे और देशवासियों की इस प्रकार दुर्गति हो रही थी। यह तो हुई मनुष्यों की बात। वे पशु कहाँ गये, जिनके लिए प्रकृति ने यह भोजन सुरक्षित रक्खा था ? चारे की कमी के कारण किसान ने

उनका ज्यादा तादाद में रखना उचित न समझा। उसे मजबूर होकर दो बैल और एक आध भैंस रखनी पड़ी। शेष सभी पशु उसने बँच दिये। दुबले पशु क़साईखाने और अच्छे पशु ब्रैजिल चले गये। किसान को रुपये काफी मिले, पर वे दो ही दिन में काफ़ूर होगये। इस प्रकार पशु भी चले गये और रुपये भी न रहे। रह गये केवल एक दूसरे को आँखें दिखाते हुए ग्रामीण और लाटवाले। इस योजना का सुन्दर नाम रक्खा गया—डेवेलपमेण्ट स्कीम अर्थात् खेती की उन्नति करनेवाली योजना। इसने सारे गोचरों और पड़ी हुई जमीन को खेत बना डाला। इस अमरीकन तरीके को प्रचलित करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया। भारत के पशु मर भिटे, किन्तु इस योजना से भारतमन्त्री को आनन्द हुआ। भारत की उन्नति हुई। यह सब आजकल के अर्थशास्त्रों के फेर में पड़कर हुआ।

सरकार पाँच-पाँच वर्ष में पशुओं की गिनती के अंक प्रकाशित करती है। उन्हें देखने से इस बात का पता चल सकता है, कि भारत में पशुओं की संख्या दिनों दिन किस प्रकार घटती जा रही है। किसी किसान के यहाँ बैल ही नहीं होते। वह माँग-जाँच कर या भाड़े पर लाकर काम चलाता है। किसी के पास एक ही बैल होता है वह दूसरे को सामीदार बनाकर काम चलाता है, किन्तु इनसे खेत बोनो का काम ठीक समय पर नहीं हो पाता। किसी किसान के यहाँ बैलों की अच्छी जोड़ी होती है, तो उसका मूल्य दो ढाई सौ रुपये आँका जाता है। सब किसान ढाई सौ की जोड़ी कैसे ले सकते हैं? बैलों की अच्छी जोड़ी रखना आजकल हाथी बाँधना समझा जाता है। अच्छी नस्ल के पशु घटते जा रहे हैं। कुछ दिनों में उनका पता भी न रहेगा। जिस प्रकार कई किस्म के भारतीय घोड़ों का निशान

ससार से मिट गया है, उसी तरह, यह हुकूमत चलती रही तो, वैलो की भी अच्छी नस्लें लोप हो जायेंगी। केवल गुजरात का उदाहरण लीजिए। वहाँ अब सिन्धी लोग वैल बेचने जाते हैं। जो गुजरात किसी समय एक उद्यान रूप था, जिस गुजरात में गोचरों की कोई कमी न थी, जिस गुजरात के वैल बढ़िया माने जाते थे, उसी गुजरात के लोगो को अब सिन्धियों से वैल खरीदने पड़ते हैं।

आजकल एक गाय रखना भी भारी पड़ता है। पहले किसी ब्राह्मण का घर बिना गाय का न रहता था, किन्तु अब महेँगे दाम की घास और दाना खिलाकर गाय रखना नहीं बन सकता। पशुओं को खिलाने में भी अर्थशास्त्र देखा जाता है। अहीर गायें पालकर क्या करे ? उन्हें क्या खिलाएँ ? उन्हें बेच देने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं दिखाई देता। बेचने से अच्छी रकम मिलती है। मांस का भी मूल्य मिलता है, चमड़े का भी मूल्य मिलता है, हड्डियों का भी मूल्य मिलता है। खुर और सींगों का भी मूल्य भिन्ना है। पशु को जिंदा रखने में जितना लाभ है, उसको मार डालने में उससे कहीं अधिक लाभ है। इस प्रकार घर में अर्थशास्त्र दाखिल हुआ। सरकार ने इसके लिए कसाई खाने खुलवा दिये। अकेले चम्बई का ही उदाहरण लीजिए। कोई कह सकता है, कि वहाँ कसाईखाने में प्रति वर्ष कितने पशुओं की हत्या की जाती है ? सरकार की ओर से इसका विवरण प्रकाशित होता है। पाठक उसे देख सकते हैं। वतलाइए, अब घी और दूध कहाँ से लाया जाय ? कैसे खाया जाय ? खाइए घी के स्थान में वेजीटेबिल प्रोडक्ट (वनस्पति घी) और दूध के स्थान में नेल्सन आदि का जमाया हुआ दूध। भारत के बच्चे बिना दूध के तढ़प रहे हैं, किन्तु किससे शिकायत की जाय ? गोचरो को नीलाम

करने का साहसों से या उन्हें खेत बनाकर मालदार बननेवाले देशवासियों से? गोचरों की कौन कहे, गुजरात के मातर तालुके में तुलसी के बन थे। वहाँ को तुलसी प्रति वर्ष गोकुल-मथरा और काशी के देवताओं पर चढ़ाई जाती थी, किन्तु वे गोड़-गोड़ कर बराबर कर दिये गये और तुलसी के स्थान में वहाँ कपास के पौधे लहराने लगे। यह कपास मन्चेस्टर और टोकियो गई। वहाँ से उसके रुपये आये। उन रुपयों से हमने विलायती कपड़ा खरीदा और जो बचा उससे साबुन, तेल, फुलेल और मौज शौक की हज़ारों चीज़ें लीं। दूध की क्या आवश्यकता है? भारत के सुकुमार तपड़ते हैं तो उन्हें तड़पने दीजिए।

७. जंगल भी लुट गये

मनुष्य और पशुओं की अवस्था देख चुके। चलो, अब ज़रा वृक्षों पास चलें। बत्ताओ भाई तुम्हारे क्या हाल हैं? वृक्ष माने प्रकृति का आया हुआ बँगला। उसमें नजाने कितने जीव जन्तु विश्राम करते हैं। किन्तु ज़रा सोचिए कि प्रतिवर्ष इस प्रकार के कितने वृक्ष कटते हैं। माना कि मिल और जिनों के ज़िए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु क्या इनके लिए नए वृक्ष भी रोपे जाते हैं? अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि "वृक्ष रोपने से स्वर्ग मिलता है।" ज़रा इस सूत्र के अर्थ पर विचार कीजिए। बड़े शहरों में रहनेवाले लोग देहातो से लकड़ियाँ और कोयला माँगते हैं। खैर कोई हर्ज़ नहीं, किन्तु क्या शहरातियों को कभी यह बात भी सूझती है कि वर्ष में कम से कम एक वृक्ष तो कहीं लगवा दें? सम्भव है कि सूझनी हो पर वे वृक्ष कहाँ लगायें? तिमंजिले पर, जहाँ रहते हैं वहाँ? उनके पास तो बिस्वा भर भी ज़मीन

नहीं है। वे तो बिना मकान के रईस हैं। वे तो यह भी नहीं जानते कि कोयले के जो बोरे पर बोरे चले आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? बम्बई सरकार ने महुआ के संबन्ध में एक कानून बनाया है। महुआ से शराब बनती है, इसलिए घरो में उनका रखना जुर्म करार दिया गया है। जब महुए घर में नहीं रखे जा सकते तब वृक्ष ही रख कर क्या किया जाय? रुपयो के लिए तो हाय-हत्या सदैव मची ही रहती है। ऐसी दशा में महुआ के वृक्ष कब तक अपनी खौर मना सकते हैं? केवल खेड़ा जिले में पाँच-सात वर्षों में जितने महुए काटे गये हैं, उनकी कल्पना करना भी कठिन है। इनके स्थान में नए वृक्ष कितने लगाये गये? विज्ञान हमें बतलाता है कि जहाँ वृक्ष कम होते हैं वहाँ वर्षा भी कम होती है। और जहाँ वृक्ष अधिक हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा क्यों नहीं होती? इस सम्बन्ध में भली भाँति विचार करने पर यही मालूम होता है कि हमारे देश में जितने वृक्ष काटे जाते हैं उतने लगाये नहीं जाते। जर्मनी में इस आशय का एक कानून है कि जिस दिन राजा का जन्म दिन हो उस दिन प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को एक वृक्ष अवश्य रोपना चाहिए। किन्तु इस देश में ऐसे कानून कौन बनाए? लावारिस देश में किसे किसकी गरज है? जंगलो से सरकार को आमदनी होती है। कुछ जंगल रिजर्व रखकर बाकी काटे जाते हैं। इनका व्यापार करने के लिए टिम्बर मर्चेण्ट (चोरी हुई लकड़ी के सौदागर) पैदा हुए हैं। रेल का विस्तार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पटरी के नीचे रखने के लिए स्लीपरों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए भी जंगलो पर ही शनि दृष्टि डाली जाती है। ज्यो-ज्यो जंगल कटते जायेंगे और जमीन साफ होती जायगी, त्यो-त्यो खेती की उन्नति के लिए डेवेलप-

मेयट स्कीमे बनती जायँगी। इसे गनीमत ही समझना चाहिए कि कुछ जंगल रिजर्व रक्षे जाते हैं, किन्तु यह भी केवल इसलिए किया जाता है कि लकड़ी की माँग होने के कारण सरकार को इन जगहों से लाभ होता है जिस दिन सरकार को मालूम हो जायगा, कि इसमें कोई लाभ नहीं है बल्कि ज़मीन के लाट बनाकर देने में ज्यादा लाभ है, उसी दिन ये भी साफ हो जायँगे।

यह सब रोना रोने का तात्पर्य यह है कि हमारा देश अनाथ हो गया है। लोग अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार अपना-अपना ढोल बजा रहे हैं। बेचारा किसान इन सबों के बीच में मृत्युशैथ्या पर पड़ा है।

एक ज़रूरी बात कहनी रह गई। भारत का माल विदेश चले जाने के कारण भूमि की उपजाने की ताकत भी बहुत घट गई है। साधारण नियम यह है कि ज़मीन से जितना लिया जाय, दूसरे प्रकार से उनमें उतना ही ढाला जाय। भारत से प्रति वर्ष अंडी, सरसो, तेलहन, चमड़ा, हड्डियाँ और गेहूँ आदि कीमती वस्तुएँ लाखों टन विलायत जाता है, परन्तु उनके बदले ज़मीन में क्या पड़ता है? अनेक स्थानों में तो किसानों को लकड़ियाँ नहीं मिलती इसलिए वे गोबर के कंड़े बनाकर जलाते हैं। ऐसा करने से सोने-चाँदी जैसी यह खाद भी नष्ट हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से ज़मीन की उपजाने की ताकत दिन-दिन घटती जाती है। एक तो किसान की माली हालत खराब, दूसरे उसके बैल अधमरे, तीसरे उसकी पैदावार का एक आना भी घर में न रहने पाये, ऐसी अवस्था में किस प्रकार क्या ढालकर वह ज़मीन की उपजाने की ताकत कायम रख सकता है? सरकार का कृषि-विभाग कहता है, कि उसे विदेशियों से कृत्रिम खाद खरीदनी चाहिए जिससे कि और भी पैसे विदेशियों के हाथ लगे।

दरिद्रता के कड़ुए फल

१. दरिद्रता की हद

अभी सवत् १९८६ मे ही एक समाचार छपा था कि पार्लमेण्ट का कोई मजूर सदस्य मूख से व्याकुल होकर सभा-भवन मे ही बैठे-बैठे बेहोश होगया । यह मजूर सदस्य बड़ा दरिद्र था । क्योकि इसकी सालाना आमदनी कुल ४०० पौण्ड अर्थात् ५२२३) रुपये थे । पार्लमेण्ट के प्रमुञ्चो ने तरस खाकर ५० पौण्ड अर्थात् ६६७) रुपये और बढ़ा दिये, क्योकि शायद इस गरीब सदस्य को पाँच-छः प्राणियो के बडे परिवार का खर्च चठाना पड़ता था ।' ब्रिटिश पार्लमेण्ट की निगाहो मे यह मजूर सदस्य जिसकी आमदनी ४४४) मासिक थी, बहुत दरिद्र था, और उसकी आमदनी खर्च के लिए काफी न थी । यहाँ के लोगो की आमदनी संसार के सभी देशो से अत्यन्त कम है । सिर पीछे ३७) रुपये सालाना से कम नहीं है । अगर १४-१५ रुपये रोज कमानेवाला पार्लमेण्ट की नजरों मे गरीब है तो ६-७ पैसे रोज कमानेवाला क्या होगा ? उसे किस कोटि मे रक्खेंगे ? दरिद्रता की भी एक हद होती है । हमारी समझ में जिस आदमी को जीवन की रचा के लिए खाना, कपड़ा और रहने की जगह भर

१ यह समाचार कई पत्रों मे छपा था, परन्तु न तो मैंने इसका कोई खण्डन देखा, और न इसके अधिक वृत्तान्त मिले ।

मुश्किल से मिले, वह बिना ऋण लिये कभी अपने यहाँ आये हुए मेहमान को खिला न सके, या किसी मंगत को भिन्ना न दे सके वह 'दरिद्र' है। परन्तु यह दरिद्रता की हद आजकल की नहीं है। यह ब्रिटिश राज में इस दर्जे पर पहुँच गई है कि हम पहले जमाने में दरिद्रता की जो परिभाषा करते थे वह भारत के आजकल के मध्यवर्ग पर लागती है। जिनकी आमदनी साल में पाँच छः सौ रुपये से कम नहीं है, या यों कहिए कि जो लोग सालभर में लगभग उतना कमा सकते हैं, जितना कि पार्लियामेंट का दरिद्र मजूर सदस्य हर महीने पाता है। जिन लोगों की आमदनी साल में ५००) से कम है उनके लिए 'दरिद्र' से भी अधिक दरिद्रता की हद बतानेवाला शब्द होना चाहिए। हमारी समझ में वह शब्द 'कंगाल' है

हर आदमी यह अधिकार लेकर दुनिया में पैदा होता है, कि वह अपने शरीर को भला-चक्का रखे और अपने परिवार को और समाज को, देश को और साथ ही अपने को मन, वचन, कर्म से अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचावे और अधिक-से-अधिक सुख दे, और इन बातों को पूरा करने के लिए उसे पूरी-पूरी योग्यता और स्वतन्त्रता का अवसर मिले। समाज में इन जन्म-सिद्ध अधिकारों-को काम में लाने के लिए उसका रहन-सहन एक निश्चित ऊँचाई और अच्छाई का होना चाहिए। हमारे देश का रहन-सहन अनादि काल से बहुत सादा चला आया है। हमारे मजूर और किसान मोटर और विमान रखनेवाले कभी न थे, परन्तु ब्रिटिश राज्य से पहले इस दर्जे की दरिद्रता भी न थी। किसान लोग खाने-पीने से तृप्त थे।

अमेरिका का एक प्रामाणिक लेखक 'दरिद्रता' की परिभाषा यों

करता है:—‘दरिद्रता जीवन की वह दशा है जिसमें आदमी, अपने कम आमदनी के या वेसमस्की के खर्च के कारण ऐसे रहन-सहन से गुजर नहीं कर सकता जिसमें कि अपने समाज की हद के अनुसार वह आप और उसके परिवारवाले उपयोगी काम कर सके। और वह आप शरीर से और मन से पूरा-पूरा उपयोगी बन सके।’ वही लेखक कहता है कि “कंगाल होना जीवन की वह अवस्था है जिसमें आदमी पूरा-पूरा या थोड़ा-बहुत अपने खाने-कपड़े के लिए ऐसे किसी आदमी का मोहताज हो जो स्वभाव से या कानून से उसका सहायक न समझा जाता हो :”

हमारी समझ में श्री गिल्लिन की ये परिभाषायें विलकुल साफ हैं। अगर उन्होंने कम आमदनी या वेसमस्की के खर्च की शर्त न लगाई होती तो ‘दरिद्रता’ की उनकी परिभाषा हमारे गुलाम देश के लिए भारतीय धन कुत्रेरो पर भी लग सकती थी। स्वर्गीय गोखले ने कहा था कि भारतवर्ष में ब्रिटिश राज ने तरकी के रास्ते को ऐसा बन्द कर रक्खा है कि यहाँ के ऊँचे से ऊँचे आदमी को मुक जाने को लाचार कर देता है। यहाँ कोई आदमी पूरी उपयोगिता को पहुँच ही नहीं सकता परन्तु गिल्लिन की परिभाषा हमारे यहाँ के पहली श्रेणी के लोगो को छोड़कर बाकी सारे देश पर लग जाती है। इस तरह भारतवर्ष की साढ़े नव्यानवे प्रति सैकड़ा आबादी दरिद्र है। जिनको अपनी मेहनत मजूरी से आधे पेट या दूसरे तीसरे दिन भी भोजन मिल जाता है, उन दरिद्रों में भी इच्छत का खयाल इस दरजे का है कि वे किसीके सामने हाथ पसारने से मर जाना ज़्यादा कबूल करते हैं।

१. Gillin, J L., "Poverty and Dependency" Pp 24, The Century Company New York, 1926. (A. W. Hayes की Rural Sociology, Longmans, 1929 Pp 430 पर उद्धृत)

वे अपनी आँखों के सामने अपने प्यारों का भूख से तड़पना देखते हुए भी भिन्ना माँगने का अधम काम कबूल नहीं करते। इतना होते हुए भी बत्तीस करोड़ की दरिद्र आबादी में तीस लाख से कुछ ही ज्यादा भिखमंगों, अवारों, वेश्याओं आदि लाचार निर्लज्जों का होना कोई अचरज की बात नहीं है।

दरिद्रता के इस स्थूल रूप पर विचार करने के बाद हम आगे क्रम से इस बात पर विचार करेंगे कि इस घोर अनुपम दरिद्रता के क्या-क्या बुरे असर राष्ट्र पर पड़ चुके हैं, हम किन-किन कड़ुवे फलों का अनुभव कर चुके हैं।

२. आबादी पर प्रभाव

दरिद्रता का सबसे बुरा असर आबादी पर पड़ता है।

१. भूख के सताये हट्टे-कट्टे काम करनेवाले गाँवों से भागकर, नजदीक और दूर के शहरों में चले गये और कुत्ती का काम करने लगे, चाय के बाराँ में गुलामी करने लगे या दूर-दूर विदेशों में चले गये; और वहीं मर खप गये। इस तरह जो खेती के काम में कुशल थे-गाँवों से निकल गये, और जो काम में कुशल नहीं थे रह गये, जिससे खेती का काम दिन-ब-दिन बिगड़ता गया। गरीबी के कारण बालकों को शिक्षा न मिल सकी, और गाँवों में पढ़ाने का बन्दोबस्त न हो सका।

२. कुछ तो शिक्षा न मिलने से और कुछ पूरी सफाई और तन्दुरुस्ती का बन्दोबस्त न हो सकने से, जिसमें धन बिना काम नहीं चल सकता था, अनेक तरह के रोग फैल गये, जिनसे आये दिन अनगिनत आदमी मरते जाते हैं, और आबादी घटती जाती है।

३. दरिद्रता के कारण अकाल पड़ जाता है, और लोग भूखो मर जाते हैं। अन्न के न होने से लोग नहीं मरते। अड़ोस-पड़ोस के वाजारो में गाड़ियो अन्न आता है, और बराबर विकता रहता है, परन्तु अकाल से पीड़ित भुक्खड़ो के पास खरीदने को दाम नहीं होता, इसीलिए भूखो मर जाते हैं। पैसे सस्ते हैं, फिर भी किसानो को कोई काम ही नहीं मिलता, जिससे वे पैसे कमा सकें। जिस साल अच्छी फसल होती है, उस साल तीन महीने से लेकर छः महीने तक उन्हे काम रहता है, और खेत मजूरी देता है। जिस साल फसल नहीं होती, उस साल बारह मास की बेकारी है। मजूरी कौन दे? असल में अन्न का अकाल नहीं है। मजूरी के थोड़े अकाल में तो किसान सारा जीवन बिताता है, पूरा अकाल तो उस समय होता है, जब फसल भी जवाब दे देती है।

४. दरिद्रता के कारण आपस के लड़ाई म्गाड़े होते हैं, परिवारो में अलग गुजारी हो जाती है, और अलग होनेवाले अपना अपना खर्च न सँभाल सकने के कारण उजड़ जाते हैं, खेती-बारी टूट जाती है, इस तरह गाँव की आबादी घटती जाती है।

३. आदिमियों पर प्रभाव

दरिद्रता सब दोषो की जड़ है, जिसके पास धन है वही कुलीन समझा जाता है, वही धर्मात्मा माना जाता है, वही विद्वान और गुण-ग्राहक होता है, उसीकी बात सब लोग चाव से सुनते हैं, लोग उसके दर्शनो को जाते हैं। दरिद्र को कोई नहीं पूछता।

दरिद्रता के कारण—

१. हौसले के साथ लोगो में किसान मिलता-जुलता नहीं, उसमें वेढगापन आ जाता है।

२. धूर्तों के बहकाने में जल्दी आ जाता है। जितनी चाहिए उतनी सफाई नहीं रख सकता।

३. खाने को न वक़्त से पाता है और ना उचित मात्रा में पाता है इससे टुबला और कमज़ोर हो जाता है। उसकी चाल सुस्त हो जाती है, भरपूर मेहनत नहीं कर सकता, थोड़े से काम में थक जाया करता है, भाँति-भाँति के रोगों का शिकार होता है, उसका जीवन कम हो जाता है।

४. उसका हौसला दिन-ब-दिन पस्त होता जाता है और रहन-सहन का परिणाम घटता जाता है।

५. बाल-बच्चों के सांसारिक बोझ से जल्दी छुटकारा पाने के लिए थोड़ी ही उम्र में व्याह कर देता है और पास की नातेदारियों में ही व्याह करके बश को और भी खराब कर देता है।

६. व्याह न कर सकने के कारण व्यभिचार में फँस जाता है और वर्णसंकर पैदा करता है। बच्चे बहुत पैदा होते हैं परन्तु पैदाइस के समय काफी मदद न मिलने के कारण बहुत से बच्चे सौर में ही मर जाते हैं और दूध आदि पालन-पोषण का सामान न मिलने से छुटपन ही में बच्चे माता की गोद सूनी कर देते हैं।

७. अनेक दुखिया भुक्खड़ नातेदार, जिनको कहीं ठिकाना नहीं लगता, गरीब किसान के घर ज़बरदस्ती आकर रह जाते हैं। इस तरह उसके कष्ट और भी बढ़ जाते हैं।

८. उसका कुटुम्ब अक्सर बड़ा होता है। जितना ही बड़ा कुटुम्ब होता है सिर पीछे उतनी ही बेकारी बढ़ती है।

९. वह ज्यादा पोतवाला अच्छा खेत नहीं ले सकता। खराब खेत ज्यादा मेहनत चाहते हैं जो वह बेचारा कर नहीं सकता।

१०. चिन्ताओं से उसका दिमाग खराब हो जाता है।

११. उसमें धर्म-भाव और देश-भक्ति के हौसले नहीं रह सकते।

१२. उसे देश की दशा का और अपनी दशा का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए चुपचाप दुःख में घुलता रहता है, और कर्म ठोककर रह जाने के सिवा कोई उपाय नहीं कर सकता।

१३. स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आये दिन परिवार के भीतर और बाहर झगड़े होते रहते हैं, जिसका फल होता है फौज-दारी मुकदमेबाजी और गृहस्थी का सत्यानाश।

१४. भौंति-भौंति की चिन्ताओं से छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के नशों की कुटेव लग जाती है। तमाखू, गाँजा, भङ्ग, शराब, ताड़ी, अफीम आदि के पीछे तबाह हो जाता है।

१५. औरों की निगाहों में उसकी इज्जत घट जाती है।

४. रहन-सहन पर असर

हमारे देश के किसानों का रहन-सहन कितना नीचे गिर गया है इसे सब जानते हैं। उसके पास जैसे खाने का टोटा है वैसे ही पहनने का भी। उसके पुरखों के समय में जब चरखा चलता था तब उसे कपड़ों का टोटा न था, आज खाना कपड़ा दोनों का टोटा है। तीसरी ज़रूरी चीज़ घर है। अब वह घर भी अपनं लिए दरिद्रता के कारण अच्छा नहीं बना सकता। वह जीते जी नरक भोग कर रहा है।

अपनी दरिद्रता के कारण—

१. अपनी उपज का सबसे अच्छा माल बेच डालता है, और खराब-से-खराब अपने खर्च के लिए रख लेता है। जो शायद धिक ही नहीं सकता या लाचारी उसे बेचने नहीं देती।

२. उसका भोजन अक्सर बे-नमक का होता है। बेचारा नमक तक खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखता। जिसकी आमदनी ६ पैसे रोज़ से भी कम हो, वह नमक मिर्च कहाँ पावे।

३. उसके भोजन में पालन-पोषण का तत्त्व बहुत कम होता है।

४. वह काफी भोजन नहीं पाता, कभी आधा पेट पाता है, और कभी वह भी नहीं।

५. उसे दूध, घी, मठा, तो क्या मिलेगा, उसके बच्चों को छाछ भी नसीब नहीं होती।

६. उसके ढोर भूखी मरते हैं, उनके लिए घर नहीं होता।

७. उसके घर उसे धूप बरसात आँधी तूफान और जाड़े से बचाने के लिये काफी नहीं होते।

८. जङ्गलो और पेड़ों पर कोई अधिकार न होने से उसे जाड़े के लिए काफी ईंधन नहीं मिलता, और वह लाचार हो उपले जलाने का आदी हो गया है, जिससे खेत के लिए उत्तम से उत्तम खाद वह धूलहे में जला देता है। परिस्थिति ने उसे भुलवा दिया है।

९. उसके पास काफी कपड़ा नहीं है, और जो है वह बिलायती है, जो काफी टिकाऊ नहीं होता, मगर सस्ता होने के कारण लिया जाता है।

१०. उसकी खेती का सामान बढ़िया नहीं है, पूरी मेहनत करके भी उससे वह उतना अच्छा काम नहीं ले सकता, जितना कि अच्छे हल बैल से होता।

११. उसे अपने रोजगार के बढ़ाने का कोई साधन प्राप्त नहीं होता।

१२. मजूरी की दर बहुत कम होने से किसान को ऐसे काम

के लिए मजदूर नहीं मिल सकते जिन्हें वह अकेला नहीं कर सकता और वहाँ लड़को और औरतो की मदद काफी नहीं होती।

१३. अपने खेतों पर जो मजूरी की जाती है उसका बदला भी बहुत थोड़ा मिलता है।

१४. वह गाय पाल नहीं सकता और न छोटे-मोटे घरेलू रोज़-गार कर सकता है, और करे भी तो दशा ऐसी है कि रोज़गार में सफलता नहीं मिलती।

घर गृहस्थी में किसान और उसका परिवार अपने दादा के समय में आज की तरह बेकार नहीं रहता था। खेती से जो समय बचता था उसमें मजबूत हाथ-पैरवाला किसान और मंहनत के काम किया करता था। गाड़ी चलाकर थोक का थोक माल बाजार ले जाना, खंडसाले चलाना, रुई धुनना, गाय भैस आदि बड़े ढोर पालना, सन पटसन आदि बटना, टोकरियाँ बनाना आदि उनके तरह के काम देहातो में सब तरह के लोग करते थे। इसके सिवा पेशेवाले किसान, कुम्हार, लुहार, बढ़ई आदि तो अपने काम करते ही थे, ये पेशेवाले तो थोड़ा बहुत अब भी अपना काम करते ही हैं। इनके सिवा इनके घर की स्त्रियाँ और लड़के भी तरह तरह के काम करते थे। घर की गाय, बकरी, भेड़ आदि की सेवा में लड़के बड़ी मदद पहुँचाते थे। स्त्रियाँ और लड़कियाँ दूध, दही, मक्खन आदि के काम करती थीं, आटा पीसती थीं, धान आदि कूटती थीं, मक्खन निकालती थीं, चर्खा कातती थीं। कपड़े सीना, रँगना और वस्त्रों का लालन-पालन चौका-धासन रसोई ये सारे काम घर में होते थे। परन्तु आज गौवों का पालन करने का सामर्थ्य न होने से दूध, दही, मक्खन, घी का काम उठ गया है। चर्खा और अटनी को उठ गये

दो पीढ़ी के लगभग हो गये। घी दूध और कपास का काम जो घर में होता था, किसान के लिए बड़े लाभ की चीजें थीं। घी दूध से परिवार भी चपल होता था और पैसे भी आते थे। ओटनी और चर्खे से परिवार का तन भी ढकता था और पैसे भी आते थे। इसके सिवा पेशेवालों के गाँव के गाँव होते थे जो आज उजड़ गये हैं। जहाँ कहीं खहर बनाने की कला बढ़ी हुई थी, वहाँ कोरी, कोष्टी, ताँती और जुलाहे आदि चुनकरो की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ थीं। ये बस्तियाँ उजड़ गईं। जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं विलायती सूत में चलानी हुई हैं। ग्वालों के गाँव के गाँव थे, जिनके यहाँ दूध घी का भी रोजगार था और खेती भी होती थी। बहुत से ऐसे गाँव उजड़ गये और जो बचे हुए हैं उनकी दशा दरिद्रता से आँखों में खून लाती है। यो गाँव-गाँव में जहाँ सभी जाति और पेशे के किसान मिलजुलकर रहते थे, वहाँ दो एक घर खहर बुननेवालों के भी थे, और हफ्ते के दिनों में जहाँ बाजार लगा करते थे, सूत कपास और खहर का लेनदेन और बिक्री हुआ करती थी। रोजगार के अच्छा होने से लोगों के रहन-सहन का परिमाण बढ़ा हुआ था। रोजगार टूट जाने से रहन-सहन का परिमाण गिर गया।

५. शिक्षा पर प्रभाव

पहले गाँव-गाँव में टोल थे, पाठशालायें थीं। गाँव के भय्याजी सब बालकों को पढ़ाते थे। गाँव के सभी किसान बालक थोड़ा लिखना-पढ़ना और हिसाब-किताब सीखते थे। टोलों, पाठशालाओं के खर्च के लिए माफ़ी के खेत थे। उनकी आमदनी से पढ़ाई का खर्च चलता था। गाँववाले मास्टर्स को सीधे देते थे। और अधिकांश

पञ्चायत के द्वारा सारा खर्च दिलवाया जाता था। पढ़ाई के लिए कहीं-कहीं घर होते थे, कहीं चौपालों में जगह होती थी, कहीं मन्दिरों और मठों में और कहीं-कहीं बागों में। जब पंचायतों का अधिकार छिन गया, माफी खेत छिन गये, किसान दरिद्र हो गये, तब सारा बन्दोबस्त टूट गया। कुछ काल तक शिक्षा का महत्व समझनेवाले किसानों ने, अधिकांश इक्को दुकानों ने, अपनी ओर से बच्चों के पढ़ाने का प्रबन्ध जारी रखा। कहीं-कहीं बेहरी लगाकर कुछ समय तक पाठशालायें ठहरीं, परन्तु ठीक संगठन न होने से इस तरह के निजी उद्योग भी समाप्त हो गये। दरिद्रता के कारण—

१. गाँववाले बच्चों के पढ़ाने का बन्दोबस्त नहीं कर सकते। जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने कायम किये हैं वे बहुत कम हैं, दूर-दूर पर हैं, जहाँ छोटे-छोटे बच्चे नहीं पहुँच सकते, इसलिए देश के बच्चों की बहुत थोड़ी गिनती तालीम पा सकती है।

२. जिन थोड़े से बच्चों को तालीम दी जाती है, उन्हें किसानों के काम की कोई शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि किसानों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में शिक्षा के बारे में अपनी नीति चलाने का कोई अधिकार नहीं है, और उनके पास वे साधन नहीं हैं कि काम की शिक्षा दे सकें।

३. वे अपने पढ़नेवाले बच्चों को खेती का काम नहीं सिखा सकते। पढ़नेवालों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वह शिक्षा पाकर खेती आदि के कामों को नीच समझने लगते हैं। कस्बों और शहरों में हलकी नौकरियों के पीछे ठोकर खाते फिरते हैं।

४. खेती की शिक्षा न होने से खेती का काम दिन पर दिन खराब होता जा रहा है।

५. किसान इतने गरीब हैं कि बच्चों के लिए कितारें मोल नहीं ले सकते ।

६. वे अपने लिए कोई अखबार नहीं खरीद सकते, जिससे खेती का, रोज़गार का या दुनिया का कुछ हाल जान सकें ।

७. वे देश के आन्दोलनों की खबर नहीं रखते ।

८. वे अपनी ही दशा नहीं जानते, और न उसके सुधारने के लिए कोई आन्दोलन कर सकते हैं ।

९. वे अपनी ओर से शिक्षक नहीं रख सकते जो उनके नेता का काम कर सकें और प्रजाहित के कामों में मदद दे ।

१०. वे आपस में से किसी को नेता के काम के लिए तैयार नहीं कर सकते ।

११. उनकी बहुत बड़ी संख्या निरक्षर हो गई है, और निरक्षरता के जितने बुरे परिणाम हैं वे सब भोग रही हैं ।

१२. बालकों को ऊँची शिक्षा का कभी अवसर नहीं मिलता ।

१३. खेती की शिक्षा न मिलने से लाभ कम होता है । लाभ न होने से खेती का सुधार नहीं होता, सुधार न होने से दरिद्रता बढ़ती जाती है । दरिद्रता बढ़ते जाने से आगे शिक्षा की भी कोई आशा नहीं हो सकती । यह बड़ा ही दूषित भ्रामक चक्र है, जिसमें सारा देश फँसा हुआ है ।

६. जायदाद पर प्रभाव

जब किसान खुशहाल था, तब उसकी गृहस्थी बड़ी होती थी, घर बड़े और हवादार थे. सब ऋतुओं के अलुकरल बने हुए थे । गोशाला थी, बाग, कुएँ, तालाब, मन्दिर, चौपाल सब कुछ था । पशुओं

के चरने के लिए गोचर-भूमि अलग होती थी। किसान और उसके पशु खुश रहते थे। आज सारी दशा विपरीत है।

दरिद्रता के कारण—

१. वह हवादार और अच्छे घर नहीं बना सकता। जीवन के आवश्यक सामान नहीं जुटा सकता।

२. वह लाचार होकर उपले जलाता है, क्योंकि लकड़ी न खरीद सकता है, न निर्धनता के कारण पेड़ मोल ले सकता है, न ज़मींदार से पेड़ लगाने या काटने के लिए आज्ञा मोल ले सकता है और न विदेशी सरकार की बाधा के कारण जङ्गल से लकड़ी काट सकता है। इस तरह उसे खेत के लिए सबसे उत्तम खाद खोना पड़ता है।

३. उचित खाद के बिना खेत की पैदावार दिन-पर-दिन घटती जाती है।

४. वह खेत का मालिक नहीं है, और जानता है कि खेत की दशा बहुत अच्छी हो गई तो लगान बढ़ जायगा, या बे-दखली हो जायगी, या बन्दोबस्त पर सरकारी मालगुजारी बढ़ जायगी। इस-लिए खेत में सुधार करने का उसे हौसला नहीं हो सकता।

५. वह अपने गाय, भैंस, बैल का ठीक-ठीक पालन-पोषण नहीं कर सकता।

६. जो पहले गोचर-भूमि थी वह अब खेत है। ढोरो की चराई का बन्दोबस्त अच्छा नहीं है जिससे ढोर बहुत दुबले हो गये हैं।

७. लोग गोपालन के रोज़गार में टोटा होने से उस और ध्यान नहीं देते, इससे यह कारोबार चौपट हो गया है।

८. गो-वश-सुधार की रीतियाँ भूल जाने से ढोरो की नसल खराब हो रही है।

६. फलों का रोज़गार ठीक रीति से न होने के कारण लोगों का ध्यान अच्छे बाग़ लगाने या बाग़ की रक्षा पर नहीं है।

१०. आपस में लड़ाई-भगड़ा होने के कारण बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में बँटवारा हो रहा है, एक खेत घर के पास है तो दूसरा मील भर दूर, तीसरा उससे एक फर्लाङ्ग पर, इस तरह इकट्ठी खेती करने का मौका नहीं है। दूसरे सब मदों में खर्च बढ़ता है, और रखवाली ठीक तौर पर नहीं हो सकती।

११. खेती के औज़ार पुराने और दकियानूसी हो गये हैं, और नये और अच्छे खरीदे या बनवाये नहीं जाते।

माली हालत किसानों की इतनी खराब है कि वे बाप-दादों की जायदाद को धीरे-धीरे खोते जाते हैं, उनके पास धन नहीं है कि अपनी भागती हुई जायदाद को चतुर साहूकार के चङ्गुल से बचा सकें।

७. तन्दुरुस्ती पर असर

पहले के किसान शहर के लोगों के मुकाबले अधिक हृष्ट-पुष्ट और तन्दुरुस्त समझे जाते थे, पर आज वह चलती-फिरती हुई ठठरियाँ हैं, जिनके चेहरे पर उदासी है। जान पड़ता है कि उन्होंने हँसी-खुशी के दिन नहीं देखे हैं, और सीधे स्मशान की ओर चले जा रहे हैं। दरिद्रता के कारण—

१. अपनी तन्दुरुस्ती पर वे उचित ध्यान नहीं रख सकते।

२. कभी-कभी उन्हें खेतों में कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु साल में अधिक बेकार ही रहना पड़ता है। इस असयम से वे बच नहीं सकते।

३. पोषण काफी नहीं होता, इसलिए जीवनीशक्ति कम होती और रोग का मुकाबला नहीं कर सकती।

४. रोग के कीड़े उनके शरीर में जल्दी फैलते और घर कर लेते हैं।

५. पेट के कीड़े और चुनचुने उन्हें ज्यादा होते हैं।

६. ठीक भोजन न मिलने से तरह-तरह के चर्म रोग होजाते हैं।

७. फैलनेवाले रोग जब फैलते हैं तो क्राबू मे नहीं आते।

८. किसान लोग रोग की भयानकता समझते हुए भी उससे बचने का उपाय नहीं कर सकते।

९. कपड़ा काफी न होने से फसली बीमारियाँ होती रहती हैं।

१०. घरों मे काफी बचाव नहीं होता।

११. मलेरिया से बचने के लिए वे मसहरियाँ इस्तैमाल नहीं कर सकते।

१२. घरों मे हवा और रोशनी का काफी बन्दोबस्त नहीं हो सकता।

१३. खाने-पीने के लिए पानी बहुत गन्दा आता है। साफ़ और शुद्ध जल का बन्दोबस्त अनेक स्थानों पर नहीं हो सकता ! तालाब का पानी हर तरह पर गन्दा होता है और कुएँ गहरे नहीं होते तो परनालो की गन्दगी कुएँ के पानी मे मिल जाती है। शुद्ध पानी का खर्चीला बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता।

१४. स्वास्थ्य-रक्षा की शिक्षा उन्हें नहीं मिलती।

१५. दूध बड़ी संख्या मे मरते हैं।

१६. दवा-इलाज की सहायता नहीं मिलती।

१७. अच्छे वैद्य-हकीम गाँवों मे नहीं मिलते। बीमार होने पर दवा-इलाज का खर्चा उठा नहीं सकते।

१८. अस्पताल बहुत दूर पड़ते हैं।

१६. देहातो मे घूमनेवाले डाक्टर न तो समय पर पहुँच सकते हैं, न काफ़ी मदद करते हैं, और न इस अनमोल मदद का लाभ ज्यादा लोग उठा सकते हैं।

२०. लोगो की औसत उमर घटकर २८ वर्ष हो गई है।

२१. शरीर के पोषण के लिए जितने पदार्थ चाहिए उनमे मुख्य नमक है। जो अनेक रोगो से रक्षा करता है, यह नमक आदमी को काफ़ी नहीं मिलता, और ढोरों को तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि किसानों की थोड़ी आमदनी के लिए वह बहुत महँगा है।

२२. ढोरों में बीमारियाँ फैल जाती हैं, मगर किसान इलाज नहीं कर सकता।

२३. जहाँ ढोर बाँधे जाते हैं वहाँ की काफ़ी सफाई किसान नहीं कर सकता।

२४. बीमारियों से ढोर मर जाते हैं और दूसरे ढोरों में बीमारी फैला जाते हैं, इस तरह किसान का कई तरह का नुकसान हो जाता है।

२५. ढोरों की बीमारी मे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मदद का लाभ बहुत कम उठा सकता है।

जब गाँव का वन्दोबस्त पंचायत के हाथ मे था, गाँव मे वैद्य भी होते थे, और दवा-इलाज का वन्दोबस्त अपना होता था। उसके सिवाय शिक्षा ऐसी थी कि ग्वाले और गृहस्थ किसान शालिहोत्री और डाक्टर का बहुतेरा काम जानते थे। धाय का काम तात्कालिक चिकित्सा और दवा-दर्पण घर-घर बूढ़े किसान और घर की बाल-बच्चों वाली लुगाइयाँ इतना काफ़ी जानती थीं, कि डाक्टर और अस्पताल को मोहताज न थीं। परन्तु पुरानी शिक्षा की विधि उठ गई, और बस्ती के उजड़ने से भी परम्परा और अभ्यास दोनो की हानि हुई।

ट. माली दशा पर प्रभाव

इस विषय में तो पिछले पृष्ठों में हम 'सरकारी लगान नीति', उसकी रकमें और उसके बसूल करने की विधि इत्यादि पर विचार कर चुके हैं। सारी दरिद्रता का कारण तो वह स्वार्थी नीति है जिसका व्यवहार भूमि-कर के सम्बन्ध में किया जाता है। वही तो किसान की दरिद्रता का प्रधान कारण है। दरिद्रता के कारण—

१. सिंचाई का वह काफी प्रबन्ध नहीं कर सकता, और वर्षा के भरोसे रह जाता है। वर्षा न हुई तो फसल गई।

२. वह अक्रेल मेहनत करता है। मजूरी न दे सकने के कारण या मजूर न मिलने के कारण उसकी खेती जितनी चाहिए उतनी सफल नहीं होती।

३. पैदावार के मुकाबले लागत खर्च खेती में ऊँचा पड़ता है, क्योंकि वह अच्छे औजार नहीं काम में ला सकता। उसके खेत दूर-दूर हैं और टुकड़े टुकड़े हैं। उसके बैल दुबले हैं, और अनाज इसी-लिए कम उपजता है।

४. जरूरत पड़ने पर उसके पास कोई जमा नहीं है, जो लगा सके। पहले जमाने में उसकी औरत के गहने उसके लिए बैंक के समान थे। अब वह गहने भी नहीं बनवा सकता।

५. लगान या मालगुजारी देने के समय उसे लाचार होकर साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है, और खेत रहन रखना पड़ता है। किसानों पर लगभग आठ अरब के कर्ज लदा हुआ है।

६. आधे दिन की मुकदमेवाजी से किसान परेशान रहता है, और अधिक से अधिक लुटता जाता है।

७. गाँजा, ताड़ी शराब की कुटेव में फँसता है, और तन मन धन और धर्म सब खो देता है।

८. शादी-गामी, काम-काज में वह अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है, और कर्ज से लद जाता है।

९. वह अपने लिए जरूरी कपड़े भी नहीं खरीद सकता। उसकी खरीदने की ताकत बहुत कम हो गई है।

१०. काबुली, बलूची, पठान और दूसरे व्यापारी उसे जाड़े के शुरू में दूने-तिगुने दामों पर उधार कपड़े देकर ठगते हैं, और जाड़ा बीत जाने पर बड़ी कड़ाई से वसूल कर लेते हैं।

११. खेती के और समान भी वह नक़द नहीं ख़रीद सकता। उधार के कारण उसे बहुत ठगाना पड़ता है।

१२. खेत की उपज दिन-दिन घटती जाती है। वह उपज बनाये रखने के लिए उपाय नहीं कर सकता।

१३. लगान की दर इतनी ऊँची है कि आधे से ज्यादा खेत का मुनाफा निकल जाता है, और उसे अपनी लागत का खर्चा और उसपर का सूद मुश्किल से मिलता है। फसल अच्छी न हुई तो वह भी गया।

१४. वह काँग्रेस का चन्दा नहीं दे सकता, और अपना प्रतिनिधि काँग्रेस में नहीं भेज सकता।

१५. गाँव में शिक्षा रक्षा और मन-बहलाव के लिए जो उपाय वह पहले कर सकता था, अब नहीं कर सकता।

१६. बुढ़ापे के लिए और अनाथों और विधवाओं के लिए कोई बन्दोबस्त नहीं कर सकता।

१७. आग लगने पर, बाढ़ आने पर और ओले पड़ने पर वह कोई उपाय नहीं कर सकता। बीमे के लिए उसके पास धन कहाँ है ?

१८. उसकी औसत आमदनी छः पैसे रोज़ है। इतनी थोड़ी आमदनी पर वह आधा पेट मुश्किल से खा सकता है, और ज़रूरतों की कोई चरचा नहीं।

१९. वह साल में औसत छः महीने तक बेकार रहता है। उस बेकारी की दशा को 'फुरसत' नहीं कह सकते। दरिद्रता के कारण इससे फुरसत का सुख वह नहीं उठा सकता।

२०. उसके अनेक रोज़गार छिन गये हैं। विदेशियों की चढ़ा-ऊपरी से, विदेशी सरकार होने के कारण उसके रोज़गारों की रक्षा होने के बदले विनाश हो गया है। कपास की खेती, ओटना, धुनना, कातना, बुनना बन्द हो गया है। खँडसाले बन्द हो गई है, गोचर-भूमि के खेत बन जाने से और जीते हुए गाय-बैल के मुकाबले में चमड़ा, मांस, चर्बी, हड्डी, सींग आदि से ज़्यादा दाम मिलने के कारण गोवश का नाश हो गया, और ग्वालों का रोज़गार चौपट हो गया। ये सारे रोज़गार नष्ट हो जाने से किसान के आधे जीवन पर बेकारी की मोहर लग गई।

किसान की माली हालत लिखने लायक नहीं है। देखने को आँखें नहीं रह गई हैं। सोचने से कलेजा मुँह को आता है। इस माली हालत को हम शून्य नहीं कह सकते। यह शून्य से इतना कम है, कि आठ अरब रूपयों के आगे ऋण का एक बहुत मोटा-सा चिन्ह लगा हुआ है। यह माली हालत दरिद्रता के कारण नहीं है, बल्कि सारी दरिद्रता का कारण है।

६. धर्म पर प्रभाव

धन का उपभोग करते हुए जो आदमी संसार को असार समझ कर उसका त्याग करता है वह विरक्त कहलाता है, परन्तु संसार में

विरक्त बहुत थोड़े हैं और होने भी चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी संसार में थोड़े ही होते हैं। सबसे ज्यादा संख्या संसार में गृहस्थों की होनी चाहिए, जिनसे बाकी सबका पालन-पोषण होता है। धर्म की सबसे अधिक जिम्मेदारी गृहस्थों पर आती है। भारतीय किसान किसी समय बड़ा ही धार्मिक था। उसके द्वार से मंगल निराश होकर नहीं लौटता था। होम, जप, तीर्थ, पूजा, त्यौहार और उत्सव उसके जीवन के अङ्ग थे। संसार में उसके बराबर सफाई से रहनेवाला कोई न था। उसकी ईमानदारी और सचाई जगत् में प्रसिद्ध थी। वह अपनी बात पर मर मिटता था। उसके यहाँ स्त्री जाति का पूरा सम्मान था। पराई स्त्री को मां, बहन, बेटा समझता था। नशेबाजी की तरफ कभी आँख उठाकर भी न देखता था। जहाँ संसार के किसान मांस खाने के लिए पशु पालते थे, वहाँ भारतीय किसान अहिंसा—किसी प्राणी का जी न दुखाना और प्राणिमात्र से अपना आपा समझकर सच्चा प्रेम रखना—अपना परम धर्म मानता था। गाँवों की विशेष रूप से और पशुओं की साधारण रीति से रक्षा करता था। हम यह नहीं कहते कि भारत में मांस खानेवाले न थे। परन्तु संसार में और देशों के मुकाबले हमारे देश से मांस खाने की चाल बहुत कम थी, और इस कमी के कारण हमारे यहाँ के किसान ही थे। परन्तु आज क्या दशा है? दरिद्रता के कारण धर्म-बुद्धि नष्ट हो गई। और सदाचार के बदले कदाचार ने अपनी हुकूमत जमाई। दरिद्रता के कारण—

१. वह आवश्यक दान नहीं कर सकता।
२. तीर्थाटन नहीं कर सकता।
३. व्रत, होम, जप आदि भी नहीं कर सकता।

४. पूजा आदि नहीं कर सकता। और इन कामों में शिथिलता आने से उसके मन से धीरे-धीरे श्रद्धा उठ गई, इसलिए वह मन्दिरों में दर्शनो और जल चढ़ाने के लिए बहुत कम जाता है।

५. खेती के सम्बन्ध में होनेवाले अनेक यज्ञ वह नहीं करता।

६. पुरोहितों की रोखी उनका मान कम होने से बहुत करके जाती रही।

७. कथा-पुराण से उसे बड़ी शिक्षा मिलती थी, परन्तु व्यास को दक्षिणा देने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं है।

८. मन्दिरों और शिवालयों की दशा अश्रद्धा के कारण खराब है। आजकल के सुधारक सम्प्रदायों ने जो धार्मिक खर्च घटा दिया है, केवल इसी कारण वह बिना उन धार्मिक सम्प्रदायों में सम्मिलित हुए, उनकी किफायती रीति बर्तने लगा है। धार्मिक बातों में उसपर किसी का दबाव नहीं है। सामाजिक बातों में समाज के दबाव के कारण ही वह काम-काज में बहुत खर्च करने को लाचार हो जाता है।

९. गाँव में अब पुरोहित का होना जरूरी नहीं रह गया है।

१०. धार्मिक मेलों और पूजाओं में दिन-पर-दिन इकट्ठे होने वालों की गिनती घटती जाती है।

११. मेलों में जाकर वह केवल धार्मिक काम नहीं करता था। वह मनवहलाव भी करता था और पशु और अपने खेती के सामान आदि भी खरीदता था। पर आज जैसे बिना उसका मेला फीका है।

१२. वह मुकदमावाजी में फँसकर धूर्त, झूठा, दगाबाज और बेईमान हो गया।

१३. उसे अपने स्वार्थ के लिए आज हत्या करने आग लगाने जहर देने आदि पापों से हिचक नहीं है। वह भूख के मारे खँखार

हो गया है। किसी का दिल दुखाना उसके निकट कोई पाप नहीं रह गया है। देखने में वह अहिंसक अब भी है, परन्तु उसका कारण प्रेमभाव नहीं है। उसका कारण है उसकी अत्यन्त कमजोरी।

१४. किसान का अन्तरात्मा अभी तक जीता नहीं गया है। वह अब तक उसे बुरे कामों से रोकता है, परन्तु वह अन्तरात्मा का शब्द न सुनने के लिए अपने को तमाखू, भाँग, गाँजा, अफीम, ताड़ी, शराब आदि नशों से बेहोश कर लेता है, और तब दुराचार में लगता है।

१५. वह व्यभिचारी हो गया है, और स्त्रियों का उसकी निगाहों में पहले का सा सम्मान नहीं रह गया है।

१६. स्त्रियाँ बेचारी उसकी पूरी अवस्था नहीं समझती, और कुछ दरिद्रता और कुछ अशिष्टा के कारण उसकी पूरी सहायता नहीं कर सकतीं। आये दिन घर में झगड़े होते रहते हैं, और उनका निरादर होता रहता है।

आजकल नास्तिकता के जमाने में धर्म के हास की इस गिनती पर अनेक पंडितमन्य पाठक मुस्करायेंगे। परन्तु जहाँ तक लेखक को मालूम है, रूस को छोड़कर संसार के सभी देशों में किसान के कल्याण के लिए उसमें धार्मिकता और नैतिकता का भाव आवश्यक समझा जाता है। हम साम्प्रदायिकता के विरोधी हैं, परन्तु धार्मिकता को राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग समझते हैं।

१०. कला पर प्रभाव

कला तो सब तरह से सुख और समृद्धि पर निर्भर है। जहाँ पेट भर खाने को नहीं मिलता, वहाँ तो कला की चर्चा ही बृथा है।

ऐसा भी कोई न समझे कि कला की जरूरत ही नहीं है। मनबहलाव और व्यायाम—सामाजिक शिक्षाचार, मेले-तमाशे और मनोरंजन की सारी सामग्री कला में शामिल है। इन सब बातों का आदमी की आयु की कमी-बेशी पर प्रभाव पड़ता है। दरिद्रता के कारण—

१. खेल-कूद का सब तरह से अभाव हो गया है। बड़े तो खेल को भूल ही गये हैं। भूखे पेट खेल क्या होगा ?

२. बच्चे भी भूखो बिल्लाते हैं, कबड्डी आदि खेलने को इकट्ठे नहीं होते।

३. बालजीवन सुखमय नहीं है।

४. बच्चों को खिलौने नहीं मिलते।

५. मेले-तमाशे बहुत कम होते हैं।

६. पैदल दूर की यात्रा करने का हौसला नहीं है, क्योंकि खाने को नहीं है, और मार्ग का सुभीता नहीं है।

७. शाम को कथा-वार्ता नहीं होती, क्योंकि लोग न शिक्षित हैं और न अनुभवी।

८. लोगों को जीवन में रस नहीं रहा, लोग फूल के पेड़ नहीं लगाते, गमले नहीं रखते और घर-द्वार सँवारने का शौक नहीं रहा।

९. स्त्रियों को चौक पूरने और भीत पर चित्र लिखने का शौक नहीं रहा।

१०. तीज-न्योहारों पर गाने-बजाने का शौक घट गया है, दीवाली और फाग में अब वह पहले की-सी उमंग नहीं है।

११. संसार की वस्तुओं के सौन्दर्य की ओर ध्यान कम है, गाने-बजाने का रिवाज घट गया है।

१२. अपने शरीर को सुन्दर और स्वच्छ रखने की ओर ध्यान नहीं है, और हृष्ट-पुष्ट बनाने का हौसला नहीं है ।

१३. जीवन की गाड़ी को घसीटकर मौत की मंजिल तक किसी तरह पहुँचाना ही कर्तव्य मालूम होता है ।

वैराग्य में भी ऐसा निर्वेद हो जाता है कि आदमी सांसारिक जीवन में कोई रस नहीं पाता और ऊब कर परमात्मा में चित्त लगा लेता है । परन्तु वह बात दूसरी है । किसान भी अपने जीवन से ऊब गया है, परन्तु इसलिए नहीं कि उसका चित्त परमात्मा में लग गया है । उसके निर्वेद का कारण भक्ति नहीं है, उसका कारण है भूख । जो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है—अर्थात् भोजन, वही उसे लाख जतन करने पर भी नहीं मिलता । भारत का किसान आजकल कुराब्य के प्रभाव से नरक-यातना भोग रहा है ।

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवसि नरक अधिकारी ।

अच्छे राजा को प्रजा प्यारी होती है, क्योंकि प्रजा (प्रकृति) को प्रसन्न रखने से (रञ्जनात्) ही राजा कहलाता है । विदेशी राजा को यहाँ की प्रजा उसी तरह प्यारी है जिस तरह माँस खाने-वाले को बकरी । परन्तु विदेशी हुकूमत की नीति उसीके लिए अन्त में घातक है । सुर्या से एक सोने का अंडा नित्य लेना लाभकारी है । मारकर सब अंडे एक साथ ले लेना, अथवा अंडे देने की ताकत को नष्ट कर देना, बुद्धिमानी का काम नहीं है । विदेशी हाकिमों में अंधे स्वार्थ के मुक्राबिले दूरदर्शिता अधिक होती तो वे अपनी सारी कोशिश इस बात में लगा देते कि भारत की खरीदारी की ताकत नित्य बढ़ती जाय, और हमारा माल खपता जाय । वे अपने यहाँ

के स्वार्थी सिविलियनों के द्वारा भारत के धन को फिजूलखर्ची में न लगाते। भूमि-कर बहुत हलका लेते। किसान सुखी रहता, वह विलायत का बहुत अच्छा ग्राहक होता, और इस तरह विलायत के माल तैयार करनेवाले शायद आजकल से अधिक धन खींच ले जाते। शुद्ध और सब्जे व्यापारी की नीति बुरी नहीं है, परन्तु बेईमान और ठग व्यापारियों की नीति अन्त में उन्हीं के लिए घातक होती है। इस घड़ी किसान के सिर पर दरिद्रता का बोझ असह्य होगया है। दम नाको में आगया है। एक-एक क्षण की देर उनके लिए दूभर है। उनकी खरीदारी की ताकत नष्ट हो जाने से देश का भीतरी व्यापार भी बुरी दशा में है। दरिद्रता को दशा में पाप और व्यभिचार का परनाला देहातो से बह-बहकर चारों ओर से शहरों में आकर सिमटता है, जहाँ बस्ती घनी है और आदमी व्यसनी है। फल यह होता है कि दरिद्र देहातों से घिरे हुए शहर गन्दगी की खान होजाते हैं। शहर वालों पर प्रत्यक्ष कर कम लगे हुए हैं, उनको

१ मिस मेयो ने अपनी अमर अपकीर्ति "मदर इण्डिया" में जो भारत के गदे चित्र खींचे हैं उनकी अत्युक्ति को भी हम सच मानलें तो वह विदेशी शासन की घोरतम निन्दा हो जाती है। इसके लिए मिस मेयो के ही देश के खेतों के सम्पत्तिशास्त्र के भारी-भारी विद्वान और प्रामाणिक लेखक एक स्वर से यही कहते हैं कि दरिद्रता के कारण सभी तरह के पातक और गन्दगियाँ होती हैं, जो शहरों को भी खराब क डालती हैं। इसके महाकारण—अर्थात् दरिद्रता—के लिए देश को सरकार ही जिम्मेदार होती है। जो पाठक स्वयं इस विषय को देखना चाहें वे इन प्रमाणों को स्वयं पढ़ लें—Articles Contributed by (1) Richard T. Ely, Research Professor of Economics and Director of the Institute for Research in Land Economics and Public Utilities.

दशा इसीलिए कुछ अच्छी है। इसीलिए वे न्यसनों में सहज ही फँस जाते हैं। साथ ही यह बड़े दुःख की बात है कि किसानों की गाढ़े पसीने की कमाई उन शहरों को सजाने और सब तरह सुखी बनाने में विदेशी सरकार आसानी से खर्च कर देती है, जिनसे असल में किसानों को लाभ नहीं होता। एक ओर तो करोड़ों किसान दाने-दाने को तरसते हों, और दूसरी ओर १४ करोड़ रुपये लगाकर बिना आवश्यकता के नई दिल्ली के महल बनते हों, यह हृद दर्जे की निन्द्य-राई है। शहरों में पानी के बन्दोबस्त के लिए या बिजली का बन्दो-बस्त करने के लिए रुपये पानी की तरह बहा दिये जाते हैं। किसान का बोझ हलका करने के लिए एक अंगुली भी नहीं उठाई जाती।

हमने ऊपर विस्तार से दरिद्रता से पैदा होनेवाले दोष दिखाये हैं। एक दरिद्रता दूर हो जाय, तो ये सारे दोष दूर हो सकते हैं। सुधारक लोग हर दोष को दूर करने के लिए अलग-अलग उपाय करते रहते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं होती। जगह-जगह पैबन्द लगाने से काम नहीं चलता। पत्ते-पत्ते पर जल देने से पूरे पेड़ का पोषण नहीं हो सकता। या तो विदेशी सरकार इस दरिद्रता को दूर करे या भारत की प्रजा इस दरिद्रता को पैदा करने वाली सरकार को दूर करे और अपना बन्दोबस्त आप ही करके अपनी पुरानी सुख-समृद्धि को लौटा लावे।

(2) O. F. Hall, Professor of Sociology, Purdue University.

(3) John A. Ferrell, M. D. International Health Board, and

(4) C. E. Allred, Professor of Agricultural Economics, University of Tennessee.

in "Farm Income & Farm Life" Published by the University of Chicago Press, 1927, pages 155-189

A. W. Hayes: *Rural Sociology*, Longmans, Green & Co. : 1929, Chap XVIII. P P. 430-457

और देशों से भारत की खेती का मुक्काविला

१. सुधारकों की भूल

भारत की खेती की दशा अत्यन्त गिरी हुई है इस बात से किसी को भी इनकार नहीं है, परन्तु जो लोग सुधार के उपाय बताते हैं वे अक्सर जापान और योरप का नमूना पेश करके चाहते हैं कि हमारा देश भी इन्हीं देशों की तरह उन्नति के उपाय करके कम-से-कम समय में सुखी और समृद्ध हो जाय। वे देखते हैं कि हमारे संयुक्त-प्रान्त में गेहूँ सींचे हुए खेत में १२ मन प्रति एकड़ और विना सींचे हुए में ८ मन प्रति एकड़ पैदा होता है। बही कनाडा में १३ मन और जर्मनी में १७ मन होता है। इंग्लिस्तान में एकड़ पीछे भारत का दूना होता है। परन्तु वे इस मुख्य बात को विलकुल भूल जाते हैं कि इनमें से किसी देश में विदेशी राज नहीं है। किसी देश का धन चूसकर पराये देश में नहीं चला जाता, अपने देश की सरकार तन, मन, धन से अपने देश के ही हित में लगी रहती है। जिस दिन सरकार और प्रजा में हित का विरोध होता है, प्रजा तुरन्त सरकार को बदल देती है। फिर इन देशों में सुधार के होने में देर क्यों लगे ? इसमें सन्देह नहीं कि खेती की कला में संसार में किसी समय भारत सबसे आगे था, परन्तु आज विदेशी हुकूमत की वदौलत सबसे पिछड़ गया है। जो भूल कारण उसके पिछड़ जाने का है उसके होते अपनी खोई दशा को पा जाना कैसे सम्भव है ? फिर भी इस प्रकरण

में सुधारकों की शकाओं के समाधान के लिए हम कुछ देशों से मुकाबिला करेंगे। खेती के सम्बन्ध में अमेरिका संसार में सबसे बड़ा-चढ़ा समझा जाता है। पहले हम अमेरिका पर विचार करेंगे।

२. अमेरिका की खेती

‘अमेरिका’ साधारण बोलचाल में अमेरिका के संयुक्तराज्यो को कहा जाता है। किसी ज़माने में, जिसको आज तीन सौ बरस के लगभग हुए, इंग्लिस्तान में किसानों पर अत्याचार होने लगे थे, और ईसाइयो के ‘भाई सम्प्रदाय’ पर उनके भाई ईसाई तरह-तरह के जुल्म डालने लगे थे। उस समय ‘भाई सम्प्रदाय’ वाले हज़ारों परिवार पहले-पहल हाल के मालूम किये हुए महाद्वीप अमेरिका में चले गये और बस गये। जिस प्रदेश में बसे उसका नाम ‘नया इंग्लिस्तान’ रक्खा। उसके बाद अपना देश छोड़-छोड़ सताये हुए कुटुम्ब अमेरिका में जाकर बसने लगे। धीरे-धीरे ‘नये इंग्लिस्तान’ की तरह अनेक नये उपनिवेश बन गये, जिनमें अंग्रेज़ी बोलनेवालों की संख्या ज्यादा थी। इसीलिए ये सभी उपनिवेश अंग्रेज़ो की जायदाद बन गये और ब्रिटेन उनसे लाभ उठाने लगा। जब धन चूसने की क्रिया अपनी हद को पहुँच गई तब वहाँ स्वदेशी और बहिष्कार का आन्दोलन चला, और अन्त में स्वतंत्रता का युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लिस्तान एक तरफ था और बहुत-से संयुक्तप्रदेश वाशिङ्गटन के नेतृत्व में दूसरी तरफ थे। अन्त में वाशिङ्गटन विजयी हुआ और सम्बत् १८३३ में ये संयुक्त राज्य स्वतंत्र हो गये। इस तरह इनको स्वतंत्र हुए डेढ़ सौ बरस हो गये। मोटे तौर से यों समझना चाहिए कि उन्हें स्वतंत्र हुए जितना समय बीता, हमें परतंत्र

हुए भी उतना ही समय बीता है। साथ ही मशीनों की उन्नति का आरम्भ हुए भी लगभग ७५ बरस बीते हैं, और लगभग ६० बरस पहले अमेरिका की खेती प्रायः उतनी ही उपजाऊ थी जितनी आज भारतवर्ष की खेती है। स्वतंत्र अमेरिका को इस तरह अपनी वर्तमान उन्नत दशा को पहुँचने में ६० बरस लगे हैं। भारतवर्ष की बात जाने दीजिए, क्योंकि वह पराधीन है। परन्तु इंग्लैंड, फ्रान्स, जर्मनी, रूस तो अमेरिका से पहले के स्वतंत्र देश हैं, परन्तु उन्होंने भी उतनी उन्नति नहीं कर पाई है जितनी अमेरिका ने की है। इसका कारण क्या है? अमेरिका की परिस्थिति पर विचार करने से इस सवाल का जवाब मिल जायगा।

अमेरिका की आबादी प्रायः गौरी की है, वह शहरोंवाला देश है। उसका क्षेत्रफल ३०,१३,००० वर्गमील हैं और आबादी साढ़े ग्यारह करोड़ है। इस तरह वहाँ मील पीछे आज ३८ आदमी के लगभग बसते हैं। भारतवर्ष का क्षेत्रफल १३ लाख वर्गमील के लगभग और आबादी पैंतीस करोड़ के लगभग है। इस तरह यहाँ वर्गमील पीछे २६६ आदमी बसते हैं। इस तरह भारतवर्ष की बस्ती लगभग सात गुना ज्यादा घनी है। किसानों की आबादी भारतवर्ष में तीन-चौथाई है, और जितने लोग खेत के सहारे गुज़र करते हैं वे सैकड़ा पीछे नब्बे के लगभग हैं। इस तरह अकेले किसानों की आबादी अगर ली जाय तो मील पीछे हमारे देश में २३४ किसान बसते हैं। यह बात बिलकुल प्रत्यक्ष है कि हमारे यहाँ अमेरिका के मुकाबिले खेती के लिए धरती कम है और खेती के सहारे जीनेवाले अत्यधिक है। संवत् १६७८ की मर्दुमशुमारी में खेती करनेवालों की गिनती बाईस करोड़ साढ़े नब्बे लाख के लगभग थी। कुछ ज़मीन जिसमें खेती

होती है, लगभग साढ़े बाईस करोड़ एकड़ के हैं। इस तरह भारत में किसानों के सिर पीछे मुरिकल से एक एकड़ की खेती पड़ती है। संवत् १९६६ में अमेरिका में किसानों के पास सिर पीछे औसत ५५ एकड़ के खेत थे और सिर पीछे २० एकड़ परतीं। वहाँ किसानों की गिनती धीरे-धीरे घटती जा रही है। संवत् १९०७ में कुल आबादी के ६३ प्रति सैकड़ा किसान थे, संवत् १९७७ में आबादी २९ प्रतिशत हो गई है। इतनी उन्नति होते हुए भी वहाँ किसानों की संख्या क्यों घटती जाती है? इसलिए कि उद्योग-व्यवसाय के मुकाबिले में खेती की आर्थिक स्थिति बराबर गिरी हुई रहती है। “इसका अर्थ यह है कि इस ससार की बड़ी-बड़ी मण्डियों में अमेरिका के उद्योग-व्यवसाय को बढ़ा-चढ़ा रखने के लिए वहाँ की खेती का बलिदान करना पड़ेगा।”^१

भारत में सिर पीछे जो एक एकड़ की खेती का औसत बैठता है उसमें भी छोटे-छोटे टुकड़े हैं और वे टुकड़े दूर-दूर पर हैं। अमेरिका में सैकड़ों एकड़ की इकट्टी खेती एक साथ है जिसकी जुताई-बुवाई के लिए इकट्टी मशीनों से काम लेने में क्लिफायत होती है। यह बात तो प्रत्यक्ष है कि रोजगार का फैलाव जितने अधिक विस्तार का होगा उतनी ही अधिक लागत भी बैठेगी और उसी हिसाब से मुनाफा भी ज्यादा होगा। यूरोप के स्वतन्त्र देशों में भी जिन देशों की आबादी घनी है और किसान को सिर पीछे खेती करने को कम जमीन मिलती है वहाँ के किसानों ने भी अमेरिका के किसानों के मुकाबिले कम उन्नति की है, यद्यपि न तो उनके

१. Farm Income & Farm Life : The University of Chicago Press, 1927. p- 106.

यहाँ भारत की तरह औसत जोत इतनी कम है और न पराधीनता है और न उससे उपजी हुई घोर दरिद्रता ।

इस बात को भी मूल न जाना चाहिए कि अमेरिका आदि देशों के किसानों को लगान के बढ़ने या खेत से बेदखल हो जाने का इस तरह का डर नहीं है जिस तरह भारत में है । खेती की सुरक्षा तो भारत के मुकाबिले उन उपनिवेशों में ही अच्छी है जहाँ गिरमिटवाली गुलामी करने बहुत-से भारतीय गये और सुभोत्ता देखकर वहीं बस गये और खेती करने लगे । विदेशों की-सी सुरक्षा यहाँ भी हो जाय तो पैदावार बढ़ सकती है ।

अमेरिका में पहले आबादी भी थोड़ी थी और मशीनों की चाल भी नहीं चली थी, तब वे अफ्रीका के ह्वशियों को गुलाम बनाकर ले गये और काम लेने लगे । विस्तार से खेती का काम बिना कल के सहारे करने के लिए बहुत ज्यादा आदमियों की जरूरत होती है, इस लिए वहाँ मशीनों की चाल चल जाने से आदमियों की जरूरत घटती गई । पिछले साठ बरसों में से पहले तीस बरसों में अधिक काम मशीनों के प्रचार ने किया । यह प्रचार और शिक्षा का काम कृषि-विभाग करता रहा । विक्रमी की बीसवीं अर्धशताब्दी के बीतते-बीतते अमेरिका वालों का जो जोश ठण्ठा पड़ गया था वह धीरे-धीरे जगने लगा । पिछले तीस बरसों में यह जागृति जोरो से इसलिए हो गई कि कच्चे माल की दर बहुत जोरों से बढ़ने लगी और लोग खेती की ओर झुकने लगे, जिससे भय हुआ कि अन्न घट जायगा । तब फिर से कृषि महा-विद्यालय और कृषि-विभाग की जाँचवाले दफ्तर खुल गये । आवाज उठी कि वैज्ञानिक प्रयोग किसान तक ज़बरदस्ती पहुँचाये जाने चाहिए । खेती के विशेषज्ञ जिले के एजेण्ट और खेती के संवादपत्रों

ने इस काम को उठा लिया। रेल की गाड़ियों में और मोटरों में सिखानेवाले और कर दिखानेवाले बैठकर गाँव-गाँव का दौरा करने लगे। हर तरह की सरकारी सहायता बड़ी उदारता से मिलने लगी। क्यों न हो; अपने देश की खेती के बढ़ाने की बात जो थी। खेती की योग्यता के बढ़ाने के प्रश्न पर अमेरिका के मनुष्य का जितना दिमाग और जितनी ताकत पिछले १५ वर्षों में लगाई गई है, इतिहास में कहीं कभी नहीं लगाई गई थी।^१ पंजाब के गुड़गाँव के डिपुटी-कमिश्नर मिस्टर ब्रेन ने थोड़ी बहुत उसी ढंग पर कोशिश की थी, परन्तु उन्हें सफलता न हो पाई। कौआ चला हस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अमेरिका में जो काम होता है उस पर किसानों का पूरा विश्वास है। यहाँ सरकार में और किसान में भेड़िया और भेड़ का सम्बन्ध है। किसानों को सरकारी अफसरों का विश्वास नहीं है। जो कुछ ब्रेन साहब कर पाये, वह अफसरी के जोम पर। उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, परन्तु वह सरकारपने का कलङ्क अपने व्यक्तित्व से मिटा न सकते थे। उन्होंने ज्योही पीठ फेरी, उनका सारा प्रभाव मिट गया और सुधार की दशा फिर ज्यों-की-त्यों हो गई। बात यह थी कि उनके अधिकार में मालगुजारी का बोझ घटाना नहीं था। वह बहुत कुछ शोरगुल करके रह गये, इसीलिए अधिक-से-अधिक वह भी पैबन्द लगाने का काम ही कर सकते थे, और हम दिखा आये हैं कि जहाँ जड़ ही खराब है वहाँ पत्ते-पत्ते की सिंचाई काम नहीं दे सकती। वह चाहते थे कि सरकार की ओर से माली सहायता मिले, मालगुजारी कम की जाय, जंगल बढ़ाये जाय और

१. Farm Income and Farm Life. The University of Chicago Press 1927, P. 115.

किसानों का उनपर अधिकार रहे।^१ लाट साहव हेल्ती ने उनकी पुस्तक की भूमिका लिखी, परन्तु व्यवहार में ब्रेन के दिमारा की अव-हेलना की।

अमेरिका में जितने सुभीते हैं, उतने सुभीते जिस देश में हो जायें उसी देश की खेती दिन-पर-दिन बढ़ती जा सकती है। अमेरिका के सुभीते सक्षेप से ये हैं :—

(१) वह स्वाधीन राज्य है और वहाँ खेती से मिला हुआ देश के भीतर ही खर्च होता है।

(२) खेती पर किसान का सदैव का स्वार्थ है, उसे बेदखली का या हज़ारों बर्षों का कोई भय नहीं है।

(३) थोड़े-से थोड़े कर में उसे ज्यादा-से-ज्यादा रक्षा मिलती है।

(४) जीवन की जितनी जरूरी चीज़ें हैं वे उसके पास काफी से ज्यादा है।

(५) उसके पास रोज़गार का काम लगातार साल भर के लिए है, और वह अपने लिए काफी कमाई करके फ़ुरसत की बड़ियों का सुख भी लेता है।

(६) सारे परिवार के लिए मन-बहुलाव का उपाय है और मेहनत करने के बाद निश्चय उसे मन-बहुलाव का सुभीता मिलता है।

(७) खेती के सम्बन्ध की सभ तरह की शिक्षा के सुभीते उसे मिलते हैं।

(८) सफ़ाई, मकान और तन्दुरुस्ती की रक्षा के सारे उत्तम उपाय उसे प्राप्त हैं।

१. F. L. Brayne. Village uplift in India. Pioneer Press, Allahabad, 1927, PP. 64 66, & .

(६) बाहर की आमद-रफ्त पत्र-व्यवहार और व्यापार के सब तरह के सुभीते उसे मिलते हैं ।

(१०) जैसे उसका सारा देश स्वराज्य है उसी तरह उसका गाँव या बस्ती उस महास्वराज्य का एक स्वाधीन टुकड़ा है ।

(११) उसके केन्द्रीय स्वराज्य से उसकी बस्ती का सम्बन्ध उसकी बस्ती के लिए सर्वथा हितकर है ।

हमने जान-बूझकर मशीन के सुभीते और इकट्ठी बड़े रकबे की खेती ये दोनों बातें शामिल नहीं कीं । हमारे देश में बड़े रकबे मिल नहीं सकते और जो लोग आजकल मशीनों के चमत्कार को देखकर उनपर हज़ार जान से फिदा हो रहे हैं हम उन्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि जो मशीन दो सौ आदमियों की जगह केवल एक आदमी को लगाकर काम कर सकती है वह एक सौ निम्नानवे आदमियों को बेकार भी रखती है । ऐसी मशीनों की ज़रूरत वहाँ पड़ सकती है जहाँ आदमी कम हों और काम ज्यादा हो । हमारे देश में इसका बिलकुल उलटा है । आज तो हमारे यहाँ आदमी ज्यादा है और उनके लिए काफी मजूरी नहीं है । इसके सिवा मशीनों का काम बड़े पैमानों पर होता है । हमारा देश ऐसी स्थिति में है कि खेती के काम बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता । इस रोज़गार को बड़े पैमाने पर करने में भी भारत की जनता की हानि है । जिस तरह कपड़े का कारोबार बड़े पैमाने पर होने से भारत में बेकारी का रोग फैल गया, उसी तरह खेती का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होने से बेकारी बढ़ती ही जायगी । यदि सम्पत्तिशास्त्र को संसार के कल्याण की दृष्टि से देखें और परस्पर लूटनेवाली राष्ट्रीयता का दुर्भाव हटा दें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि कर्कों का प्रयोग वहीं तक कल्याणकारी है

जहाँ तक यह अधिक-से-अधिक मनुष्यों को काम और दाम देकर अधिक-से-अधिक अच्छाई और मात्रा में माल तैयार कर सके। हम ऊपर प्रमाण के साथ यह दिखा आये हैं, कि ऐसे उत्तम सुभीते के रहते भी किसानों की गिनती घटती जाती है और अधिक लोग ससार को लूटनेवाले उद्योग-व्यवसाय की ओर चले जा रहे हैं। मिल की माया से मोहित मनुष्य इस झूठी कल्पना में उलझे हुए है कि औद्योगिक लूट बराबर जारी रहेगी और लूटनेवाले ससारी जीव जगकर इस लूट का द्वार कभी बन्द न कर सकेंगे, परन्तु यह भारी भ्रम बहुत काल तक न रह सकेगा।

फिर भी अमेरिका से हमको जो बातें सीखने लायक हैं हम जरूर सीख लेंगे। हम जितने सुभीते गिना आये हैं, भारत के लिए हम वे सभी सुभीते चाहते हैं।

वर्तमान समय में हम मोटरों पर चलनेवाले किसानों और मजूरों की तरह अपने यहाँ के किसानों और मजूरों को विमानों का भोग-विलास करते देखने की स्पर्धा नहीं रखते। “भोजन सादा हो परन्तु भरपेट मिले, और पशुओं और अतिथियों तक के खिलाने के लिए वच जाय। भरसक खेतों की ही उपज हो, मोटा चाहे कितना ही हो और भाँति-भाँति का चाहे न भी मिल सके। खहर सस्ता हो जिससे शरीर की रक्षा हो सके और सर्दों से वचाव हो, चाहे महीन मुलायम और सुन्दर न हो परन्तु जरूरत से किसी तरह कम न हो। छाया के लिए मकानियत काफी हो, चाहे उसमें सजावट और सुघराई न हो तो भी सफाई पूरी रह सके। बहुत थोड़े से जर्च में शिक्षा मिले, पुस्तकें मिलें और सब तरह के मनवहलाव का सामान हो जाय। सामाजिक काम भी बिना बाधा के हो सकें। जोखिमों का बीमा भी

होता रहे और धरती पर के जीवन के लिए और भी कुछ थोड़ी-बहुत बे-ज़रूरी बातें भी सुलभ हों। संसार के अधिकांश किसानों को इससे ज्यादा सुभीते नहीं हैं। अधिक लोगों को तो असल में इनसे बहुत कम हैं। यह एक बहुत दिनों से पक्की बात है कि पीढ़ियाँ-पर-पीढ़ियाँ गुज़रती गई हैं, और जीवन के इन परिमाणों से सन्तुष्ट रहकर वे केवल किसान ही नहीं बने रहे बल्कि जितना हमें चाहिए था उतने से अधिक उपजाते भी रहे। इससे बढ़कर इस बात की कोई गवाही हो नहीं सकती कि जीवन के इससे अधिक ऊँचे परिमाणों की असल में ज़रूरत न थी, या यों कहना चाहिए कि खेती की परिस्थिति में इससे ऊँचे परिमाण की रक्षा नहीं की जा सकती थी।^१ हम उस सादगी को ज्यादा पसन्द करते हैं जिसमें कि ईमानदारी से रहकर किसान अपने आत्मिक जीवन की पूरी ऊँचाई तक उभर सके। वह विज्ञापनबाज़ी के फन्दों में न फँसे, सूचीपत्रों से अपने को न ठगावे, ठगों की तस्वीरों और मोहिनी बातों पर लुभा न जाय। इशितहारी रौज़गारों का शिकार न बने, और विलासिता में न फँसे। अमेरिका के किसानों के ये थोड़े से दोष हैं जिनसे बचना होगा। दलाली, मुकदमे-बाज़ी, जुआ, चोरी, नशा, आलस्य, गुण्डापन, व्यभिचार आदि से, जो हमारे किसानों में दिन-पर-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसे बचना होगा।

३. डेनमार्क की खेती

संसार में अमेरिका की खेती सबसे बड़ी-चढ़ी है, परन्तु जैसा

१ Alexander E. Cance, Professor of Agricultural Economics, Massachusetts Agricultural College in "Farm Income and Farm Life," The University of Chicago Press, New York, 1927. P 78.

हम देख आये हैं यह उन्नति हाल की ही है। अमेरिका ने अपने कृषि-विभाग की जानकारी बढ़ाने के लिए कृषि-विज्ञान के वृद्ध-वृद्ध विद्वानों को यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों में पर्यटन कराया। यूरोप में खेती के व्यवसाय में अमेरिका वालों ने डेनमार्क को सबसे अधिक बढ़ा-चढ़ा पाया, और अनेक बातें इस छोटे से देश से सीखीं। यो कहना भी अनुचित न होगा कि जब हम डेनमार्क की चर्चा करते हैं तो असल में उस देश की चर्चा करते हैं जो अमेरिका के लिए भी आदर्श है। इस तरह समझना चाहिए कि संसार में खेती की उन्नति के लिए डेनमार्क ही सबसे उत्तम आदर्श है। यूरोप के 'लीग ऑफ नेशन्स' (राष्ट्र सघ) की ओर से (दी रूरल हाईजीन इण्टर चेञ्ज) कृषि-स्वास्थ्य—परस्पर विनिमय विभाग ने स्वास्थ्य-संगठन पर कई उपयोगी पुस्तिकाएँ निकलवाई हैं। डेनी सरकार के खेती के विभाग के मंत्री श्री एस० सोरन्सेन ने डेनी खेती पर एक बड़ी अच्छी पुस्तिका लिखी है। उसकी भूमिका में डाक्टर वूद्रो ने लिखा है, कि जहाँ की आर्थिक दशा बहुत अच्छी और पक्की नींव पर जमी हुई नहीं है वहाँ तन्दुरुस्ती की रक्षा के लिए उपाय नहीं किये जा सकते। तात्पर्य यह है कि जिन राष्ट्रों को स्वास्थ्य-रक्षा पूरी तौर पर मजूर हो वे अपनी आर्थिक दशा सुधारें, और डेनमार्क की तरह खेती और किसानों की उन्नति करें। स्वास्थ्य-विभाग ने इसीलिए कृषि-विभाग सम्बन्धी पुस्तिका छपवाई है। इस प्रसंग में हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि पिछले पृष्ठों में हमने जो दरिद्रता का सम्बन्ध रोगों और मौतों की बढ़ी हुई संख्या से दिखाया है वह संसार में निर्विवाद बात मानी जाती है।

परन्तु डेनमार्क खेती में जितना ही बढ़ा-चढ़ा हुआ है, उतना ही

विस्तार में छोटा है। यह समुद्र-तट पर बसा हुआ केवल १६,५३६ वर्गमील का क्षेत्रफल रखता है। उसकी आबादी ३४,६७,००० प्राणियों की है। इस देश से क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का अवध प्रान्त ज्योदा बड़ा है, और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त बराबर है। भारत में इससे छोटे प्रान्त केवल दिल्ली और अजमेर के हैं। आबादी में सीमा-प्रान्त का ज्योदा है, और सिन्ध प्रान्त से कुछ कम है। अमेरिका के मुक्काबले में यहाँ की आबादी ज्यादा घनी है। ये अङ्क हमने सन् १९८५ के दिये हैं। डेनमार्क में देहातों की आबादी सैकड़ा पीछे ५७ है। इसमें से सभी खेती नहीं करते। खेती के सम्बन्ध के सारे काम करने वालों को गिनें तो किसानों की आबादी सैकड़ा पीछे ३३ ही ठहरती है। इनमें से खेत के मालिकों के कब्जे में १,७७,००० खेत हैं। पट्टे पर २,२०७ हैं। लगान पर ८, ५५१ हैं। इस तरह कुल खेती में ६४ प्रति सैकड़ा लोगों की अपनी मिल्कियत है, बाकी ६ प्रति सैकड़ा पट्टे या लगान पर हैं। छोटे-से-छोटे खेत आठ एकड़ तक के हैं, परन्तु सबसे बड़ी संख्या २५ एकड़वाले खेतों की है। उनके बाद ७५ एकड़वालों की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी कि आठ एकड़वालों की है, इस तरह असल में वहाँ थोक खेती ज्यादा है। किसानों की आबादी के हिसाब से जितने क्षेत्रफल पर किसान अधिकार रखता है वह हमारे यहाँ से कहीं ज्यादा है। सत्तरह-सत्तरह एकड़ की जोतें छोटी जोतों का औसत क्षेत्रफल समझी जाती है। हमारे यहाँ जिनके पास १७ एकड़ खेत हैं वे १७ भिन्न-भिन्न

१. 'Small Holdings in Denmark' by L. Th. Arnskov, Danish Foreign office Journal, 1924. (Dy10a and Jeppesen). Danish Agriculture (Statistics), The Agricultural Council of Denmark vestre Boulevard 4-Copenhagen V.

जगहों में बटे हुए भी हैं। थोक के थोक इकट्ठे नहीं हैं। सन् १९७७-७८ और ७९ में वहाँ एकड़ पीछे लगभग (१२०३) रुपये दाम देने पड़ते थे। जिन लोगों के पास छोटी-छोटी जोत थी उन्हें बढ़ाने के लिए, और जिनके पास पट्टे थे या जो रच्यत की तरह लगान पर खेत लेकर खेती करते थे, उन्हें खेतों को खरीद लेने में वहाँ की सरकार ने बहुत कम व्याज पर और उन खेतों की ही जमानत पर उधार रुपये दिये, और किसानों को खेतों का मालिक बनाया। यह उधार के रुपये भी वसूल करने का ढंग ऐसा अच्छा रक्खा कि छोटी-छोटी किस्तों में साल-साल पर किसान लोग अदा करें, जिसमें कई बरसों में वह सरकारी उधार भी चुकता हो जाय और किसानों की मिल्कियत भी पक्की पौढ़ी हो जाय। डेनी सरकार ने किसानों के साथ केवल इतनी रिश्तायत ही नहीं बल्कि उनका संगठन कराने में, सहयोग समितियों के बनाने में उनकी उपज को चोखा बनाने में, और संसार की मण्डियों में, उनके माल के अच्छे-से-अच्छे दाम खड़े कराने में पूरी मदद दी और कोई बात उठा नहीं रखी।

बाहर के लोग यह देखकर आश्चर्य करते हैं कि डेनी के देश को समझें इतनी कम होने पर भी संसार की मण्डियों में एक-तिहाई मक्खन, एक-चौथाई सुअर का मांस, और दसवाँ भाग अडे वह कहाँ से लाकर बँचता है। श्री सोरन्सेन इस रहस्य को थोड़े ही में खोल देते हैं। डेढ़ सौ बरस के संगठन और धनी खेती का यह फल है, और इतना कह देने में जरा भी गलती का डर नहीं है कि डेनी किसान अपने काम में बड़े कुशल और शिक्षित हैं और उनका सामाजिक और मानसिक परिणाम बहुत ऊँचा है।

हमारा भी तो इन्हीं डेढ़सौ बरसों का रोना है। जो देश स्वाधीन

थे या स्वाधीन हो गये, जैसे डेनमार्क और अमेरिका, उन्होंने उसी समय अपना सगठन और उत्थान आरम्भ किया; उसी समय भारत के पाँवों में बेड़ियाँ पड़ गईं, और उसके शरीर में खून चूसकर बाहर जानेवाली जोंकें लग गईं। डेनमार्क की उन्नति की बुनियाद भी बहुत पुरानी है। पुराने डेनमार्क में उसी समय उसी तरह का ग्राम-संगठन था जैसा कि भारत में। हरेक गाँव एक प्रकार की सहयोगी-समिति थी जिसमें गाँव का हर आदमी शामिल था। वे अपना कानून खुद बनाते थे। उनकी कानून की किताब में खेती, पशुपालन आदि के नियम लिखे रहते थे। गाँववाले सालभर के लिए या तीन साल के लिए अपना मुखिया चुन लेते थे। गाँव में हरी घास पर यही मुखिया सभा किया करता था। हर मन्बर के बैठने के लिए उसकी जायदाद की हैसियत के अनुसार मंच हुआ करता था। मुखिया काम शुरू करता था और फिर ऐसी बातें तय कर ली जाती थीं कि जोताई-बोवाई किस-किस दिन की जायगी, घास कब कटेगी, फसल कब काटी जायगी, कौन-कौन से दरख्त कटेंगे और कब कटेंगे, दूरो का क्या बन्दोबस्त होगा, ग्वाले को क्या दिया जायगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों से लेकर गाँव के सब तरह के बन्दोबस्त इसी पंचायत में होते थे। दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकद्दमे फैसल होते थे। जुर्माने होते थे और लिये जाते थे। ये पंचायतें बड़े अदब कायद से होती थीं। कड़े अनुशासन से काम लिया जाता था। पंचायती पाठशाळा आदि पंचायत की चीजें थीं। किसी के लड़का हो या न हो, पर हर गाँववाला पढ़ानेवाले के भोजन के खर्च में हिस्सा देता था। इसके सिवा हर पढ़ानेवाला लड़का फीस भी देता था, जिससे मास्टर की तनख्वाह निकलती थी। बहुत विस्तार करना

व्यर्थ है, इतना कह देना काफी होगा कि हरेक गाँव अपने स्थानीय स्वराज्य का उपभोग करता था। परन्तु इसके साथ-साथ एक दोष यह था कि ज़मींदारी और काश्तकारी का भी सम्बन्ध था और मजूरों और आसामियों के साथ गुलामों का-सा बर्ताव होता था। परन्तु इस प्रथा से धीरे-धीरे सुधार होने लगा, और पिछले पचास वर्षों में सुधारों का वेग बहुत बढ़ता गया। जहाँ-जहाँ जमीन रेतिली थी और खेती नहीं हो सकती थी, वहाँकी ज़मीनों पर जंगल लगा दिये गये। जहाँ-जहाँ हो सका पशुओं का चारा उपजाया जाने लगा। घासों के उगने की जगह आलू, गाजर, शलजम आदि कन्दमूल उपजाये जाने लगे। बाज्र-बाज्र फसलें पाँचवें, बाज्र छठवें और बाज्र सातवें साल अच्छी होती थीं। अदला-बदली करके इस तरह पर वहाँ खेती होने लगी कि जिस साल जिस चीज़ की उपज सबसे ज्यादा होनेवाली थी उस साल वही चीज़ बोई जाती थी। यह तो खेती की बात हुई, जिसमें कि उन्होंने ऐसी तरकीब की कि बढ़ते-बढ़ते एकड़ पीछे सोलह मन गेहूँ उपजाने लगे। डेनो का गाहक पहले इंग्लिस्तान था, परन्तु मण्डी में और मुल्कों की चढ़ा-ऊपरी से डेनो की अनाज की खपत कम होगई। उस समय डेन हताश नहीं हुए, वे गोघंश को पहले ही से सुधार रहे थे। जब अनाज की विक्री कम हुई तो उन्होंने मक्खन का रोजगार करना शुरू किया, गायें पालीं और बछड़े भी पालने लगे। भारत में वैल बड़े काम के जानवर हैं, खेती उन्हींके बल पर होती है, परन्तु डेनमार्क में दुलाई और जुताई आदि का काम घोड़ों से लेते हैं, इसलिए गोमांस-भन्नी अंग्रेज ब्राह्मणों को वे वैलों का मांस देने लगे। मांस, चर्बी आदि के लिए वे पहले से सुअर भी पालते थे, और

अंडो के लिए मुर्गा, बत्तक आदि भी रखते थे। इस तरह उन्होंने अनाज की बिक्री घटने पर गोमांस, शूकर-मांस, चर्बी, चमड़ा, मक्खन, अडे इत्यादि की बिक्री बढ़ाई। इस बात में डेनी सरकार से उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली। आज सिवाय अनाज के इन सब चीजों की बिक्री डेनमार्क की बहुत ज्यादा है। और ये सब चीजें खेती की उपज समझी जाती हैं। भारतवर्ष शायद ऐसी खूँखार तिजारत के लिए ठीक न होगा, परन्तु हमारे देश की शिक्षा के लिए वहाँ की सब-से बड़ी चीजें दो हैं—एक तो सहयोग-समितियाँ और दूसरे खेती की शिक्षा देनेवाले मद्रसे।

सहयोग-समितियों की चर्चा भारतवर्ष में बहुत चल रही है। उनके कानून भी बने हुए हैं। देश में गवर्मेण्ट की ओर से उसका आन्दोलन चल रहा है। परन्तु हमारे देश में और डेनमार्क में यह भारी अन्तर है कि डेनो की सहयोग-समितियाँ गाँव की पंचायतो से पैदा हुई हैं, और वहाँ की सरकार ने उन्हें अपना लिया है। यहाँ की सरकार ने पहले गाँव की पंचायतो को नष्ट कर डाला, जिसको बहुत जल्दी सौ बरस के लगभग हो जायेंगे, और कोई छब्बीस बरस हुए कि विदेशी सरकार ने सहयोग समितियों की बुनियाद डाली और उन्हें अपने जोर से फैलाया, परन्तु उनमें इतने बंधेज रखे कि हमारे गरीब किसान उनको अपना न पाये। वहाँ सहयोग समितियों की बुनियाद नीचे से पड़ी थी, और यहाँ शिमले की ऊँचाई से। यह साफ है कि कौनसी बुनियाद मजबूत हो सकती है। वहाँ के किसानों ने सब तरह की समितियाँ बनाई हैं, जिनका आरम्भ पहले पहल 'मक्खन निकालनेवाली समिति' से हुआ। संवत् १९३६ में कुछ द्रिद्र किसानों ने मिलकर मक्खन निकालने के लिए पहले

पहल समिति बनाई। वहाँ आजकल ऐसी चौदह सौ समितियाँ हैं। इनके सिवा खरीदने की, बेचने की, लेनदेन की, सब तरह की सहयोग-समितियाँ बन गई हैं। इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, परन्तु सरकार मे इनकी साख मानी जाती है, इनको उधार रुपये दिये जाते हैं, और इनके विरुद्ध सरकारी अदालतों में मुकदमे नहीं चलाये जा सकते।

डेनमार्क की सारी उन्नति की पूँजी वहाँ की 'लोक-पाठशालाओं' मे है। पादरी प्रुएट फिग ने ६० बरस से ऊपर हुए इन पाठशालाओं का आरम्भ किया था। उसने एक बार इस प्रकार अपनी इच्छा प्रकट की थी—“यह मेरी परम अभिलाषा है कि डेनों के लिए ऐसी पाठशालायें खुलें जिनमे देश के युवक पढ़ सकें। वहाँ वे मानव-स्वभाव और मानव-जीवन से अच्छा परिचय पा सकें, और विशेष कर अपने को खूब समझ सकें। वहाँ वे गाँवों मे रहनेवालों के कर्तव्य और सम्बन्ध अच्छी तरह समझ सकें, और देश की जरूरतें भी अच्छी तरह जानें। मातृ-भाषा की गोद मे उनकी देशभक्ति पलेगी, और डेनी गीतों मे उनके राष्ट्र का इतिहास पुष्ट होगा। हमारे लोगो को सुखी बनाने के लिए ऐसे मदरसे अमृत के कुरह होंगे।”

सचमुच इसी अमृत के कुंड से डेनी किसानों का नया जीवन निकला। वहाँ ऐसे साठ मदरसे हैं, जिनमे लगभग सात हजार शिष्यार्थी हैं। ये १८ बरस से लेकर २५ बरस तक के युवक और युवतियाँ हैं। पाँच महीने मे युवको की पढ़ाई समाप्त होती है, और तीन महीनों में युवतियों की। ये लोग प्रायः थोड़े लिखे-पढ़े मदरसों

१. Quoted from S. Sorensen · Danish Agriculture, League of Nations, 1929 P. 26-27

में भर्ती होते हैं, और खेती की ऊँची-से-ऊँची विद्या इस थोड़े काल में पढ़कर पखिडत हो जाते हैं।

सक्षेप से डेनमार्क में भी हम वही सब सुभीते पाते हैं जिन ११ सुभीतों की चर्चा हम अमेरिका के सम्बन्ध में कर आये हैं। यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका से फर्क इतना ही है कि अमेरिका की अनाज और फल की खेती बढ़ी हुई है और डेनी लोग पशु की खेती में बढ़े-चढ़े हैं। अमेरिका में खेतों का विस्तार सिर पीछे डेनमार्क की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इन दोनों देशों में बैलौ से काम नहीं लिया जाता, बल्कि लोग उन्हें खा जाते हैं, हाँ, वे गऊ के पालने में बढ़े होशियार हैं और दूध मक्खन की भारी तिजारत करते हैं।

संसार के सबसे बड़े खेती करनेवाले देशों में जो बातें हम देखते हैं उनमें सीखने की बातें लोहे की मशीनें नहीं हैं बल्कि मनुष्यों के सगठन और प्रबन्ध है, जो हम भी कर सकते हैं अगर हमारे हाथ-पाँव खुले हों।

‘लोक साहित्य माला’

‘सस्ता साहित्य मण्डल’ की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि जन साधारण को ऊँचा उठानेवाला साहित्य सस्ते-से-सस्ते मूल्य में सुलभ कर दिया जाय। हम नहीं कह सकते कि ‘मण्डल’ इस उद्देश्य में कहीं तक सफल हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर नेक नोयता से बढ़ते रहने की कोशिश की है और हिन्दी में राष्ट्रनिर्माणकारी और जन-साधारण के लिए उपयोगी साहित्य देने में उसने अपना खास स्थान बना लिया है। लेकिन हमको अपने इतने से कार्य से संतोष नहीं है। अभी तक ‘मण्डल’ से, कुछ अपवादों को छोड़कर, ऐसा साहित्य नहीं निकला जो बिल्कुल जन-साधारण का साहित्य—लोक साहित्य कहा जासके। अभी तक आमतौर पर मध्यम श्रेणी के लोगों को सामने रखकर ‘मण्डल’ का प्रकाशन कार्य होता रहा है लेकिन अब हमको अनुभव हो रहा है कि हमें अपनी गति और दिशा बदलनी चाहिए और जनता का और जनता के लिए साहित्य प्रकाशित करने का खास-तौर से आयोजन करना चाहिए।

इसी उपरोक्त विचार को सामने रखकर ‘मण्डल’ से हम ‘लोक साहित्य माला’ नाम की एक पुस्तक माला प्रकाशित करने की तजवीज कर रहे हैं। इस माला में डबल क्राउन सोलह पेजी आकार की दो-ढाई सौ पृष्ठों की लगभग दो सौ पुस्तकें देने का हमारा विचार है। पुस्तकें साधारणतः जन-साधारण की समझ में आने लायक सरल भाषा में, अपने विषयों के सुयोग्य विद्वानों द्वारा लिखाई जायेंगी। पुस्तकों के विषयों में जनसाधारण से सम्बन्ध रखनेवाले तमाम विषयों—जैसे खेती, वायवानी,

ग्राम उद्योग, पशुपालन, सफाई, सामाजिक बुराईयाँ, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनैतिक, सामान्य जानकारी देशभक्ति की कहानियाँ, महाभारत रामायण की कहानियाँ, चरित्रबल बढ़ानेवाली कहानियाँ आदि का समावेश होगा। संक्षेप में हमारा इरादा यह है कि हम लगभग दो सौ पुस्तकों की एक ऐसी छोटी-सी लाइब्रेरी बना दे, जो साधारण पढ़े-लिखे लोगों के अन्दर वर्तमान काल के सारे विषयों को तथा उनको उँचा उठानेवाले युग परिवर्तनकारी विचारों को सरल-से-सरल भाषा में रख दे और उसके बाद उन्हें फिर किसी विषय की खोज में—उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए—कहीं बाहर न जाना पड़े।

ऊपर लिखे अनुसार लगभग दो-ढाई सौ पृष्ठों की पुस्तक माला की पुस्तकों का दाम हम सस्ते-से-सस्ता रखना चाहते हैं। आमतौर पर हिन्दी में उतने पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १) या १।) ६० रखा जाता है लेकिन हम इस माला के स्थायी ग्राहकों के लिए छः आना और फुटकर ग्राहकों के लिए आठ आना रखना चाहते हैं। कागज छुपाई आदि बहुत बढ़िया होगी।

निम्नलिखित पुस्तकें इस माला में प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ तैयार हो रही हैं।

- १ हमारे गाँवों की कहानी [स्व० रामदास गौड़]
- २ महाभारत के पात्र—१ [आचार्य नानाभाई]
- ३ संतवाणी [वियोगी हरि]
- ४ अंग्रेज़ी राज में हमारी दृष्टि [डॉ० अहमद]
- ५ लोक-जीवन [काका कालेलकर]
- ६ राजनीति प्रवेशिका [हेरल्ड जास्की]
- ७ हमारे अधिकार और कर्तव्य [कृष्णचन्द्र विद्यालंकार]
- ८ सुगम चिकित्सा [चतुरसेन वैद्य]
- ९ महाभारत के पात्र—२ [नानाभाई]

गांधी साहित्य-माला

‘मण्डल’ का यह सौभाग्य रहा है कि महात्माजी की पुस्तकों को हिन्दी में प्रकाशित करने की स्वीकृति और सुविधा महात्माजी की ओर से उसे मिली है। और हिन्दी में गांधीजी की पुस्तकें मण्डल ने ही ज्यादा संख्या में निकाली भी हैं। ‘मण्डल’ का सर्वप्रथम प्रकाशन महात्माजी का लिखा ‘दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह’ था। उसके बाद उनकी ‘आत्मकथा’, ‘अनासक्तियोग-गीताबोध’, ‘अनीति की राह पर’ और ‘हमाय कलंक’ आदि हमने प्रकाशित किये। लेकिन फिर भी अबतक हम एक बात नहीं कर पाये। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि महात्माजी के सारे लेखों और भाषणों का विषय-वार सुसंपादित संस्करण निकाला जाय। अब पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष हम इस काम को प्रधान रूप से हाथ में ले रहे हैं और महात्माजी के जुने हुए त्वास-त्वास लेखों को १५-२० भागों में उपरोक्त माला के रूप में निकाल रहे हैं। ‘स्वदेशी और ग्रामोद्योग’ इस माला की पहली पुस्तक है। इस माला के प्रत्येक भाग की पृष्ठ संख्या २०० और दाम ॥) होगा।

नवजीवन माला

मण्डल के प्रमुख सदस्य श्री महावीरप्रसाद पोद्दार सन् १९३०-३१ में कलकत्ता में ‘शुद्ध खादी मण्डल’ संचालन का काम करते थे। वहाँ से उन्होंने ‘नवजीवन माला’ नाम की एक पुस्तकमाला निकाली थी। उसका उद्देश्य, करोड़ों, हिन्दी भाषी गरीब लोगों में महात्मा गांधी और ससार के दूसरे सत्पुरुषों के नवजीवनदायी विचारों को सस्ते-मे

सस्ते मूल्य में फैलाना और उनको भारत की आज़ादी के महायज्ञ के लिए तैयार करना था। इस माला में कलकत्ते से लग-भग ३० छोटी-छोटी पुस्तकें निकली थीं। उसका बड़ा प्रचार हुआ और महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री जमनालाल बजाज आदि ने इन पुस्तकों की बहुत प्रशंसा की। बाद में श्री पोद्दारजी दूसरे कामों में लग गये और माला का प्रकाशन बन्द हो गया। अब श्री पोद्दारजी ने इस माला का प्रकाशन 'सस्ता साहित्य मण्डल' के सिपुर्द कर दिया है और यह माला, पुरानी पुस्तकों के क्रम में कुछ हेर-फेर के साथ, मण्डल से नियमित रूप में प्रकाशित होती रहेगी। इसको पुरानी पुस्तकों जो प्रायः होगी वे भी मण्डल से मिल सकेंगी।

'मण्डल' से इस माला में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, उनका क्रम तथा परिचय इस प्रकार है:—

१ गीताबोध	(गांधीजी)	—)॥
२ मंगलप्रभात	,,	—)॥
३ अनासक्तियोग (गांधीजी)	=): श्लोकसहित ≡)	सजितद ।)
४ सर्वोदय	(गांधीजी)	—)
५ नवयुवकों से दो बातें	(क्रोपाटकिन)	—)
६ हिन्द स्वराज्य	(गांधीजी)	≡)
७ छूतछात की माया	(आनन्द कौसल्यायन)	—)
८ किसानों का सवा ४	(डा० अहमद)	=)
९ ग्राम सेवा	(गांधीजी)	—)
१० खादी गांधी की लड़ाई	(विनोबा)	=)

सस्ता साहित्य मण्डल

'सर्वोदय साहित्य माला' की पुस्तकें

१—दिव्य-जीवन	1=)	२०—कलवार की करतूत	=)
२—जीवन-साहित्य	१।)	२१—व्यावहारिक सम्यता	॥)
३—तामिलवेद	॥।)	२२—अँधेरे में डलाला	॥)
४—व्यसन और व्यभिचार	॥=)	२३—स्वामीजी का बलिदान	
५—सामाजिक कुरितियाँ		(अप्राप्य)	।=)
(जन्त : अप्राप्य)	॥।)	२४—हमारे जमाने की गुलामी	
६—भारत के स्त्री-रत्न (तीन भाग)	३)	(जन्त : अप्राप्य)	।)
७—अनोखा (विक्टर ह्यूगो)	१।=)	२५—स्त्री और पुरुष	॥)
८—ब्रह्मचर्य-विज्ञान	॥।=)	२६—घरों की सफाई	।=)
९—यूरोप का इतिहास	२)	२७—क्या करें ? (दो भाग)	१।।)
१०—समाल-विज्ञान	१।।)	२८—हाथ की कलाई छुनाई	
११—खहर का सम्पत्ति-शास्त्र	॥।।=)	(अप्राप्य)	॥=)
१२—गोरों का प्रभुत्व	॥।।=)	२९—आत्मोपदेश	।)
१३—चीन की आवाज़ (अप्राप्य)।=)		३०—थथार्थ आदर्श जीवन	
१४—दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह (।)		(अप्राप्य)	॥=)
१५—विजयी बारडोली	२)	३१—नव अँग्रेज़ नहीं आये थे—।)	
१६—अमीति की राह पर	॥=)	३२—गंगा गोविन्दसिंह	
७—सीता की अग्नि-परीक्षा	।=)	(अप्राप्य)	॥=)
१८—कन्या-शिक्षा	।)	३३—श्रीरामचरित्र	१।)
१९—कर्मयोग	।=)		

३४—आश्रम-हरिणी	१)	२४—स्त्री-समस्या	१॥१
३५—हिन्दी-मराठी-कोष (अप्राप्य)	२)	२५—विदेशी कपड़े का मुकाबिला	॥२
३६—स्वाधीनता के सिद्धान्त	॥)	२६—चित्रपट	१=)
३७—महान् मातृत्व की ओर	॥॥=)	२७—राष्ट्रवादी (अप्राप्य)	॥=)
३८—शिवाजी की शोभ्यता	१=)	२८—इंग्लैण्ड में महात्माजी	॥१
३९—तरंगित हृदय	॥)	२९—रोटी का सवाल	१)
४०—नरमेघ	१॥)	३०—दैवी सम्पद्	१=)
४१—दुखी दुनिया	१=)	३१—जीवन-सूत्र	॥१
४२—झिन्दा लाश	॥)	३२—हमारा कलंक	॥=)
४३—आत्म-कथा (गांधीजी)	१॥)	३३—बुद्बुद्	॥)
४४—जब अंग्रेज आये (जन्त)	१॥=)	३४—संवर्ष था सहयोग ?	१॥)
४५—जीवन-विकास	११) १॥)	३५—गांधी-विचार-दोहन	॥१)
४६—किसानों का विगुल (जन्त)=)		३६—एशिया की क्रान्ति	
४७—फाँसी !	१=)	(जन्त)	१॥१)
४८—अनासक्तियोग—गीता- बोध (३० बवलीवन माला)	१=)	३७—हमारे राष्ट्र-निर्माता	२॥)
अनासक्तियोग	=)	३८—स्वतंत्रता की ओर—	१॥)
गं ताबोध	-)॥	३९—आगे बढ़ो !	॥)
४९—स्वर्ण-विहान (जन्त)	१=)	४०—बुद्ध-वाणी	१=)
५०—मराठों का उत्थान-पत्तन	२॥)	४१—कांग्रेस का इतिहास	२॥)
५१—माई के पत्र	१)	४२—हमारे राष्ट्रपति	१)
५२—स्वगत	॥=)	४३—मेरी कहानी (ज० नेहरू)	२॥)
५३—युग-धर्म (जन्त : अप्राप्य)	१=)	४४—विश्व-इतिहास की रुलक (ज० नेहरू)	८)

- ७५—हमारे किसानों का सवाल (दे० नवजीवन माला) । ८२—(४) अंग्रेजी राज्य में हमारी आर्थिक दशा ॥)
- ७६—नया शासन विधान ॥) ८३—(५) लोक जीवन ॥)
- ७७—(१) गाँवों की कहानी ॥) ८४—गीता मंत्र्यन ॥)
- ७८—(२-६) महाभारत के पात्र ॥) ८५—(६) राजनिति प्रवेशिका ॥)
- ७९—सुधार और संगठन १) ८६—(७) अधिकार और कर्तव्य ॥)
- ८०—(३) संतवाणी ॥) ८७—गांधीवाद समाजवाद ॥)
- ८१—बिनाश या इलाज ॥) ८८—स्वदेशी और ग्रामोद्योग ॥)

सन्ता साहित्य मण्डल, नया बाजार, दिल्ली

आगे होनेवाले प्रकाशन

१. जीवन शोधन—किशोरलाल मशरूवाला
२. समाजवाद : पूँजीवाद—
३. फेसिस्टवाद
४. नया शासन विधान—(फेडरेशन)
५. हमारे गाँव—चौधरी मुख्तारसिंह
६. हमारी आजादी की लड़ाई (२ भाग)—(हरिभाऊ उपाध्याय)
७. सरल विज्ञान—१ (चन्द्रगुप्त वाष्णैय)
८. सुगम चिकित्सा—(चतुरसेन वैद्य)
९. गांधी साहित्य माला—(इसमें गांधीजी के चुने हुए लेखों का संग्रह होगा—इस माला में २० पुस्तकें निकलेगी । प्रत्येक का दाम ॥) होगा । पृष्ठ सं० २००--२५०)
१०. टाल्स्टाय ग्रन्थावलि—(टाल्स्टाय के चुने हुए । निबन्धों, लेखों और कहानियों का संग्रह । यह १५ भागों में होगा । प्रत्येक का मूल्य ॥), पृष्ठ संख्या २००--२५०)
११. बाल साहित्य माला—(बालोपयोगी पुस्तकें)
१२. लोक साहित्य माला—(इसमें भिन्न-भिन्न विषयों पर २०० पुस्तकें निकलेगी । मूल्य प्रत्येक का ॥) होगा और पृष्ठ संख्या २००--२५० होगी । इसकी ६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ।)
१३. नवराष्ट्र माला—इसमें संसार के प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्रों का परिचय है। इस माला की पुस्तकें २००-२५० पृष्ठों की और सचित्र होंगी । मूल्य ॥)
१४. नवजीवनमाला—छोटी-छोटी नवजीवनदायी पुस्तकें ।

सस्ता साहित्य मण्डल
का
ग्रामोपयोगी साहित्य

१. गांवों का सुधार और संगठन
२. गांवों का आर्थिक सवाल
३. हमारे गांव और किसान
४. ग्राम-सेवा
५. स्वदेशी और ग्रामोद्योग
६. किसानों का सवाल
७. सर्वोदय
८. हिन्द स्वराज्य
९. व्यसन और व्यभिचार
१०. संतवाणी

परिचय अंदर देखें



प्रकाशक

सस्ता साहित्य मण्डल
दिल्ली :: लखनऊ

